खण्ड-346, अंक-3
गुरूवार, 27 भाद्रपद, शक संवत् 1902
(18 सितम्बर, 1980 ई0)

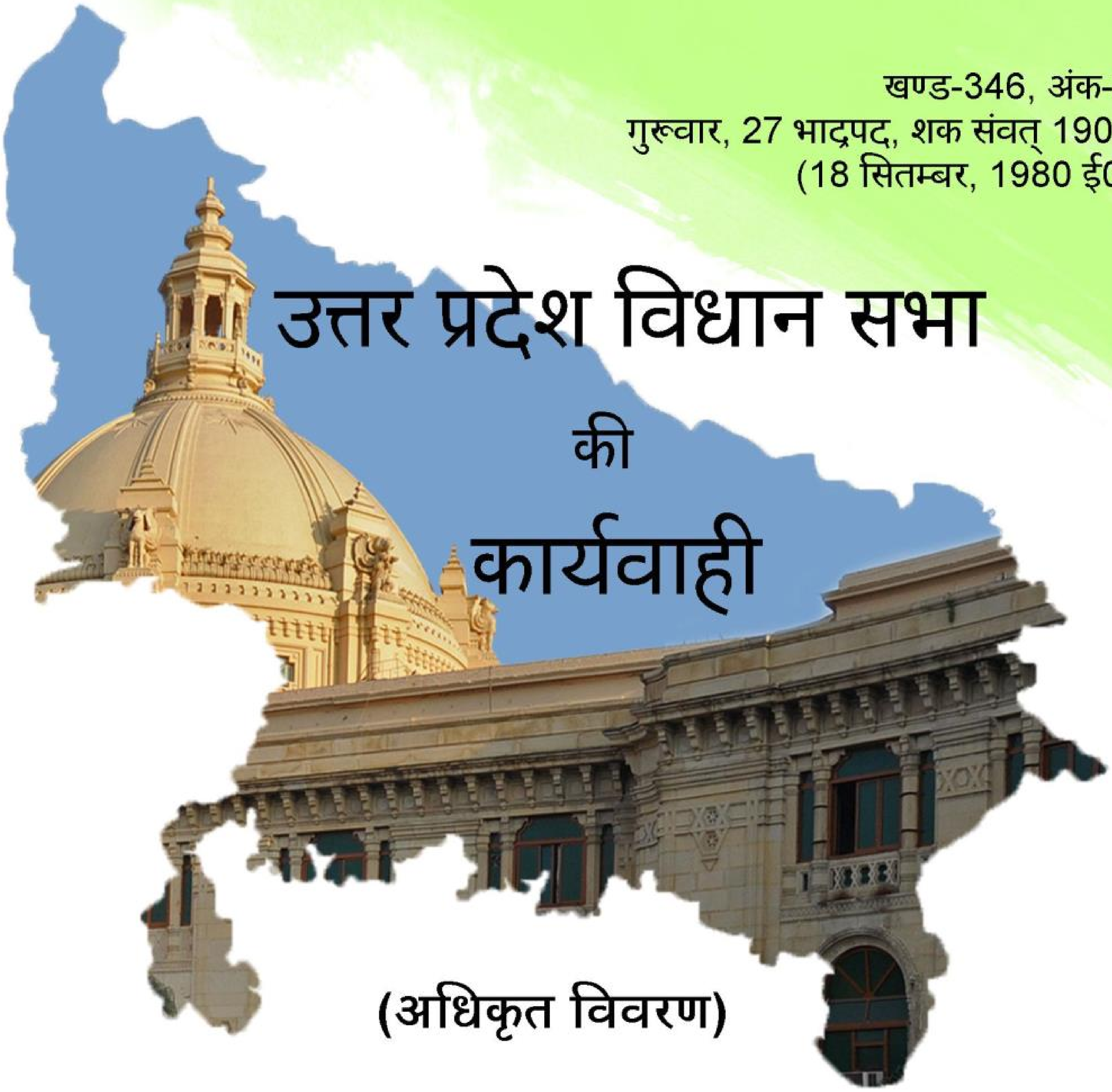

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 346 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1981

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	259–262
प्रश्नोत्तर	263–309
प्रश्नों के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न	309–310
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा हाई स्कूल की परीक्षा के लिए व्यक्तिगत परीक्षार्थियों की आयु सीमा बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	310–311
श्री झा, प्रकाशक, 'लोक रस' (झांसी) द्वारा विधान भवन के सामने भूख हड़ताल के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	311–312
आजमगढ़ जनपद के अतरौलिया विधान सभाई क्षेत्र में बाढ़ से क्षति एवं उसके लिए सहायता के मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	312–313
मथुरा में हरिजनों के लिए निर्मित गांधी छात्रावास में कुप्रबन्ध के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	313
बलिया में छात्रों के शान्तिपूर्ण जुलूस पर पुलिस द्वारा फायरिंग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	313–314
कतिपय विधान सभा सदस्यों की गिरफ्तारी एवं रिहाई की सूचना..	314
कल दिनांक 17–9–80 को अलीगढ़ के दंगे पर सदन में चर्चा के समय श्री देश राज सिंह, आयुक्त, आगरा मण्डल की उपस्थिति के संबंध में श्री उपाध्यक्ष का निर्णय	314–318
विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	318–319
बोदोनगर में मजदूरों द्वारा हड़ताल किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में वक्तव्य	319–327
उत्तर प्रदेश नागर स्वायत शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1980 .....(पुरःस्थापित किया गया)	327
कार्य–स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	327–328
1980–81 के आय–व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या 27—उद्योग विभाग (लेखन–सामग्री और मुद्रण), अनुदान संख्या 63—उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग), अनुदान संख्या 65—उद्योग विभाग (ग्राम्य एवं लघु उद्योग), अनुदान संख्या 66—उद्योग विभाग (खान और खनिज), अनुदान संख्या 87—उद्योग विभाग–पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 114—उद्योग विभाग–ऋण और अग्रिम..... (स्वीकृत)	328–375
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें	375–376
प्रदेश राष्ट्र विरोधी तत्व निवारण (संशोधन) विधेयक, 1980 .....(पारित)	376–401
.. .. ..	403–407

मध्यप्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश, विधान सभा

बृहस्पतिवार, दिनांक 18 सितम्बर, 1980

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में उपाध्यक्ष, श्री यादवेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य 337

अकबर अहमद, श्री (नैनीताल)
अकबर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
अकबाल हुसैन, श्री (गोंडा)
अजीजुर्रहमान, श्री (बिजनौर)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अनवार खां, श्री (अलीगढ़)
अनवार मुहम्मद खां, श्री (फर्रुखाबाद)
अब्दुल रहमान खां नश्तर, श्री (कानपुर)
अमरनाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिल सिंह) (फतेहपुर)
अमर सिंह, श्री (सहारनपुर)
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री (बरेली)
अम्बिका सिंह, श्री (बस्ती)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
अलमेलु अम्माल, कुमारी (बस्ती)
अशफाक अहमद अन्सारी, श्री (बरेली)
आजाद कुमार कर्दम, श्री (आगरा)
इन्द्रजीत, श्री (फतेहपुर)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) (बहराइच)
उपेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (उर्फ सुल्तन भैय्या) (खीरी)
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री (गोंडा)
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी (एटा)
ऊदल, श्री (वाराणसी)
नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय
ए0सी0 ग्राइस, श्री, (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री (ललितपुर)
कन्हैया लाल, श्री (मथुरा)
कन्हया लाल महेन्द्रू, श्री (लखनऊ)
कमला दरियाबादी, श्रीमती (कानपुर)
कमला देवी, श्रीमती (हरदोई)
कमला साहनी, श्रीमती (बस्ती)
कल्यान सिंह, श्री (बरेली)
काजी मोहिउद्दीन, श्री (सहारनपुर)
किरनपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
किशोरी शुक्ला, श्रीमती (गोरखपुर)
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री (हमीरपुर)
कुंवर सिंह नेगी, श्री (चमोली)
कुदसिया बेगम, श्रीमती (हरदोई)
कुबेर भंडारी, श्री (देवरिया)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली)
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज) (फतेहपुर)
कृष्ण प्रकाश तिवारी, श्री (इलाहाबाद)
कृष्ण मगन सिंह, श्री (बाराबंकी)
कृष्णबीर सिंह कौशल, डाक्टर (आगरा)
केदारनाथ सिंह, श्री (गोरखपुर)
केसरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशोराम, श्री (बदायूं)
कैलाश टन्डन, श्री (वराणसी)
कैलाश प्रसाद, श्री (गोरखपुर)
खरपत, श्री (वाराणसी)
खान गुफरान जाहिदी, श्री (फतेहपुर)
खुदादीन अन्सारी, श्री (देवरिया)
खुर्शीद अहमद अन्सारी, श्री (मुरादाबाद)
खुर्शेद अहमद, श्री (बहराइच)
खुशहाल सिंह रागड़, श्री (टिहरी गढ़वाल)
खैरुल बशर, श्री (आजमगढ़)
ख्वाजा हलीम, श्री (अलीगढ़)
गंगा सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (बाराबंकी)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)
गुड़िया सत्येन्द्र चन्द्र, श्री (नैनीताल)
गुलाब सिंह, श्री (देहरादून)
गुलाब सेहरा, श्री (आगरा)
गुलाम नबी, श्री (आगरा)
गेंदा देवी, श्रीमती (बस्ती)
गोपी नाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
गोपी नाथ वर्मा, श्री (फैजाबाद)
गोरे लाल शाक्य, श्री (इटावा)
गोवरधन, श्री (अल्मोड़ा)
गौरी देवी, श्रीमती (गोरखपुर)

गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (इटावा)
गौरी शंकर भैय्या, श्री (बलिया)
चंचल सिंह, श्री (रामपुर)
चन्दन सिंह, श्री (मथुरा)
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)
चन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
चरनजीत सिंह, श्री (पीलीभीत)
चारु चन्द्र ओझा, श्री (पिथौरागढ़)
चेतराम गंगवार, श्री (बरेली)
छत्तर सिंह, श्री (बलन्दशहर)
छेदी लाल, श्री (गोंडा)
जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)
जगदीश सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
जटाशंकर सिंह, श्री (बहराइच)
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री (गोरखपुर)
जफर अली नकवी, श्री (खीरी)
जमुना प्रसाद, श्री (बाराबंकी)
जसवन्त सिंह विष्ट, श्री (अल्मोड़ा)
जावेद अली, श्री (मथुरा)
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
जियाराम शुक्ल विकल साकेती, श्री (फैजाबाद)
जोराज सिंह मौर्य, श्री (मुरादाबाद)
जंराज गौतम, श्री (सुल्तानपुर)
झग्गड़ सिंह, श्री (मेरठ)
झिलमिट राम, श्री (गाजीपुर)
तपेश्वर, श्री (आजमगढ़)
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री (खीरी)
तेज बहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
तेज बहादुर गंगवार, श्री (पीलीभीत)
त्रिवेनी, श्री (आजमगढ़)
धरमन सिंह, श्री (बिजनौर)
दयाल कृष्ण, श्री (मथुरा)
दलगंजन सिंह, श्री (जालौन)
दल सिंगार, श्री (आजमगढ़)
दामोदर शर्मा, श्री (मेरठ)
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री (बस्ती)
दीनानाथ, श्री (बस्ती)
दीपक कुमार, श्री (मुजफ्फरनगर)
दीप नरायन वन महन्थ, श्री (गोंडा)
दीपू, श्री उर्फ दीपनारायण (आजमगढ़)
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री (देवरिया)
दूधनाथ राजभर, श्री (आजमगढ़)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (कानपुर)
द्वारिका नाथ धवन, श्री (देहरादून)
धनी राम वर्मा, श्री (इटावा)
धनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धरमपाल, श्री (बहराइच)
धर्मपाल, डाक्टर (अलीगढ़)
धर्मबीर सिंह, श्री (मेरठ)
धर्म सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
ध्रुप राय, श्री (देवरिया)
नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नन्द राम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री (पौड़ी गढ़वाल)
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
नरेश चन्द्र, श्री (हरदोई)
नाजिर अली, श्री (शाहजहांपुर)
नियाज हसन खां, श्री (प्रतापगढ़)
पन्ने लाल, श्री (गोरखपुर)
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री (बस्ती)
प्रवीन कुमार शर्मा, श्री (बुलन्दशहर)
परागी लाल चौधरी, श्री (सीतापुर)
पहलवान, श्री (जौनपुर)
पारवती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री (प्रतापगढ़)
प्रभू नारायण सिंह, श्री (जौनपुर)
प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
प्रियदर्शी जेतली, श्री (फैजाबाद)
प्रेमवती, श्रीमती (बदायूं)
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती (लखनऊ)
फखरे आलम, श्री (बदायूं)
फिरंगी प्रसाद शिशारव, श्री (गोरखपुर)
बंशीधर, श्री (रामपुर)
बंशीधर राज, श्री (खीरी)
बदन सिंह, श्री (आगरा)
बनवारी राम, श्री (वाराणसी)
बब्बन सिंह, श्री (बलिया)
बलराम सिंह यादव, श्री (इटावा)
बलबीर सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
बलदेव सिंह आर्य, श्री (उत्तर काशी)
बाबू राम, श्री (पीलीभीत)
बाबू लाल, श्री (गोंडा)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बाबू सिंह, श्री (अलीगढ़)
बिहारी लाल दोहरे, श्री (फर्रुखाबाद)
बृज किशोर मिश्र, डाक्टर (देवरिया)
बेनी बाई, श्रीमती (झांसी)

बैजनाथ कुरील, श्री (लखनऊ)
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री (इलाहाबाद)
ब्रज बल्लभ बाबू, श्री (बदायूं)
भगवती सिंह विशारद, श्री (उन्नाव)
भगवान दीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)
भागीरथ, श्री (झांसी)
भास्कर पाण्डेय, श्री (देवरिया)
भोखा लाल, श्री (उन्नाव)
भूधर नारायण मिश्रा, श्री (कानपुर)
भूप सिंह केन, श्री (गाजियाबाद)
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री (गोरखपुर)
भोला पाण्डेय, श्री (बलिया)
मंगलदेव, श्री (गोंडा)
मन्जूर अहमद, श्री (मेरठ)
मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ, श्री (बस्ती)
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज) (गोंडा)
महाबीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महारानी दोहरे, श्रीमती (इटावा)
महेश उपाध्याय, श्री (आगरा)
महेश चन्द्र, श्री (मेरठ)
महेश प्रसाद, श्री (देवरिया)
मान्डवी प्रसाद सिंह, श्री (वाराणसी)
माता प्रसाद पान्डेय, श्री (बस्ती)
माधव प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री (एटा)
मान बहादुर, श्री (गोंडा)
मारकन्डेय चन्द्र, श्री (गोरखपुर)
मित्रसेन, श्री (फैजाबाद)
मीर मजहर अली, श्री (बदायूं)
मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुन्शी लाल, श्री (मैनपुरी)
मुरलीधर मुनीम, श्री (गोंडा)
मुहम्मद आजम खां, श्री (रामपुर)
महदी असगर, श्री (मुजफ्फरनगर)
मोती लाल देहलवी, श्री (कानपुर)
मोहन लाल, श्री (हमीरपुर)
मोहन सिंह, श्री (देवरिया)
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री (बदायूं)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद वसीम, हाजी (रायबरेली)
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री (वाराणसी)
यदुनाथ, श्री (मिर्जापुर)
यशपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ ललन जी) (गोरखपुर)
योगन्द्र सिंह, कुंवर (फर्रुखाबाद)

रईसउद्दीन वारसी, श्री (मुरादाबाद)
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री (गोंडा)
रघुवीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
रणजीत सिंह जूदेव, श्री (झांसी)
रती राम, श्री (बिजनौर)
रमा कान्त मिश्रा, श्री (इलाहाबाद)
रमेश चन्द्र, श्री (रायबरेली)
राज किशोर राव, श्री (बहराइच)
राज कुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजपति देवी, श्रीमती (सुल्तानपुर)
राजमंगल पान्डेय, श्री (देवरिया)
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री (झांसी)
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री (सीतापुर)
राजेन्द्र सिंह, श्री (अलीगढ़)
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री (फर्रुखाबाद)
राधेश्याम पटेल, श्री (इलाहाबाद)
राधे श्याम वर्मा, श्री (फर्रुखाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राम आसरे पासवान, श्री (बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम औतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
राम करन, श्री (वाराणसी)
राम कुमार भार्गव, श्री (सीतापुर)
राम कृष्ण, श्री (जौनपुर)
राम कृष्ण माहेश्वरी, श्री (मुरादाबाद)
राम गोविन्द, श्री (बलिया)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण सिंह, श्री (मिर्जापुर)
राम जनम सिंह, श्री (वाराणसी)
राम धनी, श्री (गाजीपुर)
राम नरायन, श्री (गाजीपुर)
राम नरेश शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
रामपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राम प्रसाद, श्री (जालौन)
राम प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)
राम भजन लाल, श्री (खीरी)
राम यश सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम रतन सिंह, श्री (सीतापुर)
राम लाल, श्री (सीतापुर)
राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम समुझावन, श्री (जौनपुर)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
राम सिंह खन्ना, श्री (बरेली)
राम सेवक, श्री (सुल्तानपुर)
राम स्वरूप वर्मा, श्री (कानपुर)

राम हर्ष राय श्री, (गाजीपुर)
राम हर्ष मिश्र, श्री (बहराइच)
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री (बरेली)
रामेश्वर प्रसाद, श्री (बांदा)
रिजवानुर्रहमान किदवई, श्री (बाराबंकी)
रियासत हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
रूल्हा सिंह, श्री (सहारनपुर)
लटूरी सिंह, श्री (एटा)
लल्लू सिंह चौहान श्री (मैनपुरी)
लाल प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
लालसा, श्री (आजमगढ़)
लोकपति, श्री (मिर्जापुर)
लोकमणि, श्री (मथुरा)
वासुदेव सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
विजय पाल सिंह, श्री (गाजियाबाद)
विजय सिंह, श्री (मिर्जापुर)
विजय सिंह राना, श्री (आगरा)
विद्या भूषण, श्री (मुजफ्फरनगर)
विनोद कुमार, श्री (पीलीभीत)
विमल प्रसाद तिवारी, श्री (फर्रुखाबाद)
विमला राकेश, श्रीमती (सहारनपुर)
विलायती राम कत्याल, श्री (कानपुर)
विशन लाल, श्री (बिजनौर)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
विष्णु दयाल वर्मा, श्री (मैनपुरी)
वीरेन्द्र सिंह ढाना, कुंवर (गाजियाबाद)
बुद्धि नारायन सिंह, श्री (वाराणसी)
शंकर सिंह, श्री (जालौन)
शम्भू नाथ, श्री (आजमगढ़)
शिरोमणि, श्री (बांदा)
शिवदर्शन, श्री (राय बरेली)
शिव नरेश, श्री (बांदा)
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर (कानपुर)
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री (नैनीताल)
शिवपाल सिंह, श्री (उन्नाव)
शिव प्रताप सिंह, श्री (बांदा)
शिव मंगल सिंह, श्री (मैनपुरी)
शिवराज सिंह, श्री (अलीगढ़)
शौनाथ सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम नारायन तिवारी, श्री (गोरखपुर)
श्याम लाल बाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री (इलाहाबाद)
श्रीकृष्ण गोयल, श्री (बदायूं)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
सईदुल हसन, श्री (बुलन्दशहर)
सच्चिदानन्द, श्री (उन्नाव)
सतीश अजमानी, श्री (खीरी)
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री (इलाहाबाद)
सत्यपाल सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
सन्त बख्स रावत, श्री (लखनऊ)
सन्तोष कुमारी, श्रीमती (बदायूं)
सरजू प्रसाद 'सरोज', श्री (प्रतापगढ़)
सरदार सिंह, श्री (मथुरा)
सीताराम निषाद, श्री (फैजाबाद)
सुखदा मिश्रा, श्रीमती (इटावा)
सुखवीर सिंह गहलौत, श्री (गाजियाबाद)
सुग्रीव सिंह, श्री (देवरिया)
सुजान सिंह बुन्देला, श्री (ललितपुर)
सुनीता चौहान, श्रीमती (रायबरेली)
सुनील शास्त्री, श्री (गोरखपुर)
सुन्दर सिंह, श्री (बहराइच)
सुमन लता दीक्षित, कुमारी (कानपुर)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सहारनपुर)
सुरेन्द्र कुमार, श्री (उर्फ मुन्नी) (गाजियाबाद)
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री (अलीगढ़)
सुरेश दत्त पालीवाल, श्री (जालौन)
सुल्तान सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सूबेदार सिंह, श्री (मैनपुरी)
सैय्यद जकाउद्दीन, श्री (मेरठ)
सोमांश प्रकाश, श्री (मुजफ्फरनगर)
स्वामी नेमपाल, श्री (बुलन्दशहर)
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री (हमीरपुर)
हंस राज सिंह वर्मा, श्री (एटा)
हरगोविन्द वर्मा, श्री (सीतापुर)
हरवंश प्रसाद पांडेय, श्री (बांदा)
हरि प्रसाद, श्री (उन्नाव)
हरिवंश सहाय, श्री (देवरिया)
हरि सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री (कानपुर)
हरीशंकर, श्री (हरदोई)
हुकम सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
हेमचन्द निमेष, श्री (मेरठ)

नोट--श्रम मन्त्री, श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित भी सदन में उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, 18 सितम्बर, 1980

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

जनपद उन्नाव में पेट्रोल-डीजल की चोर-बाजारी के विरुद्ध कार्यवाही

*1--श्री भगवती सिंह विशारद, श्री हरि प्रसाद तथा श्री गया सिंह--

क्या खाद्य मन्त्री बतायेंगे कि उन्नाव जनपद में वर्ष 1979 के मास सितम्बर से लेकर वर्ष 1980 के मास जून तक कितने और किन-किन पेट्रोल डीजल डीलर्स या पेट्रोल डीजल पम्पों द्वारा चोर बाजारी करने या वितरण में अनियमितताओं के किस-किस अपराध और किस-किस धारा में उनके पेट्रोल डीजल पम्प सील कर दिये गये हैं और उनके लाइसेन्स निलम्बित कर दिये गये हैं ? और अब उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि मन्त्री (श्री बलराम सिंह यादव)--

जनपद उन्नाव में माह सितम्बर, 1979 से जून, 1980 तक की अवधि में निम्न तीन डीजल पम्प सील किये गये--

(1) मेसर्स के0 बी0 फिलिंग सर्विस स्टेशन, शुक्लागंज, उन्नाव ।

(2) मेसर्स राकलैण्ड आटोमोटिव्स सर्विस स्टेशन, बाईपास, उन्नाव ।

(3) मेसर्स उन्नाव फिलिंग स्टेशन, उन्नाव ।

मेसर्स के0 बी0 फिलिंग सर्विस स्टेशन, शुक्लागंज, उन्नाव को दिनांक 29 सितम्बर, 1979 को उनके लेखों में अंकित मात्रा से स्टाक में अधिक डीजल पाये जाने के अपराध में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत सील किया गया । यह मामला 13 नवम्बर, 1979 से चीफ जुडीशियल मैजिस्ट्रेट, उन्नाव के न्यायालय में विचाराधीन है ।

मेसर्स राकलैण्ड आटोमोटिव्स सर्विस स्टेशन, बाईपास, उन्नाव को दिनांक 9 नवम्बर, 1979 को डीजल की चोरबाजारी करने, अवैध ढंग से डीजल बिक्री करने तथा बिक्री का लेखा-जोखा न रखने के अपराध में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत सील किया गया । यह मामला अभी स्थानीय पुलिस के पास विवेचनाधीन है ।

मेसर्स उन्नाव फिलिंग स्टेशन, उन्नाव को दिनांक 29 मार्च, 1980 को चोरबाजारी में डीजल बेचने तथा बिना लेखा-जोखा में प्रविष्ट किये डीजल का स्टाक रखने के अपराध में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 में सील किया गया । यह मामला अभी स्थानीय पुलिस के पास विवेचनाधीन है ।

जहां तक लाइसेन्स निलम्बन का प्रश्न है, उल्लेखनीय है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत डीजल बिक्री हेतु कोई लाइसेन्स देने का प्रावधान नहीं है, अतएव उक्त अधिनियम के अन्तर्गत लाइसेन्स निलम्बन का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री भगवती सिंह विशारद--

उपाध्यक्ष जी, इसके पहले कि इस सम्बन्ध में मैं कोई प्रश्न करूं, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न आपके सम्मुख इस आशय से उपस्थित करना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न काल में व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता इसलिए प्रश्न ही करें ।

श्री भगवती सिंह विशारद--

क्या मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो सूचना उन्होंने सदन में रखी है इसके अतिरिक्त ऐसे और डीजल पम्प हैं जो सील किये गये हैं और उसकी सूचना नहीं दी जा रही है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

और दूसरे पम्प सील हुए या नहीं, इसकी तो सूचना नहीं है, सिर्फ 3 पम्प जो हैं जिनके बारे में स्पेसिफिक सूचना आयी है, सील किये गये हैं ।

श्री भगवती सिंह विशारद--

पत्रावली को देखकर क्या मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि बैसवारा डीजल फिलिंग स्टेशन और बांगर मऊ का एक पम्प स्टेशन का मामला भी सील है ।

श्री बलराम सिंह यादव--

मान्यवर, हमारे पास सील होने के इन्फारमेशन नहीं है किन्तु इतनी इन्फार्मेशन अवश्य है कि मेसर्स गुप्ता आटोमोबाइल्स, बांगर मऊ और मेसर्स बैसवारा फिलिंग स्टेशन जो हैं उनके खिलाफ भी कार्यवाही हो रही है । मेसर्स गुप्ता आटोमोबाइल्स, का मामला बांगरमऊ थाने में विचाराधीन है तथा बैसवारा का जो पेट्रोल पम्प है इसका भी मामला थाना भीखापुर में विचाराधीन है ।

श्री नरेश चन्द्र--

डीजल की इतनी गम्भीर अनियमितता को देखते हुए क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जो सील हुई है वे मुकदमों के दौरान अब डीजल सप्लाई कर रहे है ? यदि कर रहे हैं तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

मान्यवर जहां तक डीजल न सप्लाई करने का सवाल है, यह प्रश्न बहुत ही गम्भीर है । उस समय जब डीजल पम्प्स म यह गड़बड़ियां हुई थीं तब स्थिति ऐसी थी कि हर पेट्रोल पम्प को बन्द कर देना उचित नहीं था । यह डीजल पम्प जो हैं इसको छोड़कर बाकी सभी डीजल सप्लाई कर रहे हैं ।

श्री गया सिंह--

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि मेसर्स के0 बी0 फिलिंग स्टेशन, शुक्लागंज, उन्नाव, मेसर्स राकलैण्ड आटोमोटिव सर्विस स्टेशन, मेसर्स उन्नाव फिलिंग स्टेशन, उन्नाव में किसका लाइसेन्स कैन्सिल हो गया था और जिसका नहीं हुआ उसके खिलाफ क्या कार्यवाही हुई ? बाकी जो पकड़ गये उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बलराम सिंह यादव--

मेसर्स राकलैण्ड आटोमोबाइल जो है उसके खिलाफ कार्यवाही की गयी। इनका सर्टीफिकेट जो होता है उसको जिलाधिकारी ने कैन्सिल किया है। इसके अलावा किसी का रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट कैन्सिल नहीं किया था। इसका कारण यह है कि मेसर्स राकलैण्ड का जो स्टेशन है इसके ऊपर गम्भीर आरोप पाये गये।

[दिनांक 18 सितम्बर, 1980 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

फार्मेसिस्टों को उच्चतर वेतनमान का प्रश्न

*1--श्री राम आसरे वर्मा तथा श्री अम्बा प्रसाद--

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि फार्मेसिस्टों के वर्तमान वेतनमान को अन्य पैरा मेडिकल एवं समकक्ष योग्यता वाले कर्मचारियों की तुलना में बहुत कम मानकर 9 मई, 1979 को उच्चतर वेतनमान की घोषणा सदन के समक्ष की थी? यदि हां, तो क्या वेतन आयोग को भी तद्नुसार विशेष वेतनमान की संस्तुति की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति)--

9 मई, 1979 को तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा सदन में दिये गये वक्तव्य में फार्मेसिस्टों को उच्चतर वेतनमान दिए जाने के सम्बन्ध में कोई घोषणा नहीं की गई थी। शासन द्वारा गठित वेतन आयोग अन्य कर्मचारियों के साथ फार्मेसिस्टों के बारे में भी विचार कर रहा है और उनकी संस्तुति प्राप्त होने पर ही अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी को यह जानकारी है कि 16 नवम्बर, 1977 की एक बैठक में 230-385 के वेतनमान को 280-460 तक करने के लिए उस समय के स्वास्थ्य मंत्री द्वारा संस्तुति की गई थी तथा 30 मार्च, 1978 को तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री ने दो माह के अन्दर उस वेतनमान को लागू करने की घोषणा की थी और इसी आधार पर 9 मई, 1978 को वेतन आयोग के सामने सिफारिश किए जाने के बारे में घोषणा इस सदन में की गयी थी?

श्री लोकपति--

प्रश्न क्या है वह साफ बतायें, मेरी समझ में नहीं आया।

श्री राम आसरे वर्मा--

क्या यह सही है कि 16 नवम्बर, 1977 को तिलक हाल की एक बैठक में तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री द्वारा वेतनमान 280-460 करने की घोषणा की गई थी और 30 मार्च, 1978 को तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री द्वारा दो माह का समय इसको लागू करने के लिए मांगा गया था तथा 9 मई, 1979 को पूर्व संस्तुतियों के आधार पर वेतन आयोग के सामने सिफारिश की गई थी।

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो आप सूचना दे रहे हैं। आपका प्रश्न क्या है?

श्री राम आसरे वर्मा--

मैं यह पूछ रहा हूं कि क्या यह सही है।

श्री लोकपति--

1977 में तिलक हाल में क्या हुआ यह तो मैं नहीं जानता क्योंकि इसकी कोई लिखत सरकार ने पहले के कागजातों में नहीं रखा है । मान्यवर, 4 मई, 1979 को फार्मेसिस्टों ने हड़ताल की थी और उसके संदर्भ में 9 मई को तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री जी ने यहां कुछ घोषणा की थी । उस घोषणा में फार्मेसिस्टों की जो मांगें थी, उनमें से 4 को स्वीकार कर लिया था । उसमें सलेक्शन ग्रेड भी था और चीफ फार्मेसिस्ट की भर्ती व रिक्त स्थान का भी मामला था । उसके बाद हड़ताल समाप्त हो गई थी ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी से इसके पहले मेरी मीटिंग हुई थी तो उन्होंने कहा था कि बिना इतिहास के जाने आगे का रास्ता नहीं बनता । लेकिन अभी उन्होंने यह कहा कि वह नहीं जानते कि सन् 77 में क्या हुआ ।

श्री उपाध्यक्ष--

आपके और मंत्री जी के कितने मधुर सम्बन्ध हैं, इसमें मेरा यहां मतलब नहीं । माननीय सदस्य कृपया प्रश्न कर ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, जिस वक्तव्य का हवाला माननीय मंत्री जी ने दिया है, उसमें लिखा है कि पूर्व संस्तुति के आधार पर कार्यवाही की जायेगी । तो मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस साल क्या कार्यवाही की जा रही है ।

श्री लोकपति--

मान्यवर, तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री जी के वक्तव्य की जो बात है, उसमें ऐसा कोई शब्द नहीं जिसको माननीय मंत्री जी ने कहा हो ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पिंडरा, वाराणसी के डाक्टर को हटाने की मांग

*2--श्री ऊदल--

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि एलोपैथिक अस्पताल, पिण्डरा, जिला वाराणसी में एक डाक्टर है और वह भी नियमित रूप से नहीं रहता ? क्या इनको हटाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता ने एक पत्र 10 जून, 1980 को दिया था तथा उस क्षेत्र के नागरिकों की एक दरख्वास्त अपने पत्र के साथ माननीय मुख्य मंत्री को भी 4-7-80 को दी थी ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री लोकपति--

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पिंडरा, वाराणसी 29-1-80 को एक डाक्टर का स्थानान्तरण हो जाने के फलस्वरूप केन्द्र पर केवल एक ही डाक्टर शेष रह गये थे । जिन्हें केन्द्र पर चिकित्सा कार्य के साथ प्रशासनिक कार्य भी देखने पड़ते थे । संभव है इस कारण वे स्वास्थ्य केन्द्र पर नियमित रूप से उपस्थित नहीं रह पाते हो फिर भी उपलब्ध सूचना के अनुसार वह अन्य आवश्यक कार्यों को सम्पादित

करके नियमित रूप से अस्पताल में रहते थे । वैसे वहां दूसरे डाक्टर की तैनाती के आदेश भी जारी किये जा चुके हैं ।

2--प्रश्न में उल्लिखित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 10-6-80 प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता पर उनका पत्र दिनांक 4-7-80 वहां के क्षेत्रीय नागरिकों के एक शिकायती-पत्र के साथ प्राप्त हुआ । इस सम्बन्ध में आवश्यक जांच कराई जा रही है ।

श्री ऊदल--

मान्यवर, पहला प्रश्न तो माननीय मुख्य मंत्री जी के लिये था जो शायद सचिव को चला गया होगा । लेकिन दूसरा प्रश्न जनता की शिकायतों के बारे में जिसमें यह आरोप था कि उक्त डाक्टर वहां नियमित रूप से नहीं रहते और मरीजों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते जिसके कारण मरीज परेशान होते हैं और इसलिए उनको हटा दिया जाय । कोई दण्ड देने की बात नहीं है । तो, मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जो डाक्टर साहब हैं, इनको पिन्डरा अस्पताल से हटाकर क्या कोई अच्छा डाक्टर वहां भेजने की कृपा करेंगे ?

श्री लोकपति--

सुन नहीं पाये, मान्यवर, फिर दुबारा पूछ लें माननीय सदस्य ।

श्री ऊदल--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पिन्डरा अस्पताल के उक्त डाक्टर को हटाकर क्या कोई अच्छा डाक्टर वहां भेजने की कृपा करेंगे ?

श्री लोकपति--

व्यवस्था हो जायेगी, मान्यवर ।

गोरखपुर नगर पालिका को नगर महापालिका में परिवर्तित करने का कथित निर्णय

*3--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि पिछली जनता सरकार ने गोरखपुर नगरपालिका को महानगर निगम में परिवर्तित करने का निर्णय लिया था ? यदि हां, तो इसकी अब तक घोषणा न करने का क्या कारण है ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री राम सिंह खन्ना)--

जी नहीं । जनता सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया था ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा --

क्या जनता पार्टी के शासन में यह प्रश्न विचाराधीन था गोरखपुर को महानगरपालिका बनाने के सम्बन्ध में ? यदि हां, तो उसमें कोई निर्णय लिया गया ?

श्री राम सिंह खन्ना--

मान्यवर, अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

माननीय मन्त्री जी जो आपने बरेली में वक्तव्य दिया है उसके संदर्भ में मैं जानना चाहता हूं कि क्या वहां आपने जो 5 नगरों के सम्बन्ध में घोषणा की है कि वह नगर महापालिका में बदले जाने वाले हैं तो क्या उसमें गोरखपुर भी है ।

श्री राम सिंह खन्ना--

मान्यवर, ऐसी कोई घोषणा मैंने नहीं की है । जब अखबार वालों ने मुझसे पूछा तो मैंने कहा कि इसको मैं अच्छा समझता हूं इसके लिये विचार किया जा रहा है ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

मान्यवर, मैं मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जैसा उन्होंने ओझा जी के प्रश्न के संदर्भ में स्पष्ट किया तो क्या वह बताने की कृपा करेंगे कि किन-किन आधारों पर महापालिका का चयन किया जाता है ?

श्री राम सिंह खन्ना--

केवल यह देख कर कि आबादी एक लाख से ऊपर होनी चाहिए और उसको बनाने से वहां संसाधन जुट सकते हैं, काम ठीक चल सकता है । यही आधार है ।

श्री गौरी शंकर भैय्या--

क्या मन्त्री जी को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर की आबादी 3 लाख है, तो क्या गोरखपुर को महानगर पालिका बनायेंगे ?

श्री राम सिंह खन्ना--

इस पर विचार किया जा रहा है ।

श्री ऊदल--

क्या यह बात सही है कि गोरखपुर नगर पालिका और मेरठ की नगर पालिका को अर्सा 10 साल पहले इस लिये भंग किया गया था कि उसको नगर महापालिका बनाना है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन दोनों स्थानों पर जल्द से जल्द नगर महापालिका का निर्माण करा देगी ?

श्री राम सिंह खन्ना--

कोशिश की जायेगी ।

जनपद आगरा के किरावली कस्बा में पेयजल की समस्या

*4--श्री बदन सिंह--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के किरावली कस्बे के नागरिकों द्वारा वहां पर पेयजल की विकट समस्या को दूर करने के लिए दिनांक 17-6-80 को भेजा हुआ कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसके बारे में सरकार द्वारा अब तक क्या आवश्यक कार्यवाही की गयी ?

श्री राम सिंह खन्ना--

जी हां, किरावली कस्बा में पेयजल संकट के सम्बन्ध में 27 अप्रैल, 1980 को एक पत्र प्राप्त हुआ था जिस पर जल निगम के अधिकारियों द्वारा समस्या का अध्ययन किया गया और पेय जल योजना तैयार करने की कार्यवाही जल निगम द्वारा की जा रही है ।

श्री बदन सिंह--

मान्यवर, मन्त्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि किरावली कस्बा में पेयजल संकट के सम्बन्ध में 27 अप्रैल, 1980 को एक पत्र प्राप्त हुआ था जिस पर जल निगम के अधिकारियों द्वारा समस्या का अध्ययन किया गया और पेयजल योजना तैयार करने की कार्यवाही जल निगम द्वारा की जा रही है । तो मैं जानना चाहता हूं कि इस पेय जल योजना में किरावली के समीपवर्ती किन-किन ग्रामों को इसमें शामिल किया जा रहा है ?

श्री राम सिंह खन्ना--

मान्यवर, अभी तो यह विचाराधीन है, फिर यह सोचा जायगा कि इसमें और को संबद्ध किया जाय या इसी को बनाये रखा जाय, इस पर विचार किया जायगा ।

श्री बदन सिंह--

मान्यवर, किरावली के निकट के स्थान जैसे अभुवापुरा, मुड़ियापुरा, मोरी, बरौली को आप इस योजना में शामिल करने के लिये अधिकारियों को आदेश देंगे ?

श्री राम सिंह खन्ना--

इसको भी विचार लिया जायगा ।

श्री मित्र सेन--

मान्यवर, मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जितने भी विषय आते हैं वह सब उनके विचाराधीन रहते हैं । क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि यह विषय कब तक विचाराधीन रहेगा ।

श्री राम सिंह खन्ना--

जब तक रहेगा जब तक काम शुरू नहीं करा दिया जायगा, उस वक्त तक ।

श्री बदन सिंह--

किरावली कस्बे की पेय जल की विकट समस्या को देखते हुए क्या माननीय मन्त्री जी इस पेय जल के कार्य को जल्दी पूरा कराने के लिए प्राथमिकता पर लेने के आदेश अधिकारियों को देंगे ?

श्री राम सिंह खन्ना--

इस पर विचार किया जा सकता है और यह हो भी सकता है ।

*5--श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

[6वें बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या 11 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

*6—श्री मित्रसेन—

[8वें शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 11 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

मुख्य चिकित्साधिकारी, मुरादाबाद के स्टोर में निम्न स्तर का बी० एच० सी० पाउडर

*7—श्री अकबर हुसैन—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि सी० एम० ओ०, मुरादाबाद के स्टोर में जो बी० एच० सी० पाउडर जो उपलब्ध था उसके परीक्षण हेतु लखनऊ इसी वर्ष भेजा गया था ? यदि हां, तो उसकी रिपोर्ट क्या है ? और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लोकपति—

जी हां ।

परीक्षण पर नमूने निम्न स्तर के पाये गये हैं ।

संदर्भगत बी० एच० सी० भारत सरकार के डी० जी० एस० एंड डी० द्वारा सप्लाई की गई थी । अतः उसके निम्न स्तर के होने की सूचना भारत सरकार तथा डी० जी० एस० एंड डी० को दे दी गई जिन्होंने उक्त बी० एच० सी० पाउडर को सब-स्टैन्डर्ड घोषित कर दिया है । सब-स्टैन्डर्ड घोषित हो जाने पर उक्त बी० एच० सी० पाउडर को अलग स्टोर कर दिया गया है तथा प्रयोग में नहीं लाया जा रहा है ।

श्री अकबर हुसैन—

मान्यवर, मेरी जानकारी है कि सी० एम० ओ० मुरादाबाद, ने यह बी० एच० सी० पाउडर मुरादाबाद जनपद के तीन पी० एच० सी० सेन्टर में छिड़काव के लिए भेजा था और जब छिड़काव हो चुका था तो डिप्टी डाइरेक्टर बरेली के आदेशानुसार उस को वापस मंगाया गया । उसके लाने ले जाने में विभाग का कितना खर्च हुआ क्या इसकी जाँच कराने का कष्ट करेंगे और दोषी अधिकारी जिन्होंने सब स्टैन्डर्ड घोषित होने के बाद भी इसका छिड़काव शुरू किया उन के विरुद्ध कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे ?

श्री लोकपति—

किस बात पर कार्यवाही आप चाहते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

आपका प्रश्न स्पष्ट नहीं था । स्पष्ट कर दीजिए ।

श्री अकबर हुसैन--.

मेरा तात्पर्य यह है कि सी० एम० ओ०, मुरादाबाद, ने इस पाउडर को मुरादाबाद जनपद के तीन पी० एच० सीज० म छिड़काव के लिए भेजा था, किस आदेश से भेजा था । जब छिड़काव किया जा चुका था तो बाद में वापस मंगाया गया । सब स्टैन्डर्ड घोषित हो जाने के बाद इसे छिड़काव के लिए किस प्रकार भेजा गया । इसके लाने ले जाने में जो खर्च हुआ वह किसकी जिम्मेदारी है ?

श्री लोकपति--

यह सही है, श्रीमन्, कि वह बी० एच० सी० पाउडर विकास खंडों में छिड़काया गया । वहीं पता लगा कि इसकी शक्ति क्षीण हो गई है । उसके बाद उसकी लिखा-पढ़ी हुई और उसे वापस कर लिया गया । उसका प्रयोग अब बन्द कर दिया गया है । भारत सरकार ने इत्तिला दी है कि यह सब-स्टन्डर्ड है इसका प्रयोग बन्द कर दें ।

श्री रियासत हुसैन--

क्या माननीय मंत्री जी इस बात को स्पष्ट करेंगे कि जब उस पाउडर को जांच के लिए लखनऊ भेजा गया और जब तक उसका रिजल्ट नहीं आया---उस दौरान जो समय लगा उस समय भी वह पाउडर वहां बराबर छिड़का जाता रहा वह बाद में सब स्टैंडर्ड डिक्लेयर हो गया और उसके बावजूद भी वह छिड़का जाता रहा । जो बचा हुआ पाउडर है 32 टन और स्टोर में रखा गया है इस वक्त, तो ओरिजनली कितना था । 32 टन अब रह गया, आप के स्टाक म मौजूद है, जो सारे सूबों में भेजा गया उसका छिड़काव वहां क्यों चलता रहा उस दौरान जब उसे जांच के लिए लखनऊ भेजा गया था ?

श्री लोकपति--

श्रीमन्, जिस समय उसकी शक्ति के क्षीण होने का आभास हुआ उसी समय से उसका छिड़काव बन्द कर दिया गया । 32 टन आज स्टाक में उपलब्ध है । वह अधिक इस्तेमाल में नहीं आता और लगभग एक आध टन माल 2 ब्लाकों में छिड़का गया ।

श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी--

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह पाउडर किस कम्पनी से सप्लाई किया गया था और क्या आप उस कंपनी के खिलाफ भी कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री लोकपति---

मान्यवर, यह पाउडर डी० जी० एस० एन्ड डी० द्वारा भेजा गया था । किसी कार्यवाही के करने का अधिकार भारत सरकार को है प्रदेश सरकार को नहीं है ।

जिला अस्पताल, गोंडा की पकड़ी गई दवाईयां

*8-श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय---

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 30-6-80 को युवक कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं ने जिला अस्पताल, गोंडा की अनधिकृत रूप से ले जाई जा

रही लगभग दो लाख रुपए कीमत की दवाओं को पकड़वाया तथा उसी दिन थाना कोतवाली नगर में रिपोर्ट दर्ज कराई और इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता ने दिनांक 5-7-1980 को एक लिखित सूचना शिकायत के रूप में उन्हें व्यक्तिगत रूप में दिया ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लोकपति--

जी नहीं, दिनांक 30-6-80 को जनस्वास्थ्य रक्षकों में वितरणार्थ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उतरौला तथा गैन्दाज बुजर्ग से सम्बन्धित अधिकृत रूप से राजकीय वाहन द्वारा ले जाई जा रही सीलड औषधियों के वाहन को, जब कि वह पेट्रोल पम्प पर खड़ा था, कुछ नागरिकों द्वारा पुलिस बुलवाकर कोतवाली ले जाया गया दूसरे दिन पुलिस द्वारा वाहन को मय औषधियों के वापस कर दिया गया। प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 5-7-80 को दिया गया कोई शिकायती पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गोण्डा को प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय--

मान्यवर, मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि या तो मेरे प्रश्न को समझे नहीं हैं या विभाग ने जवाब गलत दिया है। मैं दो लाइन अपने मूल प्रश्न को पढ़ना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष--

आप निवेदन न करें, प्रश्न करें।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि दिनांक 30-6-80 को युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला अस्पताल, गोंडा की अनधिकृत रूप से ले जाई जा रही लगभग 2 लाख रुपये कीमत की दवाओं को पकड़वाया तथा उसी दिन थाना कोतवाली नगर में रिपोर्ट दर्ज कराई और इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता ने दिनांक 5-7-80 को एक लिखित सूचना शिकायत के रूप में उन्हें व्यक्तिगत रूप में दिया, यानी मैंने व्यक्तिगत रूप से माननीय स्वास्थ्य मंत्री को दिया था और माननीय मंत्री जी ने जो इसका जवाब दिया है कि प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 5-7-80 को दिया गया कोई शिकायती पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गोंडा को प्राप्त नहीं हुआ है। तो मान्यवर, प्रश्न कुछ है और उसका जवाब कुछ दिया गया है। दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि जो मेरे प्रश्न का उत्तर दिया गया है वह बिलकुल निराधार और गलत है। इसी आधार पर फैजाबाद मंडल में जो मीटिंग हुई थी उसमें भी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद थे। दो बार इस मामले में जांच हो चुकी है और एक कर्मचारी सस्पेंड हुआ है। दवायें सील हो चुकी हैं। इसका उत्तर दिया गया कि "जी नहीं"। मैं जानना चाहता हूं कि किस आधार पर यह जवाब दिया गया है वह भंडार सील किया गया है अथवा नहीं ?

श्री लोकपति--

कृपया अपने प्रश्न को छोटे-छोटे टुकड़ों में 3, 4 हिस्से में कहने की कृपा करें.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय रघुराज प्रसाद उपाध्याय जी, आप कृपया अपने प्रश्न को छोटे-छोटे टुकड़ों में कहें ताकि मंत्री जी को उत्तर देने में सुविधा हो ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उनको 30-6-80 को कोई जानकारी दी गयी कि पुलिस कोतवाली में कोई गाड़ी ले जायी गयी है क्या वह गाड़ी वैसे ही रिलीज कर दी गयी है ?

श्री लोकपति--

जो गाड़ी थाने ले जायी गयी थी 30-6-80 को वह पहली जुलाई को थाने से रिलीज कर दी गयी है ।

श्री उपाध्यक्ष--

(श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय द्वारा बिना आज्ञा मिले प्रश्न करने पर) माननीय उपाध्याय जी आप बिना आज्ञा के प्रश्न कर रहे हैं (मा0 सदस्य के रुक जाने पर) अब आप प्रश्न करें ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि 5-7-80 को जब मैंने यह प्रश्न किया था मंत्री जी को एक लिखित शिकायती पत्र व्यक्तिगत रूप से दिया था और उस पर विभागीय उत्तर यह आया है । मैं अब जानना चाहता हूं कि 5-7-80 को जो पत्र उन्हें मिला उस पर क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री कुबेर भंडारी--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न काल में व्यवस्था का कोई सवाल नहीं होता ।

श्री लोकपति--

श्रीमन् 5-7-80 को माननीय सदस्य का पत्र मुझे मिला था उसको मैंने निदेशालय भेज दिया था उस पर आदेश हो गये थे कि ज्वाइंट डायरेक्टर इसकी इंक्वायरी करके रिपोर्ट प्रस्तुत करें ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय--

इस पर विभागीय जांच हुई या नहीं ?

श्री लोकपति--

इन्क्वायरी हो रही है मेरे पास अभी रिपोर्ट नहीं आई है ।

श्री उपाध्यक्ष--

स्वास्थ्य मंत्री जी, मुझे ऐसा लगता है कि विभाग ने ठीक (इनफारमेशन) सूचना आपको नहीं दी है आप अपने विभाग को तम्बीह करें ।

श्री लोकपति--

चूंकि प्रश्न उस संबंध में नहीं आया माननीय सदस्य की तरफ से इस-लिए वह उत्तर में नहीं आया। जब पत्र आया मैंने 15 जुलाई को जिलाधीश, गोंडा को टेलीफोन किया था कि क्या मामला है। जिलाधीश, गोंडा ने उत्तर दिया था कि यह दवाइयां ग्राम स्वास्थ्य रक्षक को थीं और दो विकास खंडों में वितरित करने के लिए थीं। जो घटना 30 तारीख को घटी है वह भ्रमवश घटी। यही बात हमारे माननीय सदस्य ने फैजाबाद डिवीजन की मीटिंग में कहीं....।

श्री उपाध्यक्ष--

जो उत्तर आपने दिया उसकी प्रति मेरे सामने रखी है। उसे पढ़ने से लगता है पूरा उत्तर "उन्हें" यानी सी० एम० ओ० को सम्बोधित करते हुए पेश किया गया। जब कि "उन्हें" से मतलब आपसे है तो उससे तो उत्तर का रुख बदल गया।

एक सदस्य--

इस्तीफा दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष--

इसमें इस्तीफे का प्रश्न नहीं आता है।

श्री लोकपति--

अगर कोई त्रुटि है तो मैं सदन से क्षमा चाहता हूं।

श्री मोतीलाल देहलवी--

मंत्री जी ने स्वस्थ परंपरा प्रस्तुत की है मैं उनको बधाई देता हूं।

*9--श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

[28-8-80 के अतारांकित प्रश्न संख्या 15 द्वारा उत्तरित]।

*10--श्री प्रियदर्शी जेतली, श्री जियाराम शुक्ल, विकल साकेती, श्रीमती धनेश्वरी देवी तथा श्री लालसा--

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]।

जिला अस्पताल, हरदोई के स्टोर में चोरी

*11--श्री जगदीश सिंह तथा श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जिला चिकित्सालय, हरदोई के स्टोर में जुलाई, 1980 के प्रथम सप्ताह में चोरी हो गयी है? क्या इस चोरी की रिपोर्ट स्थानीय कोतवाल में दर्ज कराई गयी है? यदि हां, तो क्या सरकारी रिपोर्ट में लिखाई गयी चोरी व रिकार्ड में कितना अन्तर है? इसकी जांच करवाकर सारा रिकर्ड सील कराने की कृपा करेगी तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अविलम्ब विभागीय कार्यवाही करेगी?

श्री लोकपति--

जी हां । जिला चिकित्सालय, हरदोई के औषधि भण्डार में दिनांक 5/6 जुलाई, 1980 की रात को चोरी हो गयी थी और उसकी रिपोर्ट स्थानीय कोतवाली में दर्ज करा दी गयी थी । रिपोर्ट में लिखाई गई चोरी व रिकार्ड में कोई अन्तर नहीं है । मामले की जांच पुलिस तथा लखनऊ मण्डल के संयुक्त स्वास्थ्य सेवा निदेशक द्वारा की जा रही है । जांचोपरान्त यदि आवश्यक हुआ तो अग्रेतर कार्यवाही नियमों के अन्तर्गत की जायगी ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि यह चोरी रोशनदान तोड़कर दिखाई गई है और केवल कीमती दवाओं की चोरी दिखाई गई है, तो क्या इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि चोरी में विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों का ही हाथ है ? यदि हां, तो उनको क्यों नहीं निलम्बित किया गया है ?

श्री लोकपति--

जब इसमें पुलिस द्वारा जांच की जा रही है और संयुक्त निदेशक भी कर रहे हैं, तो अभी हम इसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं । रिपोर्ट आने पर ही आवश्यक कार्यवाही की जाएगी ।

श्री जैराज गौतम--

जिन-जिन लोगों के खिलाफ यह कार्यवाही हो रही है, उनके बारे में मंत्री जी जांच कब तक पूरी करवा देंगे ?

श्री लोकपति--

अभी तो जांच चल रही है, कार्यवाही होने का प्रश्न नहीं है । विभाग जांच करके दे देगा तो आपको बता दूंगा ।

श्री जर्नादन प्रसाद ओझा--

मेरी सूचना को सही मानकर कि जिस दिन की घटना है ज्वायन्ट डायरेक्टर का वहां पर इंस्पेक्शन होना था और वहां पर दवाओं का शार्टेज था, इसलिए यह चोरी का नाटक किया गया है यानी फर्जी चोरी दिखाई गई है और इसके पहले भी इनके जमाने में कई बार चोरियां दवाओं की दिखाई जा चुकी हैं, तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि अधिकारियों ने अपने पाप को छिपाने के लिये जानबूझकर चोरी का एक आडम्बर रचा है ?

श्री लोकपति--

आपकी भावना को मैं संयुक्त निदेशक को अग्रसरित कर दूंगा ।

श्री रामअसरे वर्मा--

अब तक पुलिस और जे0 डी0 द्वारा जांच हुई, इन जांचों में क्या यह बात प्रकाश में आई कि अस्पताल के कुछ अधिकारी इसमें शामिल हैं ?

श्री लोकपति--

अभी जांच रिपोर्ट आई नहीं, आने के बाद माननीय सदस्य की बात पर विचार किया जाएगा ।

रिफ्रेक्शनिस्टों को सेलेक्शन ग्रेड

*12--श्री सूबेदार सिंह--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि गत वेतन आयोग की असंगति समिति ने रिफ्रेक्शनिस्टों के 10 प्रतिशत पदों के लिए 280--460 का सेलेक्शन ग्रेड स्वीकार किया था ? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों और भविष्य में इसका क्रियान्वयन कब तक होना सम्भव है ?

श्री लोकपति--

जी हां। रिफ्रेक्शनिस्टों को सेलेक्शन ग्रेड स्वीकृत करने हेतु प्रस्ताव स्वास्थ्य सेवा निदेशक से प्राप्त हो गया है जिसपर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। इस सम्बन्ध में शीघ्र आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

श्री सूबेदार सिंह--

मैं मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आयोग की समिति ने अपनी संस्तुति निदेशालय के पास कब भेजी थी और निदेशालय ने सेलेक्शन ग्रेड दिये जाने के बारे में अपनी संस्तुति किस तारीख को सरकार को भेजी ?

श्री लोकपति--

यह शासन को विगत कुछ महीने हुए संस्तुति आ गई है।

श्री सूबेदार सिंह--

क्या मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सेलेक्शन ग्रेड कब तक लागू हो जाएगा और क्या उस तिथि से जब से इसको दिये जाने की स्वीकृति हुई है, उस तिथि से उसको लागू करने की कृपा करेंगे ?

श्री लोकपति--

जी हां।

माल ऐवन्यू (लखनऊ) स्थित आवास विकास परिषद् के मकानों में दरार

*13--श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि माल ऐवन्यू स्थित लखनऊ शहर में आवास विकास परिषद् द्वारा बनाए गये उच्च आय वर्ग के लिए भवन, जो माह जुलाई सन् 1980 में होने वाली पहली बरसात में ही बुरी तरह से टपकने लगे और दीवारों में दरारें पड़ गयीं तथा कुछ गिर भी गयीं ? यदि हां, तो क्या घटिया किस्म के सामान से कालोनी निर्मित किए जाने के सम्बन्ध में जांच कराने तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही कर दंडित करेंगे ?

श्री राम सिंह खन्ना--

जी नहीं। कालोनी एवं रेलवे लाइन के बीच निर्माणाधीन बाउण्ड्री वाल लगभग 100 फीट की लम्बाई एवं कालोनी के अन्दर बने पार्क की कुछ दीवारें गिर गई थीं।

निर्माण में प्रयुक्त सामग्री एवं कार्य की जांच आवास परिषद् के तकनीकी अधिकारियों द्वारा की जा रही है। खराबियां पाये जाने पर उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

श्री प्रदीप कुमार यादव--

माननीय मन्त्री जी ने जो उत्तर दिया है, उसमें कुछ कंफ्यूसी है और वह यह है कि उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि बाउन्ड्री वाल और पार्क की कुछ दीवारें गिर गई हैं, तो क्या मन्त्री जी हमारी सूचना को सही मानते हुए कि सम्बन्धित कालोनी में श्री एस० के० त्रिपाठी, तत्कालीन एम० डी० (एग्रो) के मकान की दीवार भी गिर गई और साथ ही साथ उस मोहल्ले के रहने वाले अन्य लोगों के मकान गिरे और कमरों····

श्री उपाध्यक्ष--

आप प्रश्न करिये।

श्री प्रदीप कुमार यादव--

दूसरा प्रश्न यह है कि इस कालोनी को बनाने का काम कब शुरू किया गया और किस अधिकारी के द्वारा ?

श्री राम सिंह खन्ना--

इसकी सूचना इस समय मेरे पास नहीं है। जहां तक दूसरे भाग का प्रश्न है उसके सम्बन्ध में सूचना मैंने अपने उत्तर में दे दी है।

प्रथम जल निगम शाखा, विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद में हुए गोलमाल की जांच

*14--श्री सुरेन्द्र कुमार--

क्या स्वायत शासन मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रथम जल निगम शाखा विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद में जल निगम कार्य में अधिकारियों द्वारा जुलाई, 1979 में भारी धन का गोलमाल किया है जिसकी अधीक्षण अभियन्ता, मेरठ ने जांच की थी ? यदि हां, तो उसमें दोषी कौन-कौन कर्मचारी हैं और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई ? यदि जांच नहीं की गयी, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना--

प्रथम जल निगम शाखा, विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद द्वारा सम्पादित किये जा रहे कार्यों में अधिकारियों द्वारा जुलाई, 1979 में तथा कथित भारी धन के गोलमाल के सम्बन्ध में जांच अभी पूर्ण नहीं हुयी है। ऐसी स्थिति में अभी यह नहीं कहा जा सकता कि कौन-कौन अधिकारी अथवा कर्मचारी दोषी हैं।

श्री सुरेन्द्र कुमार--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1979 में 95,000 रुपये की धन की क्षति जिसका दो बार में भुगतान किया गया उस धन को किस प्रणाली में और कहां-कहां पर (समय सारणी) बताते हुए प्रगट करें। सबूत ठोस हों यदि, प्रमाण नहीं है तो सरकारी धन को सरकार के खजाने में जमा कराने की कृपा करेंगे ?

श्री राम सिंह खन्ना--

जांच हो रही है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही बताया जा सकता है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

इस सम्बन्ध में 95 हजार रुपये का डबल पेमेन्ट हो गया है तो मैं जानना चाहता हूं कि मंत्री जी इसकी रिकवरी कराने के लिए क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ?

श्री राम सिंह खन्ना--

इन्क्वायरी हो रही है, अभी गबन साबित नहीं हुआ है ।

श्री रियासत हुसैन--

सन् 1979 में इसमें भारी धन का गोलमाल हुआ है और जिसकी अधिशासी अभियन्ता, मेरठ ने जांच की थी । तो उसी जांच के आधार पर 95,000 रुपय का डबल पेमेन्ट निकला है । तो उसकी रिकवरी के लिए माननीय मंत्री जी क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ?

श्री राम सिंह खन्ना--

पहले जो शिकायत आयी थी तो उसकी प्रारम्भिक जांच हुयी और उसे निराधार पाया गया । अब बरेली के सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर द्वारा इन शिकायतों पर जांच करायी जा रही है ।

श्री भगवती सिंह विशारद--

जिन शिकायतों की जांच कराने के आदेश मंत्री जी ने दिए हैं, वे मुख्य-मुख्य क्या थीं ?

श्री राम सिंह खन्ना -

एक शिकायत तो यह थी कि धन का दुरुपयोग किया गया । इस समय शिकायत की कापी मेरे पास नहीं है । श्री देवदत्त शर्मा ने फिर से शिकायत की है । एक बार की शिकायत पर सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर द्वारा जांच कराने पर इसे निराधार पाया गया । दुबारा फिर शिकायत आयी और मेरे नोटिस में बात आयी मैंने आदेश दिया है कि इसकी जांच दूसरे अधिकारी से करायी जाय जो सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर के पद से नीचे का न हो ।

ग्राम अकौल्ही, जिला बस्ती के चीनी विक्रेता श्री छोटे लाल के विरुद्ध शिकायतें

*15--श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

क्या खाद्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या ग्राम अकौल्ही, विकास खण्ड खेस है, जिला बस्ती के प्रधान तथा किसानों की कोई शिकायती-पत्र जिलाधिकारी, बस्ती की बाबत छोटे लाल कोटेदार, राजेडीहा द्वारा चीनी वितरण में किए जा रहे धांधली के सम्बन्ध में माह जून-जुलाई, 80 में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शिकायती पत्र क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य तथा रसद राज्य मंत्री (श्री अजीत सिंह सेठी)--

जी हां । ग्राम अकौल्ही के प्रधान तथा अन्य 32 व्यक्तियों का एक शिकायती पत्र दिनांक 20 जून, 1980 जिलाधिकारी, बस्ती को प्राप्त हुआ था

जिसमें श्री छोटे लाल, चीनी विक्रेता के विरुद्ध स्टाक में चीनी उपलब्ध होते हुये वितरित न करने तथा दुकान ग्राम अकौल्ही से बदल कर जहां के लिये स्वीकृत है, विक्रेता द्वारा राजेडीहा ग्राम में चीनी वितरण किये जाने का आरोप था। इसकी जांच कराई गई।

चीनी वितरण न करने की शिकायत सही नहीं पाई गई। ग्राम अकौल्ही का रास्ता खराब होने के कारण राजेडीहा में दुकान चल रही है। अकौल्ही ग्राम में खाद्यान्न एवं चीनी ले जाने के लिये रास्ता सुलभ नहीं है।

भारी वर्षा से आवास एवं विकास परिषद् की लखनऊ स्थित विभिन्न कालोनियों के क्षति-ग्रस्त भवन

*16--श्री फखरे आलम--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि माल एवेन्यू, राम सागर मिश्र नगर और तालकटोरा कालोनी, लखनऊ में जुलाई, 1980 के महीने में भारी वर्षा से कितने आवास क्षतिग्रस्त हुए ? क्या इस सम्बन्ध में खराब निर्माण सामग्री लगने की शिकायतें शासन को मिली हैं ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

श्री राम सिंह खन्ना -

विगत जुलाई माह में हुई अभूतपूर्व वर्षा के कारण आवास एवं विकास परिषद् द्वारा माल एवेन्यू तथा रामसागर मिश्र नगर लखनऊ में निर्मित कोई भी भवन ध्वस्त नहीं हुआ है परन्तु कई शिकायतें अवश्य आई हैं कि भवनों में क्षति पहुंची है जिसके सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही की जा रही है। तालकटोरा योजना में निर्माणाधीन अल्प आय वर्ग का एक भवन की छत वर्षा का पानी भर जाने से दिवार बैठ जाने के कारण अवश्य गिर गई।

रामसागर मिश्र नगर कालोनी एवं तालकटोरा योजना (राजीपुरम्) में निर्मित भवनों में खराब निर्माण सामग्री लगने की शिकायत शासन को प्राप्त हो गई है। रामसागर मिश्र नगर के निवासियों की शिकायत पर भवनों का निरीक्षण सेल तथा जांच सार्वजनिक निर्माण विभाग के तकनीकी सेल से कराया गया। जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है जिस पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। राजीपुरम् योजना के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों पर भवनों की जांच कराई जा रही है।

श्री फखरे आलम -

वह कौन-कौन से भवन हैं जिनके बारे में शिकायतें आयी हैं और शिकायतें किस-किस प्रकार की हैं ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह ब्यौरे का प्रश्न है।

श्री फखरे आलम--

तो इतना बतला दें कि वह जो टैक्नीकल जांच करायी जा रही है इसके आदेश कब भेजे गये हैं ?

श्री राम सिंह खन्ना--

इसकी सूचना इस समय नहीं है। (व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन--

माननीय मंत्री जी ने बताया कि जो मकान क्रैक हो गये हैं उस सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है, तो कार्यवाही क्या की जा रही है, मकानों की मरम्मत कराने की या वह भवन इतने खराब क्यों बने इसको ?

श्री राम सिंह खन्ना--

दोनों काम साथ-साथ हो रहे हैं । (हंसी)

श्री प्रिय दर्शी जैतली--

जितने भी मकान आवास विकास निगम द्वारा बनाये गये हैं सभी के बारे में यह आम शिकायत है कि वे बहुत ही निम्न स्तर के बने हैं । तो क्या मंत्री जी मेरी इस सूचना को सही मान कर सभी के बारे में जांच कराने के आदेश देंगे, उनकी मरम्मत करवायेंगे तथा दोषी पाये जाने वाले कर्मचारियों एवं अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करेंगे ?

श्री राम सिंह खन्ना--

मान्यवर, इन सारी हालात को देखते हुए आप का यह सुझाव उचित है और मैं स्वयं भी इस राय का हूं कि इसकी पूरी छानबीन करा कर देखा जाय । इसकी अलग-अलग बहुत सी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ।

*17--श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

टाउन एरिया स्याना, जिला बुलन्दशहर के सफाई कर्मचारियों का वेतन

*18--श्री छत्तर सिंह--

क्या स्वायत शासन मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि टाउन एरिया स्याना, जिला बुलन्दशहर के सफाई कर्मकारियों व मजदूरों को 40 और 30 माह से अब तक वेतन नहीं मिला है ? यदि हां, तो क्यों ? वेतन दिलाने की क्या व्यवस्था की जा रही है ?

श्री राम सिंह खन्ना--

टाउन एरियायें स्वायत्तशासी संस्थायें हैं और उनके कर्मचारियों को वेतन उनके कोष से मिलता है वेतन महंगाई भत्ते पर 31.5 प्रतिशत अंशदान शासन देता है जो 31-7-80 तक का दिया जा चुका है । टाउन एरिया की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वह अपने कर्मचारियों को वेतन पूर्ण रूप से नहीं दे पा रही हैं ।

31.5 प्रतिशत अंशदान तो दिया ही जा रहा है । इसके अलावा बकाया वेतन के भुगतान के लिये अनुदान देने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

श्री छत्तर सिंह--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वहां के कार्यालय से कर्मचारियों का वेतन बाकी है या नहीं ?

श्री राम सिंह खन्ना--

बाकी नहीं है, तो फिर कहा क्यों गया है कि दिया जा रहा है। सारे कर्मचारियों का वेतन बाकी है।

श्री धरमपाल (जिला बहराइच)--

मान्यवर, उत्तर प्रदेश की जितनी भी टाउन एरिया हैं, इस समय शासन के अधीन हैं और इस समय सबकी माली हालत खराब है। पिछले एक वर्ष से किसी भी टाउन एरिया के कर्मचारियों का वेतन भुगतान नहीं हो रहा है ऐसा क्यों ?

श्री उपाध्यक्ष--

आप प्रश्न जरा स्पष्ट कीजिए ?

श्री धरमपाल--

उत्तर प्रदेश की समस्त टाउन एरिया के अन्दर, मेरी सूचना को सही मान कर, किसी भी कर्मचारी के वेतन का भुगतान नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों ?

श्री उपाध्यक्ष--

आप अनुपूरक प्रश्न कर रहे हैं, तो वह मूल प्रश्न पर आधारित होना चाहिए।

श्री छत्तर सिंह--

वहां के सफाई कर्मचारियों को वर्दी कितने साल से नहीं दी जा रही है ?

श्री राम सिंह खन्ना--

मान्यवर, तनख्वाह तो मिल ही नहीं रही है, वर्दी कहां से दी जायगी।

(श्री सूबेदार सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

40 महीने से उनके बच्चे क्या खा रहे हैं मान्यवर, यह मैं जानना चाहता हूं ?

(उत्तर के लिए मंत्री जी को नहीं पुकारा गया)

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

एक समय में दो आदमी नहीं बोल सकते। मैंने सूबेदार सिंह जी का नाम पुकार लिया है ?

श्री सूबेदार सिंह--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि चूंकि टाउन एरिया इस समय शासन के अधिकार क्षेत्र में है, सरकार के

अन्तर्गत है, तो क्या वेतन भुगतान की पूरी जिम्मेवारी माननीय मंत्री जी अपने ऊपर लेकर, जो बकाया धनराशि है, उसका तुरन्त भुगतान कराने की कृपा करेंगे ?

श्री राम सिंह खन्ना--

मान्यवर, यह बिलकुल ठीक कहा, 20-20, 40-40 महीने से तनख्वाह नहीं मिली । ऐसा सुझाव मैंने शासन में रखा था कि एक-एक महीने की तो फौरन तनख्वाह दे दी जाय, बाकी जितना एरियर है, यहां से अनुदान भेज कर भुगतान शीघ्रातिशीघ्र कराया जाय ।

(व्यवधान)

श्री किरन पाल सिंह--

क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि जो वेतन देना है, उसकी रकम कितनी है ?

श्री राम सिंह खन्ना--

मान्यवर, एरियर रकम की तो मेरे पास इस समय सूची नहीं है । सबकी बातों का निराकरण हो जायगा, एक जवाब में, सारी टाउन एरिया की यह हालत है कि उनके पास कोई पैसा नहीं है । 30-40 महीने की तनख्वाह नहीं मिली है, उनको देने में समय तो लगेगा ही इतने सारे टाउन-एरियाज हैं ।

(व्यवधान)

श्री जसवंत सिंह विष्ट--[× × ×]

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं, वह नहीं लिखा जायेगा । प्रश्न संख्या-19 ।

न्यायपंचायत रसूलपुर बकिया, तहसील हसनगंज, जिला उन्नाव के कोटेदार के लाइसेन्स का निलम्बन

*19--श्री शंकर सिंह--

क्या खाद्य एवं रसद मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि न्याय पंचायत, रसूलपुर बकिया, तहसील हसनगंज, जिला उन्नाव के मौजूदा कोटेदार के खाद्यान्न एवं शक्कर बाँटने हेतु माह जुलाई, 1980 का कोटा अब तक नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

न्याय पंचायत रसूलपुर बकिया, तहसील हसनगंज, जिला उन्नाव के कोटेदार का लाइसेन्स उसके विरुद्ध गम्भीर शिकायतों के कारण दिनांक 18 जुलाई, 1980 से निलम्बित चल रहा है । अतः उन्हें खाद्यान्न एवं चीनी का कोटा वितरण हेतु उक्त तिथि से नहीं दिया गया ।

नोटः--[× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री शंकर सिंह--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि गम्भीर शिकायतें उस कोटेदार के खिलाफ किसी गांव वाले की ओर से या सरकार की ओर से आयी हैं और वह शिकायतें कब कब गयी हैं ?

श्री बलराम सिंह यादव--

शिकायतें यह थीं कि यह कोटेदार चीनी डेढ़ किलो लिखता था राशन कार्ड पर और देता था एक किलो और जब चीनी कार्ड धारक घर पर तौलते तो 900 ग्राम ही चीनी निकलती । इसके साथ ही साथ वह कार्ड धारकों के साथ गाली-गलौज करता और उनको डराता-धमकाता भी था ।

श्री शंकर सिंह--

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह नहीं था मैंने तो पूछा था कि शिकायत गांव वालों ने की थी या सरकारी कर्मचारियों ने और यह शिकायतें कब हुयी थीं ?

श्री बलराम सिंह यादव--

मान्यवर, दरख्वास्त में दिया गया है और आपकी जांच शिकायती-पत्र में दिया गया है । वह 26 मई, 1980 है ।

श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ--

जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि वह कोटेदार डेढ़ किलो कार्ड पर लिखता था और देता एक किलो था, तो क्या उसके खिलाफ सी० आर० पी० सी० में कोई मुकदमा दर्ज किया गया और उसके खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बलराम सिंह यादव--

कोटा निरस्त कर दिया गया है और जांच अभी जारी है ।

श्री शंकर सिंह--

माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि उसका कोटा जो निरस्त किया गया वह जांच से पहले या जांच के बाद ?

श्री बलराम सिंह यादव--

मान्यवर, गम्भीर शिकायतें आने पर परगनाधिकारी द्वारा कोटा तुरन्त निरस्त कर दिया गया । जांच बाद में कराई गयी तहसीलदार द्वारा और तहसीलदार ने पुष्टि भी की है कि शिकायतें सही हैं, फिर भी एस० डी० एम० से जांच कराई जा रही है ।

श्री प्रियदर्शी जेतली--

मान्यवर, हम लोगों को भी कुछ पूछने का मौका देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

विरोधी पक्ष को प्रश्न करने का हक ज्यादा है, क्योंकि वह प्रश्नों द्वारा ही जानकारी हासिल करते हैं, इसलिए उनको ही प्रश्न करने दिया जाये ।

श्री सूबेदार सिंह--

माननीय मन्त्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि जो यह प्रक्रिया चल रही है प्रदेश के अन्दर की चीनी का कोटा आवंटित करते समय और फिर खारिज करके पुनः आवंटित करते समय उनसे पैसा लेते हैं अधिकारी लोग। क्या इसको रोकने का कष्ट करेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव--

इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। मेरा ख्याल है माननीय सदस्य अपने को इस प्रश्न तक ही सीमित रखें और जो सूचना दी गई है यहीं तक सीमित रहे तो अच्छा होगा।

श्री रियासत हुसैन--

क्या जैसा माननीय मन्त्री जी ने कहा कि तहसीलदार ने भी उन शिकायतों की पुष्टि की है कि डेढ़ किलो देता है और जब घर लाकर तौलते हैं तो एक किलो निकलती है। तो क्या उस दुकानदार को पुलिस में दिया गया और उसके ऊपर मुकदमा चलाया गया ?

श्री बलराम सिंह यादव--

ऐसा कुछ नहीं किया गया। उसका कोटा सस्पेन्ड कर दिया गया है। उसकी पूर्ण जांच एस0 डी0 एम0 द्वारा की जा रही है जांच सही पाई जाने पर कार्यवाही की जायेगी।

प्रदेश में दवाओं के मूल्यों में वृद्धि तथा उनका अभाव

श्री विमल प्रसाद तिवारी--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में प्राण रक्षक व अन्य दवाओं का गम्भीर अकाल है एवं दवाओं के दामों में बेतहाशा वृद्धि हुई है जिसके फलस्वरूप चिकित्सकों, मरीजों एवं उनके परिवारजनों के सम्मुख गम्भीर एवं विषम समस्या उत्पन्न हो गयी है ? यदि हां, तो सरकार इस समस्या के तुरन्त निराकरण के लिए क्या उपाय कर रही है ?

श्री लोकपति--

केवल कुछ जिलों से कतिपय दवाओं की कमी की सूचना प्राप्त हुई है किन्तु कमी के कारण कहीं कोई गम्भीर स्थिति नहीं उत्पन्न हुयी। दवाओं के दामों में बेतहाशा वृद्धि की भी कोई सूचना नहीं प्राप्त हुयी है।

जिन जिलों में दवाओं की कमी की सूचना प्राप्त हुई वहां दवायें उपलब्ध कराने के लिये आवश्यक कार्यवाही कर दी गयी है।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

शाहजहांपुर की तहसील तिलहर में सरकारी चीनी व गल्ले की दूकानें

**1--श्री सत्यपाल सिंह (अनुपस्थित)--

क्या खाद्य एवं आपूर्ति मन्त्री को जानकारी है कि जनपद शाहजहांपुर की तहसील तिलहर के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में सरकारी फुटकर चीनी व गल्ला

विक्रेताओं के लाइसेन्स ऐसे लोगों को आवंटित किए गये हैं जो आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालय से दंडित हो चुके हैं तथा कुछ के विरुद्ध इस धारा के अन्तर्गत न्यायालय में मुकदमें भी विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो क्या शासन इस सम्बन्ध में शीर्ष उच्च स्तरीय जांच कराकर समुचित कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जनपद शाहजहांपुर की तहसील तिलहर के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में कोई सरकारी फुटकर चीनी व गल्ला की दुकान ऐसे व्यक्ति को आवंटित नहीं की गई है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालय से दंडित हुआ है अथवा जिसके विरुद्ध इस धारा के अन्तर्गत न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है ।

प्रश्न का भाग 2 और 3 नहीं उठता ।

(अल्प सूचित तारांकित प्रश्न संख्या 1 पुकारे जाने तथा सम्बन्धित सदस्य के अनुपस्थित होने पर ।)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, इसको करा दें इसमें मेरी रुचि है ।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, इसको करा दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं एक निवेदन करना चाहूंगा । मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूं, लेकिन यह अनुचित है कि माननीय सदस्य अल्पसूचित तारांकित प्रश्न देकर सदन में उपस्थित न रहे । इससे लगता है कि विधायक गण अपने कार्यों में रुचि नहीं ले रहे हैं । उनको रुचि लेना चाहिये वह इसी काम के लिये चुनकर आये हैं ।

श्री मित्रसेन--

जिन लोगों को ये दुकानें आवंटित की गयी हैं उनके क्या नाम हैं और उस क्षेत्र में कितनी दुकानें आवंटित की गयी हैं ?

श्री बलराम सिंह यादव--

मेरे पास पूरी इंफार्मेशन है । बहुत लम्बी लिस्ट है जो इस प्रकार है :--

श्री हीरालाल पुत्र श्री श्यामलाल, श्री मनोज कुमार गुप्त पुत्र श्री हरद्वारी लाल, श्री अनिल कुमार अग्रवाल पुत्र श्री ओम प्रकाश अग्रवाल, श्री शिवानन्द गुप्ता पुत्र श्री कन्हैया लाल गुप्ता, श्री सुरेन्द्र कुमार गुप्ता पुत्र श्री हरी शंकर गुप्ता, श्री कुन्दन लाल चावला पुत्र श्री भगवान दास, श्री फहिमुद्दीन व वसीर उद्दीन पुत्र श्री महानन हसन व श्री अलीमुद्दीन, श्री नसीर अहमद खां पुत्र श्री रशीद अहमद खां,

---

नोट--अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 1 श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त ने पूंछा ।

श्री राम कुमार गुप्ता पुत्र श्री इतवारी लाल, श्री गोपाल कृष्ण शर्मा पुत्र श्री राधे लाल, सहवारी खां खुदागंज, श्री ज्ञानेश चन्द्र पुत्र श्री यदुनन्दन शर्मा।

जो ग्रामीण क्षेत्र, तिलहर तहसील में जिनको कोटा दिया गया है उनके नाम निम्न प्रकार हैं :--

1--किसान सेवा सहकारी समिति।

2--श्री राम कुमार पुत्र श्री द्वारिका प्रसाद।

3--श्री रघुवीर सिंह पुत्र श्री मन्ना लाल।

4--श्री सियाराम पुत्र श्री मुन्शी सिंह।

5--श्री सिराजुद्दीन पुत्र श्री निजामुद्दीन।

6--श्री रामपाल पुत्र श्री सहबू राम।

7--श्री ठाकुर दास पुत्र श्री लोक नाथ।

8--श्री अफसर अली पुत्र श्री महमूद खां।

9--श्री जोगराज पुत्र श्री लाला राम।

10--श्री अशरफ अली पुत्र वजीर अली।

11--श्री महेश चन्द्र पुत्र श्री उलागर लाल।

12--श्री राम भरोसे सिंह पुत्र श्री हरी।

13--श्री पुत्तूलाल पुत्र श्री बाला प्रसाद।

14--श्री अशरफी लाल पुत्र श्री खंजाने लाल।

15--श्री गोकुल प्रसाद पुत्र श्री द्वारिका प्रसाद।

16--श्री जगन्नाथ पुत्र श्री डालचन्द्र।

उपाध्यक्ष--

लिस्ट बहुत लम्बी हो तो आगे न पढ़ें।

श्री बलराम सिंह यादव--

लिस्ट बहुत लम्बी है।

श्री रियासत हुसैन--

पूरी लिस्ट से इस बात की जांच कराने की कृपा करेंगे कि भूल चूक में कोई ऐसा आदमी तो नहीं है जिसके ऊपर 3/7 का मुकदमा चला हो या जो सजा पाया हो या मुकदमा चल रहा हो, इसकी पुनः जांच कराने की कृपा करेंगे।

श्री बलराम सिंह यादव--

मेरे पास जो सूचना है कोई भी ऐसा आदमी नहीं है लेकिन माननीय सदस्य किसी शख्स के बारे में स्पेसिफिक सूचना देंगे तो जांच करा ली जायगी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

नियमों में यह व्यवस्था है अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई इस तरह की कार्यवाही हो गयी है तो उस व्यक्ति को आवंटित नहीं किया जायगा तो क्या इसकी वह जांच करा लेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां, इसकी जांच करा ली जायगी ।

श्री माता प्रसाद पान्डेय--

माननीय मन्त्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि यह शिकायत केवल एक जिले की नहीं पूरे प्रदेश की है, तो क्या कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जिस व्यक्ति का चालान हो जाये उसके परिवार से सम्बन्धित किसी व्यक्ति को कोटा आवंटित नहीं करेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव--

इसका पूरा ध्यान रखा जायेगा ।

श्री शंकर सिंह--

मैं जानना चाहता हूं कि कोटेदारों की शिकायतें होती हैं और एक तबका विशेष है जो सरकार से कोटा ले लेता है और उसका फायदा वही उठाता है । ऐसा मान्यवर, शकर के कोटे में है कि उसी परिवार के दूसरे सदस्य का कोटा दे दिया । इसलिए जो पालिसी है उसमें परिवर्तन करने की या लाने का सोचेंगे कि प्राइवेट लोगों को शकर का कोटा जहां दिया जाता है, सहकारी संस्थाओं या आपकी सरकार का जो संस्थायें हैं, उनको देंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव--

इस पर भी विचार किया जायेगा ।

पर्वतीय क्षेत्रों के सरकारी अस्पतालों में डाक्टरों का अभाव

**2--डा0 शिवानन्द नौटियाल, श्री विद्यासागर नौटियाल तथा श्री खुर्शीद अहमद--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को जानकारी है कि पर्वतीय जिलों में इस समय प्रायः आधे से अधिक सरकारी अस्पतालों में डाक्टर नहीं हैं और प्लेन्स के डाक्टर वहां जाना नहीं चाहते हैं ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी सी0पी0एम0टी0 में हिल तथा उत्तराखंड का कोटा 23-23 से बढ़ाकर 30-30 करने पर विचार करेंगे और उसे इसी वर्ष (1980) से लागू करने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति--

ऐसा नहीं है कि पर्वतीय जिलों में आधे से अधिक सरकारी अस्पतालों में डाक्टर नहीं है। परन्तु यह सही है कि मैदानी क्षेत्र के डाक्टर प्रायः वहां जाना नहीं चाहते हैं।

सी० पी० एम० टी० में अब तक हिल तथा उत्तराखण्ड क्षेत्रों में 23-23 सीट आरक्षित हैं। इन सीटों को बढ़ाकर 30-30 करने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है। क्योंकि कुल सीटों में से 50 प्रतिशत सीट पहले से ही विभिन्न श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित हैं और इस आरक्षण को 50 प्रतिशत से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पर्वतीय क्षेत्र के ऐसे, मैदानी इलाके की तुलना में, अस्पताल हैं जिनकी संख्या ज्यादा है, जहां पर डाक्टर नहीं हैं। अभी प्रश्न संख्या 43 में आपने स्वीकार किया है कि पिथौरागढ़ में 52 एलोपैथिक और 46 आयुर्वेदिक अस्पताल हैं जहां पर डाक्टर नहीं हैं, तो कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे कि करने पर विचार कर रहे हैं जिससे उन पहाड़ी इलाकों में डाक्टर जाने में रुचि लें, कोई इन्सेन्टिव देंगे ?

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2

श्री लोकपति--

जो नई भर्तियां होने जा रही हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से, उनमें यह रख दिया गया है कि उन्हीं डाक्टरों को भर्ती किया जाय जो 3 वर्ष तक पहाड़ पर, 7 वर्ष तक मैदानी इलाकों में देहातों में जो सेवा करने को स्वीकार करेंगे उन्हीं की भर्ती की जायेगी।

श्री चारु चन्द्र ओझा--

जो सीटें सुरक्षित की गई हैं, प्रवेश के वक्त, क्या उन लोगों से वह अनुबन्ध कराया जायेगा कि 5 साल तक पहाड़ी क्षेत्र में रहेंगे ?

श्री लोकपति--

अभी अनुबन्ध है। अनुबन्ध की धनराशि कम है। शासन विचार कर रहा है कि अनुबन्ध की धनराशि बढ़ा दी जाये।

श्री ऊदल--

आज से 15 वर्ष पूर्व डाक्टरों की नियुक्ति में यह नियम बनाया गया था कि 3 वर्ष पहाड़ के लिए और जेल के अस्पताल के लिए अगर वह नहीं जायगे तो उनका इन्क्रीमेन्ट रोक दिया जायेगा, प्रोमोशन नहीं दिया जायेगा और इस नियम के मातहत मेरा ख्याल है कि एक चौथाई डाक्टर पहाड़ गये और एक चौथाई जेलखाने, बकिया तिकड़म से नहीं गये। तो क्या उस नियम को कड़ाई से पालन करने पर विचार करेंगे ? मान्यवर, नियम है ?

नोट--अल्प सूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त द्वारा पूंछा गया।

श्री लोकपति--

उस पर कार्यवाही नहीं की जा रही है । उसे अमल में लाया जा रहा है । उसके अन्तर्गत करीब 1,100 के लगभग डाक्टर हैं । जो अभी प्रक्रिया चल रही है उसके स्थायीकरण के उपबन्ध की उनमें यह अवरोध आ गया है ।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल--

क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो पर्वतीय क्षेत्र से छात्र डाक्टर बन कर निकलते हैं, वह भी वहाँ जाना पसन्द नहीं करते । वह ज्यादा दिन वहां रहना पसन्द नहीं करते ।

श्री लोकपति--

यह बात सही है ।

श्री गुलाब सिंह--

मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो भर्ती होगी उसमें वह यह नियम लागू करने जा रहे हैं कि पर्वतों में ही नियुक्त किया जायेगा । यह घोषणा को कब से लागू किया जायेगा ?

श्री लोकपति--

अभी लोक सेवा आयोग को लिखा नहीं गया है । जितनी जगहें रिक्त होंगी, जब सूचित करेंगे, उसी के साथ यह भी निर्धारित किया जायेगा कि फार्म में इसको भी लिख दें ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

मान्यवर, जो भी डाक्टर भेजे जाते हैं पहाड़ पर वह नये डाक्टर भेजे जाते हैं, सीखने के लिए भेजे जाते हैं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या पर्वतीय क्षेत्र में कोई मेडिकल कालेज खोलने का विचार कर रहे हैं जिससे कि वहां के लोगों को सुविधा हो सके ।

श्री लोकपति--

ऐसा कोई विचार नहीं है ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

मेरा कहने का मतलब यह है कि पर्वतीय क्षेत्र में जो भी डाक्टर भेजे जाते हैं वह नये भेजे जाते हैं सीखने के लिए, वह भी रहना नहीं चाहते । इसलिए मेरा यह सुझाव था कि क्या वहां पर रहने वाले लोगों की चिकित्सा के लिए कोई मेडिकल कालेज खोलने का विचार शासन कर रहा है जिससे कि वहां के लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके ।

श्री लोकपति--

जी नहीं ।

श्री गुलाब सिंह--

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि पर्वतों में डाक्टर्स के न जाने का कारण यह है कि वहां सुविधायें नहीं हैं, वहां का खर्च ज्यादा है। इसको ध्यान में रखते हुए क्या माननीय मंत्री जी सुझाव को मानेंगे कि वहां के डाक्टरों को स्पेशल कैडर दिया जाये। उनको आर्थिक सुविधायें दी जायें जिसके आधार पर वहां लोग जायें।

श्री लोकपति--

उनको स्पेशल भत्ता दिया जा रहा है।

श्री कुंवर सिंह नेगी--

वहां पर डाक्टरों की कमी है। हिल कैडर बनाने के सम्बन्ध में सरकार का क्या विचार है ?

श्री लोकपति--

अनुपात के हिसाब से 696 डाक्टर्स की नियुक्ति होनी चाहिये। 169 डाक्टर्स वहां नहीं हैं। उनकी नियुक्ति का विचार सरकार कर रही है। अभी जैसा मैंने सदन में बताया कि 1,000 से ऊपर डाक्टरों का इफीसियेन्सी बार रुका है। वह डाक्टर पर्वतीय क्षेत्रों में भेजे जा रहे हैं ताकि इफीसियेन्सी बार क्रास कर सकें और वहां चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध हो जायेगी।

श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी--

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में यह स्पष्ट रूप से कहा है कि शिक्षा और स्वास्थ्य के सम्बन्ध में उन्होंने हिल कैडर मान लिया है और निर्णय ले लिया है। तो मैं, मान्यवर, माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसमें क्या प्रक्रिया रखें ताकि इसकी समस्या का समाधान हो सके ?

श्री लोकपति--

श्रीमन्, कैडर तो मौजूद ही है।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ। अब आगे चलते हैं।

अतारांकित प्रश्न

डाक्टर एस० एन० श्रीवास्तव, प्रभारी चिकित्साधिकारी, राजकीय होम्यो चिकित्सालय, बहेरू का स्थानान्तरण

1--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि डाक्टर एस० एन० श्रीवास्तव, प्रभारी चिकित्साधिकारी, राजकीय होम्यो चिकित्सालय, बहेरू का स्थानान्तरण क्षेत्रीय जनता की शिकायतों के आधार पर फरवरी, 1980 में राजकीय होम्यो चिकित्सालय, रुझौली, जिला आगरा किया गया था ? क्या यह सही है कि उक्त चिकित्साधिकारी, रुझौली में ज्वाइन करने के पश्चात् वहां कार्य न करके हरदोई में ही प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं और जिसका सच्चाई का प्रमाण

नोट --अल्प सूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया।

उप निदेशक होम्योपैथी द्वारा जिलाधीश, हरदोई से मांगी गयी जांच रिपोर्ट है ? यदि हां, तो क्या सरकार उचित विभागीय कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति—

जी हां ।

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, माधोगंज, जिला हरदोई के उच्चीकरण का कथित निर्णय

2—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि हरदोई जनपद के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, माधोगंज के उच्चीकरण हेतु गत वर्ष शासन ने कोई निर्णय लिया था ? यदि हां, तो अब तक उच्चीकरण न किए जाने के क्या कारण है ?

श्री लोकपति—

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, माधोगंज, जिला हरदोई को उच्चीकृत करने का कोई निर्णय गत वर्ष शासन द्वारा नहीं लिया गया था । अतः उक्त केन्द्र को उच्चीकृत करने का प्रश्न नहीं उठता ।

मुख्य चिकित्साधिकारी, शाहजहांपुर द्वारा अनएप्रूव्ड फर्मों से दवाइयों का खरीद

3—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि मुख्य चिकित्साधिकारी, शाहजहांपुर ने वर्ष 1977-78, 1978-79, 1979-80 में किस-किस फर्म द्वारा दवाएं क्रय की, उसमें से कितनी फर्में अनएप्रूव्ड थीं ? अनएप्रूव्ड फार्मों से दवाएं क्रय करने के कारण क्या थे और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लोकपति—

प्रश्न में मांगी गयी सूचना इस समय देना जनहित में न होगा ।

4—श्री हरिवंश सहाय—

[4 थे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 159 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

5—श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

[4 थे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 160 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद उत्तरकाशी के डाक्टर विहीन अस्पताल

6—श्री बलदेव सिंह आर्य—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि उत्तर काशी जनपद के अनेक एलोपैथिक एवं आयुर्वेदिक अस्पतालों में डाक्टर नहीं हैं ? यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है तथा सरकार कितने दिन के भीतर डाक्टर भेजने की व्यवस्था करेगी ?

श्री लोकपति—

जी हां । उत्तरकाशी जनपद के एलोपैथिक चिकित्सा अधिकारियों के 16 एवं आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों के 4 पद रिक्त हैं । इन पदों पर शीघ्र ही तैनाती कर दी जायेगी ।

आवंटित भवनों पर अनधिकृत कब्जे की दशा में उनका अन्य व्यक्तियों को आवंटन

7—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री अबुल कलाम—

वर्ष 1979 के प्रथम सत्र के पहले गुरुवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या 48–49 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिन भवनों के सम्बन्ध में सरकार को स्पष्ट मालूम हो गया है कि आवंटी इसमें नहीं रहता है और यह भवन या तो अवैध कब्जे में हैं या सदैव बन्द रहते हैं, उन्हें नगर की विषम आवास समस्या को देखते हुए आदेश दिया जायगा ?

श्री राम सिंह खन्ना—

अधिकतर ऐसे भवन जिसमें अवैध कब्जेदार हैं या बन्द रहते हैं को अधिकांशतः तदर्थ रूप से अन्य नागरिकों को आवंटित किया जा चुका है । शेष भवनों को भी तदर्थ रूप से आवंटित करने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

मकान नं0 227/3, अस्पताल यहियागंज, लखनऊ के विरुद्ध कार्यवाही

8—श्री रियासत हुसैन तथा श्री मोहन सिंह—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राम आसरे पासवान एम0एल0ए0, बस्ती का अस्पताल यहियागंज, लखनऊ के मकान संख्या 227/3 के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने हेतु दिनांक 24–6–80 को कोई पत्र मिला है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना—

जी हां ।

प्रश्नगत शिकायतों की जांच कराई गई ।

भवन के अनधिकृत निर्माण के संबंध में अग्रिम कार्यवाही कराई जा रही है ।

भवन में अतिरिक्त निर्माण के फलस्वरूप भवन के पुराने कर में वृद्धि कर दिनांक 1–4–1978 से दिनांक 2,400,00 वार्षिक मूल्य पर कर निर्धारण किया गया है ।

क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, सीतापुर के अन्तर्गत सेवानिवृत चिकित्साधिकारी व कम्पाउडरों के अवशेष देयों को भुगतान तथा अनिवार्य जमा योजना का धन

9—श्री दल सिंगार यादव—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, सीतापुर के अन्तर्गत जनवरी, 1978 से दिसम्बर, 1979 तक

कितने चिकित्साधिकारी व कम्पाउन्डर सेवा निवृति हुए तथा कितने अधिकारियों, कम्पाउन्डरों की पेंशन, ग्रेच्युटी, बीमा सस्पेन्स एकाउन्ट एवं अन्य अवशेष देयों का भुगतान करना शेष हैं ? क्या सरकार उनको उनके अवशेषों का भुगतान शीघ्र कराने की कृपा करेगी ?

श्री लोकपति--

जनवरी, 1978 से दिसम्बर, 1979 की अवधि में क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी सीतापुर के अन्तर्गत निम्नलिखित चिकित्साधिकारी व कम्पाउन्डर सेवा निवृत्त हुए अथवा सेवाकाल में मृत्यु हो गई :

1--श्री देवदत्त शर्मा, चिकित्साधिकारी (से0नि0) ।

2--श्री बेचे लाल मिश्र, कम्पाउन्डर (से0नि0) ।

3--श्री राम देव शर्मा, चिकित्साधिकारी (दिवंगत) ।

4--श्री विशम्भर नाथ मिश्र, कम्पाउन्डर (दिवंगत ।

श्री देव दत्त शर्मा, चिकित्साधिकारी का प्राविडेन्ट फंड का भुगतान होना शेष है । उनका प्रार्थना पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश के कार्यालय में विचाराधीन हैं ।

स्व0 श्री विशम्भर नाथ मिश्र के भविष्य निधि के भुगतान का मामला भी महालेखाकार, उत्तर प्रदेश के कार्यालय में विचाराधीन है तथा सामूहिक बीमा योजना से मिलने वाली धनराशि के भुगतान हेतु भारतीय जीवन बीमा निगम को लिखा गया है ।

उपरोक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अवशेष देयों का भुगतान कराये जाने की कार्यवाही की जा रही हैं ।

10--श्री दल सिंगार यादव--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी सीतापुर के कार्यालय से सम्बद्ध सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अनिवार्य जमा योजना का धन भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों और उक्त भुगतान कब तक करा दिया जायगा ?

श्री लोकपति--

जी हां ।

क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी कार्यालय सीतापुर के मुख्य लिपिक श्री रूप किशोर सिंह को रिश्वत लेने के संबंध में पुलिस अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार कर दिनांक 1-9-76 को कार्यालय के समस्त संबंधित अभिलेखों को पुलिस द्वारा सील करके न्यायालय के सुपुर्द कर दिया गया था। संबंधित अभिलेख तथा वेतन रजिस्टर आदि सील होकर न्यायालय में जमा किये जाने के कारण अधिकारियों तथा कर्मचारियों को अनिवार्य जमा योजना का धन भुगतान नहीं किया जा सका है। अतिरिक्त न्यायधीश सीतापुर द्वारा श्री रूप किशोर सिंह को दिनांक 8-5-80 को बरी कर दिया गया हैं तथा अपील का समय समाप्त होने पर दिनांक 8-8-80 को न्यायालय द्वारा समस्त अभिलेखों को वापस कर दिया गया हैं । अनिवार्य जमा योजना में अधिकारियों तथा कर्मचारियों की जमा धनराशि के भुगतान के संबंध मे आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है तथा समस्त संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को इसका भुगतान शीघ्र ही कर दिया जावेगा ।

11--श्री बलदेव सिंह आर्य--

[6ठ बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 12 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

लखनऊ-कानपुर राजमार्ग पर स्थित आइस फैक्टरी के बगल से गांधीनगर (उन्नाव) तक की सड़क व नाली

12--श्री सच्चिदानन्द--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव नगरपालिका के अन्तर्गत कानपुर-लखनऊ राजमार्ग में आइस फैक्टरी के बगल से गांधी नगर मुहल्ले की स्वीकृत सड़क व नाली बन चुकी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना--

जी नहीं ।

इस सड़क के निर्माण हेतु स्वीकृत राजकीय अनुदान के उपयोग की अवधि दिनांक 30-3-80 तक थी । ठेकेदार द्वारा निर्धारित अवधि तक सड़क निर्माण का कार्य पूरा न किए जाने के कारण उपयोग की तिथि बढ़ाने हेतु जिला मजिस्ट्रेट, उन्नाव द्वारा मंडलायुक्त लखनऊ के अनुरोध किए जाने पर उपयोग की तिथि 31-3-81 तक बढ़ा दी गयी है । सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है, परन्तु अनवरत वर्षा के कारण कार्य पूरा नहीं किया जा सका है ।

रफी अहमद किदवई मेमोरियल अस्पताल, बाराबंकी में पैथालोजिस्ट की नियुक्ति

13--श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या स्वास्थ्य मंत्री को इस बात की जानकारी है कि रफी मिमोरियल अस्पताल, बाराबंकी में ब्लड यूरिया और ब्लड शुगर जांच करने वाली नई मशीन पिछले कई वर्षों से बगैर इस्तेमाल किए हुए रखी हुई है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या सरकार उसको अविलम्ब इस्तेमाल के लिए उपाय करेगी ?

श्री लोकपति--

जी हां । माननीय सदस्य महोदय द्वारा दी गई सूचना को आधार मानते हुए मामले की छानबीन करने पर ज्ञात हुआ कि पैथालोजिस्ट के अभाव में मशीन प्रयोग में नहीं लाया जा रही है । अतः अब मशीन को अविलम्ब प्रयोग में लाने हेतु पैथालोजिस्ट की नियुक्ति कर दी गयी है ।

लखनऊ महायोजना में किए गए परिवर्तन

14--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ महायोजना में जून, 1980 तक कुल कितने संशोधन शासन द्वारा स्वीकृत किए गए हैं ? क्या मंत्री उक्त संशोधनों की प्रतिलिपियां सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री राम सिंह खन्ना--

लखनऊ महायोजना में जून, 1980 तक शासन द्वारा कुल सात भू-उपयोग परिवर्तन किए गए हैं ।

†प्रतिलिपियां सदन के पटल पर प्रस्तुत हैं ।

हरदोई जनपद की गन्ना सहकारी समितियों द्वारा संचालित नेत्र-अस्पताल का सरकारीकरण

15--श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि हरदोई नगरपालिका के अन्तर्गत गन्ना सहकारी समितियों द्वारा संचालित एक जनोपयोगी एकमात्र आंखों का अस्पताल काफी अर्से से जनपद की सेवा कर रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस जनोपयोगी अस्पताल का सरकारीकरण करने पर विचार करेगी ?

श्री लोकपति--

जी हां । गन्ना सहकारी समितियों द्वारा संचालित एक नेत्र अस्पताल, हरदोई जनपद में कार्यरत है । अस्पताल की प्रबन्ध समिति द्वारा सरकारीकरण की प्रार्थना किए जाने पर विचार किया जायेगा ।

बरेली, गोरखपुर तथा मेरठ नगरपालिकाओं के उच्चीकरण की कथित घोषणा

16--श्रीमती गौरी देवी--

क्या सरकार बतायेगी कि बरेली जिले में जुलाई माह में स्वायत्त शासन मंत्री ने बरेली, गोरखपुर, मेरठ नगरपालिकाओं की महापालिका के रूप में स्तरोन्नयन करने की घोषणा की है ? यदि हां, तो ये महापालिकायें कब से अपना कार्य प्रारम्भ करेंगी ?

श्री राम सिंह खन्ना--

जी नहीं, कोई घोषणा नहीं की गई थी ।

17--श्रीमती गौरी देवी--

[6ठे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 59 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

18--श्रीमती गौरी देवी--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

बस्ती जिले की डुमरियागंज तहसील स्थित चीनी की दूकानों के विरुद्ध शिकायतें

19--श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ--

क्या खाद्य मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के डुमरियागंज तहसील के परगनाधिकारी एवं तहसीलदार को प्रश्नकर्ता ने मई एवं जून, 1980

†छापी नहीं गयी ।

में कितने प्रार्थना-पत्र चीनी के दुकानों की जांच के सम्बन्ध में दिए थे ? कितनों की जांच कराई गई और उसमें क्या कार्यवाही की गई ? क्या पूर्ण विवरण सहित सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री अजीत सिंह सेठी--

चीनी की दूकानों की जांच के सम्बन्ध में माननीय विधायक ने मई तथा जून, 1980 में कोई लिखित प्रार्थना-पत्र न तो परगनाधिकारी, डुमरियागंज को दिया और न तहसीलदार को दिया। विधायक महोदय ने चीनी की दूकानों के विरुद्ध सामान्य शिकायत मौखिक रूप में अवश्य की थी। जून एवं जुलाई, 1980 में अभियान चलाकर चीनी की दूकानों पर छापे मारे गए जिसका विवरण निम्नवत् है :--

(1)	मारे गए छापों की संख्या	39
(2)	निलम्बित की गई दूकानों की संख्या	4
(3)	बन्दी बनाए गए व्यक्तियों की संख्या	3

लखनऊ नगरमहापालिका तथा लखनऊ विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित अनधिकृत कब्जेदारों की सूची तथा भवनों का आवंटन

20--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा अबुल कलाम--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री विधान सभा के प्रथम सत्र 1976 के पहले गुरुवार (दिनांक 22-3-79) के अतारांकित प्रश्न संख्या 44 के उत्तर के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि जो आदेश सूची बनाने के सम्बन्ध में 26-2-79 को दिया गया था, उसकी सूची बनकर तयार हो गई है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री राम सिंह खन्ना--

जी हां। सूची† संलग्न है।

21--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री अबुल कलाम--

उपरोक्त तिथि के अतारांकित प्रश्न संख्या 45 के उत्तर के संदर्भ में स्वायत्त शासन मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि अभी तक इस प्रकार से कितने लोगों को आवंटन किया गया है ?

श्री राम सिंह खन्ना--

सूची† संलग्न है।

लखनऊ मास्टर प्लान की स्वीकृति तथा आपत्तियों की सुनवाई

22--श्री झिलमिट राम--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ मास्टर प्लान लखनऊ नगरमहापालिका द्वारा कब स्वीकृत की गई थी और लखनऊ नगरमहापालिका ने उस पर जनता की आपत्तियों को सुनने के लिए कौन सा दिन निर्धारित किया था ?

---

†छापी नहीं गई।

श्री राम सिंह खन्ना--

लखनऊ महायोजना लखनऊ नगरमहापालिका द्वारा दिनांक 3 अप्रैल, 1968 को स्वीकृत की गई थी। लखनऊ महायोजना पर आपत्तियों की सुनवाई के लिये 24 जनवरी, 1968 तथा 31 जनवरी, 1968 निर्धारित की गई थी।

पहुंज बांध (झांसी) में वाष्पीकरण रोकने पर व्यय

23--श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी के समीप पहुंज बांध में मई, जून, 1980 में वाष्पीकरण योजनान्तर्गत रसायन डालने में कितना व्यय हुआ और इस प्रयोग के फलस्वरूप कुल कितना जल बचाया गया ?

श्री राम सिंह खन्ना--

झांसी के समीप पहुंज बांध में माह मई, जून, 1980 में वाष्पीकरण रोकने के प्रयोग पर कुल वास्तविक व्यय 15,444.00 रु0 हुआ है। इस प्रयोग के फलस्वरूप कुल 50.52 लाख गलन पानी बचाया गया।

टाउन हाल, गोरखपुर के निकट स्थित फव्वारे तथा पार्क का नामकरण

24--श्रीमती गौरी देवी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि टाउन हाल, गोरखपुर के निकट स्थित फव्वारे व पार्क के नामकरण हेतु शहीद रवीन्द्र सिंह स्मारक समिति ने कोई आवेदन-पत्र माह जनवरी-फरवरी, 80 में स्वायत्त शासन मंत्री को दिया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री राम सिंह खन्ना--

टाउन हाल, गोरखपुर के निकट स्थित फव्वारे व पार्क के नामकरण हेतु शहीद रवीन्द्र सिंह स्मारक समिति का कोई आवेदन-पत्र शासन को प्राप्त नहीं हुआ है। स्वर्गीय रवीन्द्र सिंह स्मारक समिति, गोरखपुर के एक सदस्य का पत्र दिनांक 11-1-80 जो स्वायत्त शासन मंत्री जी को सम्बोधित है, नगरपालिका, गोरखपुर को प्राप्त हुआ था, जिसमें गोरखपुर टाउन हाल फव्वारे के आस-पास पार्क की जमीन स्वर्गीय अमर शहीद रवीन्द्र सिंह की मूर्ति लगाने हेतु आवंटित किये जाने तथा मूर्ति स्थापना में सहायता प्रदान किए जाने का अनुरोध किया गया है। इस स्थान पर पहले से ही नगरपालिका गोरखपुर द्वारा स्वामी विवेकानन्द की मूर्ति स्थापना हेतु एक प्रस्ताव पारित किया हुआ है।

वाराणसी जिले के सीमेन्ट के कोटे में वृद्धि की मांग

25--श्री ऊबल--

क्या खाद्य मंत्री को जानकारी है कि वाराणसी जिले के देहात और शहर के लिए प्रति माह 16,000 मिट्रिक टन सीमेन्ट की आवश्यकता है और 6 हजार मीट्रिक टन ही कई वर्षों से प्राप्त हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार 16 हजार मीट्रिक टन कोटा वाराणसी का करने पर विचार कर रही है ?

श्री अजीत सिंह सेठी—

प्रदेश की आवश्यकताओं के अनुरूप सीमेन्ट का आवंटन भारत सरकार से न प्राप्त होने के कारण अन्य जिलों की भांति वाराणसी को भी आवश्यकतानुसार सीमेन्ट का आवंटन नहीं किया जा रहा है। प्रदेश के कोटे में वृद्धि होने पर ही वाराणसी जिले के कोटे में वृद्धि करना संभव होगा।

वाराणसी में पुलिस द्वारा रोके गये गेहूं के सन्दर्भ में जिले में गेहूं लाने-ले जाने सम्बन्धी नियमों के विषय में जानकारी

26—श्री ऊदल—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तारीख 12 जुलाई, 1980 को चिरकिट, सुदामा, लल्लन, बचानू, गांव साधोगंज, थाना बड़ागांव, जिला वाराणसी द्वारा विश्वेसरगंज, वाराणसी से खरीदा हुआ 27 क्विंटल गेहूं को, थाना बड़ागांव की पुलिस ने 12/13 जुलाई की रात को दफा 317 में पकड़ कर थाने में बन्द कर दिया और उसका मुकदमा दर्ज किया और 12 दिन मय ट्रक के वर्षा में बाहर ही गेहूं पड़ा रहा ? यदि हां तो क्या गेहूं के ऊपर जिले के अन्दर मूवमेन्ट पर कोई रोक है और खरीदने तथा बेचने पर लाइसेंसियों के ऊपर कोई प्रतिबन्ध लगाया गया है ?

श्री अजीत सिंह सेठी—

पुलिस ने दिनांक 13 जुलाई, 1980 को सबेरे 4 बजे माधोगंज में एक ट्रक को रोका जिसमें 27 बोरे गेहूं लदा था। ट्रक में बोरों की छल्ली पर बैठे दो व्यक्तियों में से श्री राम चरन भाग गया। दूसरे व्यक्ति श्री चिरकिट व ट्रक ड्राइवर श्री सदाराम को गिरफ्तार किया गया। सर्वश्री चिरकिट, रामचरन व सदाराम के विरुद्ध धारा 3/7 ई0 सी0 ऐक्ट के अन्तर्गत मुकदमा कायम किया गया। थाना के मालखाना में जगह न होने के कारण पकड़ा गया गेहूं दिनांक 20 जुलाई, 1980 को डा0 उमाशंकर मिश्र की सुपुर्दगी में दिया गया।

गेहूं के ऊपर वाराणसी जिले के अन्दर मूवमेन्ट पर कोई रोक नहीं है' परन्तु उत्तर प्रदेश खाद्यान्न व्यपारी (लाइसेंस देना और अपसंचय पर निर्बंधन) आदेश, 1976 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति एक बार में 10 कुन्तल या उससे अधिक परिणाम में खाद्यान्न का क्रय, विक्रय या विक्रय के लिये संग्रह करने का कारबार बिना लाइसेंस के नहीं कर सकता है और उसे लाइसेंस के निर्बन्धनों तथा शर्तों के अधीन तथा अनुसार कारबार करना होता है।

जनपद जालौन की पेयजल योजनायें

27—श्री शंकर सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद जालौन में इस वर्ष किन ग्रामीण पेयजल योजनाओं पर कार्य शुरू करने की योजना है तथा यह कार्य कब से शुरू हो जायेंगे जिन योजनाओं पर कार्य हो रहा है वह कौन सी है तथा उनका कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री राम सिंह खन्ना--

जनपद जालौन की इस वर्ष निम्नलिखित पेयजल योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है--

1--बबई ग्राम समूह पेयजल योजना ।

2--अकबरपुर ग्राम समूह पेयजल योजना ।

3--नोकावली ग्राम समूह पेयजल योजना ।

4--रेगद ग्राम समूह पेयजल योजना ।

5--डकोर ग्राम समूह पेयजल योजना ।

6--नोद्दी गांव ग्राम समूह पेयजल योजना ।

7--करमेर ग्राम समूह पेयजल योजना ।

8--अटइट ग्राम समूह पेयजल योजना ।

9--कुठौंद ग्राम समूह पेयजल योजना ।

10--खगशीष ग्राम समूह पेयजल योजना ।

उक्त में से पहली 8 योजनाओं की अभी तक जल निगम से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त नहीं हो पायी है तथा जसे ही स्वीकृति प्राप्त होगी झांसी डिवीजन जल संस्थान से अनुबन्ध निष्पादित होने पर योजनाओं पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा । शेष दो योजनाओं की स्वीकृति जल निगम द्वारा प्राप्त हो चुका है और उन पर इसी वर्ष कार्य कराया जायेगा ।

जनपद जालौन की निम्नलिखित पेयजल योजनाओं पर कार्य हो रहा है तथा कार्य पूर्ण होने की सम्भावित तिथि उनके सामने अंकित है--

योजना का नाम	पूर्ण होने की सम्भावित तिथि
1--बहादुरपुर बाबली ग्राम समूह योजना	6/81
2--हरौली ग्राम समूह योजना	8/81
3--कपासी ग्राम समूह योजना	6/81
4--बबीना ग्राम समूह योजना	6/81
5--भेड़ी ग्राम समूह योजना	6/81

राजकीय अस्पताल, भदोही, जिला वाराणसी में डाक्टरों तथा दवाओं का कथित अभाव

28--श्री ऊदल--

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि राजकीय अस्पताल भदोही, जिला वाराणसी में डाक्टर तथा नर्स एवं मिडवाइफें नहीं हैं और दवा का अभाव है तथा अस्पताल में गंदगी व्याप्त है ? यदि हां, तो इसको दूर करने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लोकपति--

राजकीय पुरुष तथा महिला चिकित्सालय भदोही, जिला वाराणसी में स्वीकृत सभी डाक्टर फार्मेसीस्ट, मिडवाइफ वार्ड ब्वाय तथा स्वीपर कार्यरत हैं। नर्स का कोई पद वहां स्वीकृत नहीं है। आवश्यकतानुसार दवाएं वहां उपलब्ध हैं।

अस्पताल में व्याप्त गंदगी साफ कराने की कार्यवाही की जा रही है।

जनपद वाराणसी में चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पास प्रयोज्य एवं निष्प्रयोज्य वाहन एवं उनकी नीलामी

29--श्री ऊदल--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैमिली प्लानिंग स्वास्थ्य विभाग वाराणसी के चौका घाट स्थित बपतर के पास कई जीपें, बसें, तथा दूसरे प्रकार के वाहन वर्षों से बेकार पड़े हैं और जंग खा रहे हैं ? यदि हां, तो उनको अब तक नीलाम क्यों नहीं किया गया ? उनके रख-रखाव पर कितना खर्चा प्रति वर्ष हो रहा है ?

श्री लोकपति--

जी हां, कुल 11 वाहनें निष्क्रीय खड़ी हैं, जिन में से भारत सरकार द्वारा प्रदत्त 3 बेडफोर्ड पेट्रोल चालित बड़ी वाहनें पेट्रोल की अत्यधिक खपत के कारण मितव्ययिता की दृष्टि से उपयोग में नहीं लायी जा रही हैं तथा शेष 8 वाहनें अग्रेतर उपयोग योग्य न रहने के कारण उनके निष्प्रयोज्य घोषित करने के लिये अपेक्षित प्रपत्र एवं अभिलेख जनपद से प्राप्त हो गये हैं। तदनुसार भारत सरकार परिवहन विभाग से उक्त वाहनों के निष्प्रयोज्य प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के उपरान्त उक्त वाहनों का नीलाम होगा। उपर्युक्त वाहनों के रख-रखाव पर कोई व्यय नहीं किया जा रहा है।

30--श्री ऊदल--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले के स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित प्रत्येक विभागों, जैसे स्वास्थ्य, फैमिली प्लानिंग, चेचक उन्मूलन, मलेरिया एवं दूसरे स्वास्थ्य सम्बन्धित विभागों के पास कितनी बसें, जीपें, स्टेशन वैगन, ट्रकें, कारें आदि हैं ? उनमें से कितनी अच्छी हालत में हैं और कितनी खराब होकर वर्षों से बेकार हैं ?

श्री लोकपति--

जनपद वाराणसी में चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पास कुल 54 वाहनें हैं, जिनमें से 8 वाहने उपयोग योग्य न रहने के कारण निष्क्रीय खड़ी हैं, 3 वाहने पेट्रोल की अधिक खपत के कारण मितव्ययिता की दृष्टि से

उपयोग में नहीं लायी जा रही हैं तथा शेष 43 वाहनें क्रियाशील हैं, जिनके संबंध में अपेक्षित विवरण निम्नानुसार हैं :

कार्यक्रम, जिसके अन्तर्गत वाहन दी गयी है	वाहनों का ब्यौरा				
	जीप	एम्बेसडर	स्टैंडर्ड-20	बेडफोर्ड	मेटाडोर
1--स्वास्थ्य	11	1	..	..	..
2--परिवार कल्याण	12	4	1	2	..
3--चेचक उन्मूलन	1	..	..	..	..
4--मलेरिया	3	..	..	..	..
5--चिकित्सा	4	..	2	..	2
योग	31	5	3	2	2

लखनऊ मास्टर प्लान के अन्तर्गत सिनेमाघरों की संख्या

31--श्री गोपाल राम दास--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ मास्टर प्लान के प्रस्ताव एवं मानदंड के अनुसार वर्ष 1981 तक केवल 18 सिनेमागृहों की स्थापना को पर्याप्त समझा गया है और किसी नये सिनेमागृह की स्थापना विकास प्राधिकरण द्वारा इस आधार पर अस्वीकार कर दी जाती है कि सिनेमागृहों की संख्या का संयुक्त बिंदु पहुंच चुका है और नये सिनेमागृहों को निर्माण की अनुमति नहीं दी जा सकती ? यदि हां, तो लखनऊ मास्टर प्लान उक्त प्रस्ताव के बावजूद लखनऊ में सिनेमागृहों की संख्या में किस प्रकार वृद्धि हुई ?

श्री राम सिंह खन्ना--

लखनऊ महायोजना के प्रतिवेदन के अध्याय 7 के अन्तर्गत वर्ष 1981 तक केवल 18 सिनेमागृहों की स्थापना को पर्याप्त समझा गया। इसका आधार यह रखा गया था कि यदि रोजाना 4 शो दिखाया जाता है और एक सिनेमा हाल में 500 सीटें रखी जाती हैं तो इस हिसाब से 2,000 व्यक्ति रोज सिनेमा देखते हैं अर्थात् 120 व्यक्ति पर एक सीट के अनुसार 60,000 व्यक्तियों के लिए 500 सीटों वाले एक सिनेमा हाल की आवश्यकता होगी। इसी को आधार मानकर यह अनुमान लगाया गया था कि उस समय मौजूद 18 सिनेमाहाल वर्ष 1981 तक की जन संख्या के लिए पर्याप्त होगा परन्तु पिछले वर्षों में लखनऊ के लोगों की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन आया है और जनसंख्या भी लगभग 12 लाख हो गयी है। इसके अतिरिक्त बाहर से भी लोग रोजाना आते हैं इसलिए सिनेमा पर काफी झुकाव रहता है। साथ ही साथ अलीगंज, रामसागर मिश्र नगर तथा राजाजीपुरम जैसी बड़ी 2 आवासीय कालोनियों का भी विकास हुआ है। इन कारणों से सिनेमा के प्रति लोगों का झुकाव ज्यादा हुआ है। इसको ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त सिनेमा भवनों की स्वीकृति दी जा चुकी है।

जनवरी, 1980 में गोरखपुर जिले को आवंटित डीजल

32--श्रीमती गौरी देवी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जिले में जनवरी, 1980 में कितना डीजल कृषि कार्य हेतु एवं कितना अन्य किन-किन कार्य हेतु दिया गया ? इसी माह में कितना डीजल कार्ड धारकों तथा कितना परमिट द्वारा दिया गया ?

श्री अजीत सिंह सेठी--

गोरखपुर जिले में जनवरी, 1980 में कृषि कार्य हेतु 9,06,027 लिटर, उद्योग हेतु 64,407 लिटर, परिवहन हेतु 3,65,658 लिटर, सरकारी कार्य हेतु 1,88,492 लिटर तथा अन्य कार्यों हेतु 6,210 लिटर डीजल दिया गया ।

इसी माह में कार्ड धारकों को 15,13,984 लिटर तथा परमिट द्वारा 16,810 लिटर डीजल दिया गया ।

प्रदेश की कतिपय ग्राम सभाओं को टाउन एरिया बनाये जाने का प्रस्ताव

33--श्री लल्लू सिंह चौहान--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इस समय प्रदेश में कौन-कौन सी ग्राम सभाओं को नगर क्षेत्र समिति बनाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ?

श्री राम सिंह खन्ना--

जिन ग्राम सभाओं को टाउन एरिया बनाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है उनकी सूची संलग्न है । भारत सरकार के आदेश नुसार जनगणना कार्यों के कारण मार्च, 1981 तक टाउन एरिया बनाने का कार्य स्थगित है । अतः इस समय उक्त प्रस्तावों पर निर्णय लेना सम्भव नहीं है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 403 पर ।)

फतेहपुर तथा बिन्दकी स्थित संयुक्त चिकित्सालयों के भवनों का निर्माण

34--श्री राम प्यारे पाण्डेय--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बतायेंगे कि फतेहपुर जिले के जिला चिकित्सालय एवं राजकीय चिकित्सालय, बिन्दकी के जर्जर भवनों के स्थान पर नवीन भवन निर्माण कराने हेतु सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति--

संयुक्त चिकित्सालय फतेहपुर के नवीन भवन का निर्माण शासन द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है, नक्शा बन रहा है । नक्शा बन जाने पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जायगा ।

संयुक्त चिकित्सालय बिन्दकी के भवन निर्माण का मामला अभी शासन के विचाराधीन है ।

डेरवा जिला प्रतापगढ़ को टाउन एरिया घोषित करने की मांग

35--श्री सरजू प्रसाद सरोज--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रतापगढ़ जनपद में 115 बिहार निर्वाचन क्षेत्र में स्थान डेरवा आबादी एवं विकास के दृष्टिकोण से उसे टाउन एरिया (कस्बा) घोषित करने की सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है ? यदि हां, तो उक्त डेरवा को अभी तक टाउन एरिया घोषित क्यों नहीं किया ? यदि कार्यवाही अपूर्ण हो तो इसे पूर्ण कर कब तक डेरवा को टाउन एरिया घोषित हो जाने की सम्भावना है ?

श्री राम सिंह खन्ना--

जनगणना 1981 के कार्यों के कारण भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार मार्च, 1981 तक नई टाउन एरिया का सृजन नहीं किया जाना है । मार्च, 1981 के उपरान्त ही इस प्रस्ताव पर विचार करना सम्भव होगा।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, संदपुर, जिला गाजीपुर में डाक्टरों आदि की व्यवस्था

36--श्री राम करन तथा श्री राम धनी--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, संदपुर, पो० गाजीपुर में एक्सरे प्लान्ट व आपरेशन थियेटर हेतु यंत्र व डाक्टरों का विस्तार निकट भविष्य में होने वाला है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री लोकपति--

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, संदपुर, जिला गाजीपुर के उच्चीकरण के उपरान्त उसमें एक्सरे मशीन तथा रोगी वाहन क्रय करने की स्वीकृति दी जा चुकी है । इसके अतिरिक्त रेडियोलाजिस्ट, एक्सरे टैक्नीशियन तथा ड्राइवर के एक-एक अतिरिक्त पद भी स्वीकृत किये जा चुके हैं ।

बदायूं नगर में उचित मूल्य की दूकानें एवं उनके एलाटमेन्ट का आधार

37--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि बदायूं नगर में उचित मूल्य की कितनी दुकाने एलाट की गई हैं एवं उनको एलाट करने का आधार क्या है ? क्या गलत व्यक्तियों को दुकान देने के सम्बन्ध में वर्ष 1980 के मास मई एवं जून में कोई शिकायत उन्हें प्राप्त हुई है ? यदि हाँ, तो शासन ने उसमें अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री अजीत सिंह सेठी--

बदायूं नगर में उचित मूल्य की 44 दुकानें स्वीकृत हैं जिसमें से एक दुकान निलम्बित है, जिसकी जांच चल रही है तथा एक दुकान निरस्त की जा चुकी है। इस प्रकार बदायूं नगर में इस समय 42 दुकानें कार्यरत हैं। इन दुकानों के एलाट करने का आधार उस समय के प्रचलित शासनादेश थे ।

बदायूं नगर में गलत व्यक्तियों को दुकान एलाट करने के सम्बन्ध में वर्ष 1980 के मास मई एवं जून में शासन को दो शिकायती-पत्र प्राप्त हुए थे। उनकी जांच की जा रही है।

हरदोई नगर में सीवर डालने की योजना

38—श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

क्या स्वायत शासन मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि शासन नगर हरदोई में सीवर लाइन डालने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

श्री राम सिंह खन्ना—

हरदोई नगर में सीवर डालने हेतु एक योजना जल निगम द्वारा तैयार की जा रही है। योजना का विरचन कार्य मार्च, 1981 तक पूर्ण होने की सम्भावना है। योजना का जल निगम द्वारा अनुमोदन के बाद स्थानीय निकाय द्वारा जल निगम से ऋण लेने की कार्यवाही की जायेगी उसके बाद ही योजना पर कार्य आरम्भ हो सकेगा।

डा० आर० सी० तिवारी, तत्कालीन अधीक्षक, पुरुष अस्पताल, कोंच, जिला जालौन की पदोन्नति

39—श्री जावेद अली खां—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि भूतपूर्व अधीक्षक पुरुष अस्पताल, कोंच, जिला जालौन पर जनता पार्टी के शासन काल में लगाये गये आरोपों की जांच में वे निर्दोष सिद्ध हुए? यदि हां, तो उनको प्रोन्नत न कर कनिष्ठ लोगों को प्रोन्नति किये जाने का क्या कारण है?

श्री लोकपति—

जी हां। चयन समिति ने अभिलेखों के आधार पर डा० आर० सी० तिवारी, तत्कालीन अधीक्षक, पुरुष अस्पताल, कोंच, जिला जालौन को प्रोन्नति के लिए उपयुक्त नहीं पाया।

40—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[5वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 91 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद देवरिया का गौरा बरहज नगरपालिका द्वारा गौरा सड़क तथा ब्लाक रोड का निर्माण

41—श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

क्या स्वायत शासन मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि जनपद देवरिया, गौरा बरहज नगरपालिका द्वारा वर्ष 1978–79 में गौरा सड़क तथा ब्लाक रोड का निर्माण अधिशासी अभियन्ता द्वारा कराई जा रही है? यदि हां, तो उपरोक्त सड़क का आगणन, जो स्वीकृत है, उनके आधार पर प्रशासन द्वारा प्राप्त 3–8–78 के वर्क आदेश पर सड़क निर्माण न कराके बिना स्वीकृति ही अपने स्तर से राजाज्ञा के विरुद्ध अमानो (डेली वेजेस) पर निर्माण कार्य कराने का क्या कारण है?

श्री राम सिंह खन्ना—

जनपद देवरिया के गौरा बरहज नगरपालिका द्वारा वर्ष 1978–79 में गौरा सड़क तथा ब्लाक रोड का निर्माण अधिशासी अभियन्ता द्वारा नहीं कराया गया है। वर्ष 1978–79 में उक्त दोनों सड़कों का निर्माण स्वीकृत आगणन के आधार

पर न्यूनतम निविदा वाले ठेकेदार से शुरू कराया गया था, परन्तु ठेकेदार द्वारा स्वीकृत आगणन में दिये गये स्पेसिफिकेशन के अनुसार कार्य न करने के कारण उसका ठेका निरस्त करके अब न्यूनतम निविदा वाले दूसरे ठेकेदार से कार्य पूर्ण कराया गया है। अमानी पर कोई कार्य नहीं कराया गया है।

42—श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

[7-2-80 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4 द्वारा उत्तरित]

जनपद पिथौरागढ़ के डाक्टर विहीन अस्पताल

43--श्री चारु चन्द्र ओझा--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में कितने एलोपैथिक, आयुर्वेदिक अस्पताल हैं और कितने अस्पतालों में 5 वर्ष से अधिक अवधि से डाक्टर नहीं हैं ? समस्त अस्पतालों में कब तक डाक्टर नियुक्त कर दिये जायेंगे ?

श्री लोकपति--

जनपद पिथौरागढ़ में 52 एलोपैथिक एवं 46 राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय हैं। कोई अस्पताल ऐसा नहीं है जिसमें पांच वर्ष से अधिक अवधि से डाक्टर न हो, रिक्त पदों पर डाक्टरों की तैनाती का प्रयास जारी है और यथाशीघ्र सभी रिक्त पदों पर तैनाती कर दी जायेगी।

44—श्री चारु चन्द्र ओझा--

[6ठें बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 16 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, धारचूला, जनपद पिथौरागढ़ का क्षतिग्रस्त भवन

45--श्री चारु चन्द्र ओझा--

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र धारचूला में भवन की छत 1974 में तुफान के कारण क्षतिग्रस्त हो गई थी ? यदि हां, तो क्या छत की मरम्मत कर दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

मुरादाबाद की ग्राम सभा जोया के ग्राम जोया को टाउन एरिया बनाया जाना

46--श्री रामकृष्ण महेश्वरी--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मुरादाबाद के ग्राम समाज, जोया को उसके पुराने सम्मिलित गांवों को छोड़ते हुये बहुत कम आबादी होने पर भी अनियमित रूप से टाउन एरिया घोषित किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस पर पुनर्विचार करने की कृपा करेगी ?

श्री राम सिंह खन्ना—

ग्राम सभा जोया के प्रस्ताव पर जिलाधिकारी एवं मण्डलायुक्त की संस्तुति के आधार पर केवल ग्राम जोया को ही नियमानुसार टाउन एरिया घोषित किया

(श्री रामसिंह खन्ना--)

गया है । ग्राम सभा जोया में सम्मिलित अन्य चार मजरे कफी दूर-दूर स्थित होने के कारण टाउन एरिया जोया में सम्मिलित नहीं किए जा सके । टाउन एरिया का सृजन नियमानुसार किया गया है । अतएव पुनर्विचार किए जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

होम्योपैथिक कम्पाउन्डरों की नियुक्ति हेतु किया गया साक्षात्कार

47--श्री ऊदल--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे के कि होम्योपैथिक कम्पाउन्डरों की नियुक्ति हेतु एक साक्षात्कार स्वास्थ्य भवन, लखनऊ में तारीख 30-1-80 को किया गया था ? यदि हां, तो उसका परिणाम अब तक न निकालने का क्या कारण है ?

श्री लोकपति--

जी हां । प्रश्नगत साक्षात्कार में अभ्यर्थियों के चयन की जो प्रक्रिया अपनाई गई थी उसे उचित नहीं पाया गया तथा उसके परिणामों को अनुमोदित नहीं किया गया । अतः परिणाम घोषित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

मुख्य चिकित्साधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सेमरियावां, जिला बस्ती के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें

48--श्री मोहम्मद नबी--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 17-7-80 को प्रश्न-कर्त्ता द्वारा जो प्रार्थना-पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी, प्राइमरी हेल्थ सेन्टर, सेमरियावां, जनपद बस्ती द्वारा किये गये भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में दिया गया था और जिस पर मंत्री महोदय के जांच के आदेश प्रसारित हुये थे, इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री लोकपति--

विधायक महोदय के पत्र दिनांक 17-7-80 में दिये गये तथ्यों की जांच करायी जा रही है ।

संयुक्त चिकित्सालय, उन्नाव के नये भवन की निर्माण-लागत

49--श्री भगवती सिंह विशारद--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिले के जिला अस्पताल के नये भवन का निर्माण कार्य कब प्रारम्भ हुआ था और अब इसका निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ? और इस भवन के निर्माण के लिये कुल कितने रुपये का आकलन तैयार किया गया था और उसके अनुसार अब तक कितनी धनराशि व्यय हो चुकी है और अब पूरे निर्माण कार्य के लिये कितनी और धनराशि की आवश्यकता पड़ेगी ?

श्री लोकपति--

संयुक्त चिकित्सालय, उन्नाव के नये भवन का निर्माण कार्य दिसम्बर, 1973 में प्रारम्भ हुआ था और उसके जून, 1981 तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है ।

इस निर्माणकार्य हेतु 33, 84,000 (तेंतीस लाख चौरासी हजार) रुपये का आंकलन तैयार किया गया था परन्तु इस पर अगस्त, 1980 तक दरों में वृद्धि होने के फलस्वरूप रुपये 44,77,000 (चौवालीस लाख सत्तहत्तर हजार) की धनराशि व्यय की जा चुकी है। अभी इस पूरे निर्माण कार्य के लिये अनुमानतः दस लाख रुपये की और आवश्यकता पड़ेगी।

आलमबाग (लखनऊ) में आवासीय कालोनी के निर्माण की मांग

50—श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित आलमबाग का जो क्षेत्र नगर महापालिका के अधीन है, उसमें आवास विकास अथवा विकास प्राधिकरण ने क्षेत्र विकास को दृष्टि में रखते हुए कोई कालोनी बनाई है ? यदि हां, तो कितनी बनाई है ? यदि नहीं, तो क्या कारण है ?

श्री राम सिंह खन्ना—

लखनऊ स्थित आलमबाग क्षेत्र नगर महापालिका के अधीन है उसमें आवास विकास परिषद् अथवा विकास प्राधिकरण में क्षेत्र के विकास को दृष्टि में रखते हुए कोई कालोनी का निर्माण नहीं किया है। यहां पर कालोनी इसलिए नहीं बनाई जा सकती क्योंकि इस क्षेत्र में भवनों का निर्माण काफी संख्या में हो चुका है और आवासीय कालोनियों का निर्माण करना अव्यवहारिक है। इस क्षेत्र में परिषद् द्वारा "कानपुर रोड के समीप जिला जेल के पीछे भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना लखनऊ" प्रस्तावित है।

51—श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

[8वें बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 30 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

लखनऊ मास्टर प्लान के अन्तर्गत अननुकूल भू-उपयोगों का हटाया जाना

52—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ मास्टर प्लान में प्रस्तावित विभिन्न भू-उपयोगों के क्षेत्र में अननुकूल भू-उपयोगों को समाप्त करने की अधिकतम अवधि क्या है ? यदि उक्त अवधि बीत गई है तो क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त अननुकूल भू-उपयोगों को हटाने के लिए कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है ?

श्री राम सिंह खन्ना—

लखनऊ महायोजना के अन्तर्गत किए गए अध्ययन एवं सुझावों के प्रतिवेदन खंड-1 में विभिन्न प्रकार के अननुकूल भू-उपयोगों को हटाने एवं दूसरे स्थान पर प्रतिस्थापित करने की अधिकतम अवधि 7 वर्ष है।

अननुकूल भू-उपयोगों को हटाने के लिए जो प्रक्रिया महायोजना में दी हुई है वह वर्तमान परिस्थितियों में लखनऊ विकास प्राधिकरण की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ न होने के कारण नहीं सम्भव हो पायी है। इस दिशा में प्रयास किया जा रहा है।

53—श्री मोहन सिंह—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

आलमबाग, लखनऊ की ड्रेनेज योजना

54—श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बतानें की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित आलमबाग के नगर महापालिका क्षेत्र में जहाँ जल भराव होता है वहाँ कोई ड्रेनेज की योजना है ? यदि हाँ, तो किस सन् में यह योजना बनी थी और लागू हो गई या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना—

लखनऊ स्थित आलमबाग के नगर महापालिका क्षेत्र में जल भराव दूर करने हेतु जल निगम की कोई ड्रेनेज योजना नहीं है। महापालिका के विचाराधीन है।

लखनऊ स्थित आलमबाग क्षेत्र के विकास की योजना

55—श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ के आलमबाग के विकास के लिए क्या कोई मास्टर प्लान तैयार किया गया था ? यदि हां, तो उस दिशा में अब तक क्या प्रगति की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना—

लखनऊ में आलमबाग क्षेत्र के लिए अलग से कोई मास्टर प्लान नहीं बनाया गया। जो मास्टर प्लान बनाया गया है वह पूरे लखनऊ शहर तथा इसके आस-पास के क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए बनाया गया है, जिसमें आलमबाग क्षेत्र भी सम्मिलित है।

अधिशासी अधिकारी नगरपालिका, संडीला, जिला हरदोई के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें

56—श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई की नगरपालिका, संडीला के अधिशासी अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में कितनी शिकायतें जून, 1980 से अब तक जिलाधिकारी, हरदोई एवं शासन को प्राप्त हुई ? जांच किस अधिकारी द्वारा करायी गयी तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राम सिंह खन्ना—

जून, 1980 से अब तक अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका संडीला, जनपद हरदोई के विरुद्ध भष्टाचार आदि के बारे में केवल एक आमरण अनशन सम्बन्धी तार प्राप्त हुआ था। इस मामले में प्रभारी अधिकारी नगरपालिका, संडीला की आख्या प्राप्त हुई थी जिसमें उन्होंने बताया अधिशासी अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध न होने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गई।

स्वास्थ्य अधिकारी, नगर पालिका सण्डीला, जिला हरदोई के विरुद्ध शिकायतें

*57--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जनपद हरदोई की नगरपालिका सण्डीला के वर्तमान स्वास्थ्य अधिकारी के भ्रष्टाचार एवं कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार करने आदि के कारण जनता एवं कर्मचारियों में असंतोष व्याप्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर उक्त अधिकारी को दंडित करेगी ?

श्री लोकपति--

मुख्य चिकित्सा अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार जनपद हरदोई की नगरपालिका संडीला के वर्तमान स्वास्थ्य अधिकारी के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है फिर भी इस बात की जांच की जा रही है कि परगनाधिकारी आदि के पास कोई शिकायत तो नहीं है ।

प्रश्नों के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

[12 बजकर 21 मिनट]

*श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, प्रश्नों के बारे में व्यवस्था चाहते हैं ।

श्री जशवंत सिंह विष्ट--

मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा का क्या विकल्प होगा, यह तो माननीय मंत्री जी ने बताया ही नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने तो आपको बोलने का मौका दिया था, आपने पूंछा ही नहीं तो मैं क्या कहूं ।

*श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, प्रश्नों के बारे में व्यवस्था का प्रश्न यह है कि कृपया आप अतारांकित प्रश्न संख्या 8 को देखें जिसको माननीय रियासत हुसैन साहब ने उठाया है और जो इस प्रकार है ।

"क्या स्वायत शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राम आसरे पासवान, एम0 एल0 ए0, बस्ती का अस्तबल यहियागंज, लखनऊ, के मकान संख्या 227/3 के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने हेतु दिनांक 24-6-80 को कोई पत्र मिला है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो क्यों ?"

---

*वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

(श्री मोहन सिंह--)

तो मान्यवर, यह प्रश्न हुआ था और उसमें मेरा भी नाम जोड़ दिया गया था । मान्यवर, जो अतारांकित प्रश्नों की सूची प्रकाशित हुयी थी उसमें प्रश्न नं0 53 जुड़ा है । उसमें मेरा प्रश्न था कि--

"क्या सरकार बतलाने का कष्ट करेगी कि मोहल्ला अस्तबल यहिया गंज, थाना चौक, लखनऊ के अंतर्गत कारपोरेशन की भूमि पर आम रास्ते में सोकपिट है तथा सोक पिट का अवैधानिक रूप से निर्माण करवा लिये जाने के विषय पर जनता द्वारा 20-5-80 से 6-7-80 तक नगर महापालिका, लखनऊ, की शिकायतें मिली हैं ? यदि हां, तो सरकार ने इसके संबंध में अभी तक क्या कार्यवाही की है ? क्या सरकार उन अवैधानिक कार्य को तुरन्त तुड़वाने का कष्ट करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?"

तो, मान्यवर, आप देखेंगे कि उपरोक्त दोनों विलोम प्रश्न हैं । लेकिन दोनों को एक में जोड़ दिया गया है ।

श्री उपाध्यक्ष--

ठीक है, मैं दोनों प्रश्नों की फाइल मंगवाये लेता हूं ज्ञात कर लूंगा । आपका अनुग्रह होगा यदि आप मेरे कक्ष के थोड़ा समय दे दें ।

श्री मोहन सिंह--

लेकिन, मान्यवर, इसमें विशेषाधिकार का प्रश्न है । स्वायत्त शासन मंत्रीजी ने गलत सूचना देकर हमारे अधिकारों का हनन किया है । मान्यवर, आपने अपनी पीठ से कहा है कि विपक्ष के अधिकारों की रक्षा की जायेगी ।

श्री उपाध्यक्ष--

मुझे गर्व है कि आपने महसूस किया कि मैंने आपके अधिकारों को माना । अब आप कृपया मेरे कक्ष में आने का कष्ट करें मुझे फाइल देखने का अवसर दें । मैं जरूर आपकी मदद करूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आगे चलता हूं ।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा हाई स्कूल की परीक्षा के लिए व्यक्तिगत परीक्षार्थियों की आयु सीमा बढ़ाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना [12 बजकर 24 मिनट]

श्री उपाध्यक्ष--

नियम 301 में 16 सूचनायें प्राप्त हुयी हैं जिनमें से केवल 5 स्वीकृत हुयी हैं और शेष सभी अस्वीकृत हो गयी हैं । पहली सूचना श्री ऊदल की है ।

श्री ऊदल--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की नियमावली द्वारा बालक एवं बालिका परीक्षार्थी को, जिनकी आयु परीक्षा वर्ष की एक जुलाई को 11 वर्ष या उससे ऊपर हो, व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में हाई स्कूल परीक्षा में बैठने की सुविधा प्राप्त थी बशर्ते वह म्युनिसिपल रिकार्ड से जन्मतिथि प्रमाण दे दें या नोटरी द्वारा हस्ताक्षरित हलफनामा दे दें । उसमें जूनियर हाई स्कूल

पास होने या किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से कक्षा 8 पास प्रमाण-पत्र अनिवार्य नहीं था ।

इस आधार पर अभी तक हाई स्कूल में व्यक्तिगत परीणार्थी हजारों की संख्या में निरंतर बैठते आ रहे थे । इस वर्ष बिना किसी पूर्व सूचना के 12 सितंबर को एकाएक सर्क्युलर द्वारा परिषद् ने 14 वर्ष की आयु सीमा को बढ़ाकर 25 वर्ष कर दिया 15 सितम्बर फार्म भरने की अंतिम तिथि होने के कारण फार्म भरने की प्रक्रिया, ट्रेजरी चलान से फीस जमा करने का काम पूरा हो गया केन्द्रों से फार्म अग्रसारित करा लिये हैं । व्यक्तिगत परीक्षार्थियों ने हलफनामे भी बनवाकर फार्म की आवश्यकताओं की पूर्तिकरा ली है, जिसमें काफी धन भी व्यय हो चुका है । एकाएक उन फार्मों को रोक दिया गया है, बच्चों की पढ़ाई, मेहनत, धन बरबाद हो गया है जिससे अभिभावकों में हाहाकार मचा हुआ है । विचित्र बात तो यह है कि शिक्षा मंत्री एक महिला हैं तब इस आज्ञा को निकालते समय बालिकाओं का विशेष ध्यान रखना अपेक्षित है और उन्होंने ध्यान नहीं रखा जबकि सब इस बात को जानते हैं कि हमारे देश में स्कूलों की बेहद कमी है, भर्ती के लिये बच्चों व अभिभावकों को मारे मारे फिरना होता है तथा सामाजिक, आर्थिक कारणों से लाखों लड़कियां स्कूल नहीं जा पाती । ऐसी अवस्था में अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक के काल में बजाय लड़कियों की सुविधा बढ़ाने को, जो सुविधा है उसे भी इस प्रकार नादिरशाही आज्ञा से समाप्त करना उनके भविष्य के साथ स्पष्ट अन्याय है और महिला-जगत के प्रगति पथ पर वज्रपात के समान है ।

एक तरफ सरकार दिन रात एलान करती है कि शिक्षा प्रसार की सुविधायें बढ़ाई जायेंगी और दूसरी ओर सुविधाओं को, जो हैं उन्हें भी समाप्त कर प्रगति पथ में अंधकार पथ बनाया जा रहा है । मैं उत्तर प्रदेश सरकार व शिक्षा मंत्री तथा शिक्षा विभाग के डायरेक्टर से मांग करता हूं कि इस अन्यायपूर्ण एवं असामाजिक आज्ञा को तत्काल रद्द करें तथा फार्म स्वीकार कर उन्हें परीक्षा में बैठने दिया जाय । इसलिये श्रीमन् जी की आज्ञा से मैं इस लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुये, श्रीमन् यह बड़ा महत्वपूर्ण है, इस पर श्रीमन् एक छोटा सा बयान दिलवा दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

आपकी बात हो गयी ।

श्री झा, प्रकाशक, 'लोक रस' (झांसी) द्वारा विधान भवन के सामने भूख हड़ताल के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री हरगोविन्द वर्मा—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से लोक महत्व का प्रश्न सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं । श्री झा, प्रकाशक, 'लोक रस', तीन चमनगंज, सियरी बाजार झांसी, उत्तर प्रदेश, आज 3 दिन से विधान भवन के सामने अनिश्चित काल की भूख हड़ताल पर हैं । पत्रकार के साथ झांसी की पुलिस ने अभद्र व्यवहार

*वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री हरगोविन्द वर्मा]

दिया तथा उनके यहां पड़ी डकैती की रपट को फाड़ कर फेंक दिया और उसको बलवा लिखकर अपराध को दबाना चाहा। पत्रकार के द्वारा जैसी जानकारी मिली कि पुलिस विरोधी पक्ष से मिलकर दबाना चाहती है। पत्रकार को झूठे मुकदमों में फंसाने की भी पेशकश पुलिस विरोधी पक्ष से मिलकर कर रही है। पत्रकार के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। दो माह से लखनऊ में आई० जी० पुलिस, मुख्य मन्त्री तथा अन्य अधिकारियों के दरवाजे की धूल छान रहे हैं परन्तु कहीं से उनको राहत नहीं मिली। आज मजबूर होकर भूख हड़ताल पर न्याय पाने के लिये बैठे हैं।

मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं और कहना चाहता हूं कि जब देश और समाज का सूरज (पत्रकार) ही संकट में होगा तो कहां से प्रकाश मिलेगा। अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि श्री झा के मामले को सहानुभूति पूर्वक विचार करके उनको न्याय दिलाने का काम करें जिससे कि समाज में बिगड़ती हुयी स्थिति को सम्हाला जा सके।

आजमगढ़ जनपद के अतरौलिया विधान सभाई क्षेत्र में बाढ़ से क्षति एवं उसके लिये सहायता की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री शम्भू नाथ सिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आजमगढ़ जनपद में अतिवृष्टि के कारण भयंकर बाढ़ से भयावह स्थिति उत्पन्न हो गयी है जिसमें जनता त्रस्त है। मेरा क्षेत्र अतरौलिया तहसील फूलपुर में पड़ता है। मेरे क्षेत्र में टोंस, छोटी सरजू, पिकिया, चिल्हिनी नदियां हैं। जो 8 किलोमीटर तक फैली हुई हैं तथा क्षेत्र में 17 तालाब भी हैं जो 400 ग्रामों को घेरे हुये हैं। इस समय अतिवृष्टि एवं जल प्लावन से सभी नदियां एवं ताल मिल कर एक हो गये हैं यह नदियां एवं ताल अतरौलियां काइलसा अतरौला ब्लाक में पड़ती हैं। यह सब एक मिल कर मेरे क्षेत्र को शमशान बना दिया है। मैं एवं परगना अधिकारी फूलपुर बाढ़ क्षेत्र का दौरा कर रहे थे तो अतरौलिया टाउन एरिया में हरिजन बस्ती, बुन कर बस्ती एवं केवट बस्तियों को देखा तो कच्चे मकान गिर रहे थे और बच्चे एवं घर के सभी स्त्री पुरुष रुदन कर रहे थे। इस तरह मेरे सम्पूर्ण क्षेत्र के 70 प्रतिशत कच्चे मकान गिर गये हैं। 80 प्रतिशत फसल जल में डूब जाने के कारण नष्ट हो गयी है जानवरों के चारे का पूर्णतयः अभाव होने के कारण जानवर भूख से तड़प रहे हैं। इसी प्रकार घिरे हुये लोगों का परिवार भी भूख की ज्वाला से पीड़ित हैं। शासन द्वारा जो सहायता दी जा रही है वह बहुत ही अपर्याप्त है।

मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि तत्काल पेट भरने के अन्न साधन तथा भोजन व दवा व जानवरों का चारा आर्थिक सहायता एवं मकान बनाने की व्यवस्था की जाय तथा जिनके मकान गिर गये हैं उनको ब्याज रहित ऋण की व्यवस्था की जाए। दैनिक प्रयोगों में आने वाली सामग्री एवं वित्तीय सहायता दी जाय। लगान एवं समस्त प्रकार की वसूली को स्थगित एवं माफ किया जाय। बच्चों की फीस माफ की जाय। सड़कें जो

*वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

टूट गई हैं उनकी शीघ्र मरम्मत कराई जाय। सदन की घोषणा के अनुसार राहत कार्यों म विधायकों को विश्वास म लिया जाय एवं आजमगढ़ जनपद को बाढ़ पीड़ित घोषित किया जाय और बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में मंत्रीगण दौरा करन का कष्ट करें ।

मथुरा में हरिजनों के लिये निर्मित गांधी छात्रावास में कुप्रबन्ध के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कन्हैया लाल--

मान्यवर, आज से लगभग 5 वर्ष पूर्व मथुरा जनपद में लगभग एक लाख रुपये की लागत से हरिजन छात्रों के लिये श्री गांधी छात्रावास का निर्माण हुआ था। आशा यह थी कि इस छात्रावास के द्वारा गरीब हरिजन छात्रों को आवास सुविधा मिलेगी एवं वे सुचारू रूप से अपनी अध्ययन कार्य कर पायेंगे। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस छात्रावास का कोई प्रबन्धक नहीं है एवं न ही कोई छात्रावास अधीक्षक ही है। रसोइया एवं परिचारक भी नहीं है। छात्रावास अब बजाय छात्रों के, असामाजिक तत्वों क अड्डा बन गया है। शिक्षा पाने वाले छात्र केवल नाम मात्र के रह गये हैं। असामाजिक तत्वों ने पूरे भवन पर आधिपत्य कर लिया है। जिससे यह भवन छात्रावास के बजाय जुआ, चोरी एवं अनाचार का अड्डा बन गया है। आये दिन वहां संगीन वारदातें होती हैं। अधिकतर सरकारी सामान जैसे कुर्सी, तखत इत्यादि इन तत्वों द्वारा चोरी कर लिया गया है। स्थानीय अधिकारियों की ताकत के बाहर हो गया है कि वे इस छात्रावास भवन को इन समाज विरोधी तत्वों से मुक्त करा कर विद्यार्थियों के उपयोग हेतु छात्रावास भवन को अपने अधिकार में ले सके और न केवल सरकारी धन एवं भवन का दुरुपयोग हो रहा है वरन सैकड़ों हरिजन छात्र सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधा से वंचित है एवं उनके जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है।

अतः आपके माध्यम से अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और आशा करता हूं कि शीघ्र ही सरकार इस ओर उचित कार्यवाही करे।

बलिया में छात्रों के शान्तिपूर्ण जुलूस पर पुलिस द्वारा फायरिंग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम गोविन्द--

मान्यवर, दिनांक 16-9-80 को बलिया शहर में हजारों की तादाद में लड़कों का शांतिपूर्वक जुलूस जा रहा था। इस जुलूस की एक ही मांग थी कि दिनांक 15-9-80 को जिस प्राइवेट मोटर गाड़ी से एक छात्र के एक्सीडेन्ट के कारण गम्भीर रूप से घायल हो गया था उस आदमी की गिरफ्तारी किया जाना ही एक मात्र मांग थी परन्तु पुलिस और पी० ए० सी० ने इस शांति पूर्वक जुलूस पर कचहरी और टाउन डिग्री कालेज के बीच में फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग से लगभग 60 छात्र तथा कुछ जिला नियोजन कार्यालय के कर्मचारी घायल हो गये जिसमें 10 की स्थिति गम्भीर है। इस दुर्घटना के कारण सारे बलिया शहर और विशेष तौर से छात्र वर्ग में रोष अविश्वास तथा असंतोष

*वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम गोविन्द]

की भावना उत्पन्न हो गयी है । अतः मैं लोक महत्व के इस अविलम्बनीय तथा निश्चित विषय की ओर नियम 301 के अन्तर्गत माननीय सदन के द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

मान्यवर, आज भी बलिया की सड़कें खून से लथपथ पड़ी हुई हैं और लड़कों को बुरी तरह से पीटा गया है....

श्री उपाध्यक्ष —

इसके बाद कुछ बोलने की प्रथा नहीं है । आप बिराजें । आप लिखेंगे तो मैं विचार करूंगा ।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ—

सदन अस्पष्ट है....

श्री उपाध्यक्ष—

सदन अस्पष्ट और सुचारू रूप से चल रहा है । आपको स्पष्ट नहीं नजर आता हो तो मैं क्या करूं ।

कतिपय विधान सभा सदस्यों की गिरफ्तारी एवं रिहाई की सूचनाएं [12 बजकर 36 मिनट पर]

श्री उपाध्यक्ष—

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की दोषसिद्धि और कारावास की सूचना सम्बन्धित अधिकारी से प्राप्त हुई:—

(1) श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ (बस्ती)

(2) श्री माता प्रसाद पाण्डेय (बस्ती)

उपर्युक्त माननीय सदस्यों की दोषसिद्धि और कारावास की सूचना इस सचिवालय द्वारा जारी किये गये बुलेटिन संख्या 13 द्वारा प्रसारित की जा चुकी है ।

कल दिनांक 17-9-80 को अलीगढ़ के दंगे पर सदन में चर्चा के समय श्री देश राज सिंह, आयुक्त, आगरा मंडल की उपस्थिति के सम्बन्ध में श्री उपाध्यक्ष का निर्णय

[12 बजकर 38 मिनट]

श्री उपाध्यक्ष—

अब मैं मद संख्या 4 को पहले न लेकर मद संख्या 5 को पहले लेता हूं । यह अधिकार मुझे प्राप्त है । मैं एजेन्डे में हेर-फेर कर सकता हूं और उसी अधिकार का प्रयोग करते हुये मैं मद संख्या 5 को पहले लेता हूं ।

मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जब तक यह कार्यवाही चलती रहे पक्ष या विपक्ष का कोई सदस्य उसमें गतिरोध उत्पन्न न करे । मैं

पहले रिपोर्ट को पढ़ूंगा। कल मैंने माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त को अपने चैंबर में बुलाया था कि वे कुछ बातें मुझे बतायेंगे। उन्होंने मेरा अनुरोध स्वीकार किया और कृपा पूर्वक उन्होंने मुझे समय दिया और बात की। रिपोर्ट भी मैंने अपने अधिकारियों की देखी और उनकी बात भी सुनी। मैं जरूरी समझता हूं कि इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद वे अपनी बात सदन में रख दें और उसके बाद मैं अपनी फाइंडिंग सदन के सामने उपस्थित करूंगा।

आज दिनांक 17-9-80 को जब कि सदन में कार्य सूची के मद संख्या 16 अलीगढ़ में श्री पवन कुमार पत्रकार की गिरफ्तारी एवं 8 सितम्बर, 1980 का हुये दंगे--"पर दो घन्टे की चर्चा चल रही थी, लगभग 2 बजकर पन्द्रह मिनट पर माननीय सदस्य श्री मोहन सिंह (देवरिया) ने माननीय अधिष्ठाता का ध्यान प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 305 की ओर आकर्षित करते हुये एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि राज्यपाल दीर्घा में एक अजनबी व्यक्ति बिना किसी प्रवेश पत्र के बैठा हुआ है, यह सदन का अपमान है और माननीय अध्यक्ष की मर्यादा के प्रतिकूल है। माननीय सदस्य श्री मोहनसिंह ने यह भी कहा कि जैसे ही मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया उक्त अजनबी व्यक्ति, जो घुंघराले बाल, लम्बे और गठीले बदन का था, पेंट एवं बुशर्ट पहने हुये था, उक्त दीर्घा से माननीय संसदीय कार्य मंत्री के संकेत पर उठकर बाहर चला गया। माननीय सदस्य ने यह मांग की कि वह व्यक्ति सम्भवतः आगरा मंडल के आयुक्त श्री देश राज सिंह थे, जिनके विरुद्ध कार्यवाही चल रही है तथा साथ ही यह भी मांग की कि उक्त व्यक्ति को गिरफ्तार कर सदन के परिसर में अवैध प्रवेश हेतु इस सदन द्वारा आवश्यक दंड दिलाया जाय, जिस पर माननीय उपाध्यक्ष के अदेशानुसार मार्शल को उक्त घटना की बाबत जांच कर वस्तु-स्थिति से अवगत कराये जाने का निर्देश दिया गया।

इस सम्बन्ध में जांच करने पर ज्ञात हुआ कि श्री देशराज सिंह, आयुक्त आगरा मंडल, उक्त दीर्घा में उक्त समय शासन के विशेष सचिव (गृह विभाग) की बगल में बैठे हुए थे एवं जैसे ही माननीय सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया वे उक्त दीर्घा से निकल कर बाहर चले गये। इस सम्बन्ध में यह सूचनार्थ है कि इस सचिवालय की ओर से श्री देशराज सिंह के नाम से कोई प्रवेश-पत्र पदाधिकारी दीर्घा के लिए नहीं जारी किया गया है। श्री राज्यपाल सचिवालय द्वारा प्राप्त सूचना (संलग्न) के अनुसार श्री देशराज सिंह के नाम से राज्यपाल दीर्घा का एक प्रवेश-पत्र आज दिनांक 17-9-80 के लिए जारी हुआ है।

श्री मोहन सिंह--

कितने बजे जारी हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष---

मैंने कहा था कि बीच में टोकेंगे नहीं। समय के बाबत जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि उक्त पास दो बजे अपराह्न जारी किया गया।

माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त, अब आप दो मिनट कुछ कहना चाहें, तो कह सकते हैं।

---

†छपी नहीं है।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर जो आपत्ति उठाई गयी थी वह यह थी कि एक अजनबी कैसे इस परिसर में, जो कि आपके द्वारा नियंत्रित है, आ गया । आपने जानकारी दी कि दो बजे राज्यपाल दीर्घा का पास उनको वहां से जारी किया गया । आपकी जानकारी मे सही मान लेता हूं । मैं 1.35 मिनट पर बोलने के लिए खड़ा हुआ । जो यह रिकार्ड है उसके अनुसार 2.1 मिनट, (दो बजकर एक मिनट) पर माननीय रियासत हुसैन ने बोलना शुरू किया जब मैं बोल रहा था आप भी यहां विराजमान थे । जब मोहन सिंह जी ने नाम लिया वह सज्जन तब भी मौजूद थे, जब माननीय रियासत हुसैन बोल रहे थे तब भी वह विराजमान थे । पहले मैं उनको नहीं जानता था जब मोहन सिंह जी ने बताया, तब मालूम हुआ । अगर दो बजे पास बना तो यहां पहुंचने में पांच सात मिनट लगेंगे । पास बनने से पहले ही वह यहां विराजमान थे ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर थोड़ी देर के लिए मान लिया जाय कि पास नहीं था या कहीं रखे हुए थे तो भी बिना पास के वह यहां आ सकते थे । मैं दूसरी बात सिद्ध करना चाहता हूं कि अगर पास नहीं था और आपत्ति उठाई गयी और माननीय अम्मार रिजवी साहब के संकेत पर वह चले गये, घड़ाहट में चले गये और पास मिल गया था तो दुबारा उनको वापस आ जाना चाहिये था । तो इस बात से सिद्ध होता है कि उनके पास, पास नहीं था । मैं आपको एक उदाहरण देता हूं जो आपके द्वारा जारी करण हैं उसके क्रम संख्या 159 में लिखा हुआ है--सचिव, उप-सचिव या अन्य सरकारी अधिकारियों, जिनकी सदन में मंत्रियों की सहायता देने के लिए आवश्यकता होती है, उन दीर्घाओं में बैठ सकेंगे जो उनके लिए सुरक्षित हैं, तो यह बात हमने मान ली ।

अब मैं जानता हूं कि इस में अन्य अधिकारियों में उन का नाम आ सकता है । अगर ऐसा है तो फिर उनको बुलाया किसने था । किसी ने बुलाया जरूर होगा । क्या उसकी जानकारी आपने कर ली है । मेरी सुनिश्चित जानकारी है कि उनको किसी ने बुलाया नहीं था । वे अपनी स्टाफ कार पर आये और कार खड़ी कर सीधे सदन में आ गये । इससे इस बात की पुष्टि हो जायेगी कि कार को लखनऊ आने में रास्ते में पुल पड़ते हैं उसमें नम्बर नोट होगा । तो उससे मालूम हो जायेगा । राज्यपाल दीर्घा का भी रिक्वीजिशन भेजा होगा तो वह चिट्ठी किसने दी । उसको लेकर चपरासी गया होगा या माननीय देशराज सिंह स्वतः गये होंगे तो उसका भी रिकार्ड होगा । पास जो जारी होते हैं उसके लिए माननीय सदस्य जारी करा सकते हैं । राज्यपाल की दीर्घा के सम्बन्ध में आप करण के क्रम संख्या 160 देखने की कृपा करें--राज्यपाल एवं पदाधिकारी दीर्घा की प्रथम पंक्ति गवर्नमेंट हाऊस के मेहमानों के हेतु जब वे विधान सभा की कार्यवाही देखने आयेंगे, सुरक्षित रहेगी । मान्यवर, वह प्रथम पंक्ति में विराजमान थे तो इसका मतलब है कि वह राज्यपाल दीर्घा का पास लेकर उनका मेहमान बन कर आये । अगर करण संख्या 159 के अनुसार उनको बुलाया गया था सरकारी काम की वजह से, तो उनको पास लेने की कोई जरूरत नहीं थी ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं जरा आपको टोकूं आपने जिस करण का हवाला दिया है, उस सन्दर्भ में, यह भी है कि राज्यपाल स्वतः भी किसी को पास दे सकते हैं, यह भी उसमें है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

यह भी ठीक है और आपने तो इससे मेरे केस को और मजबूत कर दिया। सवाल यह है कि राज्यपाल को इल्हाम कैसे हुआ कि यह आने वाले हैं। हम राज्यपाल पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनको जानकारी कैसे मिल गई कि हम उनको मेहमान बुलाकर बैठालेंगे।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप विराजें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

सिर्फ एक मिनट और दे दें, बहुत महत्वपूर्ण हमारा रह गया है।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप हमारी बात मानें और बैठ जाएं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मैं एक मिनट के अतिरिक्त दूसरा मिनट नहीं लूंगा, यदि ऐसा करूंगा तो आप कहें। लेकिन एक मिनट की अनुमति दे दें। मैं यह बात कहना चाहता हूं कि अगर वह शासन की सहायता के लिए बुलाए गये थे तो उनको किसी पास की जरूरत भी नहीं थी, वह नियमानुसार दूसरी और तीसरी पंक्ति में बैठ सकते हैं। इसलिए उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया और अपने व शासन द्वारा हमको प्रभावित करने का प्रयास किया।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने मार्शल की रिपोर्ट पढ़ी। मैंने, राज्यपाल महोदय के यहां से जो पूछ-ताछ हुई, उसको भी देखा। माननीय सदस्य ने जो स्थिति स्पष्ट की और जिन धाराओं को मेरे सामने रखा, मैंने उनको भी सुना। उन्होंने जो समय की बात सामने रखी, उसकी बात को भी सुना। हर चीज को बहुत ध्यान से सुनने के बाद एक बात का उत्तर मुझको नहीं मिल रहा है। वह यह है कि अगर यह बात ठीक ही है कि प्रवेश-पत्र देशराज सिंह के पास था--जो महामहिम के यहां से जारी हो सकता था तो क्या जो बहस यहां हो रही थी, उसमें उस समय उनको यहां बैठना चाहिए था? नं0 1, दूसरी बात यह कि ऐसा लगता है कि उनके मन ने ऐसा कहा होगा कि उनको नहीं बैठना चाहिए था और इसलिए वह यहां से गये। अगर उनके पास प्रवेश-पत्र था उस समय तो, वह अपने संसदीय कार्य मंत्री के जरिये या किसी अन्य के जरिये यह कहलवा सकते थे कि मेरे पास, प्रवेश-पत्र है। जब प्रश्न उठा वह तत्काल उत्तर दे सकते थे।

इन सब हालात को सामने रखते हुए, उनके उस कार्य-कलाप से सदन के कार्य में व्यवधान पैदा हुआ, यह बात मानना पड़ेगा। सदन के कार्य में व्यवधान उपस्थित करना किसी अधिकारी के लिए, जब उसके बारे में चर्चा हो रही हो, कतई उचित नहीं है। उसका एक सामान्य नियम है। जब किसी के बारे में कोई

[श्री उपाध्यक्ष]

चर्चा होती है, और वह किसी कमेटी का मेम्बर भी होता है तो वह उसमें से उठ जाता है। वहां बैठना यह नामुनासिब बात है और उनके इस नामुनासिब कार्य को क्योंकि मेरा मन इस बात को मानता है कि वह जरूर बैठे रहे, उनके प्रवेश-पत्र समय चाहे जो कुछ भी दिया गया हो उनके पास के अन्दर, लेकिन जहां माननीय सदस्यों की यह राय है वह इसके पहले से थे, उसको एक दम से नजरअन्दाज नहीं किया जा सकता है। अतः मैं शासन से अपेक्षा करता हूं कि वह एसे अधिकारी के खिलाफ जरूर कार्यवाही करेगा।

(विरोध पक्ष की ओर से जोरों से मेजें थपथपाई गई।)

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मैं अब एक बात....

श्री उपाध्यक्ष--

अब कुछ नहीं, आप बैठें। (व्यवधान)

श्री मोहन सिंह--

केवल आप इसे सीधे अब शिरोधार्य कर लें।

श्री अम्मार रिजवी--

मुझे कहने तो दें।

श्री उपाध्यक्ष--

अगर आप शिरोधार्य कर रहे हों तो खड़े होकर कह सकते हैं।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, जो आपका आदेश है, वह शिरोधार्य है। उसमें कुछ कहने की गुंजाइश नहीं है। मैं केवल एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

मेरे निर्णय के बाद कोई स्पष्टीकरण नहीं होता है।

श्री राम आसरे वर्मा--

अगर माननीय संसदीय कार्य मंत्री...।

श्री उपाध्यक्ष--

आप कृपया बैठें।

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

[12 बज कर 51 मिनट]

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री ने संसदीय कार्य मंत्री, श्री अम्मार रिजवी के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

दी थी वह अभी जो मामला निपटाया गया है उसी से सम्बन्धित है लेकिन इसके अतिरिक्त यह नियमानुसार भी नहीं है । इसलिए इसे मंजूर करने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैं इसको वापस ले लेता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

अब इसकी आवश्यकता नहीं है फिर भी प्रसन्नता की बात है कि आपने इसे वापस ले लिया है ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मान्यवर, मेरा भी एक विशेषाधिकार का प्रश्न माननीय कृषि मंत्री जी के विरुद्ध था, उस पर क्या हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष--

उस पर जांच चल रही है । जब जांच पूरी हो जायेगी, तब आपको बता दिया जायेगा ।

मोदी नगर में मजदूरों द्वारा हड़ताल किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य

[12 बजकर 52 मिनट पर]

श्रम मंत्री (श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित)--

मेसर्स मोदी स्पिनिंग ऐण्ड वीविंग मिल्स कम्पनी लि0, मोदीनगर (जिला गाजियाबाद) में लगभग 13,000 व्यक्ति नियोजित हैं । प्रतिष्ठान में श्रमिकों की दो यूनियनें कार्यरत हैं । आई0 एन0 टी0 यू0 सी0 से सम्बद्ध-मोदी स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल कर्मचारी यूनियन पुरानी यूनियन है, जिसके साथ वर्ष 1978 के पूर्वार्ध तक सारे समझौते होते रहे हैं । अगस्त, 1978 में प्रतिष्ठान में एक अन्य यूनियन कपड़ा मिल मजदूर यूनियन, मोदी नगर का गठन हुआ, जो बाद में हिन्द मजदूर सभा से सम्बद्ध हो गयी ।

उक्त कपड़ा मिल मजदूर यूनियन ने गठन के पश्चात् वेतन में वृद्धि की मांग को लेकर आन्दोलन आरम्भ किया, जिस पर तत्कालीन श्रम मंत्री के हस्तक्षेप के फलस्वरूप हर श्रमिक के वेतन में 15-1-1979 से 15 रुपये की अन्तरिम वृद्धि की गयी । वेतन वृद्धि का मामला पूर्णतः न सुलझ सका और श्रमिक अशान्ति बढ़ती गयी और अन्ततोगत्वा यह मामला तत्कालीन उप प्रधान मंत्री एवं वित्त मंत्री चौधरी चरण सिंह को पंचनिर्णय के लिये दिया गया, जिनके निर्णय दिनांक 11-7-1979 को संयुक्त प्रान्त औद्योगिक झगड़ों का ऐक्ट, 1947 की धारा-3 के अन्तर्गत 17 सितम्बर, 1979 के शासनादेश द्वारा लागू किया गया । इस निर्णय के अन्तर्गत श्रमिकों को 50 रुपया प्रतिमास की वेतन वृद्धि दी गयी तथा 15 रुपया प्रतिमास के अतिरिक्त वृद्धि उस समय से देय थी जब कि प्रतिष्ठान का उत्पादन दिसम्बर, 1978 के उत्पादन स्तर पर पहुंच जाय । सेवायोजकों ने यह 15 रुपये की वृद्धि इस आधार पर नहीं दी कि उत्पादन स्तर दिसम्बर, 1978 के स्तर पर नहीं पहुंचा था ।

[श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित—]

उत्पादन के स्तर के सम्बन्ध में श्रम विभाग द्वारा जांच पड़ताल की जा रही थी कि इस बीच कपड़ा मिल मजदूर यूनियन ने 1978-79 के लिये 20 प्रतिशत की दर से बोनस भुगतान की मांग उठा दी । सेवायोजकों द्वारा प्रस्तुत बोनस गणना के अनुसार श्रमिकों को उक्त वर्ष का न्यूनतम बोनस 8·33 प्रतिशत की दर से देय था । सेवायोजकों का यह भी सुझाव था कि बोनस के मामले को पंचनिर्णय के लिए सौंप दिया जाय कि जैसा गत वर्षों में होता रहा है, परन्तु उक्त यूनियन इससे सहमत नहीं थी और वह 20 प्रतिशत के हिसाब से ही बोनस भुगतान करने पर बल देती रही । बाद में यूनियन इस बात पर तैयार हो गयी कि बोनस के मामले पर श्रीमती इन्दिरा गांधी, प्रधान मंत्री अथवा चौधरी चरण सिंह द्वारा पंचनिर्णय कराया जाय, जब कि सेवायोजक इस मामले पर श्रमायुक्त अथवा प्रदेश सरकार के किसी अधिकृत व्यक्ति द्वारा पंच निणय कराने के पक्ष में थे । इस मामले में अतिरिक्त श्रमायुक्त (औद्योगिक सम्बन्ध) तथा श्रमायुक्त ने भी हस्तक्षेप किया, परन्तु वे भी सफल नहीं हो सके । इस प्रश्न पर गतिरोध हो जाने के कारण प्रतिष्ठान में श्रमिक अशान्ति की स्थिति तथा तनाव का वातावरण उत्पन्न हो गया । सेवायोजकों ने 8·33 प्रतिशत की दर से बोनस भुगतान की घोषणा कर दी । चूंकि इस विषय पर दोनों पक्षों में गम्भीर विवाद उत्पन्न हो गया, अतः वर्ष 1978-79 के अतिरिक्त बोनस के विवाद को राजाज्ञा दिनांक 1-5-80 द्वारा अभिनिर्णय के लिये औद्योगिक न्यायाधिकरण (पंचम), मेरठ को प्रेषित कर दिया गया ।

कपड़ा मिल मजदूर यूनियन ने श्रमिकों में अपनी प्रभाव बनाये रखने तथा सेवायोजकों पर दबाव डालने के उद्देश्य से अपनी गतिविधियां तेज कीं, जिसके फलस्वरूप प्रतिष्ठान में श्रमिकों द्वारा अनुशासनहीनता, काम बन्दी, घेराव, कम उत्पादन तथा मारपीट की घटनायें होने लगीं ।

कपड़ा मिल मजदूर यूनियन ने दिनांक 12-13 मई, 1980 को हड़ताल के मुद्दे पर मतदान आयोजित किया, जो हड़ताल करने के पक्ष में रहा । अतः कपड़ा मिल मजदूर यूनियन ने दिनांक 15-5-1980 को सेवायोजकों को एक 26 सूत्रीय मांग-पत्र प्रस्तुत करते हुये नोटिस दिया कि यदि उनकी मांगें स्वीकार नहीं कीं गई तो वे दिनांक 31-5-1980 से हड़ताल करेंगे । मुख्य मांगें निलम्बित श्रमिकों की बहाली, चौधरी चरण सिंह एवार्ड के अनुसार सब श्रमिकों को 15 रुपये प्रतिमास जो वेतन वृद्धि दिया जाना आदि थी । उक्त मांग-पत्र में 20 प्रतिशत की दर से बोनस भुगतान की पूर्व प्रमुख मांग की उल्लेख नहीं किया गया है, क्योंकि उसी के अभिनिर्णय में भेजने के आदेश पहले ही हो चुके थे । हड़ताल नोटिस प्राप्त होने के बाद उप श्रमायुक्त, मेरठ ने समझौता वार्ता करायी, परन्तु पक्षों के हठ के कारण कोई समझौता न हो सकी और अन्ततोगत्वा अपने पूर्व नोटिस के अनुसार श्रमिकों ने दिनांक 31-5-80 को हड़ताल आरम्भ कर दी । चूंकि उक्त हड़ताल मांग पत्र दिनांक 15-5-80 पर नियम-4 के अन्तर्गत संराधन कार्यवाही के दौरान की गई, अतः यह अवैधानिक है । इसके उत्तर में सेवायोजकों ने दिनांक 31-5-80 को ही अपराह्न 3 बजे से प्रतिष्ठान में तालाबन्दी घोषित कर दी । हड़ताल एवं तालाबन्दी के पूर्व प्रतिष्ठान के जिन 537 श्रमिकों को अनुशासनहीनता एवं हिंसा आदि के आरोप में निलम्बित किया गया था, उनकी सेवायें घरेलू जांच के पश्चात् समाप्त कर दी गयी ।

श्रम विभाग द्वारा दोनों पक्षों में समझौता कराने के कई प्रयास किये गये परन्तु दोनों पक्षों से अपने-अपने बातों पर दृढ़ रहने के कारण कोई समझौता

नहीं हो सका। समझौते के प्रयासों के फलस्वरूप सेवायोजकों ने तालाबन्दी दिनांक 29-7-80 से उठा ली। तालाबन्दी उठाये जाने के बाद श्रमिक कार्य पर उपस्थित होने लगे और धीरे-धीरे उनकी उपस्थिति में सुधार होता गया। इस प्रकार 17 अगस्त, 1980 को श्रमिकों की उपस्थिति लगभग 4300 तक पहुंच गयी थी, परन्तु दिनांक 18-8-1980 को प्रातः कपड़ा मिल मजदूर यूनियन के कुछ सक्रिय समर्थकों ने, जिसमें मुख्यतः निष्कासित श्रमिक थे, काम पर आने वाले श्रमिकों को कर्मचारी गेट' पर रोका, जिसके फलस्वरूप दोनों पक्षों में हाथा-पाई व मारपीट हो गई। मारपीट मिल गेट पर ही सीमित नहीं रही, बल्कि उसके बाद गांवों में, श्रमिकों की कालोनी आदि में भी होने लगी। आतंक इस हद तक फैला कि काम पर जाने के इच्छुक श्रमिक अपनी कालोनी के मकानों को छोड़कर भाग गये हैं। इस मारपीट एवं हिंसात्मक तथा आतंक फैलाने की कार्यवाही में निकाले गये श्रमिकों तथा उनकी परिवार की स्त्रियों ने विशेष रूप से सक्रिय भाग लिया और कार्य पर जाने वाले श्रमिकों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न किया, जिसके कारण भारी संख्या में गिरफ्तारियां की गयी। इस झगड़े-फसाद के कारण श्रमिकों की उपस्थिति की संख्या में काफी कमी आई, जो घटकर 2209 तक पहुंच गयी थी। अब श्रमिकों की उपस्थिति में पुनः सुधार हो रहा है।

प्रतिष्ठान की वर्तमान अशान्ति को समाप्त करने तथा समस्याओं का हल निकालने के विचार से दिनांक 29-8-1980 को मोदी स्पिनिंग ऐण्ड वीविंग मिल्स कं0 लि0, मोदीनगर के सेवायोजकों तथा मोदी स्पिनिंग ऐण्ड वीविंग मिल कर्मचारी यूनियन (आई0 एन0 टी0 यू0-सी0) के प्रतिनिधियों के बीच मेरे तथा राज्य मंत्री, श्रम के समक्ष विस्तृत विचार विमर्श हुआ, जिसमें मोदी नगर क्षेत्र के विधायक आदि भी उपस्थित थे। इस सम्बन्ध में दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों में विस्तृत विचार-विमर्श के उपरान्त निम्नलिखित आपसी सहमति हुई :

1--वर्ष 1978-79 के बोनस का मामला माननीय मुख्य मंत्री जी के निर्णय के लिये सौंप दिया जाय उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।

2--जो श्रमिक निष्कासित किये गये हैं, उनके मामले सेवायोजकों एवं कर्मचारी यूनियन (इंटक) के प्रतिनिधियों की एक द्विपक्षीय समिति द्वारा स्क्रीन किये जायेंगे और जो मामले विवादित रह जायेंगे उन्हें माननीय मुख्य मंत्री जी के निर्णय पर छोड़ दिया जायेगा।

3--15 रु0 प्रतिमास की वेतन वृद्धि जो उत्पादन से सम्बद्ध है, का विषय श्री माननीय मुख्य मंत्री जी के निर्णय के लिये सौंप दिया जाय।

4--वेतन कटौती का प्रश्न भी मुख्य मन्त्री जी के निर्णय के लिये सौंप दिया जाय।

माननीय मुख्य मन्त्री जी ने सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचारोपरान्त दो बिन्दुओं पर अपना निर्णय उसी दिन अर्थात्, दिनांक 29 सितम्बर, 1980 को दे दिया, जो निम्नवत् है--

1--प्रतिष्ठान के श्रमिकों को, दिनांक 1 सितम्बर, 1980 से 15 रुपये प्रति मास की तदर्थ वृद्धि इस शर्त के साथ देय होगी कि वे

[श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित--]

30 नवम्बर, 1980 तक दिसम्बर, 1979 के उत्पादन का स्तर प्राप्त कर लें।

2--अप्रैल तथा मई, 1980 में उत्पन्न कारणों के फलस्वरूप वेतन भुगतान अधिनियम के अन्तर्गत श्रमिकों के वेतन से दन्डात्मक रीति से की गई 8 दिन के वेतन की कटौती निरस्त कर दी गई है। उपर्युक्त काटी गई धनराशि श्रमिकों को वापिस कर दी जायेगी।

उपर्युक्त समझौते के अन्तर्गत माननीय मुख्य मन्त्री जी द्वारा दिये गये निर्णय का प्रतिपालन सेवायोजकों द्वारा कर दिया गया है। निष्कासित श्रमिकों के मामलों को स्क्रीन करने हेतु समझौते के अनुसार एक द्विपक्षीय समिति का गठन कर दिया गया है। द्विपक्षीय जांच समिति की छान-बीन के आधार पर 437 निकाले गये कर्मचारियों में से 230 कर्मचारियों को काम पर वापस लेने योग्य ठहराया गया है और उनके सम्बन्ध में सेवायोजकों ने दिनांक 9 सितम्बर, 1980 को नोटिस भी लगा दिया है, शेष 207 कर्मचारियों के सम्बन्ध में उपर्युक्त द्विपक्षीय समिति आगे विचार कर रही है।

जिलाधिकारी, गाजियाबाद से प्राप्त रिपोर्ट से ज्ञात हुआ है कि दिनांक 29 अगस्त, 1980 को धारा 147/148/149/307/323 भारतीय दन्ड विधान के अधीन वादी श्री भरत सिंह (एच0 एम0 एस0) ने रोबिन आदि 15 नामजद अभियुक्तों व बहुत से अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध मामला पंजीकृत कराया। इस अपराध का घटनास्थल जिला मेरठ के थाना परतापुर के क्षेत्र में है। एक मजदूर राजेन्द्र की अस्पताल में मृत्यु हो जाने के कारण उक्त मामले में धारा 302 भारतीय दन्ड विधान और बढ़ायी गई। थाना परतापुर की पुलिस द्वारा 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। मामले की विवेचना जारी है।

ज्ञात हुआ है कि उपर्युक्त समझौते, दिनांक 29 अगस्त, 1980 के पश्चात् कपड़ा मिल मजदूर यूनियन के समर्थकों द्वारा मारपीट एवं हिंसा आदि की कार्यवाहियां तेज कर दी गयी हैं। प्रायः दोनों यूनियनों के समर्थकों के बीच हिंसा की घटनाओं की रिपोर्टें थानों में दर्ज करायी जाती हैं।

दिनांक 8 व 9 सितम्बर, 1980 को मैंने कपड़ा मिल मजदूर यूनियन के अध्यक्ष, श्री जय प्रकाश तथा मन्त्री श्री आशा राम त्यागी को बुलाकर अपने कार्यालय में विचार-विमर्श किया। आशा थी कि अपने उच्च स्तरीय नेताओं के द्वारा दिये गये आश्वासनों के अनुसार वे सभी विवादग्रस्त मामलों को पंचनिर्णय पर छोड़ने के लिये तैयार हो जायेंगे। परन्तु उपर्युक्त दोनों श्रमिक नेता 437 निष्कासित कर्मचारियों के मामले को किसी के पंचनिर्णय पर छोड़ने को तैयार नहीं हुये तथा उन्होंने कहा कि सभी निकाले गये कर्मचारियों को बिना शर्त काम पर वापस ले लिया जाना चाहिये। दिनांक 17 सितम्बर, 1980 को श्री सुरेन्द्र मोहन, एम0 पी0 तथा श्री वीरेश्वर त्यागी के साथ कपड़ा मिल मजदूर यूनियन के मन्त्री श्री आशा राम त्यागी मुझ से यू0 पी0 भवन, नई दिल्ली में मिले और उन्होंने कहा कि वे अन्य मांगों के साथ मिल से निकाले गये मजदूरों का मामला भी माननीय मुख्य मन्त्री जी के पंचनिर्णय में देने को तैयार हैं। इस सम्बन्ध में सेवायोजकों की भी सहमति चाहिये, जिसके विषय में वे आवश्यक प्रयास में संलग्न हैं।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, यह एक बहुत ही गम्भीर मामला है । मान्यवर, जब मैं खड़ा हो गया था तो आपको बैठ जाना चाहिए था ।

श्री उपाध्यक्ष—

नहीं जब मैं खड़ा हुआ हूं तो आपको बैठ जाना चाहिए ।

श्री राम आसरे वर्मा—

यह मान्यवर, बड़ा ही अहम मामला है, आप इस पर बहस जरूर करावें कम से कम दो घंटे की ।

श्री उपाध्यक्ष—

पहले मेरी बात सुन लें । आप लोग बिना मेरी इजाजत के बोल रहे हैं । जबकि नियम यह है कि ऐसे वक्तव्य के बाद कोई प्रश्न पूछने की नहीं होती । परन्तु विशेष परिस्थिति में मुझको यह अधिकार है कि इस पर 1–2 प्रश्न करने की इजाजत हम दे दें और आप लोगों की भावनाओं को ही देखते हुए प्रश्न करने की इजाजत दिये देता हूं । (शोर)

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, 15 सौ मजदूर जेल के अन्दर हैं और इस समय यह बड़ा गम्भीर मसला उठ खड़ा हुआ है और यदि आप इस पर सदन में चर्चा करने की इजाजत नहीं देते तो (व्यवधान) ।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने अपने वक्तव्य के अंतिम लाइनों में कहा, कि यू० पी० निवास में यूनियन मन्त्री से बात हुयी तो उस यू० पी० निवास की बात को छिपाते हुये कहा कि उनके मैनेजमेंट से भी बात करनी है, तो माननीय मन्त्री जी क्या यह आश्वासन देंगे कि 1–2 दिन में मैनेजमेंट से बात करने के बाद अंतिम निर्णय जो यू० पी० निवास में हुआ, उसके आधार पर मामले को निपटा देंगे ? अगर ऐसी स्थिति में नहीं हैं तो क्या इतने बड़े अहम मसले पर जो 120 दिन से हड़ताल चली आ रही है, आप इस पर सदन में दो घंटे की चर्चा करायेंगे ?

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, मैं एक बात यह कहना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

रियासत साहब ने जो बात उठायी है, उसका उत्तर तो आ जाने दें ।

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित—

मान्यवर, यह बात सही है, जहां तक उत्पादन का प्रश्न है और जहां तक मजदूरों के जनजीवन और आन्दोलन का सवाल है । हम उनके विरुद्ध नहीं हैं, हम आशा करते हैं कि सदन यदि रचनात्मक ढंग से हमारा साथ देगा और सहयोग करेगा । आप लोग स्वयं ही देख लीजिए कि यदि मैं स्वयं श्रमिकों के कल्याण का इच्छुक न होता तो मैं क्यों 15 तारीख की रात को श्री सुरेन्द्र मोहन सिंह जी के घर जाता ।

श्री मोहन सिंह—

बहुत खूब ।

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित—

मैं केवल सूचना के तौर पर बता यह रहा हूं । उसके बाद भी श्री मोहन सिंह जी, मैंने उन लोगों में जाकर बात-चीत की । कल 17 तारीख थी और आज 18 तारीख है । मुझे आज आपने यहां बुला लिया और आज मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूं, ऐसी स्थिति में बताइये मैं 17 तारीख को प्रारम्भ की गई बातों को कैसे पूरा कर सकता था । इसलिए नहीं कि मैं इस मामले में इन्ट्रेस्ट नहीं लेना चाहता इसलिए यह कहना उचित न होगा कि वे विवाद के हल करने में रूचि नहीं लेना चाहते । मेरा तो यह धर्म है और कर्त्तव्य है कि जो भी काम आपने हमारे सुपुर्द किया है, उसको करेंगे उसे सदा मैंने पूरी निष्ठा से किया है और करूंगा ।

श्री राम आसरे वर्मा—

यों तो मेरी मांग थी श्रीमन्, की यह इतना अहम मसला है कि 15 सौ मजदूर जेल में पड़े हुये हैं, 657 मजदूर, 345 महिलायें, 315 बालक जेल में हैं । खुद मन्त्री जी ने स्वीकार किया है कि 447 लोग नौकरी से निकाले जा चुके हैं । तो मान्यवर, यह इतना अहम मसला है कि इस पर कम से कम 2 घंटे की चर्चा सदन में करने की अनुमति देनी चाहिये । जहां तक प्रश्न का ताल्लुक है मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जो मजदूर निकाले गये हैं, उनको बहाल करने, जेल में बन्द मजदूरों को रिहा करने और जो उनकी 5 सौ रुपये की अन्तरिम वेतन की मांग है उसके बारे में क्या कठिनाई है ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित—

कल ही वहां के श्री सुरेन्द्र मोहन एवं आशा राम त्यागी स्थिति पर काबू पाने के लिये मजदूर यूनियन से प्रस्ताव पास कराकर मामले को मुख्य मन्त्री जी के पास पंच निर्णय के लिये देने का निश्चय किया है । पंच निर्णय का दायित्व मुख्य मन्त्री जी तभी स्वीकार करेंगे जब दूसरा पक्ष भी सहमत हो जाय । मेरे मित्र के प्रश्न का उत्तर यही है । जो हड़ताल का नेतृत्व कर रहे हैं उन्होंने विवाद मुख्य मन्त्री के पंच निर्णय पर छोड़ दिया है इसका उत्तर यही है । जब मजदूर यूनियन स्वयं विवाद को हल करने में दिलचस्पी ले रही है और उसने उसके निपटारे का भार हमारे मुख्य मन्त्री पर छोड़ा है तो मैं चाहूंगा कि इस सदन में ऐसी चर्चा न हो, जिससे उभय पक्षों के आपस के बात-चीत पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े ।

श्री मोहन सिंह—

माननीय मन्त्री जी ने अपने वक्तव्य के शुरू के अंश में कहा है कि आई० एन० टी० की यूनियन पुरानी है यह पुराने मजदूर नेता हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि जब किसी यूनियन द्वारा हड़ताल या आन्दोलन होता है, जिसके प्रतिनिधि द्वारा हड़ताल की नोटिस होती है, मिल मालिक को कायदे से उससे बात करनी चाहिये । एच०एम०एस० के 13 हजार मजदूर 4 महीने से आन्दोलन कर रहे हैं । इनकी सारी मशीनरी लगने के बावजूद सरकार की मशीनरी लगने के बावजूद केवल 22 सौ मजदूर काम पर ला सके । 13 हजार में से केवल 22 सौ ऐसी मेरी

सूचना है 16 सौ जेल में हैं 447 मजदूर निकाल दिये गये, ऐसी परिस्थिति में 29 तारीख को शासन मध्यस्थता करके मिल मालिकों और आई० एन० टी० की यूनियन में समझौता कराने का औचित्य क्या है ? ऐसा कराना उस आन्दोलन को तीव्र करना नहीं है ?

श्री उपाध्यक्ष—

आप यह भाषण कर रहे हैं, आप प्रश्न पूछें ।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, भाषण में ही प्रश्न है बिना इसके स्पष्ट नहीं हो पायेगा। तो मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या एम० एम० एस० यूनियन, जिनके नेतृत्व में आन्दोलन चल रहा है उनके माध्यम से सारी बातचीत कराने के सम्बन्ध में कोई आश्वासन देंगे ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित—

श्रीमन्, कर्मचारियों में दोनों यूनियनों के सदस्य हैं । किसी के कम हैं किसी के ज्यादा हैं । समझौते कराने वाले सभी पार्टियां बुलाते हैं तथा उनके बीच संराधन का प्रयास कर समझौता करते हैं । श्री मोहन सिंह 5 तारीख को मुख्य मन्त्री जी से मिले और जैसा उन्होंने कहा उस मार्ग पर हम चल रहे हैं । अब मोहन सिंह तथा रियासत साहब के मार्ग दर्शन पर हम चलें तब भी हमको इस विधान सभा में उनको ही हमको जवाब देना पड़ तो मान्यवर, हमको आपकी रक्षा चाहिए ।

श्री रियासत हुसैन—

क्या माननीय मन्त्री जी हमको आश्वस्त करेंगे कि एक दो दिन में मैनेजमेन्ट से वह वार्ता करके 2, 4 दिन में इस मामले को वह निबटा देंगे ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित—

15 से 17 तारीख के बीच हम बता चुके हैं कि संराधन के सारे प्रयास किये गये जो भी उसका परिणाम होगा, सामने आयेगा ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

एस० एम० एस० की यूनियन ने स्ट्राइक की नोटिस दी और 99 प्रतिशत मजदूरों ने स्ट्राइक के फेवर में वोट किया । मैं यह जानना चाहता हूं इस लड़ाई में सैकड़ों लोग बन्द हैं, बेरोजगार हैं तो वातावरण अनुकूल बने इसके लिये क्या श्रम मन्त्री जी सदन को यह आश्वासन देंगे कि उनका कोई प्रतिनिधि विक्टमाइज नहीं होगा, पंच निर्णय के पहले जितने लोग जेलों में बन्द हैं वह सब छोड़ दिये जायेंगे और विक्टमाइज्ड केसेज को वापस ले लिया जायगा ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित—

सौहार्द्रपूर्ण वातावरण तैयार करने के लिये जो जो बातें आवश्यक समझी जायेंगी यथाशक्ति उसकी पूर्ति की जायेगी ।

(श्री राज मंगल पाण्डेय का नाम पुकारे जाने तथा श्री राम आसरे वर्मा के खड़े होने पर ।)

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने श्री राज मंगल पान्डेय का नाम पुकार लिया है। माननीय वर्मा जी आप विराजें।

श्री राज मंगल पान्डेय--

क्या माननीय मन्त्री जी मोहन सिंह की राय के निश्चित दायरे के अन्दर इस मामले में अन्तिम समझौता करायेंगे और उनकी राय को प्राथमिकता देंगे ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित--

मैंने थोड़ी देर पहले यह बतलाया था कि 15 तारीख की रात्रि को मैं श्री सुरेन्द्र मोहन के पास गया था। 17 तारीख को कल ही यूनियन के लोगों ने कुछ लिख कर कुछ प्रस्ताव दिया उन पर हम आगे बात चला रहे हैं। मेरी दिक्कत यह है कि कल और जब मैं विवाद को हल करने में लगा था, काम को अधूरा छोड़कर लखनऊ चल दिया क्योंकि आज सदन के सामने उपस्थित होना था। दिल्ली रह कर मैं कुछ और प्रयास करता लेकिन आपकी पहले आज्ञा माननी थी, इस लिए मैं यहां आया और आपके सामने वक्तव्य दे रहा हूं।

श्री हरी किशन श्रीवास्तव--

जो वक्तव्य है पृष्ठ 3 पर उसमें 4 बातें कहीं कि ये निर्णय हुए हैं, उसमें नम्बर 3 और 4 पर रु० 15/- प्रति मास की वेतन वृद्धि का सम्बन्ध जो उत्पादन से सम्बन्धित है, मुख्य मन्त्री के निर्णय के लिए सौंप दिया। अब आप देखें कि जो अन्त में कहा है और जिसका आप उल्लेख भी कर रहे हैं कि कल रात को हमारे पास एच० एम० एस० की यूनियन ने लिख कर दिया कि उनका भी निर्णय माननीय मुख्य मन्त्री जी को दे दिया जाये। अतः मेरा निवेदन है कि आपके वक्तव्य से यह झलक सही आती है कि आप किसी भी तरह से सेवायोजकों को बढ़ाने के लिए तैयार नहीं हैं वरना एक सेकेन्ड का मामला रह गया है। केवल टेलीफोन से कह देते कि यूनियन ने किया।

श्री उपाध्यक्ष--

आप केवल प्रश्न करें।

श्री हरी किशन श्रीवास्तव--

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जो अब थोड़ा सा मसला रह गया उसके लिए क्या आप सदन को आश्वस्त करते हैं कि इसका निर्णय अब 24 घंटे के अन्दर देकर सारे जो लोग जेलों में बन्द हैं उनको रिहा कर देंगे और समझौता पंच निर्णय के द्वारा आ जायेगा ? आप आश्वस्त कर दें कि जो प्रपोजल दे दिया है उस पर तत्काल निर्णय करा देंगे आप झिझक क्यों रहे हैं ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित--

औद्योगिक शान्ति को इस प्रदेश में बनाये रखने के लिए चाहे मोबी हो या कोई अन्य मिल मालिक सभी पर जितना दबाव होगा डाला जायेगा और सबको उतना ही दण्ड की आवश्यकता होगी तो दण्ड दिया जायगा जितना आवश्यक होगा।

(श्री दामोदर शर्मा के खड़े होने पर।)

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने आप लोगों की जिज्ञासा को देखते हुए इसी पर प्रश्न करने को अवसर दिया लेकिन यह...।

एक सदस्य--

मान्यवर, मैं नहीं बैठूंगा अगर आप मुझे अनुमति नहीं देंगे। यह मेरे जिले का सवाल है। मैं श्रम मन्त्री से केवल...।

श्री उपाध्यक्ष--

जो मैंने मौका दिया आज, आगे के लिए यह कोई प्रोसीडेन्स नहीं होगा।

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1980†

[1 बज कर 24 मिनट]।

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री राम सिंह खन्ना)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1980 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1980 के पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री राम सिंह खन्ना--

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1980 को पुरःस्थापित करता हूं।

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष--

आज कार्य स्थगन प्रस्ताव जो आये थे उनकी सूची 9 थी। पहला कार्य स्थगन प्रस्ताव जो था उसमें देने वाले श्री मोहन सिंह, श्री प्रदीप कुमार यादव, श्री हुकुम सिंह, श्री किरन पाल सिंह, श्री हरी किशन श्रीवास्तव थे। यह दिनांक 17-9-80 को लखनऊ विश्वविद्यालय के परिसर में हुए वृक्षारोपण कार्यक्रम के विरोध में पुलिस द्वारा छात्रों पर लाठी चार्ज किये जाने के सम्बन्ध में था। यह नियम के अन्तर्गत नहीं आता था इसलिए इसे मैंने स्वीकार तो नहीं किया लेकिन स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए शासन को यह कहा जा रहा है कि शासन इस पर अपना वक्तव्य दे। दूसरा श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री का है। इनका प्रस्ताव प्रदेश में फुटकर दुकानों

†दिनांक 19 सितम्बर, 1980 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

[श्री उपाध्यक्ष--]

पर चीनी उपलब्ध न होने से उत्पन्न संकट के सम्बन्ध में है। इसे अस्वीकार किया गया। तीसरा श्री माताप्रसाद पाण्डेय का तस्करों और व्यापारियों द्वारा प्रदेश से बड़े पैमाने पर जीवनोपयोगी वस्तुओं को चीन भेजे जाने से उत्पन्न असंतोष के सम्बन्ध में है। श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त का बरेली जिले के अइजट-नगर में पुलिस द्वारा राष्ट्रीय नेताओं की हत्या करने, युद्ध के विमानों को नष्ट करने तथा आर्थिक व्यवस्था को क्षति विक्षत करने वाले षडयंत्रकारी गिरोह के पकड़ने के सम्बन्ध में है। यह घटना कब की है, नहीं बताया गया। इसलिए इसे भी अस्वीकार कर दिया गया। श्री श्याम नारायण तिवारी की सूचना भी इसी से संबंधित है इसलिए यह स्वयं ही अस्वीकार हो गया। श्री हरगोविन्द वर्मा का प्रस्ताव दिनांक 9 अगस्त, 1980 को जनपद फैजाबाद के विधायक श्री गोपीनाथ वर्मा के ऊपर असामाजिक तत्वों द्वारा आक्रमण किये जाने के सम्बन्ध में था, इसे भी अस्वीकृत कर दिया गया। केवल एक विषय पर जिसे स्वीकार तो नहीं किया गया है परन्तु शासन को वक्तव्य देने के लिए निर्देश दिया गया है क्योंकि वह बड़े महत्व का था।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

यह जो आपने मान्यवर, स्वीकार किया है, इस पर मैंने नियम 51 में सूचना दी थी। उसको कृपा पूर्वक इसमें जोड़ दें।

श्री उपाध्यक्ष--

नियम 51 जब होगा तो उसकी बात कहेंगे। नियम 56 में नियम 51 क्यों शामिल कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

1980-81 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगो पर मतदान-अनुदान संख्या 27--उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण) अनुदान संख्या-63--उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग), अनुदान संख्या-65--उद्योग विभाग (ग्राम्य एवं लघु उद्योग) अनुदान संख्या 66--उद्योग विभाग (खानें तथा खनिज), अनुदान संख्या 87--उद्योग विभाग-पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 114--उद्योग विभाग-ऋण और अग्रिम

[1 बजकर 28 मिनट]

उद्योग मंत्री (श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-27--उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,34,12,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-63--उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों

को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,51,76,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-65--उद्योग विभाग (ग्राम्य एवं लघु उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 8,87,32,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 66--उद्योग विभाग (खानें तथा खनिज) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 40,76,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 87--उद्योग विभाग पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,22,97,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 114--उद्योग विभाग-ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,97,07,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में औद्योगिक वातावरण पिछले 2/3 सालों में जो देखने में आया है, वह इतना सराहनीय नहीं रहा बल्कि स्थिति यह रही कि जो काम 1976-77 के पहले औद्योगिक विकास के लिए किया गया था, पिछले 2/3 सालों में उस कार्य वर्ष में प्रगति नहीं हो सकी है। मान्यवर, उसके कई कारण भी हो सकते हैं। एक कारण तो औद्योगिक नीति हो सकती है। एक कारण बिजली की कमी भी हो सकती है और एक कारण कोयला और कच्चे माल की कमी भी हो सकती है। मान्यवर, मौजूदा शासन ने इन तीन महीनों में इस सिलसिले में बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं जिनको कि आपके सामने और इस माननीय सदन के साथियों के सामने रखना चाहता हूं। कुछ नयी नीतियां अपनायी गयी हैं कि जिससे औद्योगिक क्षेत्र में विकास हो सके क्योंकि मान्यवर, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं कि जहां पर कुछ औद्योगिक विकास हुआ है लेकिन प्रदेश के बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं कि जहां पर औद्योगिक विकास किसी किस्म का नहीं हो सकता है। मान्यवर, इसकी तहत सरकार ने यह सोचा और यह फैसला इस शासन ने किया है कि चार उच्च स्तरीय बोर्ड उत्तर प्रदेश में कायम किये जायं और उन बोर्डों के द्वारा सामान्य तौर पर पूरे उत्तर प्रदेश में खास विकास कार्यों को किया जाय और

[श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर--]

उन बोर्डों को समुचित अधिकार दिया जाय कि वे अपने इलाके और जिले के क्षेत्रों में आने वाले इलाकों की औद्योगिक बस्तियों के औद्योगीकरण में पूरा सहयोग दें और वहां के उद्यमियों को पूरी सहायता उन चीजों की वहीं का वहीं कर दें ताकि उनको बार-बार यहां वहां दौड़ना न पड़े और हेड आफिस या केन्द्रों के चक्कर न काटना पड़े और छोटे-छोटे कामों के लिये उनका समय नष्ट न हो। मान्यवर, यही नहीं, आई0 आर0 डी0, और ग्रोथ सेंटर्स आदि को इन क्षेत्रों में और बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी तरह से, मान्यवर, जो लोग निर्यात करते हैं, या जो ऐसा माल तैयार करते हैं कि जिससे कि हमारे यहां फारेन इक्सचेंज की बढ़ोत्तरी हो सकती है, उनके लिये पहले से कुछ अधिक सुविधायें देने का फैसला किया है। मान्यवर, यही नहीं बल्कि हमने जिला स्तर पर जो जिला उद्योग दफ्तर हैं उनको हमने बहुत से अधिकार जो अभी तक उनके पास नहीं थे और जिसके कारण उद्यमियों को जो छोटे-छोटे उद्योग लगाना चाहते थे उनको कानपुर या लखनऊ दौड़ना पड़ता था, हमने वह अधिकार जिला स्तर पर दे दिये हैं। इसमें एक यह भी है कि लघु उद्योगों का रजिस्ट्रेशन अब जिला स्तर पर हो जाया करेगा। एक 2 एकड़ जमीन औद्योगिक क्षेत्रों में जिला स्तर पर एलाट हो जाया करेगी। औद्योगिक स्थान में प्लाट्स और शेडस जिला स्तर पर दिये जायेंगे। 6 लाख तक की लीज डीड जिला स्तर पर भरी जायगी। 25 हजार रु0 तक का ऋण कारीगरों को जिला स्तर पर मिलेगा। कैपिटल सब्सिडी लघु उद्योगों को 20 हजार रु0 तक जिला स्तर पर मिल जायगी। बैंकों से ऋण लेने के लिये मारजिन मनी अब जिला स्तर पर प्राप्त होगी। यही नहीं खादी और ग्रामोद्योग के अन्तर्गत आने वाले कामों में जो ऋण स्वीकार होते हैं उसमें 50 हजार रु0 तक का ऋण जिला स्तर पर स्वीकार कर दिया जायगा और वहीं पर दे दिया जाया करेगा। इसके लिये लखनऊ या कानपुर जाने की जरुरत नहीं पड़ेगी।

मान्यवर, प्रदेश की इकाइयों को पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष अधिक मार्केटिंग की सुविधा दी गयी है। आई0 आर0 डी0 स्कीम में पिछले 4 करोड़ रु0 12 हजार लोगों को वितरित किये गये थे। इस वर्ष हम 25 हजार लोगों को 10 करोड़ रु0 वितरित करने जा रहे हैं। यही नहीं बल्कि इससे भी आगे जो हमारे पास ग्रोथ सेंटर्स में आज मौजूद हैं उनको बढ़ाकर हम 70 नये ग्रोथ सेंटर्स बनाने जा रहे हैं। यही नहीं 2 करोड़ रु0 हमने खासतौर से पिछड़े वर्गों के लिये रखा है। पिछले वर्ष 60 लाख रु0 हरिजनों के लिये रखे गये थे। इस वर्ष शासन ने 2 करोड़ रु0 हरिजनों की सहायता के लिये, उद्योग लगाने के लिये, उनको कम रेट पर ऋण देने के लिये 2 करोड़ रु0 की व्यवस्था की गयी है। जिसमें हरिजन बुनकरों के लिये 70 लाख रुपये तथा 20 लाख रुपये चमड़े के काम में लगे हरिजनों के लिए सुरक्षित किये गये हैं। मान्यवर, इससे 25 सौ व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने की उम्मीद की जाती है। वित्त निगम द्वारा हरिजनों को 5 प्रतिशत मारजिन मनी पर ऋण दिया जायगा। हरिजनों के लिये विशेष सुविधा दी गयी है कि उनको सिर्फ 5 परसेंट के ऊपर ऋण दिलाया जायगा। यही नहीं मान्यवर, हमने आजमगढ़ में इस वर्ष एक रूरल उद्योग सेंटर की स्थापना की है जिसमें एच0 एम0 टी0 का सहयोग लिया है। इसमें 50 व्यक्तियों को हर वर्ष प्रशिक्षण दिया जायगा। इस वर्ष 19 नये औद्योगिक संस्थान बनाये जायेंगे जिनमें 836 प्लाट्स और 123 शेड्स का निर्माण किया जायगा। मान्यवर, उत्तर देश लघु उद्योग निगम द्वारा जो कच्चा माल वितरित होता है उसमें

बहुत सी शिकायतें प्राप्त हुयी हैं। इन शिकायतों के प्राप्त होने के बाद उसकी काफी जानकारी की गयी, तो इसमें सुधार के लिये कुछ नये तरीके अपनाये गये हैं। बोगस इकाइयों को पकड़ने का अभियान प्रारम्भ किया गया है और इसके अन्तर्गत अभी तक 100 बोगस इकाइयां पकड़ी गयी हैं और उनके लाइसेंस कैंसिल किये गये हैं। हमें आशा है, कि 10 प्रतिशत, 20 प्रतिशत तक ऐसी इकाइयां हैं जो बोगस तरीके से सिर्फ बोर्ड लगाकर कच्चा माल हासिल करने की कोशिश कर रही हैं। इन इकइयों को पकड़ा जायगा और उनके लाइसेंस कैंसिल करेंगे। हमारा अभियान बड़े जोर से प्रारम्भ हो गया है। यही नहीं बल्कि हम ने अपने सचिवालय स्तर पर एक सेल की स्थापन की है जिस का काम विजिलेन्स सेल की तौर पर होगा। जिन जिलों से रिपोर्ट आ जायगी कि अब वहां पर सर्वे कम्प्लीट हो गया है और कोई बोगस इकाई वहां पर नहीं है, हम विजीलेन्स के द्वारा इसकी जानकारी करेंगे। फिर भी यदि कोई बोगस इकाइयां मिलेंगी तो उनके लाइसेन्स तो कैंसिल होंगे ही, साथ ही साथ जिला उद्योग अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्यवाही भी की जायगी।

मान्यवर, वितरण के हमने और भी बहुत से नये तरीके अपनाये हैं। एक तरीका यह है कि कच्चे माल को नकद भुगतान पर न दे कर डिमान्ड ड्राफ्ट पर कच्चा माल उपलब्ध कराया जायगा। देखा यह गया है कि लोग कच्चे माल को किसी से रुपया लेकर किसी को दे देते हैं। अब व्यक्ति के बैंक एकाउन्ट से बने हुये ड्राफ्ट के ऊपर ही कच्चा माल उपलब्ध कराया जायगा।

खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की तरफ से पिछले साल एक करोड़ पचास लाख रुपया वितरित किया गया था। इस साल उसको बढ़ा कर सात करोड़ के लगभग रुपया बांटा जायगा और उससे 9,500 इकाइयां स्थापित होंगी।

एक कारखाना, जो काफी दिनों से बन रहा था और जिसे यह कहा जाता था कि चार साल की मुद्दत लगेगी, वहां के कर्मचारियों और अधिकारियों के प्रयत्न से वह कारखाना, जो प्रतापगढ़ में 17 करोड़ की लागत से ट्रैक्टर के लिए बन रहा था, आशा की जाती है कि अप्रैल तक प्रोडक्शन करने लगेगा। उसमें फर्स्ट राउन्ड में 500 ट्रैक्टर निकलेंगे लेकिन 1984-85 तक 6,000 ट्रैक्टर व 200 अतिरिक्त इंजन प्रति वर्ष इस कारखाने में बनेंगे। कम से कम 1,200 लोगों को इसमें रोजगार मिलेगा।

इसी तरह से कजरहट, मिर्जापुर में 85 करोड़ रुपये से एक सीमेंट का कारखाना लगाया जा रहा है जिसमें उत्पादन इसी वर्ष शुरू हो जायगा जिस की क्षमता 16.80 लाख टन, इस के अलावा दो मिनी स्टील प्लान्ट और लगाये जा रहे हैं जिसमें इस साल काम शुरू कर दिया जायगा।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन ने बहुत बड़ी उपलब्धि की है। उसने 10,000 टी0 वी0 सेट सालाना बनाये थे। आज हमारे लखनऊ कारखाने को मिला कर इनकी क्षमता 20,000 हो गई है। यह बहुत बड़ा कारनामा है। इसके साथ ही मैं एक बात और अपने सदन के साथियों को बताना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन ने एक ऐसा कम्प्यूटर

[श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर---]

बनाया है जिसके द्वारा जो विद्युत् भट्ठियों में खराबी आ जाती है, जिसकी तलाश के लिए कई-कई दिन लग जाते हैं कि कैसे खराबी आ गई है, कैसे उस को दूर किया जाय, उसका पहले ही इन्डिकेशन मिल जाया करेगा कि किस जगह पर खराबी आने वाली है और उसको पहले ही दुरुस्त कर दिया जायगा। विदेशों के लिए आनवर्ड जरनी के लिए जो एयरलाइन्स का रिजर्वेशन करने का तरीका था वह हमारे देश में नहीं था। आज इस प्रकार का कम्प्यूटर हमने बनाया है जिसके जरिये यहां बैठ कर सारी दुनिया के एयर लाइन्स के टिकटों को आप रिजर्व करा सकते हैं। इसके खरीद के लिये आर्डर एयर इंडिया ने हमारे यू० पी० इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन को दे दिया है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अपने साथियों को बताना चाहता हूं कि हमने ग्राउन्ड वाटर लेबुल को जानने के लिए ग्राउन्ड वाटर वैल लागर्स नामक एक नया यंत्र बनाया है जो कि हमें ग्राउन्ड वाटर लेबुल की जानकारी देगा। इस तरह से नलकूपों को लगाने में जो लागत आती थी उसमें कमी आ जायेगी। इस यन्त्र से यह पहले ही पता चल जायेगा कि कितनी दूरी पर पानी है और उससे कितना पानी उपलब्ध हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ट्यूबवेल की खुदाई होने के बाद यह पता चला कि वहां पानी नहीं है। तो इससे ग्राउन्ड वाटर को मालूम करने में फायदा हो जायेगा। इस यंत्र को हमारे इलेक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन ने तैयार कर लिया है। मान्यवर, इसका यंत्र विदेश से 7 लाख रुपये में आता था और हम इसको 5 लाख रुपये में तैयार कर रहे हैं। साथ ही हमारे यहां उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम के द्वारा 5 नये प्रोजेक्ट निकट भविष्य में उत्पादन करने लगेंगे जिससे 819 लोगों को रोजगार के अवसर मिल जायेंगे।

मान्यवर, 50 प्रोजक्ट्स पहले से ही यहां पर कार्यरत हैं। इस तरह से गत वर्ष निगम के लिये 55 लाख 90 हजार की पूंजी लगाई गयी थी जबकि इस वर्ष 52 लाख की पूंजी इस समय तक लग चुकी है। इसके अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्रों की इकाइयों को बिजली की समस्या को ध्यान में रखते हुये सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी आथरिटी व भारत सरकार से विचार-विमर्श हो रहा है कि किस तरह से प्रदेश में उद्योगों की स्थापना में मदद मिल सके। हम आशा करते हैं कि भारत सरकार इसको स्वीकार कर लेगी। इस तरह से हम कहीं पर भी औद्योगिक नगर बना सकेंगे। हमें उम्मीद है कि हमारी यह कैप्टिव प्लांट योजना सफल होगी और उससे हम अपनी छोटी-छोटी औद्योगिक इकाइयों को बिजली दे सकेंगे, यह विचाराधीन है। इसके अतिरिक्त निगम द्वारा बनाये गये औद्योगिक संस्थानों पर पूर्ण सुविधा देने के लिये प्रयास किया जा रहा है और उद्यमियों को बिजली आदि देने की बात सोची जा रही है। हम यह भी चाहते हैं कि हर औद्योगिक बस्ती है जहां पर इन्डस्ट्री सेन्टर हो, कामन फैसिलिटी केन्द्र, कम दामों में आवासीय सुविधा, टेलेक्स, टेलीफोन, पुलिस चौकी, बैंक आदि उद्यमियों को 5 वर्ष तक लगातार पावर मिलने की सुविधा देंगे। जो हमारे इन्डस्ट्रियलिस्ट हैं उनको यह सारी सुविधायें हो जायेंगी तो उससे उनके कारोबार में तरक्की हासिल हो जायेगी।

मान्यवर, वित्त निगम के द्वारा 1979-80 में 2,745 इकाइयों को 33.20 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत हुआ और 16.68 करोड़ रुपये वितरित किया गया जब कि वर्ष 1978-79 में केवल 728 इकाइयों को ही ऋण दिया गया था। निगम ने इस वर्ष 4,500 इकाइयों को 35 करोड़ रुपये का ऋण

स्वीकृत किया है और 24 करोड़ रुपये ऋण वितरित करने का लक्ष्य रखा है। मान्यवर, निगम ने अपनी कार्य-प्रणाली में एक व्यापक विकेन्द्रीकरण किया है।

(इस समय 1 बजकर 50 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री राजेन्द्र सिंह यादव पीठासीन हुए)

मान्यवर, पहले फायनेंसियल कारपोरेशन का आफिस सिर्फ कानपुर में एक ही था। अब हमने मंडलीय स्तर पर उसके विकेन्द्रीकरण करने का फैसला किया है। कई जगहों पर विकेन्द्रीकरण कर भी दिया है। हाल में ही मेरठ में एक आफिस खोलने जा रहा हूं। गाजियाबाद, कानपुर वगैरह में तो पहले से हैं ही। इसके साथ ही हमने यह भी किया है कि क्षेत्रीय अधिकारियों को पहले दो लाख रुपये तक ऋण देने का अधिकार था अब उसे बढ़ाकर 4 लाख रुपया कर दिया है, क्षेत्रीय दफ्तरों से 4 लाख रु0 तक के ऋण स्वीकार करने का अधिकार दे दिया है और 10 लाख रु0 तक डिसबर्स करने का अधिकार भी दे दिया है। मान्यवर, वित्त निगम द्वारा उद्योगों की स्थापना के लिए टाइटिल डीड की भी विशेष योजना बनाई है। जो हमारे छोटे और कमजोर वर्ग के लोग हैं, पिछड़े जिलों के लोग हैं उनके लिए जो डीड बस्ती बनती थी उसमें 25 हजार के ऋण पर स्टैम्प फीस लगती थी वह अब इंडस्ट्री विभाग स्वयं देगा, उन गरीब लोगों को कोई स्टैम्प फीस नहीं देनी होगी। हमने डीड के सिलसिले में एक और सुविधा दी है पहले यू0 पी0 फाइनेंसियल कारपोरेशन से ऋण लेने में एक डीड बनानी पड़ती थी चाहे वह किसी भी इंडस्ट्रियल स्टेट के विकास निगम का नोट क्यों न हो उसमें फाइनेंसियल कारपोरेशन को डीड देना जरूरी होता था अब वह जरूरी नहीं होगा और हम उसको मान लेंगे जो हमारे कारपोरेशन्स द्वारा दिये हुए प्लाट होंगे।

उत्तर प्रदेश वित्त निगम द्वारा एक नयी योजना चलाई गयी है। विशेष पिछड़े क्षेत्रों में और कम साधन वाले उद्यमियों को इस योजना के अन्तर्गत योजना की लागत का 20 परसेन्ट या 2 लाख रु0 जो भी कम हो स्वीकृत किया जायेगा जिस पर ब्याज पर केवल एक प्रतिशत होगी।

खनिज के सिलसिले में उ0 प्र0 राज्य खनिज विकास निगम के द्वारा मसूरी में लम्बीधार खान परियोजना जिसकी क्षमता 4.5 लाख टन प्रति वर्ष होगी चलाई गयी है जिसकी लागत साढ़े सात करोड़ होगी। इसमें उच्च श्रेणी के लाइम स्टोन होंगे।

दूसरी योजना 21,000 टन प्रति वर्ष क्षमता वाला कैल्शियम कार्बाइड संयंत्र 60 हजार टन प्रति वर्ष क्षमता की दो मिनी इकाइयां लगायेंगे और तीसरी योजना कैमिकल्स काम्पलक्स जिसमें कैल्शियम कारबाइड, लाइमस्टोन पर आधारित बनाई जायेगी। इस वक्त खनिज के लिए निदेशालय ने बहुत सी योजना चलाई हैं। निदेशालय धातु और खनिज के विकास पर बल दे रहा है। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत निदेशालय ने ललितपुर जनपद में आइरन और गढ़वाल जनपद में प्लैसर सोना, अल्मोड़ा जनपद में टंगस्टन, पिथौरागढ़ जनपद में तांबा, जस्ता, सीसा के

[श्री अब्दुल रहमान खानश्तर—]

अतिरिक्त भंडार व ललितपुर जनपद में यूरेनियम के साथ-साथ तांबा की सम्भावनाएं पाई गई हैं ।

मान्यवर, हमारे यहां उत्तर प्रदेश में खेतिहर मजदूरों के बाद गरीबों में सबसे बड़ा वर्ग बुनकरों का है, जिनकी माली हालत को हर तरह से सुधारा जाना बहुत जरूरी है । हमने बुनकर वर्ग के लिए बहुत सी नई योजनाएं और बहुत से काम उनकी खुशहाली और तरक्की के लिए शुरू किये हैं । हमें उनका ध्यान है और हमने उनको सूत तथा यार्न देने के लिए तथा उनके द्वारा तैयार माल की खरीद के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं । उनको मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं । मान्यवर, हथकरघा निगम द्वारा मार्केटिंग की व्यवस्था है और उसके अन्तर्गत अभी तक 29 हजार बुनकरों को एडाप्ट किया गया था जिसे बढ़ाकर इस वर्ष हम 85 हजार को एडाप्ट करने जा रहे हैं । 5 हजार को अभी तक और एडाप्ट कर लिया है । निगम का उत्पादन 9 करोड़ 51 लाख रुपये का है, जबकि पिछले वर्ष यह उत्पादन 5 करोड़ 54 लाख रुपये का हुआ था ।

कन्ट्रोल के कपड़े का उत्पादन पिछले 3 महीनों में 30 मीलियन वर्ग मीटर था, जो इस वर्ष के अन्त तक बढ़कर 92 मिलियन वर्गमीटर हो जायेगा जो कि पिछले वर्ष के मुकाबले में डेढ़ गुना ज्यादा होगा । जनता साड़ी सस्ते दाम पर बिके और लोगों को अच्छी भी लगे, लोग उसका इस्तेमाल भी करें, यह हमारा प्रयास है और इसके लिए हमने प्रथम चरण में 10 हजार धोती छपवाने का इंतजाम किया है और इसको बढ़ाकर हम 20 हजार तक ले जाना चाहते हैं । क्योंकि हमने दो छपाई के कारखाने इसके लिए और लगाए हैं और वहां पर काम भी शुरू हो गया है । उनके उत्पादन वृद्धि के लिए अब तक जो 6 सघन हथकरघा विकास परियोजनाएं चलाई जा रही थीं, उसमें भी बढ़ोत्तरी करके हम 8 करने जा रहे हैं । इस समय जो रेशम उत्पादन की योजना 17 जिलों में चलाई जा रही थी, उसको भी बढ़ाकर 32 जिलों में किया जा रहा है । मान्यवर, यही नहीं बुनकरों के लिए उनके सम्मुख इस समय सबसे प्रमुख सवाल सूत का आता है, उस सूत के मसले को हल करने के लिए राज्य वस्त्र निगम की जो 8 कताई मिलें हैं, उनमें प्रत्येक की क्षमता 25 हजार से बढ़ाकर 50 हजार तकुओं की की जा रही है । यही नहीं दो नई मिलें इस हेतु कोआपरेटिव सेक्टर में लगाने पर कार्य इस वर्ष आरम्भ किया जा रहा है । इसके अलावा अगले वर्षों में सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र में 50-50 हजार तकुओं की 8 और कताई मिलें प्रदेश में लगाई जायेंगी ।

मान्यवर, इतना ही नहीं हमने इस बात के लिए कि बुनकरों को सस्ते दाम पर और समय पर सूत और यार्न मिल सके, हमने स्टेपेल यार्न की बिक्री के लिए यू० पी० हैंडलूम कारपोरेशन द्वारा टांडा, बाराबंकी और जलालपुर में स्टेपेल यार्न की बिक्री हेतु सेल्स डिपो खोल दिये हैं तथा टांडा में डिपो के 3 सेल प्वाइंट कायम किये जा रहे हैं । उससे बड़ा अच्छा असर पड़ा है और इनका दाम 145 रुपया बंडल से घटकर 121 रुपये बंडल पर आ गया है । इतना ही नहीं सूत यार्न अपने बुनकरों को सुविधानुसार उनकी बस्तियों में ही उपलब्ध हो जाए, इसके लिए 100 डिपो और खोले जा रहे हैं । यही नहीं बल्कि हमारे बुनकरों ने नेशनलाईज्ड बैंकों द्वारा जो ऋण लिया था, जिसकी वसूली के लिए बैंकों द्वारा सख्ती बरती जा रही थी, उसको रोकने के लिए जहां एक ओर शासन ने आदेश दे दिया है, इसके साथ ही इस मसले को हल करने के लिए हमने यह तरीका निकाल

है कि इन ऋणों को लम्बी अवधि के ऋणों में बदल दिया जाए और उनके लिए अतिरिक्त ऋण की व्यवस्था करा दी जाए। इसके साथ ही साथ उनके बुनकरों को सहायता देने के लिए 2 करोड़ रुपया वित्तीय निगम के माध्यम से भी दिलाने का फैसला किया गया है। इसके लिए हमारा जो इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट है, हैण्डलूम कारपोरेशन है, वह सिफारिश करेगा कि जिन-जिन बुनकरों की आर्थिक दशा खराब हो गयी है, उनको इस 2 करोड़ रुपये की धनराशि के अन्तर्गत ऋण दिया जायेगा ताकि उनकी आर्थिक दशा सुधर सके और वे अपना कर्जा भी उतार सकें और अपने बाल बच्चों का पालन-पोषण भी कर सकें।

[2 बजे अपरान्ह]

यही नहीं बल्कि हमने यह भी किया है कि हैन्ड क्रैफ्ट (हस्तकला) हस्तशिल्प उद्योग में विशेषकर कालीन उद्योग के विकास पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। 1979-80 तक निर्यात निगम द्वारा 122 कालीन बुनाई प्रशिक्षण केन्द्र चलाये जा रहे थे जिसमें 6,150 बुनकरों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी थी। वर्ष 1980-81 में 120 और प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की योजना तैयार हो गयी है जिससे बुनकरों की संख्या में और वृद्धि हो जायगी और कालीन के काम में हमारे बहुत से लोग लग सकेंगे।

विक्रय वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए निर्यात निगम द्वारा उत्पादन केन्द्र बढ़ाये जा रहे हैं। ताकि गरीब लोगों और बेवा औरतों और अन्य महिलाओं को रोजगार मिल सके। इसके लिए हमने लखनऊ, महिलाबाद और संडीला आदि में सेन्टर्स खोले है और इन इलाकों में जो गरीब लोग हैं, उनको सहायता देने के लिए 4 प्रोडक्शन सेन्टर्स खुले हुए थे जहां पर कच्चा माल देकर उनसे तैयार किया हुआ माल ले लेते थे। इस समय हम ऐसे ही 8 केन्द्र और खोलने जा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा सहायता उनको दिलायी जा सके। 4 केन्द्रों के खोलने का भी बहुत अच्छा नतीजा निकला है। इनसे उन गरीब लोगों और महिलाओं के द्वारा जो काम होता है, उसके रेट भी बढ़े हैं। अगर ये 8 सेन्टर्स और खुल गये तो वहां के गरीब लोगों का और भी भला होगा।

यही नहीं हमारे यहां पर सहारनपुर में लकड़ी की नक्काशी में एक विशेष स्थान रखता है। इस नक्काशी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इस समय प्रयोग होने वाली लकड़ी की सिजनिंग हेतु हमारे यहां जो वुड सिजनिंग प्लान्ट लगा हुआ, उसकी क्षमता 2,400 घन फुट से बढ़ाकर 2 लाख घन फुट करने जा रहे हैं।

पीतल के काम को विकसित करने के लिए भी प्रयास किया जा रहा है। वर्ष 1974 में 2 लाख रुपये की अंशपूंजी से ब्रासवेयर निगम ने कार्य आरम्भ किया था। अब इसकी पूंजी 137 लाख रुपये हो गयी है। ब्रासवेयर उद्योग को और विकसित करने के उद्देश्य से यह निगम इलेक्ट्रोप्लेटिंग तथा लेकरिंग तथा डिजाइन डेवलपमेंट सेन्टर की भी स्थापना करने जा रहा है ताकि वहां पर जो छोटा-छोटा सामान बनता है उन गरीब लोगों को सुविधायें मिल सकें और उनकी सारी चीजें वहां पर ही उन्हें मिल सकें।

[श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर--]

मैंने संक्षेप में इन बातों को बताने का प्रयास किया और सदन के अपने साथियों को अवगत कराया कि हम क्या क्या करने जा रहे हैं और क्या कार्य हो रहा है। मुझे आशा है कि हमारे सदन के सभी साथी चाहे इधर के बैठने वाले हों या उधर के आज इस चर्चा में भाग लेकर कुछ अच्छे और रचनात्मक सुझाव देने की कृपा करेंगे ताकि हम प्रदेश के अन्दर इन उद्योगों में लगे लोगों को ज्यादा से ज्यादा सहायता दे सकें और ज्यादा से ज्यादा उससे उपलब्धियां हासिल हो ताकि प्रदेश की बेरोजगारी दूर हो सके, हमारी कैपिटल बढ़े और हम यह कह सकें कि हमारा प्रदेश भी औद्योगिक क्षेत्र में एक अच्छा स्थान रखता है ?

*श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 27--उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण) सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 63--उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) सम्पूण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये। कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 65--उद्योग विभाग (ग्राम्य एवं लघु उद्योग) सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये। कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 66--उद्योग विभाग (खानें तथा खनिज) सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 87-उद्योग विभाग--पूंजीगत परिव्यय सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 114-उद्योग विभाग-ऋण और अग्रिम--सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, उद्योग जैसे महत्वपूर्ण विभाग के लिए मैं केवल एक रुपया कर देने का प्रस्ताव कर रहा हूं, इससे मुझ स्वयं बड़ी पीड़ा हो रही है। मुझे आशा थी कि माननीय मंत्री जी अपना विभागीय अनुदानों की मांगों को पेश करते हुये अपने विभाग की नीति और अपने वार्षिक संकल्प तथा कितने प्रतिशत तक को

*वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

औद्योगिक तरक्की का लक्ष्य है उसे वे बतायेंगे, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो विभाग संकल्पहीन है, दिशाहीन है और लक्ष्य एवं नीतिहीन है ऐसे चौपट हाथों में एक रुपया देना भी उसका दुरुपयोग करना है ।

एक सदस्य—

तो चवन्नी कर दीजिए । (हंसी) ।

श्री मोहन सिंह—

औद्योगिक विभाग अकेले अपने विभाग द्वारा संचालित नहीं हो सकता । हमारे प्रदेश की 80 प्रतिशत आबादी कृषि कार्यों में लगी हुई है । दूसरे देशों में मुश्किल से 7-8 फीसदी आदमी कृषि के काम को करते हैं, अधिकांश आदमी जो उद्योगों में लगे रहते हैं । हमारे प्रदेश का यह दुर्भाग्य है कि हमारी आज की कृषि भी बहुत ज्यादा उद्योग पर ही निर्भर है और इसीलिए औद्योगिक विकास की गति को तेजी से आगे बढ़ाये बिना कृषि का विकास करना सम्भव नहीं है ।

पिछले 3 दशक में हमारी पूंजी का बहुत सारा हिस्सा कृषि की तरक्की में लगा । हम भी बार-बार कहते हैं कि 60 फीसदी हिस्सा हमारी पूंजी का कृषि में लगना चाहिए, लेकिन औद्योगिक तरक्की के बिना कृषि की तरक्की नहीं हो सकती । हमारा दुर्भाग्य है, हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य है कि हम अपनी आय का केवल 8-9 फीसदी उद्योगों के ऊपर खर्च करते हैं और उसका नतीजा यह है कि 2 फीसदी, 3 फीसदी, एक वर्ष को छोड़कर, जबकि 6 फीसदी औसत तरक्की हुई है उद्योग में, हम 2 फीसदी, 4 फीसदी, इससे अधिक तरक्की पहुंचा नहीं पा रहे हैं । उसका एक ही कारण है कि हमारे सीमित साधन हैं और कच्चे माल के लिए हमारा प्रदेश केन्द्र पर आश्रित है । वैसे तो हमारे मंत्री जी काफी प्रकाशन करा रहे हैं कि हमको 5 प्रतिशत उर्वरक मिल गया । जब-जब प्रश्न किया गया तो हमारे उद्योग मंत्री ने सफाई के साथ कहा कि मिला नहीं है, मिलने की सम्भावना है । इसमें आपने कोई बड़ी उपलब्धि नहीं प्राप्त कर ली ।

उत्तर प्रदेश के लिए हिन्दुस्तान के वित्त मंत्री ने यह घोषणा की है कि 5 हजार लोगों को प्रति वर्ष हर राज्य में 5 प्रतिशत उद्योग स्थापित किये जायेंगे और दिल्ली की सरकार प्राविधान कर रही है कि 5 प्रतिशत उद्योग उत्तर प्रदेश में भी लगायेंगे और पांच प्रतिशत उद्योग हरियाणा जैसे प्रदेश में भी लगायेंगे मुझको तो बड़ी खुशी होती कि उत्तर प्रदेश में एग्रिकल्चर में पिछले वर्षों से कटौती हो रही है, हमारी आबादी के हिसाब से ज्यादा हिस्सा होता है, दिल्ली की सरकार की, उत्तर प्रदेश के लिये अगर कटौती की मंशा न होती तो 5 से अधिक उद्योग हमको मिलते । हमने जो एक नीति तैयार की थी, उस नीति की मंशा यह थी कि उद्योगों के बिना पदार्थ तैयार नहीं हो सकते, वह छोटे उद्योगों से तैयार किया जाना चाहिये, जरा दिक्कत यह है कि जब आप अपने वार्षिक बजट को प्रस्तुत कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में जो हमारी बीमार इकाइयां हैं इनके बारे में किसी भी स्पष्ट नीति की घोषणा माननीय मंत्री जी की तरफ से होनी चाहिए । यह 4 बड़े बोर्ड तैयार करेंगे, जिनका काम होगा कि लघु उद्योगों और बड़े उद्योगों की लगाने में परेशानी न हो । प्रदेश के अधिकांश जिलों

[श्री मोहन सिंह—]

में ऐसा योजना लागू हो गया है । इन औद्योगिक केन्द्रों में अधिकारियों और कर्मचारियों की बड़ी भारी टीम की कल्पना की गयी है । इन औद्योगिक केन्द्रों में एक तो जनरल मैनेजर होगा, 6 मैनेजर होंगे 15 सहायक मैनेजर होंगे । 2 जिला उद्योग अधिकारी, एक सहायक अभियंता, एक टेक्निकल सहायक चीफ इन्सपेक्टर, एक एकाउन्ट आफिसर, एक प्रोमोशनल असिस्टेंट, इतना लम्बा टीम को लेकर यदि आपको यहां कल्पना है कि इन जिला उद्योग केन्द्रों पर होगा, इससे उद्यमियों की समस्या हल नहीं होगी, हमको अलग से बोर्ड बनाना पड़ेगा । इस तरह से हमको आपकी नीति से परेशानी है । इसके संबंध में नई सरकार की कोई स्पष्ट नीति नहीं है । मंत्री जी ने भी अपने भाषण में जिला उद्योग केन्द्र के बारे में जो कुछ कहा, उसमें उन्होंने किसी स्पष्ट नीति की घोषणा नहीं की, बल्कि उन्होंने यह कह दिया कि हम अलग से बोर्ड बनायेंगे और उसका दायित्व वही होगा जो जिला उद्योग केन्द्र के हाथ में एक क्रेडिट मैनेजर बैंक में आता है। जितने हमारे लीड बैंक हैं, उसमें भी क्रेडिट बैंक मैनेजर रखे गये हैं । सभी बैंक्स ने क्रेडिट मैनेजर वापस बुला लिया और कहा कि वहां 1/10 काम नहीं है और कहा कि आपके जिला उद्योग केन्द्र में भी काम नहीं है, इसलिए मैं उनको वापस लेता हूं । लेकिन अधिकारियों और कर्मचारियों की एक फौज तैयार कर ली है केवल कल्पना के आधार पर और दिल्ली उद्योग द्वारा आश्वासन दिया जाता है कि हम आपको 25 फैक्ट्रियां दे देंगे, रा-मेटेरियल दे देंगे, इतनी बिजली हार्स पावर दे देंगे । यह सारी चीजें किताब में लगातार जनरल मैनेजर ने लिखकर संहिता तैयार कर दिया है । लेकिन जब वह सारी चीजें लेने के लिए गया तो बताया गया कि उसको पैसा देने का अधिकार नहीं, किसी भूमि को रेवेन्यू ऐक्ट के अनुसार उसे ऐक्वायर करने के अधिकार नहीं, बिजली हार्स पावर देने के अधिकार नहीं और है भी तो बिजली है ही नहीं और रा-मेटेरियल देने के अधिकार नहीं और यदि है भी तो रा-मेटेरियल उपलब्ध नहीं ।

तो फिर इस प्रकार की योजनाएं बनाने के लिए केवल शासन के पास आश्वासन की नीति ही है, उसको कार्यान्वयन करने की नीति आप के पास नहीं है । तो आप क्यों योजनाएं बनाते हैं जब केन्द्र सरकार से आपको कोई सहयोग नहीं है और आप बराबर कहते रहते हैं कि हमको केन्द्र से यह मिल रहा है, वह मिल रहा है, लेकिन हमारे देखने में कुछ नहीं आ रहा है, इस बजट में भी हमको कुछ नहीं दिख रहा है । अब यह ध्यान देने की बात है कि जिस जिला उद्योग केन्द्र की परिकल्पना की गयी और उस कल्पना पर आपको पूरी तरह से असफलता मिली है । इसलिए मजबूरन हम लोगों को सोचना पड़ता है कि आप किसी भी तेज रफ्तार या किसी भी तरीके से उद्योग के क्षेत्र को आगे नहीं बढ़ा सकते । रा-मेटेरियल की आपको परेशानी, जहां सबसे ज्यादा खपत है कच्चे माल की, वहां उनको दिया नहीं जाता, तो कैसे उत्पादन बढ़ेगा और किस प्रकार से प्रदेश उन्नति की ओर बढ़ेगा । हमारे प्रदेश में डाला, चुर्क आदि फैक्ट्रियां हैं । राज्य सरकार ने जितनी भी नीतियां सीमेंट के अधिक से अधिक उत्पादन बढ़ाने के लिए बनायीं, उसके आधार पर कोई कार्य नहीं हो पाया 56 से 77 तक तमाम नीतियां बनायीं कल्पना के आधार पर । कोई नीति सफल नहीं हुई । समाजवाद की नीति कल्पना के आधार पर बनायी, वह भी नीति विफल हो गयी, सारी नीतियां और सारे वादे आपके अब तक तो सफल नहीं हो सके । अब आपने एक दूसरी नीति प्रारम्भ की, वह सार्वजनिक क्षेत्र की नीति है, जिसमें स्पात, सीमेंट आदि की जरूरत होती है । लेकिन देखने में आया है परिस्थितियों के कि जितनी

फौलाद और सीमेन्ट की जरूरत है, उस जरूरत को सार्वजनिक क्षेत्र पूरा नहीं कर सकता सार्वजनिक क्षेत्र अपनी ही जरूरत को पूरा नहीं कर सकता है, जितना कि उसके यहां काम लगा हुआ है, दूसरे को क्या पूरा करेगा ।

इसलिए आपको सोचना पड़ेगा कि आपने जितनी नीतियों को बनाया है, उसमें परिवर्तन करना होगा और प्राइवेट फैक्ट्रियों से आपको सहयोग लेना पड़ेगा । दिल्ली सरकार को खुद अपने उद्योग चलाने के लिए नियंत्रण कर पाना संभव नहीं हो पा रहा है । हमारा प्रदेश 6 लाख मीट्रिक टन तैयार करके दे रहा है । इसके अतिरिक्त आप मिनी प्लांट लगाने जा रहे हैं । जो 4-5 वर्षों में तैयार हो पायेगा । इतनी जल्दी तो हो नहीं पायेगा । जब तक आप अपने कमी को पूरा करने के लिए बाहरी देशों पर निर्भर रहना होगा । इसलिए आपकी प्रदेश सरकार को दिल्ली सरकार से कहना पड़ेगा कि जब हमारे सारे उद्योग बीमार है, उनका वांछित कोटा पूरा नहीं हो रहा है, तो जब तक आपका कोटा पूरा न हो जाय तब तक दूसरों को बांटने के लिए नहीं दिया जाना चाहिये । इसके बारे में लड़ने का संकल्प आपको लेना चाहिए । हमारे प्रदेश को जितना कोयला मिलना चाहिए, उस मात्रा में नहीं मिल रहा है । एक लाख तीस हजार बैगन एलाट किया जाता है । हमारे उत्तर प्रदेश का उद्योग चलाने के लिए एक लाख 20 हजार बैगन हर साल चाहिए, लेकिन हमको केवल 70 या 80 हजार मिल पाता है । इसका एलाटमेंट कागजात पर हो जाता है लेकिन वास्तव में हमको जितना कोयला चाहिए वह नहीं मिल पाता है । मान्यवर, हमारे प्रदेश में उद्योग विभाग के द्वारा साढ़े 32 करोड़ पंजीकृत इकाइयां हैं । इन साढ़े 32 करोड़ पंजीकृत इकाईयां में से आधे से ज्यादा बीमार हैं और बन्द पड़ी हुई हैं ।

मान्यवर, आज से इकाईयां बन्द पड़ी हुई हैं । उद्योग विभाग के अन्दर सरकार की नीति न चलने के क्या कारण है । इसके मान्यवर बहुत से कारण हैं, उनमें से एक कारण यह है कि इन्होंने उद्योग विभाग को कारपोरेशन का अड्डा बना दिया है उसको इन्होंने कारपोरेशन झुन्ड बना दिया है, उनमें से कुछ अच्छा काम कर रहे हैं और कुछ बिल्कुल बेकार हैं । आपने निर्यात निगम की बात की है । मान्यवर, निर्यात निगम मनोरंजन का अड्डा है कुछ अधिकारी निर्यात निगम में मनोरंजन के लिए जाते हैं। मान्यवर, इसकी हालत ठीक नहीं है । मान्यवर, हाथ करघा-उद्योग 67 में बना था 26-27 करोड़ की लागत से आज वह अपने अच्छे कार्य के कारण अपने पैसे को बढ़ाया है । निर्यात निगम 69 में सवा करोड़ की पूंजी से बना था आज उसकी कार्य प्रणाली के कारण उसकी पूंजी में कमी आई है । मान्यवर, हमारे उद्योग मंत्री जी ने कहा कि हम उत्तर प्रदेश मे कालीन के 122 प्रशिक्षण केन्द्र बनाने जा रहे हैं । ऐसे समय में जब ऊर्जा का संकट हो । जिसके ऊपर सारे प्रदेश के उद्योग को निर्भर करना पड़ता है । ऊर्जा का 30 प्रतिशत भी जितना मुझे चाहिए, हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं होता है । मान्यवर, आज उद्योग के लिए उर्जा का अभाव है । मान्यवर, उद्योगों में कालीन एक ऐसा उद्योग है जिसमें एक यूनिट भी बिजली नहीं लगती है, एक पैसे का डीजल नही खर्च होता है जिसमें जनरेटर लगाने हेतु 50 प्रतिशत सबसिडी नहीं देनी पड़ती है, मान्यवर, इस समय उर्जा का संकट है और जब से ईरान की हालत खराब हुई है मान्यवर, एक्सपोर्ट और बढ़ गया है ।

[श्री मोहन सिंह--]

मान्यवर, हस्त कला दिल्ली हमारे प्रदेश में 5 सौ से ज्यादा कालीन प्रशिक्षण का केन्द्र चला रहा है और आपका निर्यात निगम हमारे यहां 122 या 123 प्रशिक्षण केन्द्र चलाने वाला है। मान्यवर, निर्यात निगम ने कालीन के बुनकरों की समस्या को हल करने के लिए धागे की एक फैक्टरी भदोही में लगाई। उस फैक्टरी की क्षमता मान्यवर 4 लाख किलो ग्राम धागे बनाने की है और तैयार हुआ पिछले साल एक लाख किलोग्राम। केवल एक लाख किलोग्राम ऊनी धागे तयार कर सके। अपनी क्षमता का 1/4 धाग फैक्टरी नही बना रही है। जितना अच्छा काम वित्त निगम ने किया, इलेक्ट्रानिक निगम ने किया, हथ करघा निगम ने किया क्या आप जांच करायेंगे कि निर्यात निगम की क्या कार्यप्रणाली है क्यों वहां काम ठीक से नहीं चल रहा है। स्विस लेदर हिन्दुस्तान का तैयार चमड़ा दुनियां के बाजारों में एक्सपोर्ट किया जाता है उसके चलने से चमड़े का दाम बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के उद्योग मंत्री ने कहा कि चमड़ा कारपोरेशन ऐसे जूते तयार करेगा जो 33 रुपये या इससे भी सस्ते होंगे। ऐसी स्थिति इसलिए आई, कि पिछले दो वर्षों में फिनिश्ड लेदर बड़े व्यापक पैमाने पर विदेश भेजा जाने लगा और उत्तर प्रदेश का योगदान उसमें सबसे ज्यादा है। फुट वेयर के रूप में जो जूता बाहर भेजते हैं वह इंटरनेशनल मार्केट में कम्पटीशन में कम्पटीट नहीं कर पाता क्योंकि फिनिश्ड लेदर बाहर भेजने से दो में लेदर के दाम बढ़ जाते हैं। लिहाजा सरकार फिनिश्ड लेदर को बाहर जाने से रोके। उससे अपने प्रदेश में जो लोग चमड़े का काम करते हैं उनको रोजगार मिलेगा। तैयार किया हुआ माल ही बाहर भेजा जाय जैसे अटैची और सूटकेश वगैरह। वह अगर भेजे जायंगे। तो प्रदेश के लेबरों को रोजगार मिलेगा और यह इंडस्ट्री व्यापक रूप से तरक्की कर सकेगी। साथ ही प्रदेश में चमड़े के बने हुए पदार्थ को सर्व कर सकेंगे।

दूसरे जो हमारी पूंजी है वह ज्यादा से ज्यादा छोटे उद्योगों में लगाना चाहिए लेकिन उसके साथ ही बड़े उद्योगों के बारे में भी सोचना पड़ेगा। कुछ ऐसे बड़े उद्योग हैं जो छोटे उद्योगों की समस्या को, उनके उपभोग की वस्तुओं को पूरा करने का काम करते हैं। अपने प्रदेश में आटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत कम है। स्कूटर इंडिया भारत सरकार से कंसर्न है। पिछले साल 18 करोड़ रुपया प्रदेश की सरकार ने आटो ट्रैक्टर, प्रतापगढ़ के लिए दिया और बजट में उसका प्राविधान किया लेकिन आटो ट्रैक्टर, प्रतापगढ़ की यह विडम्बना है जितने मुख्य मंत्री आते हैं सभी बारी-बारी से उसका उद्घाटन करते हैं। 74 में प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधी ने किया (व्यवधान) हमने भी किया।

स्वराज्य ट्रैक्टर तथा आटो ट्रैक्टर दोनों को लाइसेन्स दिल्ली की सरकार ने दिए, एक साथ दिए। स्वराज्य ट्रैक्टर पंजाब का प्रोडक्शन हिन्दुस्तान के हर इलाके का किसान पिछले 5, 7 साल से प्रयोग कर रहा है लेकिन प्रतापगढ़ की आटो ट्रैक्टर फैक्टरी का उद्घाटन हर डेढ़ दो साल बाद इस प्रदेश का मुख्य मंत्री कर देता है और प्रोडक्शन उसका आज अक नहीं हो सका। इसी तरह से पेट्रो केमिकल काम्पलेक्स की हमारी 2 अरब की योजना थी जिसके लिए प्रदेश की सरकार विगत दो सालों से लड़ रही है। यह तय हुआ मंत्री द्वारा कि इसे मथुरा के पास कर दिया जाय क्योंकि कच्चा माल वहां मिल सकेगा। फिर यह कहा गया कि ताजमहल इससे दूषित हो जायगा इसलिये यह काम्पलेक्स नहीं लगना चाहिये। फिर इलाहाबाद का मंत्री आया तो उसने कहा इलाहाबाद अच्छी जगह है। दिल्ली में पेट्रो केमिकल मिनिस्टर ने यह कहा कि अब यह काम्पलेक्स लखनऊ में लगेगा वसे दिल्ली की

सरकार ने अब तक कोई पैसा नहीं दिया है। जो मंत्री आता है वह अपनी बात कहता है और वही स्थान चुन लिया जाता है।

मुख्य मंत्री ने घोषणा की है कि मथुरा ही रहेगा। बनने का प्रश्न आयेगा तो कहेंगे कि एक्सपर्ट कमेटी बनेगी और फिजिबिलिटी के बारे में रिपोर्ट दे देगी तो फैसला होगा। फिर नया मुख्य मंत्री आ जायेगा और अपने हिसाब से स्थान की घोषणा करेगा। इस तरह से प्रदेश की जनता को गुमराह किया जा रहा है पेट्रो केमिकल काम्पलेक्स के बनाने के बारे में। दिल्ली की सरकार ने कितना रुपया इसके लिये दिया, किस पंचवर्षीय योजना में दिया और कब दिया इसकी भी सफाई हो जाना चाहिये।

[2 बजकर 30 मिनट]

और यदि उसकी सफाई नहीं होती तो मेरा आग्रह है कि जितने पुराने काम्पलेक्स हैं कम से कम उनकी तो सुरक्षा ठीक से कर दी जाये।

नोएडा, एक बहुत ही महत्वकांक्षी योजना बनी। वहां के लिए कहा गया कि वहां औद्योगिक बस्ती बनायेंगे, कच्चा माल देंगे, कोयला देंगे, दिल्ली से नजदीक है और सारे उद्यमी वहां पहुंच जायेंगे लेकिन हो क्या रहा है। सरकार होती है वह पार्टी की नहीं होती। पिछले 3-4 वर्षों में कोई, जगदीशपुर का काम्पलेक्स सबसे बड़ा अच्छा एशिया के लिए बनायेंगे, इसके लिए सम्बद्ध योजना, कार्यक्रम होना चाहिए। प्लास्टिक उद्योग, चमड़ा उद्योग के लिए समन्वित नीति की घोषणा होनी चाहिए और जब घोषणा होनी चाहिए तो मैं यह कहना चाहूंगा कि यहां की नीति का एक लक्ष्य हो कि हमें जब असन्तुलन को दूर करना है, जब इसको दूर करने चलेंगे तो एस० आर० डी० सी० और पिकअप जो हैं और ये सारे अपने प्लाट्स केवल उन्हीं इलाकों में डेवलप क्यों करते हैं जहां इण्डस्ट्रियल एरिया डेवलप्ड हैं। उन्हें मजबूर करके ऐसे इलाकों में भेजा जाये और 2 साल के लिए कर दिया जाये कि वहां इण्डस्ट्रियल इस्टेट बनायें जहां पहले से नहीं हैं।

ग्रोथ सेन्टर्स, आप कहते हैं कि 82-83 तक 400 ग्रोथ सेन्टर्स कायम कर देंगे। आज समस्या पूंजी की नहीं है। समस्या है कच्चे माल की, समस्या है उसके बाजार की, मार्केट की, उसके बिकने की क्योंकि जिस तरह से कम्पटीशन है उपभोक्ता सस्ता माल खरीदना चाहता है। यदि आसानी से छोटी जगहों पर मार्केट उपलब्ध नहीं होगा तो पिछड़े इलाकों में भेजने से कुछ नहीं होगा। वह वहां नहीं जायेंगे, अगर जायेंगे तो यूनिट्स बीमार हो जायेंगी।

उद्योग विभाग क्या विद्युत् विभाग से संघर्ष करने के लिए तैयार है। जब चाहें बिना सोचे समझे, मनमाने ढंग से कटौती होती रहती है। इससे लिए कोई समन्वित नीति उद्योग विभाग और विद्युत् विभाग के साथ बनायी जाये जिससे मनमाने तरीके से विद्युत् की कटौती न करें। इसके लिए बातचीत होनी चाहिए।

आपकी इकाइयां हैं, जैसे दवा बनाने के छोटे कारखाने, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का भाषण सुन रहा था, बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों

[श्री मोहन सिंह--]

में दवा की पूर्ति आई० डी० पी० एल० से करेंगे । जो उसकी क्षमता है वह सरकार और जनता की जो आवश्यकता है उसके लिए सक्षम नहीं है । यह भ्रान्ति धारणा है कि जो निजी क्षेत्र के उद्योग हैं उनमें सरकार की पूंजी नहीं है । मैं कहना चाहता हूं कि जितनी छोटी इकाइयां हैं उनका जनता का, शासन का, आपकी वित्तीय संस्थाओं का काफी पैसा लगा हुआ है । इसलिए यह उद्योग विभाग की जिम्मेदारी है ।

तो 80 फीसदी है लेकिन मैं कहता हूं कि 100 फीसदी पैसा लगा हुआ है इसलिए यह उद्योग विभाग की जिम्मेदारी है कि उन छोटी इकाइयों को दूसरे की लापरवाही से बीमार होने से बचावें । जो छोटे उद्योग हैं उनका क्रेडिबिलिटी पेश करने का 2 वर्ष का समय निर्धारित किया गया है, यह समय काफी है । 2 साल में हमारी इकाइयां बीमार हो जायेंगी । 6 माह की अवधि भी होती है। जो हमारे लघु उद्योग और छोटी इकाइयां हैं 6 माह में उनके क्रेडिबिलिटी पेश न करने के बाद उनको सप्लाई आदेश मिलना चाहिए । दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि ग्लूकोज का लोशन 9 घंटे में तैयार होता है । चार घंटे आप बिजली देते हैं । क्या कारण है कि ग्लूकोज का उत्पादन कम नहीं होता । होता यह है कि यह जो बड़े उद्योग हैं वह चोरी से बिजली ले लेते हैं, उनका उद्योग बन्द नहीं होता । जो छोटी इकाइयां हैं, आई० आर० डी० स्कीम में, जिला उद्योग केन्द्र योजना के तहत, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट योजना के तहत, यू० पी० एफ० सी० से जो लोन लेकर जो ग्रोथ सेन्टर चलते हैं । उनमें बिजली की कटौती बढ़ी है । बिजली की कमी के कारण यह बैठती जा रही है । इसमें तब्दीली करनी होगी ।

इन शब्दों के साथ यदि उद्योग विभाग इस तरह के काम के लिए एक रुपया भी मांगें तो मेरा सहमति होगी लेकिन इनके जैसे मंत्री को इस तरह से कार्यरत विभाग को एक रुपया भी देने में मैं इस प्रदेश की भावनाओं का अपमान समझता हूं । इसलिए मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

*श्री प्रियदर्शी जेतली--

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत ही मशकूर हूं कि आपने मुझे उद्योग विभाग के इस अनुदान पर बोलने का अवसर दिया । हमारे मंत्री जी ने अनुदान पेश करते हुए प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों को बढ़ाने के लिए जो औद्योगिक इकाइयां स्थापित हैं उनको सहायता देने के लिए बहुत विस्तार से अपनी बातें सदन के सामने रखीं । भूतपूर्व राज्य उद्योग मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना कटौती का प्रस्ताव पेश करते हुए जितनी बातें कहीं, उनको भी मैंने सुना । जहां तक उनके कटौती के प्रस्ताव की बात है यह तो दुर्भाग्य इस प्रदेश का रहा है कि एक शासन ऐसा भी आया प्रदेश में जिसने सभी कटौती ही कटौती की इसके अलावा कुछ नहीं किया ।

(शोर)

आपकी कटौती का आलम इस हद तक पहुंचा कि आप घटकर 106 रह गये और प्रदेश और देश को तबाह कर दिया । जो मोहन सिंह जी ने कहा उसमें कुछ बातें ऐसी हैं जिनसे मैं भी इत्तफाक करता हूं लेकिन जहां तक उद्योगों के बढ़ाने की बात है उससे कतई इत्तफाक नहीं किया जा सकता । आज देश की बढ़ती हुई आबादी, खेतों के बटने से इस बात की दिक्कत आ रही है । अगर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

खेतों को बटने से रोका नहीं गया, खेतों पर से बोझ नहीं हटाया गया तो यह जो कृषि का ढांचा बना हुआ है, इससे देश चलने वाला नहीं है। जरूरत इस बात की रह गयी है कि इस देश का औद्योगीकरण किया जाय। उद्योग का जो केन्द्रीकरण है जो शहरों में किया जा रहा है उसको अलग देहातों में लाया जाये। जो शहरों में किसी के रहने की जगह नहीं है और गांव खाली होते जा रहे हैं, उस समस्या को इससे लाभ पहुंचेगा। सवाल इस बात का उठता है कि हम जिन योजनाओं को बना रहे हैं उनको तेजी से चलाने के लिए हम जिन साधनों पर काम करते हैं, उन साधनों को भी देखना होगा। मेरी बात की एक नहीं बीसियों मिसालें हैं। माननीय मन्त्री जी, मैं आपके सामने एक के बाद एक मसले को रखना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि क्या आपकी मशीनरी जो आपके प्रोग्राम हैं, जिनको कि आप धरती पर उतारना चाहते हैं, या जो आपकी कल्पना है, या जो आर्थिक उत्थान प्रदेश में कराना चाहते हैं, क्या उस मशीनरी से यह सम्भव हो सकेगा? मान्यवर, आपने इन्डस्ट्रियल इस्टेट की बात की। आप फैजाबाद जिले में देखें कि वहां के उद्योग बंद पड़े हैं। इंडस्ट्रियल इस्टेट के नाम पर जो जमीन ली गयी है, वहां पर, कोई भी यूनिट खड़ी नहीं है। मोहन सिंह जी ने निगम के बारे में भी कहा। मान्यवर, निगम के मायने हैं न कोई गम, जिसको कोई गम न हो। इन निगमों को कोई गम नहीं है। मान्यवर, मैं खासतौर से अकबरपुर स्पिनिंग मिल के बारे में माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जरा गौर करके देखें। माननीय मोहन सिंह जी का भी ध्यान उसकी ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि अकबरपुर स्पिनिंग मिल में गोली चली और इसी सदन में तत्कालीन मुख्य मन्त्री जी और उप-मुख्य मन्त्री जी के बयान हुये हैं। जरा उसको गौर से सुनें। उस बयान को किसने तैयार किया है? निगम ने, मान्यवर, तैयार किया है, जहां कोई गम नहीं है। लेकिन इस माननीय सदन को और प्रदेश की जनता को गम है। जरा गौर करें। अकबरपुर मिल में गोली चली। तत्कालीन मुख्य मन्त्री, श्री बनारसी दास जी ने इसी सदन में बयान दिया वहां से प्राप्त सूचना के आधार पर कि--

> "14 अप्रैल, 1979 को दोपहर के लगभग 12.00 बजे अकबरपुर कताई मिल यूनियन के अध्यक्ष श्री बाबर तथा सर्वश्री प्रियदर्शी जेतली, फकउल हसन, रमाशंकर सिंह, दीन मोहम्मद तथा गुलाम रसूल आदि बहुत से व्यक्ति मिलकर गेट पर एकत्रित हुये। उन्होंने उत्तेजनापूर्ण भाषण दिये और श्रमिकों को 2.00 बजे दिन से हड़ताल करने के लिये उकसाया। उन्होंने श्रमिकों को काम पर जाने से रोकने का भी प्रयास किया। किन्तु श्रमिकों ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और काम पर आ गये। इस पर प्रदर्शनकारियों ने मिल पर हमला कर गेट को क्षति पहुंचाई। सुरक्षा कार्यालय के सोसे एवं फर्नीचर तोड़ दिये। देशी पिस्तौल से गोलियां चलाईं जिससे मिल के दो सुरक्षा गार्ड घायल हो गये। आग लगाने की चेष्टा की।"

तो मान्यवर, यह तत्कालीन मुख्य मन्त्री श्री बनारसीदास जी का बयान है। तो, मान्यवर, जो रिपोर्ट बनकर वहां से आती है, उस पर जरा गौर करें।

[श्री प्रियदर्शी जैतली--]

वह निहायत फर्जी है। स्पिनिंग मिलों की हालत जरा देखिये। उनके वर्क लोड की बात आयी। अगर आप प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते ह तो उसको बढ़ाकर जनता को सस्ते दामों पर चीजें दें। लेकिन आज स्पिनिंग मिल हैं, वे जो सूत बना रही हैं, वह बाजार के सूत से कहीं घटिया किस्म का है। आपने वहां वर्क लोड तय किया। जो समुन्द्र के किनारे पर मिलें बनी हैं, उनका वर्क लोड तय हुआ। आज आपकी सूती मिलों की क्या हालत है? मान्यवर, करोड़ों रुपये का माल विदेशों से लौट आया। यह है प्रोडक्शन आपके कारपोरेशन का। तो मैं चाहता हूं कि अगर आप कारपोरेशन को डेवलप करना चाहते हैं, अगर आप इंडस्ट्रियल यूनिट को डेवलप करना चाहते हैं तो उसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा। इसके ऊपर गौर करना पड़ेगा। ये इंडस्ट्रियल यूनिट्स इस तरीके से नहीं चल सकती हैं। इन अधिकारियों और कर्मचारियों के भरोसे पर ये प्रोग्राम नहीं चलने वाले हैं। उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल डवलपमेन्ट के लिये जरूरी है कि अगर आप उनको बिजली दे रहे हैं तो इस बात को देखें कि आपकी कितनी इकाइयां बन्द पड़ी हैं जिनको बिजली नहीं मिल रही है। बिजली का बिल बकाया नहीं हुआ। यूनिट्स बन्द होती जा रही हैं। आपको उनकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि प्रदेश में औद्योगीकरण हो और जो छोटी इकाइयां मर रही हैं जिनको बिजली नहीं मिल रही, वे पनप सकें। जनरेटर लगाने की बात कर रहे हैं। मान्यवर, उनके लिये प्रदेश की सरकार को कुछ सोचना पड़ेगा।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय मन्त्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसका समर्थन करता हूं।]

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

मान्यवर, बोलने वालों के नाम दे दिये गये हैं। आप नये नाम लेकर बुलाते हैं जो नाम पहले से दिये गये हैं वह कहां चले गये?

*श्री राजकुमार राय--

मान्यवर, मैं आपका बड़ा आभारी हूं जो आपने मुझे उद्योग बजट का समर्थन और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करने के लिये मौका दिया। मैं उद्योग मन्त्री जी के इस 39 करोड़ रुपये के बजट का स्वागत करता हूं। लेकिन उनसे उम्मीद करता हूं कि जहां उन्होंने हमारे प्रदेश का औद्योगीकरण करने के लिये नये-नये सुझाव रखे हैं तो उसमें कुछ और भी जोड़ने की जरूरत है। मान्यवर, आज जो उद्योग हैं वह शहरों की तरफ चले जा रहे हैं। हिन्दुस्तान और उत्तर प्रदेश गांवों का वासी है। इसलिये मैं सबसे पहले आपके माध्यम से उद्योग मन्त्री से मांग करूंगा कि उद्योगों की दिशा को देहातों की तरफ मोड़ें। जब तक उद्योग-धंधे देहातों की तरफ नहीं जाते हैं तब तक उद्योग-धंधों का विकास नहीं होगा। मैं इस सदन के माध्यम से उद्योग मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि एक दिन ऐसा आयेगा जब देहात के सारे लोग गांवों से निकल कर शहरों में आयेंगे और यहां नाना प्रकार की परेशानियां खड़ी होंगी। मैं ऐसे क्षेत्र से आता हूं जहां एक भी उद्योग धंधा 30 वर्षों की आजादी के बाद भी नहीं खुला।

---

*वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आजादी की लड़ाई में हिन्दुस्तानी सबसे आगे रहे हैं। बर्तानियां की पार्लियामेन्ट में मधुबन कांड की गूंज हुयी थी। यहां सैकड़ों लोग गोली से मार दिये गये थे लेकिन उन शहीदों की याद में वहां कुछ नहीं किया गया है, मैं उद्योग मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि एक घंटे वहां चलकर देखें कि वहां कच्चा माल उपलब्ध है और उद्योग लगाये जा सकते हैं। उद्योगों के नाम पर वहां कुछ फर्जी इकाइयां जरूर हैं। मैं मान्यवर, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इन फर्जी इकाइयों की आजमगढ़ जिले में कम से कम 10 परसेंट की चेकिंग करा लें। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर 10 या 5 परसेंट इकाइयों की चेकिंग करायी जायगी तो पता चलेगा कि फर्जी इकाइयां खद्दरपोशों के हाथों में और बड़े व्यापारियों के हाथों में हैं। यह लोग फर्जी इकाइयां बनाकर, मजदूरों और जुलाहों के नाम पर सूत ले लेते हैं, मोम ले लेते हैं और उसको बाहर बेच देते हैं। इसलिये सबसे पहले जरूरत इस बात की है कि जो कल्पना गांधी जी ने लघु उद्योगों के सम्बन्ध में की थी जिस कल्पना में आप तैर रहे हैं तो जरूरत इस बात की है कि आप हकीकत को स्वीकार कीजिये और कम से कम एक जिले में जो इकाइयां हैं उनकी चेकिंग कराइये। मेरा पूरा विश्वास है कि अगर आप चेकिंग करायेंगे तो 10 में से 7-8 इकाइयां फर्जी मिलेंगी जो सरकार का कच्चा माल और सब्सिडी खा जाती हैं। इसमें आपके विभाग के लोग भी सम्मिलित हैं। जिला उद्योग इकाइयां हों या कानपुर की बड़ी इकाइयां हों अपना शेयर लेकर ही उनको पैसा देते हैं, मुझे इस बात की जानकारी है आपके उद्योग विभाग के कुछ अधिकारी, कर्मचारी, क्लर्क ऐसे हैं जिनके घर पर बैठकर फर्जी इकाइयों के लोग बिल बनाते हैं और उनको लिखने-पढ़ने के लिये सहायता देते हैं, तब बिल पास होता है वरना सैकड़ों बार घूमा करें पास नहीं होता है।

इसलिये मैं निवेदन करूंगा मान्यवर, आपके माध्यम से, कि जो लघु उद्योग हैं उसके लिये जरूरी है कि आप उन्हें देखें और उनकी चेकिंग कराइये और फर्जी इकाइयों को समाप्त करिये जिससे यह इकाइयां सही और बेरोजगार लोगों को मिलें। आपके विभाग से बेरोजगारों को नाना प्रकार के प्रलोभन दिये जाते हैं। मैं जिस जिले से आता हूं, 1977 के जमाने में यह कहा गया कि बेकार ग्रेजुएट्स को दाल मिल या छोटे लघु उद्योगों को लगाने के लिये 10 हजार, 5 हजार रुपये दिये जायेंगे। इसकी जांच कराइये और मुझे उत्तर दें कि बहुत से लोग ऐसे हैं, अवधेश, सारंगधार ने तीन-तीन चार-चार सौ रुपये स्टाम्प में लगाये लेकिन जिला उद्योग अधिकारी ने कहा कि इसकी स्वीकृति नहीं आयी है। आने से पहले 400, 500 रुपये के स्टाम्प खरीद कर के...

श्री अधिष्ठाता---

माननीय सदस्य आप का समय समाप्त हो गया। आप कृपया बैठें।

श्री राजकुमार राय---

मान्यवर, एक मिनट। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस चीज पर ज्यादा ध्यान दें। हमारे क्षेत्र में काफी कच्चा माल है जहां आप चाहें तो पेपर

[श्री राजकुमार राय—]

मिल लगा सकते हैं। एक चीनी मिल की आज्ञा पिछली सरकार ने दी थी घोसी में लगाने के लिए। दुर्भाग्य है उस जिले का कि मुख्य मंत्री भी वहीं के होते हुये भी, लोक दल की सरकार ने घोसी के चीनी मिल का लाइसेन्स रद्द कर दिया। मैं आप से आग्रह करूंगा कि हमारे पिछड़े इलाके में जहां हमारे गरीब लोग रहते हैं एक चीनी मिल की स्वीकृति दें।

फिर मैं आप का आभारी हूं अधिष्ठाता महोदय कि आप ने मुझे अवसर दिया।

श्री केदार नाथ सिंह—

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुये सब से पहले यह कहना चाहूंगा कि बड़े उद्योगों के सम्बन्ध में जो प्राथमिकतायें दी गई हैं उन से विकास तो होगा, उत्पादन तो बढ़ेगा लेकिन बेरोजगारी की समस्या नहीं हल हो सकती। मान्यवर, बड़े उद्योगपति तो खुद कलाकार हैं। वे अपने माफिक वातावरण बना लेते हैं। लेकिन जो छोटे-छोटे उद्योग धन्धे हैं, उनके लिए उचित वातावरण तैयार करने के बारे में सरकार ने कोई बात नहीं कही। मान्यवर, स्थिति यह है कि 91 प्रतिशत ग्रामवासी तीन हेक्टेयर से कम खेती करने वाले हैं और उन का जीवन स्तर उठाने के लिए यह आवश्यक है कि ग्रामीण अंचलों में उद्योग-धन्धों का विकास किया जाय। जब तक हम इस पहलू पर विचार नहीं करेंगे लघु उद्योग विकसित नहीं होंगे, आप देखेंगे कि यह सारा विकास जो उद्योग-धन्धों में हो रहा है वह छोटे उद्योग-धंधों के लिए नगण्य साबित हो रहा है, प्रगति नहीं हो पा रही है। मेरी समझ में जो आया वह मैं आप को बताना चाहता हूं। मान्यवर, मैं यह चाहता हूं कि ऐसी नीति शासन निर्धारित करे उद्योगों की, कि एक-एक अलग-अलग उत्पादन क्षेत्र निर्धारित करे, तो ग्रामीण अंचलों में ही छोटे उद्योग-धन्धों को विकसित करने का मौका मिलेगा। बड़े उद्योगों के लिए क्षेत्र अलग बनाया जाय, छोटे उद्योगों के लिए अलग क्षेत्र निर्धारित किया जाय ताकि उत्पादन का जो कम्पटीशन है वह इन दोनों के बीच में न आये। इससे जो छोटे उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुयें हैं उन के मूल्यों पर भी नियंत्रण रहेगा, छोटे उद्योगों-धन्धे घाटे में नहीं रहेंगे। छोटे उद्योग-धन्धों का कार्य क्षेत्र अलग रहेगा और बड़े उद्योगों का अलग। मैं किसी दल विशेष या शासन की आलोचना नहीं करना चाहता। बड़े लोग हर सरकार को और हर अधिकारी को अपने प्रभाव से प्रभावित कर अपने अनुकूल वातावरण बना लेते हैं। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव शासन से यह है कि अगर आप वर्गीकरण करने की दिशा में सफल हो जाते हैं तो मेरा निश्चित मत है कि इससे ग्रामीण अंचलों में उद्योग-धन्धों का विकास होगा।

मान्यवर, यह मैंने नीति के बारे में, विकास की नीति के बारे में, निवेदन किया। आप देखें मान्यवर, जो जमीन से उत्पादित वस्तुयें हैं और उनसे जो उद्योग चलते हैं जैसे सूती कपड़ा, ऊनी कपड़ा, इनका मूल्य तो निर्धारित होता है लेकिन जो कैमिकल्स से, रसायन से वस्तुयें बनती हैं, आप उन का मूल्य निर्धारित नहीं कर सकते, उनका मूल्य आप अपने अनुमान से भी नहीं लगा सकते, मनमाना जितना चाहें ले लेते हैं जैसे टेरलीन, टेरीकाट की साड़ी के दाम 50 रुपये हैं या 150 रुपये हैं आप अन्दाज नहीं लगा सकते। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जो किसानों से सीधे सम्बन्धित वस्तुयें हैं और जो उद्योग-धन्धे उनसे चलते हैं उनको तो आप नियंत्रित कर रहे हैं लेकिन केमिकल से उत्पादित वस्तुओं का नियंत्रण

सरकार नहीं कर पाती है। मान्यवर, यदि सरकार चाहती है कि ग्रामीण अंचलों से बेरोजगारी दूर हो, देश और प्रदेश में खुशहाली हो तो ग्रामीण उद्योग-धन्धों पर विशेष रुचि लेनी पड़ेगी और विकास के कार्यों को उद्योगों से जोड़ना पड़ेगा। मान्यवर, यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि आज खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड सफल नहीं हो पा रहा है। कुछ वर्ष पूर्व जो चरखे थे वे भी अब नहीं दिखलाई देते हैं। उसकी आज ऐसी स्थिति हो गई है कि उसे भी आज प्रशासक के हाथों में दे दिया गया है जो कि मोहम्मद तुगलक की तरह से दिल्ली से दौलताबाद और दौलताबाद से दिल्ली राजधानी बदलते रहते हैं। इसलिये मैं मांग करता हूं कि खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड को आप तत्काल जन प्रतिनिधियों के हाथ में सौंप दें और प्रशासक के जो कार्य पिछले के निन्दनीय रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुये आप यह कार्य करें।

(श्री विमल प्रसाद तिवारी का नाम पुकारे जाने पर)

एक सदस्य--

जो आपके पास पहले की लिस्ट रखी है उसको भी आप कृपया देख लें।

*श्री विमल प्रसाद तिवारी--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे उद्योग विभाग की मांगों पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया। मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने जो बजट पेश किया है वह एक मार्गदर्शन है प्रदेश की तरक्की के लिये। मैं आशा करता हूं कि इस सरकार के कार्यकाल में औद्योगिक विकास के क्षेत्र में देश में अपने एक स्थान प्राप्त करके ही रहेगा। पिछले तीन साल में जिस प्रकार प्रदेश के औद्योगिक संस्थानों की दुर्दशा हुई वह किसी से छिपी नहीं है। उसके अनेक कारण थे जैसे पानी की कमी होना, बिजली का न मिलना आदि। इन मांगों के सम्बन्ध में विरोध पक्ष की तरफ से कटौती का प्रस्ताव आया है। उनके भाषण में कोई सार नहीं था। सिर्फ आलोचना के लिये आलोचना की गई। कोई ऐसा सुझाव सामने नहीं आया जो प्रदेश की प्रगति और उद्योगों के विकास में मार्ग प्रशस्त करता। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि प्रदेश में बुनकरों की समस्या एक बड़ी जटिल समस्या है और उद्योग विभाग अगर उन समस्याओं को हल कर लेता है यद्यपि हैंडलूम कारपोरेशन, जनता साड़ी की योजना बुनकरों के फायदे के लिये संचालित की जा रही है। फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि उनके लिये कुछ ऐसे काम किये जांय जिससे उनकी भलाई हो सके।

जैसा आप जानते हैं राष्ट्रीयकृत बैंक बुनकरों को अपने करघे चालू रखने के लिये कर्ज देता है और वह कर्ज की रकम 15 सौ रुपये होती है। आप भी अनुमान लगा सकते हैं कि आज इस जमाने में 15 सौ रुपये वह क्या कुछ कर सकेगा और किस तरह से वह उस कर्ज की अदायगी कर सकेगा। इसलिये मेरा सुझाव है कि

*वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री विमल प्रसाद तिवारी--]

प्रदेश का उद्योग विभाग उनसे बातचीत करके उनको 5 हजार रुपये प्रति बुनकर प्रति करघा के हिसाब से दे ताकि वह अपने करघा को चालू रखने के साथ-साथ अपना जीवन-यापन भी ठीक से कर सके। इससे वह अपने पैरों पर भी खड़ा हो सकेगा। आज सरकार द्वारा जो इकाइयां संचालित हो रही है उनकी हालत शोचनीय है। पता नहीं क्या कारण है कि वह इकाई जो है, इकाई कही नहीं जा

[3 बजे अपराह्न]

सकती है। लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ दो-तीन दिन पहले जब मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा कि टैक्सटाइल कारपोरेशन ने अच्छा खासा मुनाफा दिया है। मैं उद्योग मंत्री जी के माध्यम से टेक्सटाइल कारपोरेशन के अधिकारियों को बधाई देना चाहूंगा और चाहूंगा कि इसी तरह से यदि अन्य कारपोरेशन के अधिकारी भी उसको लक्ष्य बना कर काम करें तो शायद इस प्रदेश का भला हो सकेगा।

आपको मालूम है कि 1974 में जब यहां कांग्रेस की हुकूमत थी और 1976 में जब नारायण दत्त तिवारी जी मुख्य मंत्री थे तो उस समय फर्रुखाबाद को मुख्यालय बना कर वहां हैंडलूम कारपोरेशन की सबसिडियरी संस्था टेक्सटाइल कारपोरेशन की स्थापना की गयी थी। मान्यवर, फर्रुखाबाद छापे के मामले में उत्तर प्रदेश में ही नहीं देश में अग्रणीय है वहां से तीन करोड़ रुपये का माल विदेशों को भेज कर आमदनी होती है उसका मुख्य लक्ष्य था कि प्रदेश में छापे के उद्योग को बढ़ाया जाय विशेषकर के यहां के सामान को कठिन समस्या का सामना करना पड़ रहा है उसे बम्बई दिल्ली जयपुर आदि के सामान से मुकाबला करना पड़ता है। लेकिन खेद की बात है कि जब यहां से कांग्रेस की हुकूमत हटी तो उसमें एक गैर-सरकारी व्यक्ति चेयरमैन एक विधायक बने। जब वह चेयरमैन थे तो हमारे यहां गये वहां के लोगों ने पूछा कि फर्रुखाबाद के कलेंडर प्लांट का क्या हुआ तो उन्होंने कहा कि कारपोरेशन कलेंडर नहीं छापता है। अगर यह काम प्रदेश में हो तो इससे उत्तर प्रदेश को कितना लाभ हो सकता है।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री विमल प्रसाद तिवारी--

चूंकि समय समाप्त हो गया है इसलिए मैं इन शब्दों के साथ पुनः उद्योग मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का जोरदार समर्थन करता हूं और उनको बधाई देता हूं कि एक सुन्दर बजट उन्होंने प्रस्तुत किया है।

*श्री जितेन्द्र पाल सिंह--

मान्यवर, उद्योग मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का मैं समर्थन करता हूं।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

मान्यवर, 11 बजे से मेरा नाम आपकी मेज पर रखा है, आपका आभारी हूंगा यदि बोलने का अवसर दें। सुबह से उठापटक कर रहा हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री जितेन्द्र पाल सिंह--

मान्यवर, आज हमारे देश में हर चीज बनती है, लेकिन जनता शासन में हमारे उद्योगों की बड़ी दुर्दशा हुई उसका मैं एक उदाहरण आपके द्वारा देना चाहता हूं। मैं गन्ना प्लांट के बारे में कहता हूं। एक आदमी गन्ना लेकर प्लांट में गया उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है तो उसने कहा मेरा नाम लिख लो उल्लू का पट्ठा और कहा कि दो रुपये क्विंटल गन्ना बेचने आया हूं और इसमें डेढ़ रुपये के हिसाब से मैंने छिलाई दी है। तो ऐसी खेती से क्या फायदा है। मेरी चीनी मिल मालिक से बात हुई तो उसने कहा कि एक्साइज ड्यूटी भले ही हमारी आधी हो गयी लेकिन उसके बाद भी हम को घाटा हो रहा है।

मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश में उद्योगों के विकास के लिए बहुत अच्छे उपक्रम तैयार किये गये हैं जैसे उत्तर प्रदेश वित्त निगम, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम इत्यादि स्थापित किये गये हैं इन सब का उद्देश्य हमारे उद्यमियों को ऋण एवं सहायता देकर उनका विकास करना है। मैं एक सुझाव वर्किंग कैपिटल के सम्बन्ध में देना चाहता हूं। हमारे यहां ऋण दे दिया उद्यमियों को फैक्ट्री लगाने के लिए लेकिन उसे वर्किंग कैपिटल नहीं दी गयी। गरीब आदमी यदि प्लान्ट लगाना चाहे और उसके बाद अपनी सारी पूंजी और सरकार की पूंजी लगा दे और उसको वर्किंग कैपिटल न मिले तो उसके अभाव में उसका उद्योग नहीं चल पाता है। तो मेरा निवेदन है कि वर्किंग कैपिटल का प्राविधान सरकार की ओर से होना चाहिए, ताकि उसका प्लान्ट चल सके। इसके अलावा नई योजनाओं के लिए आवश्यक है कि प्रथम दो वर्षों में, जब उसका उद्योग चलने लगे, उनको एक्साईज ड्यूटी और सेल्स-टैक्स से एक्जेम्ट कर दिया जाए, ताकि वह बड़े उद्यमियों का मुकाबला कर सकें। यदि यह माफ होता तो इन नये उद्यमियों की उनके साथ बराबरी करने की क्षमता बढ़ जाएगी।

ऋण स्वीकृत करने के बारे में एक निवेदन मैं करना चाहता हूं क्योंकि कोई ऋण लेना चाहे तो उसे सालों विभिन्न दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इस व्यवस्था को शीघ्रातिशीघ्र सुधारा जाय। इसमें केवल एक महीने का समय लगना चाहिए यानी अप्लीकेशन देने के एक महीने बाद उसे ऋण मिल जाए, वरना हमारे नये उद्यमियों का विकास नहीं हो सकता है।

श्री अधिष्ठाता--

अब आपका समय समाप्त।

श्री जितेन्द्र पाल सिंह--

अनुसूचित जाति वित्त निगम हरिजनों के लिए उद्योग लगाने हेतु धन की व्यवस्था करता है। किन्तु उक्त निगम को इतना कम पैसा दिया गया है कि वह कोई कार्य नहीं कर सकता है। 3-4 करोड़ की उत्तर प्रदेश में हरिजनों की आबादी है, जबकि 50 लाख रुपया भी इसमें नहीं दिया जाता है। यह व्यवस्था बहुत कम है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस धनराशि को बढ़ाया जाए। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे समय दिया।

श्री हरी किशन श्रीवास्तव--

अधिष्ठाता महोदय, मैं कुछ सुझाव के रूप में कुछ बातें माननीय मंत्री जी के समक्ष रखूंगा । हमारे लिए यह बड़ा अफसोस की बात है कि उत्तर प्रदेश उद्योग के क्षेत्र में भारतवर्ष में सबसे पीछे है । उद्योग मंत्री जी इस बात को जान लें यदि वे इस बात की अनुमति दे दें कि जो उद्योग इस प्रदेश से बाहर जाना चाहते हों, जा सकते हैं, तो कितने ही उद्योग खुशी से इसके लिए तैयार हो जाएंगे और अपना उद्योग बाहर ले जायेंगे । इसका कारण क्या है ? आपको मालूम होना चाहिए । उद्योग मंत्री जी कानपुर के हैं, जो प्रदेश की औद्योगिक राजधानी है । उनकी जानकारी में है कि कानपुर नगर में कूपरलेन नाम की चमड़ की एक एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री चलती थी और उस फैक्ट्री का मात्र एक रुपये में उसका ट्रांसफर किया गया था बाहर से प्रदेश में आने वाले लोगों को स्वदेशी काटन मिल को दिखाया जाता था, जो आज केवल अपने 3 बटा 4 स्ट्रेन्थ पर आज चल रही है ।

उन्नाव में एक औद्योगिक बस्ती बनाई गई है, उस बस्ती के लिए, उन उद्योगों का सफल संचालन के लिए करोड़ों रुपया वित्त निगम ने कर्जा दिया, किन्तु सन् 1973 से उनको पावर न मिलने के कारण वह फैक्टरियां 8 घंटे से ज्यादा नहीं चलीं, कुछ बिल्कुल नहीं चलीं--8 घंटे भी पहले के जनता शासन में चलीं, इनके शासन में तो 6-6 महीने तक ये बन्द पड़ी रहीं और वित्त निगम की ओर से किश्त और ब्याज इनसे लिया जाता था । इसलिए इन्होंने कहा उत्तर प्रदेश के बाहर हमको अपनी फैक्ट्री ले जाने की अनुमति दे दी जाए । मेरा निवेदन है कि जब तक चार-पांच विभागों का समन्वय नहीं होगा, तब तक हमारे उद्योगों का विकास नहीं होगा । बिजली, वित्त निगम, कच्चे माल की उपलब्धि, बने माल की शासन द्वारा प्रार्थना के आधार पर खरीददारी और प्राथमिकता एक साथ जब तक नहीं होगी, हमारे उद्योग की प्रगति नहीं हो सकती है । उदाहरण के रूप में 2 साल पहले 18-19 सौ के भाव यहां लोहे, सरिया बिकती रही और आज सरिया 4000 रुपये प्रति टन की दर से बिक रही है क्योंकि उसके बनाने वालों को बिजली नहीं मिलती मांग से कहीं कम उत्पादन होता है और यहां तक कि जो सरिया हमारे प्रदेश में तैयार होता है, उसको प्रदेश की सरकार ने लेकर हमारे प्रदेश का सिंचाई विभाग बाहर से लाखों रुपये का माल इम्पोर्ट करता है । हमारे यहां पर शासन के विभाग, बाहर के शहरों से जैसे बम्बई, कलकत्ता और अमृतसर आदि से आर्डर देकर माल मंगाते हैं परन्तु प्रदेश के उद्योगों को कोई आर्डर नहीं मिल पाता है जबकि दूसरे प्रदेश हैं अपने-अपने प्रदेशों की औद्योगिक प्रगति के लिए नियम बना रखे हैं कि जो माल हमारे प्रदेश में तैयार होगा, उसको लेने में प्राथमिकता दी जायगी ।

आज मंत्री जी ने सदन में कहा कि जो हमारे प्रदेश में नये उद्योग लगायेंगे उनको हम ऋण देंगे, बिजली में कोई कटौती नहीं करेंगे और टैक्सों में छूट देंगे । इससे बढ़कर हास्यास्पद वक्तव्य और कोई हो ही नहीं सकता है । मैं तो कहता हूं कि हमारे प्रदेश में जो फैक्टरियां लगी हुई हैं, उनकी पहले रक्षा कीजिए उनके विरुद्ध जो ऋण वसूलयाबी की तलवार लटकी है उनको तो एक साल, दो साल या इन्सटालमेंट में लेने की आप बात नहीं करते हैं लेकिन दूसरे लोगों को ऋण देने का आमन्त्रण कर रहे हैं, बाहर के उद्यमियों से आप कहते हैं कि आप हमारे यहां आइये, हम आपको ये-ये छूट देंगे । आपके इस आश्वासन पर कोई भी इस प्रदेश में आने वाला नहीं है क्योंकि लोगों को

अच्छी तरह से जानकारी है कि इस प्रदेश में उद्योग के क्षेत्र में क्या-क्या हो रहा है ?

मान्यवर, हमारे एक मित्र पीलीभीत में जो एक शुगर मिल के मालिक हैं। मैंने उनसे पूछा कि क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों की क्षमता गिरती चली जा रही है ?

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

चुनाव में चन्दा दिया था या नहीं दिया था ?

श्री हरी किशन श्रीवास्तव--

उन्होंने हमें कितना चन्दा दिया, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। मैंने उनसे पूछा कि जब प्रदेश में इतना अधिक गन्ना पैदा होता है, इतनी शुगर मिल्स है, तो क्या कारण है कि हमारी शुगर मिल्स का उत्पादन दूसरे प्रदेशों, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश में जो मिलें लगी हुई हैं, उनसे कम होता है, हम क्यों नहीं उन मिलों से कम्पीटिशन कर पाते हैं ? तो उन्होंने इसका मुख्य कारण यह बताया कि आज से 10 वर्ष पूर्व शासन ने एक नारा दिया था कि वे इन शुगर मिल्स का राष्ट्रीयकरण करेंगे। उस समय से हमारे प्रदेश में मिल वालों में से किसी ने भी एक नया पैसा इनमें नहीं लगाया और अगर उनका बस चले तो एक बोल्ट और एक-एक ईंट उन्होंने मिलों से निकाल लें क्योंकि उन्होंने सोचा था कि इनका तो राष्ट्रीयकरण होगा ही। इसलिए यहां के मिलों की दुर्दशा होती चली गई। तो हमारा दृष्टिकोण आज भी स्पष्ट नहीं है कि हम अपने प्रदेश में उद्योग को कायम रखना चाहते हैं या नहीं। हमें इसकी प्रगति के लिए सोचना चाहिए। जब तक हम इसकी समृद्धि की बात नहीं सोचेंगे तब प्रदेश में कोई प्रगति नहीं हो सकती है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो माननीय उद्योग मंत्री ने रुख अपनाई है उसमें ये सफल नहीं हो सकते हैं।

इन शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री बृद्धि नारायण सिंह--

मान्यवर, आज सदन में प्रस्तुत उद्योग के सम्बन्ध में हमारे उद्योग मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है उसका मैं समर्थन करते हुए कुछ बातें कहना चाहता हूं। इस सम्बन्ध में मुझे कुछ सुझाव भी देने हैं। पहला सुझाव मेरा यह है कि हमारे यहां भदोही में कालीन का बनाया जाना इस प्रदेश के निर्यात में सबसे बड़ा स्थान रखता है। लेकिन यहां पर कालीन उद्योग के लिए जो कच्चे माल की जरूरत होती है वह यहां पर तैयार नहीं होता, केवल ऊनी धागा ही तैयार होता है। जैसा कि माननीय मोहन सिंह जी ने कहा कि भदोही में लगे ऊनी धागे की मिलें अपनी उत्पादन क्षमता का केवल 25 प्रतिशत धागा ही तैयार कर पा रही हैं। इनकी क्षमता को बढ़ाया जाना चाहिए। साथ ही यहां पर इसी ऊनी धागे की 4-6 मिलें और लगाई जायें ताकि यहां की आवश्यकता पूरी हो सके।

[श्री बुद्धि नारायण सिंह--]

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अभी कुछ दिन पहले बताया था कि हमारे यहां भदोही में कालीन प्रशिक्षण केन्द्र खोला जायेगा। आज भी अपने बजट भाषण में उन्होंने इस बात को दोहराया है कि कालीन प्रशिक्षण केन्द्र खुल रहे हैं। इस सम्बन्ध में मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि इस क्षेत्र के अधिकांश बच्चे कालीन उद्योग में लगे रहते हैं जिन्हें 10-15 रुपये प्रतिदिन मिल जाते हैं और जिसकी वजह से वे विद्यालय में न जाने से अशिक्षित रह जाते हैं। अगर वहां इस ओर ध्यान न दिया गया तो भदोही में 90-95 फीसदी लोग अशिक्षित हो जायेंगे। इसके लिए मेरा सुझाव यह है कि इस क्षेत्र के जूनियर हाई स्कूल, हायर सेकेन्ड्री स्कूल, इंटरमीडिएट स्कूलों में कालीन बुनाई प्रशिक्षण केन्द्र खोले जायें ताकि बच्चों को इसका प्रशिक्षण दिया जा सके। 1977 में जब माननीय नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार थी, वे मुख्य मंत्री थे, तब इस सम्बन्ध में काफी सर्वे हुआ था और एक योजना इस सम्बन्ध में बनाई गई थी पर उसके बाद में जनता पार्टी की सरकार ने उस योजना को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। मैं चाहूंगा माननीय मंत्री जी इस ओर विशेष ध्यान दें।

एक बात और कहना चाहता हूं। हमारे प्रदेश में स्नातक बेरोजगारी की समस्या बड़ी भीषण है। अगर प्रदेश के इन स्नातकों को कालीन बुनने का प्रशिक्षण दिया जायेगा तो वे बेरोजगार भी नहीं रहेंगे और काफी अच्छा पैदा कर सकेंगे। इसके लिए उनको किसी फैक्टरी को लगाने की या अधिक पूंजी लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कालीन बनाकर देशी और विदेशी कम्पनियों के हाथ बेच सकते हैं और इसका निर्माण 2 हजार से लेकर 10 हजार व 20, 25 हजार रुपये तक में हो जाता है। अच्छी नौकरी में भी यह स्नातक लोग उतना पैसा नहीं कमा पायेंगे जितना इस उद्योग के द्वारा पा सकते हैं। फिर यह उद्योग भी उनके हाथों अच्छी तरक्की कर सकता है क्योंकि अभी तक तो जो लोग यह काम करते हैं वे प्रशिक्षित नहीं होते, पढ़े-लिखे नहीं होते, जब पढ़े-लिखे लोग, प्रशिक्षित लोग इस काम को करेंगे तो यह उद्योग काफी तरक्की करेगा, अच्छा माल बनेगा और विदेशों के मुकाबले हमारा कालीन काफी अच्छा होगा।

(व्यवधान)

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ समय मांगने के लिए खड़े होने पर)

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

आप लोग शान्त रहिये।

श्री मुईद अहमद--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं जो आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

केवल एक सदस्य बोलें। मैंने श्री मुईद अहमद का नाम पुकारा है, कृपया उन्हें बोलने दें।

(व्यवधान)

संख्या 27--उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण), अनुदान संख्या 63--उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग), अनुदान संख्या 65--उद्योग विभाग (ग्राम्य एवं लघु उद्योग), अनुदान संख्या 66--उद्योग विभाग (खाने और खनिज), अनुदान संख्या 87--उद्योग विभाग पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 114--उद्योग विभाग-ऋण और अग्रिम

श्री मुईद अहमद--

मान्यवर, मेरा नाम पुकारा गया लेकिन इतना व्यवधान सदन में है कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

दो सदस्य इधर के और एक सदस्य उधर के बोलेंगे। श्री मुईद अहमद का नाम पुकार लेने दिया है, इनको बोल ने दिया जाय। आप लोगों को भी समय मिलेगा। आप लोग बैठ जायं।

(व्यवधान के मध्य)

श्री मुईद अहमद--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो बजट हमारे माननीय उद्योग मन्त्री महोदय ने रखा है, वह बजट कुछ कल्याणकारी मालूम पड़ता है। इसलिए मैं इस बजट का हृदय से समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय उद्योग मन्त्री जी ने जो बजट रखा है, वह लगता है कि औद्योगीकरण की नीति को अच्छा बनाने के लिए रखा है।

(व्यवधान)

श्री श्याम लाल वाजपेयी--

मान्यवर, आप सदन के स्वामी के रूप में बैठे हैं . . .

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

आप लोग कृपया बैठ जायं और श्री मुईद अहमद को बोलने दें।

(व्यवधान)

श्री श्याम लाल वाजपेयी--

मान्यवर, आप इस तरफ भी कृपा दृष्टि तो कर दिया करें।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

जो लिस्ट माननीय संसदीय मन्त्री जी ने भेजी है, उसी के अनुसार आप लोगों के नाम आ रहे हैं।

(व्यवधान)

समय क्यों खराब कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

आप लोग उन्हें बोलने दीजिये ।

(व्यवधान)

श्री कुबेर भंडारी--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

आप बैठ जाइये ।

(व्यवधान)

श्री मुईद अहमद--

अगर किसी प्रदेश को आपको उठाना है और उसको इण्डस्ट्रिलाइज बनाना है, तो उद्योगीकरण होना चाहिए । इन्डस्ट्रिलाइजेशन होना चाहिये । अगर इसका उद्योगीकरण होगा तो वह प्रदेश निश्चित ही प्रगति करेगा क्योंकि दूसरे साधन अब ऐसे नहीं रह गये हैं, इस बढ़ती हुयी आबादी को देखते हुए किसी भी देश और प्रदेश की प्रगति हो सके । इसलिए उद्योगीकरण बहुत जरूरी है और आपके उद्योगीकरण न करने के कारण आज का पूंजीपति बड़े-बड़े शहरों की ओर भाग रहा है, कलकत्ता बम्बई भाग रहे हैं, उसे बड़े-बड़े शहर ही कानपुर जैसे दिखायी पड़ते हैं । तो इसका कारण वह नहीं है कि उनके लिए उनके वहां उठने-बैठने के लिए जगह नहीं है । उसका एक मात्र कारण सिर्फ यही है कि जो इन्डस्ट्री खोलने वाला आदमी है और जो बड़ी-बड़ी पूंजी लगाने वाला आदमी है, वह छोटे-छोटे शहरों और देहातों में अपना रुपया नहीं लगाना चाहता है, इसलिए कि हमारी सरकार उन्हें इसके लिए प्रोत्साहित नहीं करती । अगर उनको इस ओर प्रोत्साहन मिले तो कोई वजह नहीं कि वह अपने उद्योग इन छोटे-छोटे स्थानों पर स्थापित न करें ।

दूसरी बात माननीय मन्त्री जी से, जोकि घोषणा की है कि बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स को भी इस ओर प्रोत्साहन देंगे । मगर देखने में यह आता है कि जितने बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हैं, उनको प्रोत्साहन देना तो दूर रहा जो कायदे की फैक्ट्रीज हैं और जिनके पास कायदे के लाइसेंस हैं, उन पर भी पाबंदी है और इसके दूसरे तरफ यह हो रहा है जो लोग गलत उद्योग धंधे करते चले आ रहे हैं, उनके लाइसेंस रद्द नहीं किए जा रहे हैं, और उनको आज भी लाइसेंस दिये जा रहे हैं और कई यूनिट नई लगने वाली थी, उनको मौका नहीं दिया जा रहा है । जो छोटे-छोटे डिस्ट्रिक्ट हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिलना चाहिए । जब लोग नये लाइसेंस के लिए प्रार्थना करते हैं तो पता चलता है कि नये लाइसेंस देने अब बन्द हो गये हैं तो मैं जानना चाहूंगा कि अगर आप इस तरह की पाबन्दी लगायेंगे तो और जो उद्योगीकरण की नीति की बात करते हैं ?

(शोर)

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री मुईद अहमद--

मान्यवर, मेरा सारा समय व्यवधान में निकल गया मुझे कुछ समय और दिया जाये, जितना समय हमारा शोर में गया है । दूसरी चीज में कहूंगा कि जब हमारी सरकार ने इन्डस्ट्रीज की ओर कदम बढ़ाया था तो उस समय जनता और लोकदल की सरकार आ गयी और सारी योजनाओं और स्कीमों का कबाड़ा निकाल दिया । अन्त्योदय योजना और तमाम योजनाओं द्वारा उन्नति और प्रगति के नाम पर खूब घोटाला हुआ है ।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री मुईद अहमद--

मान्यवर, एक मिनट का समय और दे दें तो तीसरी बात में यह कहूंगा कि एक गन्ना मिल सुल्तानपुर में लगनी थी और इस जनता पार्टी के शासन म

(शोर)

श्री अधिष्ठाता--

अब आप बैठें आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

मान्यवर, विरोधी पक्ष के लोगों का समय काट कर हम लोगों को दिया जाय ।

श्री ऊदल--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं मोहन सिंह जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । मोहन सिंह जी ने बहुत अच्छे ढंग से कटौती के प्रस्ताव को रखा है चाहे उसका कुछ असर पड़ा हो यानि पड़ा हो । मान्यवर, हमारे देहात में एक कहावत है भैंस के आगे बेन बजावें, भैंस खड़ी पगुराय ।

श्री श्यामलाल बाजपेयी--

पड़वा के आगे भोपू बजावें तो पड़वा क्या करे ?

श्री ऊदल--

श्रीमन्, जब तक किसी देश का औद्योगीकरण नहीं होता है तब तक वह देश विकास नहीं कर सकता है । मान्यवर, आज जो देश आगे बढ़े हैं दुनिया में, किसी भी देश को आप देख लें चाहे वह पूंजीवादी हो या समाजवादी हो वहां पर बड़े

[श्री ऊदल]

पैमाने पर औद्योगी करण हुआ है और उसी का नतीजा है कि कृषि से लोग हटकर उद्योग में चले गए और उद्योग में जाने से उनको काम मिल जाता है। नौकरी मिल जाती है। उद्योग के द्वारा ही उन देशों की उन्नति हुई है। आज उसी नीति पर देश की तरक्की हो सकती है मान्यवर, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। अब मैं श्रीमन्, आपकी आज्ञा से यह कहना चाहता हूं कि हमारे यहां औद्योगीकरण की नीति बहुत अच्छी बनी थी लेकिन उस नीति के मुताबिक कार्य अपने प्रदेश में नहीं हुआ। मान्यवर, अपने प्रदेश को ही देखें, देश में तो बहुत से उद्योग धंधे हैं। जो कुछ भी प्रदेश के पास अपने उद्योग हैं उनका भी कन्ट्रोल भारत सरकार करती है।

हमारे प्रदेश मे 2 कारखाने हैं सीमेन्ट की एक चुर्क में और एक डाला की चुनार में। कारखाना तो अभी बन रहा है इसके अलावा कोई उद्योग नहीं है। अब प्राइवेट लोगों को देखें तो उद्योग धंधे हैं। काटन उद्योग कानपुर में है जहां से उद्योग मंत्री जी आते हैं लेकिन उनकी हालत क्या है उनकी हालत खस्ता है और जो चमड़े का उद्योग है उसकी हालत खराब है, फ्लेक्स कम्पनी, जो जूते बनाती थी। काफी दिनों से बन्द पड़ी है उसकी हालत खराब है। आगरा में मान्यवर, जूते का उद्योग है वहां पर प्राईवेट लोग जूते बनाते हैं और बाटा कम्पनी उन जूतों को लेकर उनपर अपनी मुहर लगाता है, पता नहीं उद्योग विभाग क्यों कुछ नहीं करता है उन्हें छूट दिए हुए हैं वहां के जूतों की हालत खराब है। यह आप जानिए क्यों नहीं कुछ करते हैं ? आप जानते हैं किन्तु बता नहीं रहे हैं। सरकार ने एक नीति निर्धारित किया था कि हर जिले में इंडस्टियल इस्टेट बनायेंगे। उसमें उद्योग धंधे करने वाले लोगों को लगायेंगे। जौनपुर के इंडस्टियल इस्टेट का जिक्र करना चाहता हूं, हमारे बनारस में जो इंडस्टियल इस्टेट है वह आधे में कुछ काम होता है और आधा बन्द पड़ा हुआ है और मैं समझता हूं कि पूरे प्रदेश की यही हालत है। 50 करोड़ रुपया जमीन तथा इमारत में लगा दिया गया। मैं मांग करता हूं कि एक कमेटी बनाई जाय जो इन सारे इंडस्टियल स्टेट की जांच करेंगे कि उनमें इतना रुपया लगाने के बाद आज तक कितने उद्योग धंधे स्थापित हुए। जो इतना रुपया और किसानों की जमीन लगी उसका क्या हुआ ? मान्यवर, आज चमड़ा बहुत महंगा हो रहा है और चमड़ा जो मरे हुए जानवर की खाल है जो लोग इस खाल को पहले निकालते थे वह इन जानवरों की खाल को निकालने के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने काम को बन्द कर दिया। अच्छा है समाज में वह नहीं करना चाहते हैं न करें उसमें मुझे आपत्ति नहीं है। (व्यवधान) नहीं करना चाहिए उनको। वह काम करते थे लेकिन बच्चे पैदा होते तो नाल काटने जैसा गंदा काम उनसे कराया जाता था। करोड़ों रुपए की विदेशी मुद्रा चमड़े से मिल सकती है, देश का उद्योग धंधा भी चल सकता है लेकिन मरा पशु हर गांव में गाड़ा जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि चमड़े का उद्योग बढ़े, राष्ट्रीय आय बढ़े तो इसको रोकने की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि मरे हुए पशुओं की खाल निकाली जा सके। चुर्क तथा डाला का उत्पादन कम है। बिजली की कटौती के अलावा जो वहां का खराब प्रबन्ध है उससे हालत बहुत खराब हो रही है और जितना उत्पादन होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है। उद्योगों को बढ़ाने की दो तरह की नीति हमारी सरकार की है। एक पब्लिक सेक्टर, दूसरी प्राइवेट सेक्टर। उसके साथ छोटे उद्योग धंधे जैसे हथकरघा उद्योग हैं। इस तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है। जो पीतल का उद्योग, करघे का उद्योग तथा लकड़ी का उद्योग था उसकी हालत खराब हो रही है। उसके लिए एक समिति मुकर्रर की जाय। सिल्क के उद्योग की क्या हालत है ? कमेटी देखेगी और जांच करेगी

तो इन उद्योगों की तरक्की हो सकेगी। इन शब्दों के साथ में मोहन सिंह के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

अधिष्ठाता महोदय, मुझे बड़ी आशा थी कि उद्योग मंत्री प्रदेश के उद्योगों को कुछ नई दिशा दे सकेंगे लेकिन बड़ी निराशा हुई उनके बजट भाषण को सुनकर प्रदेश को उन्होंने कुछ नहीं दिया। ऐसा लगता है कि जो एक कयास, अनिश्चितता की स्थित चल रही है कुछ महीनों से वही चलती रहेगी। बदकिस्मती यह है कि इस देश में कोई औद्योगिक नीति आज तक नहीं बन पाई। फिर प्रदेश क्या कर सकेगा? 56 में जो इंडिस्ट्रियल पालिसी बनाई गई थी उसके तहत उद्योगों के विकास के सम्बन्ध में प्रदेशों की सरकारें कुछ करती रहती थीं। देश जब आजाद हुआ तो उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल पोटेंशियली में सातवीं नम्बर पर था लेकिन आज उसका नम्बर आखिरी नम्बर पर आ गया है यानी सबसे नीचे। सोचना यह होगा कि जो बेसिक इंडस्ट्रीज है उस सम्बन्ध में हमारी क्या नीति है, स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के सम्बन्ध में हमारी क्या नीति है? करोड़ों रुपया हम लगाते जा रहे हैं, मंत्री जी को ज्यादा जानकारी है, कानपुर के रहने वाले हैं और कानपुर एक औद्योगिक केन्द्र है। नोएडा को मैं देख कर आया हूं। करोड़ों रुपया वहां पर लगाया गया और आज एक भी इंडस्टी वहां फंकशन नहीं कर रही है। सारे दिल्ली के लोग वहां कब्जा कर लिए हैं। एक लाख एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया है। इस तरह से जहां भी पैसा लगा है, खलीलाबाद में है, वहां भी कुछ नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, कोई कोआर्डिनेशन नहीं है। हिंडालकों की बिजली नहीं कटेगी, मोदी की बिजली नहीं कटेगी। कटेगी किसकी वह छोट लोहार, सोनार, छोटे-छोटे उद्योग जो हैं उसकी बिजली कट जायेगी। उसकी रिकवरी के लिए डिमान्ड नोटिस इसू हो जायेगी। करोड़ों रुपया हिंडालको पर बाकी है उसके लिए कुछ नहीं होगा। जब तक क्रान्तिकारी कदम नहीं उठायेंगे, मंत्री जी यह बजट बजट रह जायेगा।

जनता सरकार ने, मैं कोई राजनीतिक भाषण नहीं करने जा रहा हूं, एक काम किया था कि हम निश्चित उन उद्योगों को जो छोटे लोग हैं उनको बड़े पूंजीपति को कम्पीट नही करने देंगे। जब बड़े पूंजीपतियों का छोटों से कम्पटीशन हो जायेगा तो वह पनप नहीं सकेंगे। वह कागज का उद्योग चला रहें हैं लेकिन बड़ी मिलों के सामने टिक नहीं पा रहे हैं। बिजली की गारन्टी दी जाए, पूंजी में नियोजन का और जो माल बना रहे हैं उसको खरीदने की गारन्टी दी जाये और तब देखिए कि कैसे उद्योग नीति फेल होगी। माल वह बना रहे हैं लेकिन कम्पटीशन में कम्टीट नहीं कर सकते। मैं मंत्री जी से स्पष्ट मांग करता हूं, कि आप सीरियस हो, आप सीरियस हैं, होना भी चाहिए, दिल और दिमाग से, तो कम्पटीशन को दूर करने के लिए जो छोटे उद्यमी हैं उनके बने माल की गारन्टी उनको दीजिए। जितना भी माल बनायेंगे सरकार खरीदेगी यह हमारी गारन्टी है। तब यह उद्योग नीति असफल नहीं होगी। छोटे-छोटे जो उद्योग

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--]

हैं, करघे हैं। पीतल का उद्योग है, इसलिए फेल हो रहे हैं क्योंकि बड़े उद्योगों को कम्पीट नहीं कर सकते। रिलेक्शेसन दीजिए, कर्जा देने में, मुझे कहने में शरम नहीं है, आपका इंडस्ट्रीज डिपार्टमेन्ट का सारा पैसा, 80 फीसदी पैसा बड़े-बड़े पूंजीपतियों के पास चला जाता है। छोटे-छोटे उद्योग, जिनके हाथ में देने का वायदा किया है, तो जो बड़े पूंजीपतियों के पास पैसा जा रहा है, उसको डाइवर्ट कीजिए और उनको दीजिए जो नए सिरे से नई आशा के साथ अपने उद्योग धंधों में लगाएं। यही टैक्सेशन में, उद्योग धंधों में होना चाहिए लेकिन कुछ नहीं हो रहा है और आप मुझे बड़े शरीफ मंत्री जी हैं और कुछ कहना नहीं चाहता था, इससे ज्यादा और बेगैरती क्या हो सकती है कि आपको लिखने के लिए मेरे पास पैड नहीं है। विधान सभा के माननीय सदस्यों के पास पैड नहीं है, लिफाफे नहीं हैं, कार्ड नहीं हैं और जब पूछा जाता है तो कहा जा रहा है कि वेट कीजिए। इससे ज्यादा बेगैरती की और क्या बात हो सकती है ?

प्रशासक, ग्राम उद्योग, यह कौन सी बीमारी है ? उसका कार्यालय कानपुर में रहेगा या लखनऊ में रहेगा, यह बीमारी चल रही है। मैं आपको बताऊं कि 4 अगस्त को आपको एक चिट्ठी लिखी। हमारे यहां का एक लड़का जिसको आपने वी० ई० की ट्रेनिंग करने के लिए भेजा, आपही ने भेजा, उसको टर्मिनट कर दिया गया। क्योंकि उसने कहा कि हम गलत फाईल पर सिगनेचर नहीं करेंगे। उसकी फाइल को भी आपने मंगाया। प्रशासन में जब तक इस तरह से होगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता। मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि छोटे उधोगों को बढ़ावा दिया जाये।

(शोर)

प्राइमरी उद्योगों को बढ़ावा दिया जाये। छोटे उद्योगों को बराबर बिजली मिले। उनके प्रोडक्शन को खरीदने की गारन्टी दी जाये।

(शोर)

इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने व्यस्तता में भी मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूं। मान्यवर, उद्योग विभाग का बजट जो उद्योग मन्त्री ने सदन में प्रस्तुत किया है उसको मैं हृदय से स्वीकृत करता हूं। जो हमारे विरोध के माननीय सदस्य भाई मोहन सिंह जी ने एक रुपये का कटौती का प्रस्ताव पेश किया है उसकी मैं निन्दा करता हूं। मुझे एक चीज की पीड़ा है कि उन्होंने चवन्नी क्यों नहीं रखा। अगर चवन्नी रखते तो लगता उन्होंने भी अपनी अवकात के मुताबिक रखा है। यह तो रस्मी बात हुई।

मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि देश को आजाद हुए बहुत दिन हो गये। महात्मा गांधी का कीर्तन करते हुए जवान बूढ़े हो गयें, बूढ़े तो परलोक चले गये। परन्तु उनका सपना पूरा नहीं हुआ। (व्यवधान) महात्मा गांधी की कल्पना थी कि गांवों में उद्योग लगें, उद्योग विकसित किये जायें। माननीय मन्त्री जी कह सकते हैं कि इस देश में उन्होंने कोई कदम उठाया ?

(मेजें थपथपायी गईं--व्यवधान)

आप लोग इस सदन में बैठकर क्या निर्णय ले रहे हैं? मैं माननीय उद्योग मन्त्री से निवेदन करूंगा कि अगर वह लघु उद्योगों को ग्राम पंचायत स्तर पर नहीं तो न्याय पंचायत स्तर पर खोलें।

(शोर)

बेरोजगारों को शिक्षा दें और ट्रेंड करके उनको रोजगार दें। मैं एक दिन धीरे-धीरे पढ़ रहा था इनकी रंग-बिरंगी पुस्तकों को, केवल आंकड़े दिये हैं इनमें। देखने में आकर्षक लगती हैं परन्तु आंकड़ों के अलावा और कुछ इनमें मिलता नहीं।

(व्यवधान)

मान्यवर, जिस समय कोई छोटा उद्योगपति जिला उद्योग कार्यालय जाता है तो मान्यवर, 100 का नोट जिसको खजूरा कहते हैं, बगैर एक खजूरा दिये हुए रिकमेन्डेशन नहीं हो सकती।

(शोर)

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अब मैं अपनी बात को संक्षेप में माननीय मन्त्री महोदय से कहना चाहता हूं। अकबरपुर, संडीला और खासकर बाराबंकी में सूती मिलों की हालत बहुत खराब है और वहां जो दैनिक मजदूर रखे गये हैं उनको आज तक स्थायी नहीं किया गया और इस कारण आज तक वे बेचारे मजदूर पूरी मजदूरी नहीं पा रहे हैं। 10 दिन काम लिया जाता है और फिर बिठा दिया जाता है और वे बेरोजगार हो जाते हैं। वहां के मजदूरों की हालत खराब है। ये मिलें वहां के मजदूरों में केवल तपेदिक की बीमारियां पैदा कर रही हैं और उनकी रोटी-रोजी का व्यवस्था नहीं कर रही हैं। मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी का ध्यान मैं इन सूती मिलों की जो दशा है उसकी ओर आकर्षित कर रहा हूं और आशा है कि माननीय मन्त्री जी वहां की स्थिति को सुधारने के लिए विशेष कदम उठायेंगे।

अंत में, मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसका हृदय से स्वागत करता हूं और विपक्ष की ओर से जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, उसकी घोर निन्दा करता हूं।

श्रीमती कमला सहानी--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपकी आभारी हूं। माननीय उद्योग मन्त्री जी ने जो उद्योग का बजट प्रस्तुत किया है, उसका मैं हृदय से समर्थन करती हूं।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी का ध्यान बस्ती जनपद की तरफ आकर्षित करना चाहती हूं। मान्यवर, बस्ती जनपद की प्रदेश में जनसंख्या के आधार पर दूसरे नम्बर पर है। लेकिन गरीबी के मामले में, जहां तक मेरा ख्याल है, उत्तर प्रदेश में सबसे आगे है। जनपद भी सबसे पिछड़ा

[श्रीमती कमला सहानी--]

हुआ है और यहां के इलाके बहुत गरीब हैं और खासकर शोहरतगढ़ जहां से मैं चुनकर आयी हूं, जो नेपाल के बार्डर से लगा हुआ है, बहुत ही गरीब और पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। यह क्षेत्र हर साल कभी सूखे से और कभी बाढ़ से पीड़ित रहता है। यहां लोग ज्यादातर मजदूरी करते हैं या बम्बई, पंजाब या लखनऊ आदि शहरों में जाकर रिक्शा चलाते हैं और मजदूरी करते हैं यही नहीं, बस्ती जनपद के ही नहीं बल्कि समस्त पूर्वी उत्तर प्रदेश के तमाम लोग देश के बाहर अरब देशों में मजदूरी करने के लिए जाने लगे हैं। बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि देश के इतने दिनों के आजादी होने के बाद भी शोहरतगढ़ क्षेत्र की स्थिति में कोई सुधार नहीं आया और औद्योगिक दृष्टि से कोई उद्योग धंधे वहां नहीं लगे और न गरीबी को दूर करने के लिए कोई उपाय किया गया कि जिससे जो वहां के लोग सूखे और बाढ़ से पीड़ित रहते हैं, वे अपनी रोटी-रोजी के लिए कोई काम कर सकें।

मान्यवर, कुटीर उद्योग के सम्बन्ध में यह निवेदन करना है कि वहां पर औद्योगिक प्रशिक्षण के लिए केन्द्र खोले जाने चाहिये ताकि वहां के गरीब लोगों को प्रशिक्षण प्राप्त हो सके और वे अपनी आर्थिक स्थित में सुधार कर सकें। मान्यवर, कोई उद्योग लगाने के लिए जो पहली जरूरी चीज है, वे पैसा होता है लेकिन गरीब होने के कारण यहां के लोग पैसा लगा नहीं पाते। अतः सरकारी आय से फायदा नहीं उठा पाते। यह क्षेत्र इतना पिछड़ा और गरीब है कि वहां पर अधिकांश लोग अपना उद्योग नहीं लगा पाते इसलिए वहां पर कुटीर उद्योगों के लिए प्रोत्साहन मिलना चाहिए। यही नहीं, एक चीज और निवेदन कर देना चाहती हूं। मान्यवर, बढ़नी में एक चीनी मिल थी जो किसी उद्योगपति की निजी प्रापर्टी थी और उसने अपनी सुविधानुसार उस मिल को बन्द करके पश्चिमी जिलों में उठा ले गये। इस सम्बन्ध में निवेदन है कि बढ़नी में पुनः चीनी मिल स्थापित किया जाय ताकि गन्ना उत्पादक किसानों को प्रोत्साहन मिल सके।

एक और निवेदन है कि बस्ती जिले में शोहरतगढ़ क्षेत्र में कागज का भी एक कारखाना खुलना चाहिए। मान्यवर, वहां कागज के लिए जिस कच्चे माल की जरूरत होती है, वहां पर आसानी से मिल सकता है। कागज के लिए पुआल और खोइया जो आवश्यक चीजें हैं वह शोहरतगढ़ क्षेत्र में बहुतायत से मिलती हैं। वहां नदी भी है जिससे पानी की निकासी हो सकती है। इसलिए मैं उद्योग मन्त्री जी से यह निवेदन करती हूं कि वहां पर एक कागज का कारखाना लगाने की कृपा करें। मान्यवर, अपनी इन बातों के साथ मैं उद्योग मन्त्री जी के बजट का समर्थन करती हूं।

*श्री खैरुल बशर--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आप का बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं माननीय मन्त्री द्वारा रखे गये उद्योग अनुदानों का विरोध करता हूं और माननीय मोहन सिंह जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करता हूं, मैं बुनियादी तौर पर इस प्रस्ताव का विरोध इसलिए करता हूं कि पिछले 33 सालों से उत्तर प्रदेश पिछड़ा हुआ है। मैंने महामहिम राज्यपाल महोदय का भाषण सुना। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है उसका पिछड़ापन। मैंने

*वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मुख्य मन्त्री का भाषण सुना, उन्होंने अपने भाषण में स्वीकार किया कि उत्तर प्रदेश पिछड़ा है। उत्तर प्रदेश के पिछड़पन का कारण क्या है? कारण यह है कि हमने इस तरफ ध्यान नहीं दिया और इस पिछड़ेपन को दूर करने की चेष्टा नहीं की।

इस तरह से हम उत्तर प्रदेश को कभी भी आगे नहीं बढ़ा पायेंगे। जब भारत आजाद हुआ था उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इन्कम पूरे भारत की इन्कम से 5 परसेंट अधिक थी। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इन्कम 23 परसेन्ट पूरे भारत के एवरेज से कम है। यह सिद्ध करता है कि 33 साल से जो सरकार रही है उसकी नीतियां गलत रही हैं। इसकी वजह से ही उत्तर प्रदेश पिछड़ा है। उत्तर प्रदेश में एक जमाना था जब दूसरी पंचवर्षीय योजना बनने लगी तो पब्लिक सेक्टर और औद्योगीकरण का सवाल उठा और महालनवीस जैसे बड़े विद्वान ने राय दी। लेकिन एलेन बिड़ला साहेब के नेतृत्व में एक कमीशन नियुक्त हुआ था उसने रिपोर्ट दी कि उत्तर प्रदेश बड़े उद्योगों के लिये और इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिये उपयुक्त नहीं है। ऐसा लगता है कि पिछले तमाम सालों में इंडस्ट्रियलाइजेशन से और पब्लिक सेक्टर से चिढ़ रही है, इसलिए उत्तर प्रदेश पिछड़ा है।

उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन के कारणों में अगर आप जायें, हमारे मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि केन्द्र हमको पैसा नहीं देता है, यह सही बात है, उत्तर प्रदेश में पर कैपिटा जहां 96 रुपये मिलता है वहां पंजाब को 288 रुपया मिलता है। हमारे प्रदेश की सरकार मगन हो जाती है क्योंकि प्रधान मन्त्री उत्तर प्रदेश का होता है। उत्तर प्रदेश की तबाही का यही कारण है हम प्रधान मन्त्री बना कर खुश हो जाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यहां जो योजनायें बनती हैं वह डिफेक्टिव बनती हैं। रिहंड की योजना बनी। उत्तर प्रदेश में जब 10 लाख मकान गिर जायेंगे, डूब जायेंगे तब वह योजना काम करेगी। रिहंड बांध में जब पानी उपलब्ध होगा जब एक सिरे से दूसरे सिरे तक उत्तर प्रदेश में बाढ़ आयेगी और हजारों मकान गिर जायेंगे। यह योजना ठीक तरह से नहीं बनायी गयी। मैंने माननीय मुख्य मन्त्री जी के भाषण को देखा है उन्होंने उसमें कोई भारी उद्योग का प्राविधान नहीं किया है। उन्होंने उल्लेख किया है कि यह उद्योग यहां मिलने वाले हैं, आशा करते हैं कि मिलेंगे। लेकिन अगर नहीं मिले तब क्या होगा? समय कम है इसलिए मैं अपनी दो चार बातों को कहना चाहता हूं। हैंडलूम कारपोरेशन बनाया गया है। मुझे नीतियों में मतभेद हो सकता है माननीय मन्त्री जी से नहीं और एक बात जो मोहन सिंह जी ने कही कि हैण्डलूम कारपोरेशन में तरक्की हो रही है, फायदा हो रहा है उसके बारे में दो तीन सुझाव देना चाहता हूं। सुझाव यह है कि जो प्रोसेसिंग स्कीम निकाली गई थी जिससे कि उन केन्द्रों को सहायता मिले अपने कपड़ों को अच्छा बनाने में, उनकी रंगाई करने में, डिजाइन के लिए, उस प्रोसेसिंग स्कीम को पूरा करना चाहिए। साथ ही साथ टैक्सटाइल मिल पूर्वी जिलों में लगने चाहिये जिससे कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद हमें ऐसे लोग मिले जो उद्योग में सहायक हो सकें। हैण्डलूम का खरीद केन्द्र कानपुर में बनाया गया है (व्यवधान) एक मिनट और दे दें। मैं मांग करता हूं कि खरीद केन्द्र जिलों में बनने चाहिए।

(व्यवधान)

इन शब्दों के साथ में कटौती का प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

[4 बजकर 1 मिनट]

*श्री शम्भू नाथ--

अधिष्ठाता महोदय, उद्योग मन्त्री जी ने जो उद्योग विभाग का बजट प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। मान्यवर, हिन्दुस्तान में आजादी से पहले सुई तक नहीं बनती थी लेकिन मेरी पार्टी की नीति से, मेरी पार्टी के कार्यक्रम से हिन्दुस्तान में ऐटम बम, मशीन गन, तोप और कल कारखाने बने हैं। दूसरी ओर मैं यह कहना चाहता हूं कि जनता पार्टी (शोर) की सरकार में जो उप मुख्य मन्त्री थे उन्होंने जिस मिल को हमारी सरकार ने हमारे जिले में स्थापित किया था उस गन्ना मिल को समाप्त करा दिया। मैं अधिष्ठाता जी, आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के गांवों में लाखों नौजवान लोग पड़े हैं जो कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली अपनी रोजी रोटी के लिए जाते हैं। मैं चाहता हूं, अधिष्ठाता महोदय, कि उद्योग चलाने के लिये तीन कार्यक्रम अवश्य लिये जायं। पहला प्रशिक्षण केन्द्र, दूसरा कच्चा माल और तीसरा क्रय केन्द्र। ये आवश्यक हैं। उत्तर प्रदेश में लाखों नौजवान ट्रेनिंग करके बैठे हुये हैं। उनके द्वारा छोटे उद्योगों को चलाने की व्यवस्था की जाय। मैं आजमगढ़ के अतरौलिया क्षेत्र से चुन कर आया हूं।

माननीय अधिष्ठाता जी, हमने माननीय उद्योग मन्त्री जी से कहा है कि वे हमारे क्षेत्र में संजय उद्योग बस्ती बसायें और ट्यूब पाइप का कारखाना खोलें। (व्यवधान) जहां तक खादी ग्राम उद्योग बोर्ड का सवाल है उसको कानपुर के बजाय लखनऊ में ही रहने दिया जाय ... (व्यवधान)।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझको इस बजट पर बोलने का मौका दिया इसके लिय मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं। मान्यवर, उद्योग मन्त्री जी ने जो बजट पेश किया है उसका मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं और हमारे विरोध पक्ष के भाई मोहन सिंह जी जिनको हर बात में विरोध करने की आदत है, उन्होंने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है, उसका मैं विरोध करता हूं। मान्यवर, प्रदेश के इतिहास में प्रथम बार किसी उद्योग मन्त्री ने उद्योग लगाने वालों की समस्याओं पर विचार किया और ध्यान दिया। जैसा उन्होंने कहा औद्योगिक प्रगति के लिये 4 उच्च स्तरीय बोर्ड यहां पर बनायें जायेंगे जो कि जिलों में औद्योगिक प्रगति को देखेंगे, साथ ही उन्होंने जिले के उद्योग अधिकारियों को ज्यादा पावर देने की जो बात कही है कि लघु उद्योगों का रजिस्ट्रेशन जिला स्तर पर ही हो जाया करेगा, उद्योगों के लिये प्लाट भी वहीं पर निर्धारित कर दिया जायगा, 25 हजार रुपये तक का ऋण जिले में ही स्वीकार किया जा सकेगा और 25 हजार लोगों को 10 करोड़ रुपये तक देने का प्राविधान किया गया है वह वहीं जिला स्तर पर तय होगा। इसके अतिरिक्त हरिजनों को 5 प्रतिशत पर लोन देने का प्राविधान भी किया गया है।

मान्यवर, मैं हरदोई जिले से चुन कर आया हूं। मेरा जिला लखनऊ से नजदीक है लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि लखनऊ हमारे जिले के लिये बरगद के पेड़ की तरह काम कर रहा है जिस तरह से कि बरगद के पेड़ के नीचे कोई पेड़ नहीं जमता उसी तरह हमारा हरदोई जिला नहीं पनप रहा है।

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हमारा हरदोई जिला लखनऊ के अन्य जिलों में जनसंख्या में दूसरे नम्बर पर है लेकिन औद्योगिक विकास की दृष्टि से लखनऊ मण्डल में सबसे नीचे है। वहां पर एक शुगर मिल है जो कि केवल तीन चार महीने ही चलती है। 1973 में हमारी संडीला तहसील में एक औद्योगिक नगर बनाया गया जिसके अन्तर्गत एक स्पिनिंग मिल खोली गई और कारखाना लगाने की स्कीम चालू हुई। लेकिन उसकी केवल दीवालें ही खिंची और कारखाना खत्म हो गया। उसके बाद वहां पर एक कोआपरेटिव बनस्पति मिल लगना शुरू आधा मिल बनने के बाद उसको लोन देना बन्द कर दिया। लिहाजा वह भी बन्द हो गई। मान्यवर, केन्द्र ने प्रदेश को 4 उर्वरक कारखाने देने का वादा किया और उनमें से एक अमेठी में लगना घोषित हुआ। मान्यवर, आप देखें गोरखपुर मण्डल में उर्वरक का कारखाना है, इलाहाबाद मण्डल में है लेकिन लखनऊ में कोई खाद का कारखाना नहीं है। इसलिए मैं मांग करूंगा कि लखनऊ मन्डल के हरदोई जिले में खाद का कारखाना खोला जाय।

एक सुझाव और देना चाहता हूं। जिन-जिन जिलों में उद्योग लगते हैं वहां यह देखा जाता है कि उनमें उन जिलों वालों को रोजगार न देकर बाहर वालों को रोजगार दिया जाता है। तो मेरा सुझाव है कि जिस जिले में जो कारखाना लगे उसमें उसी जिले के लोगों को रोजगार दिया जाय न कि बाहरी लोगों को।

हमारे जिले में आलू की पैदावार बहुत है वहां पर कोल्डस्टोरेज का काफी स्कोप है। तो मैं निवेदन करूंगा कि कोआपरेटिव स्तर पर हरदोई में कोल्ड स्टोरेज बनाया जाय। साथ ही हमारे यहां गन्ने की मिल बहुत अच्छी चल सकती है। इसलिये मैं कहूंगा कि हमारे यहां गन्ने की मिल भी दी जाय। हमारे यहां बुनकर बहुत रहते हैं वहां पर कालीन और हथकरघा उद्योग को बढ़ाया जाय।

श्री अधिष्ठाता--

अब आपका समय समाप्त हुआ।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

(व्यवधान)

मान्यवर, समय इतना कम है कि मैं ज्यादा नहीं बोल सकता हूं मुझे केवल दो बातें कहनी हैं। पहली यह कि सरकार की जो मिली-जुली नीति है उससे उद्योगों को बेहद हानि पहुंची है जिसे हम मिश्रित अर्थ व्यवस्था कहते हैं।

(व्यवधान)

उद्योगों के दो हिस्से हैं। कुछ उद्योग ऐसे हैं जिनको बड़े पैमाने पर चलाना लाभदायक है अगर उनको व्यक्तिगत क्षेत्र में छोटे रूप में चलाया जाय तो वह नहीं चल सकते हैं। तो सरकार को पहले यह फैसला करना पड़ेगा

[श्री राम स्वरूप वर्मा—]

कि कौन से उद्योग ऐसे हैं जो बड़े हैं। ये हमारी तुच्छ राय में ऐसे सारे उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र में होने चाहिये। क्योंकि अगर यह सार्वजनिक क्षेत्र में होंगे तो इनमें प्रतिस्पर्धा खत्म हो जायेगी और वह राष्ट्र के हित में चलेंगे जिससे दूसरे लोग लघु उद्योग से प्रभावित नहीं होंगे। यह सरकार कभी ऐसी घोषणा नहीं करती और जब बजट आता है तो पैसा दे दिया जाता है। इससे तो मुल्क में उद्योग नहीं बढ़ सकते हैं। यह नीति निर्धारित होनी चाहिये कि बड़े उद्योग कौन लगायेंगे। होता क्या है कि जितनी बीमार मिलें हैं उनको सरकार चलाती है और स्वस्थ मिलों को जिनमें मुनाफा होता है उनको व्यक्ति चलाती है।

बीमार मिलों में घाटा होता है इसलिए उन्हें सरकार चलायेगी और वे जनता के टैक्स के पैसे पर चलेंगी और सारा घाटा उनके मत्थे दे दिया जायेगा। एक बात और कहता हूं कि जब किसान यूरिया मांगेंगे तो विदेशों से आयातित यूरिया उनको दिया जायेगा उसका सारा घाटा किसान के मत्थे पड़ेगा उस घाटे को पूरा करने के लिये 102 रुपया में आज बेचा जा रहा है। इसी तरह जब कोई मिल बीमार पड़ी तो उसे सरकार ने ले लिया और घाटे को जनता के पैसे से पूरा किया यह बहुत बुरी नीति है इसका कोई समर्थन नहीं कर सकता है। मैं उनको याद दिला दूं कि जापान में बहुत अच्छी नीति है वह बीमार मिलों को खत्म कर देते हैं, कभी उसे नहीं लेते क्योंकि अगर सरकार को चलाना है तो नयी मिलों को सरकार चलायेगी। बीमार मिल को अपने हाथ में सरकार लेगी तो उसका मुआवजा देना होगा और फिर जो खराब मशीनें हैं उन पर पैसा खर्च करना पड़ेगा। इसलिए सरकार क्यों उन पर पैसा खर्च करे तो अगर सरकार जापान की नीति को स्वीकार कर ले तो उसे जापान की तरह उन्नति करने में सहूलियत हो। जबतक बड़े सार्वजनिक उद्योग नहीं होंगे देश का निर्माण नहीं होगा। हमारे हिसाब से 20 हार्स पावर से अधिक के जितने उद्योग हैं वह सरकारी क्षेत्र में लगें और 20 हार्स से कम वाले व्यक्तिगत क्षेत्र में लगे जिन्हें आदमी अपने आप अपने आदमियों के सहयोग से चलावें और उनका मालिक यह लिखकर दे कि हम अपने इतने आदमियों की सहायता से यह उद्योग चलावेंगे और प्रत्येक का इसमें हिस्सा समान होगा। इससे गरीबी और अमीरी के बीच की आर्थिक विषमता मिटेगी। जो काम वह सहकारिता के आधार पर करेंगे वह अपना-अपना हिस्सा लेंगे, इससे गरीब अमीर की खाई घटेगी, पटेगी।

श्री दामोदर शर्मा—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे उद्योग के बजट पर बोलने का समय दिया। मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत उद्योग बजट का समर्थन और स्वागत करता हूं और उन्होंने जो क्रान्तिकारी बजट प्रस्तुत किया है उसके बारे में कुछ सुझाव देना चाहता हूं ....

(श्री शर्मा के साथ ही साथ एक अन्य साथ सदस्य बोलने लगे)

(व्यवधान)

(इसके साथ ही बिजली चली गई और दोनों साथ-साथ बोले)

(व्यवधान)

(बिजली आने पर)

खादी बोर्ड का मुख्यालय जो कानपुर से लखनऊ लाया गया और उसे फिर से लखनऊ से कानपुर भेजे जाने की बात है, उसमें मैं मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि उसका मुख्यालय लखनऊ में ही रखा जाय। मैं जिस क्षेत्र से चुनकर आता हूं, वहां पर परतापुर इंडस्ट्रियल इस्टेट है, उसमें हजारों उद्योग के फर्जी यूनिट्स हैं, जिनपर कोयला मिलता है और अन्य कच्चा माल प्राप्त होता है और वे लोग उन सबको लेकर चोरबाजारी में बेच देते हैं। उद्योग के नाम पर वहां न जमीन है न उद्योग चल रहा है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि इन बोगस यूनिट्स की जांच कराई जाय और दोषी व्यक्तियों के यूनिट्स खत्म किये जायें और जो बहुत सारे लोगों ने जमीनों पर वित्त निगम से फर्जी लोन लिया है जिनके इंडस्ट्रीज आफिस में नाम तक नहीं है, उनसे इंस्पेक्टर्स लोग पैसा लेते हैं और उनकी इंडस्ट्रीज कागज पर चल रही हैं। दूसरी बात सुझाव के तौर पर मुझे यह कहनी है कि मेरे क्षेत्र में गंगोल, इटामरा गावों में जहां पर हैन्डलूम कम्प्लैक्स लगने की बात चल रही है। वहां पर जमीन के लिये सब चल रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि मेरे क्षेत्र में उस कम्पलैक्स को लगवाया जाय और उसका ठीक-ठीक सर्वे अपने विभाग द्वारा कराने की कृपा करें ?

तीसरी बात औद्योगिक नीति के सम्बन्ध में मुझे यह कहनी है कि पंडित जवाहर लाल नेहरू के कार्यकाल में भारी उद्योग लगाने की बात चली थी लेकिन आज लघु उद्योगों की बात चल रही। एक ओर पुलियों के बनाने की बात हो रही है और दूसरी ओर रडार और जेट विमानों के निर्माण की बात हो रही है। लघु उद्योग आप लगवायें, मुझे एतराज नहीं है लेकिन ये उसी वक्त चल सकेंगे जब कि देश में भारी उद्योग होंगे। आज देखने में यह भी आता है कि जितने हमारे भारी उद्योग हैं उनको बिजली नहीं मिलती है, काटी जाती है। उदाहरण स्वरूप में बताना चाहता हूं कि मोदी की एक मिल रबर मिल थी, अब उसके पास सारी मिल्स हैं और उनको बिजली दी जा रही है,। उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रतिबन्ध नहीं है। गत दो-ढाई साल में बिजली का बहुत कम उत्पादन हुआ है और बिजली ही सबसे बड़ा मुद्दा है जिससे हम अपने उद्योगों का उत्पादन बढ़ाने में असफल रहे हैं।

जहां तक कच्चे माल का सम्बन्ध है, मान्यवर, हमारे जिले में बुनकर होंगे अन्सारी लोग, बहुत ज्यादा संख्या में हैं। उनको स्टेपिल यार्न मिलने में बड़ी ही मुश्किलात होती हैं। जब वे अपना माल तैयार करके बेचने जाते हैं तो उसके दाम उन्हें 8-8 दिन बाद मिलते हैं। और उसके बाद जो उनसे खरीदने वाले होते हैं वे उसे बड़ी दुकानों को देते हैं जो उन्हें 8 दिन बाद दाम देते हैं। तो बुनकरों की समस्या हमारे मेरठ में सबसे ज्यादा है। और इस ओर इस सरकार को सबसे अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

हमारा जो वित्तीय निगम कानपुर में है, उसके जो नियम में हैं उनमें जो लोग अपनी-अपनी जमीन को गिरवी नहीं रखते हैं या जिनके पास सम्पत्ति नहीं है तो उनको ऋण नहीं मिल पाता है। मैं माननीय मंत्री जी से

[श्री दामोदर शर्मा--]

प्रार्थना करता हूं कि वे वित्त,य निगम को निर्देश दें कि जो देहातों में छोटे-छोटे उद्योग लगाना चाहते ह उनको पैसा दे दिया जाय । अन्त में मेरा निवेदन है कि मेरे क्षेत्र में तो परतापपुर इण्डस्ट्रियल एस्टेट है उसमें जो बोगस यूनिटस हैं, उनको खत्म कराव ।

इन शब्दों के साथ में प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

(व्यवधान)

श्री जैराज गौतम--

मान्यवर, मैं आपका बहुत ही आभारी हूं कि आपने मुझे प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर दिया जिसका मैं समर्थन करता हूं और प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का घोर विरोध करता हूं ।

(व्यवधान)

अधिष्ठाता महोदय, इन लोगों को बिठाइये, यह मेरा समय नष्ट कर रहे हैं, आपने मुझे बोलने के लिये बुलाया है ।

एक सदस्य--

यह विरोध पक्ष के साथ बेइन्साफी हो रही है ।

श्री अधिष्ठाता--

आप बैठिये उनको बोलने दीजिये ।

(इस समय विरोध पक्ष के कई सदस्य खड़े होकर बोलने लगे जो समझ में नहीं आया)

श्री जैराज गौतम--

मुझे बोलने दिया जाय, मेरा समय यह लोग नष्ट कर रहे हैं । इन्हें बिठाइये ।

(शोर-व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

आप लोग बैठिये, कुछ सुनायी नहीं पड़ रहा है ।

(इस समय 4 बजकर 25 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, वैसे तो पीठासीन अधिकारी का यह अधिकार है कि वह जिसे चाहे बोलने के लिये बुलाये या न बुलाये । फिर भी परम्परा से यह परिपाटी है कि दो सदस्य उधर से बोलेंगे, फिर एक सदस्य इधर से बोलेगा, लेकिन आज मैं देख रहा हूं ज्यादा लोगों को, उधर के ही, मौका दिया गया (व्यवधान) इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है । इस ओर म आपका ध्यान आकर्षित करते हुये आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

(व्यवधान)

---

* वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

(व्यवधान के मध्य)

श्री उपाध्यक्ष --

माननीय राजेन्द्र कुमार जी

(व्यवधान)

श्री खान गुफरान जाहिदी--

मान्यवर, माननीय गौतम जी को बोलने का अवसर दिया गया था ...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष --

आपने जो तथ्य प्रस्तुत किया है कि दो इधर से बोलते रहे और एक इधर से, जैसा गुप्त जी ने कहा कि अब तक 13 उधर से बोले हैं, 7 इधर से, तो एक आदमी और इधर से बोलेगा । माननीय गौतम जी आप बोलें ।

(व्यवधान)

श्री जंराज गौतम--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत ही आभारी हूं, जो आपने मुझे इस उद्योग के बजट पर बोलने के लिए अवसर दिया । माननीय उद्योग मंत्री जी ने जो अपना बजट रखा है और उस पर जो मुझे बोलने का अवसर दिया गया है, मैं उसके समर्थन के लिए खड़ा हूं ।

(व्यवधान)

श्री चेतराम गंगवार--

मान्यवर, आपने कल व्यवस्था दी थी कि एक माननीय सदस्य सत्ता पक्ष की तरफ से बोलेंगे और एक विरोधी पक्ष की तरफ से बोलेंगे ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष --

गुप्ता जी ने यह बताया कि दो इधर से बोलेंगे और एक इधर से बोलेंगे । अब आप लोग माननीय जंराज गौतम को बोलने दें ।

(घोर व्यवधान)

श्री चेतराम गंगवार--

मान्यवर, वैसे आपको पूर्ण अधिकार है कि आप अपनी व्यवस्था बदल सकते हैं । लेकिन मान्यवर, जो कल आपने व्यवस्था दी थी, उस पर गौर करें । कल आपने व्यवस्था दी थी कि एक उधर से और एक इधर से बोलेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष —

आप बैठें और माननीय जंराज गौतम को बोलने दें ।

श्री जंराज गौतम—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत ही आभारी हूं, माननीय उद्योग मंत्री जी ने जो अपना बजट इस माननीय सदन में रखा है, मैं उसके समर्थन में और माननीय मोहन सिंह ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसके विरोध में मैं अपना विचार व्यक्त कर रहा हूं । श्रीमन्, यह सही है कि 1947 में देश आजाद हुआ और अंग्रेजों द्वारा हमको विरासत के रूप में जो हमको व्यवस्था मिली, उस समय देश में सुई का कारखाना तक नहीं था और चरमराती हुई अर्थ व्यवस्था हमको मिली थी । श्रीमन्, लेकिन शनैः शनैः देश में उद्योग का विस्तार हुआ और उद्योगों के विस्तार के साथ-साथ इस देश में आबादी भी बढ़ती गयी । सार्वजनिक क्षेत्रों में जो हमारे उद्योगों का विस्तार हुआ है, यह कम से कम जहां एक तरफ हमारे बेरोजगार नवजवानों के खाली हाथों को रोजी देने का सहारा बना, वहीं हम देखते हैं कि हिन्दुस्तान जैसे देश में प्रत्येक वर्ष एक करोड़ 30 लाख बच्चे पैदा होते हैं । आबादी के ज्यादा बढ़ने से हमारे ज्यादा कल कारखाने भी बढ़े । उसके बावजूद भी आज बेरोजगारी की समस्या अपने स्थान पर बनी हुई है ।

आज देश को 30-35 वर्ष की आजादी के बाद भी करोड़ों इन्सान आज गरीबी की रेखा से निम्न स्तर पर जीवन बिता रहे हैं । सार्वजनिक क्षेत्रों में बड़े-बड़े उद्योगों और कल-कारखानों का विस्तार किया गया, जिससे बेरोजगारों को रोजगार देकर भुखमरी दूर कर सकें । मैं आपके माध्यम से सुल्तानपुर जिले के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं । श्रीमन् मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सुल्तानपुर जिले में हमारे यहां मूंज बहुत मात्रा में पैदा होती है । जो एक विशेष जाति के लोग हैं, उससे रस्सी बनाकर अपनी जीविका का पालन करते हैं । इसलिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सुल्तानपुर में रस्सी बनाने और उसके उत्पादन केन्द्र और मारकेटिंग सेन्टर की व्यवस्था करने की कृपा करें ताकि वहां के हजारों रस्सी बनाने वालों को अपने उद्योग को प्रगति दे सकें और उनका जीवन-यापन सुचारुरूप से चल सके और इस कार्य में बिचौलियों का जोर कम हो सके । दूसरी बात मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि पूर्वांचल के विकास की ओर भी आप ध्यान दें । काद्दीपुर में एक खान्डसारी उद्योग मिल की स्थापना की गयी थी जो आज से 3 साल में जब लोकदल की सरकार थी, जिसके उद्योग मन्त्री, जो यहां बैठे हैं, श्री मोहन सिंह जी थे, इनके समय में वह बन्द करा दी गयी इसलिए मेरा अनुरोध है कि उस मिल को फिर से खुलवाने की व्यवस्था करायी जाये ताकि वहां के लोगों के बेरोजगारी की समस्या दूर हो सके ।

श्री उपाध्यक्ष —

आपका समय समाप्त हो गया । अब आप कृपया विराजें ।

(व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह नेगी—

मान्यवर, श्री मोहन सिंह जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । मुझे बड़ी ही निराशा हुई, माननीय मंत्री

जी ने जो बजट भाषण दिया है, उसमें पहाड़ी क्षेत्रों में औद्योगिक विकास के लिए कोई भी प्रस्ताव उनकी तरफ से नहीं रखा गया है हमारे पर्वतीय जिलों के बारे में और वहां औद्योगिक विकास के बारे में और उनकी उन्नति के लिए कोई प्रस्ताव नहीं आया है । मान्यवर, उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र, औद्योगिक दृष्टि से बहुत पिछड़े हुये हैं । जैसे कि वहां जंगल भारी मात्रा में हैं और फलों का उत्पादन काफी होता है । तो वहां आज औद्योगिक विकास के लिए जरूरत है कि वहां पर बनों पर आधारित उद्योग लगाये जायें । जड़ी-बूटियों पर आधारित कारखाने लगाये जाएं और फलों के जूस निकालने तथा सोयाबीन इत्यादि के कारखाने लगाये जायें। इस ओर हमारा एक खास सुझाव है । जैसा कि वित्त निगम वालों की तरफ से यह निर्णय लिया गया था कि जो छोटे-छोटे दस्तकार हैं, उन्हें कम्पोजिट लोन स्कीम द्वारा सहायता दी जा रही है, उसी प्रकार से जैसे हमारे क्षेत्र में छोटे-छोटे होटल हैं और बड़े होटल वहां कम हैं, तो उनके लिए जो छोटे होटल हैं, उनको भी कम्पोजिट लोन स्कीम के अन्तर्गत ऋण दिया जाय । और माननीय मंत्री जी, जो हमारे यहां जिला उद्योग केन्द्र खोल गये हैं, जिनको खुले हुए लगभग 2, ढाई साल हो गये हैं, उनमें अभी तक पूरा स्टाफ नहीं आया है और वहां अभी तक जनरल मैनेजर की नियुक्ति नहीं हुयी है और काफी स्टाफ का आदमी वहां नहीं है । चमोली में अभी तक जनरल मैनेजर की नियुक्ति जिला उद्योग केन्द्र में नहीं हुई है।

(श्री मोहन सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री अकबाल हुसैन--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर नहीं दिया है इसके विरोध में मैं सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री अकबाल हुसैन सदन त्याग कर चले गये)

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, मेरे कटौती के प्रस्ताव के पक्ष एवं विपक्ष में माननीय सदस्यों····

श्री श्याम लाल वाजपेयी--

मैं माननीय मोहन सिंह जी से प्रार्थना करूंगा कि हमारी महिला सदस्या कई बार बोलने के लिये खड़ी हुईं उनको बोलने दिया जाय।

श्री मोहन सिंह--

मैं तो काफी देर से उनकी सुरीली आवाज को सुनने के लिये उत्सुक था ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

मान्यवर, महिला सदस्या को अवसर दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठें ।

*श्री मोहन सिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत देर से दीक्षित जी के भाषण को सुनने के लिये उत्सुक था किन्तु अफसोस है कि मौका नहीं मिला। माननीय उद्योग मंत्री जी ने एक वक्तव्य दिया था। जुलाई, 1980 को और उस वक्तव्य में उद्योग मंत्री ने बताया था कि जो सार्वजनिक और सरकारी उद्योग हैं उसमें कुप्रबन्ध का एक कारण है कि सरकारी उद्योगों में तकनीकी विशेषज्ञों के हाथ में न होकर आई० ए० एस० अधिकारियों के हाथ में है। मान्यवर, मेरा निजी अनुभव है कि मान्यवर, जो आई० ए० एस० अधिकारी है या दूसरा अधिकारी है इनका जो आना-जाना लगा रहता है यह ठीक नहीं है। अगर आप सचमुच उद्योगों का विकास करना चाहते हैं और दिलचस्पी है तो जो भी आई० ए० एस० अधिकारी सही या गलत आ जाय उसकी क्षमता का कम से कम 5 साल तक उपयोग होना चाहिये। यह नहीं होना चाहिये कि कोई आदमी आज उद्योग विभाग में है और 15 दिन बाद आप नाराज हो गये तो उसे दूसरे विभाग में भेज दिया।

इससे मान्यवर, उसकी क्षमता का उपयोग नहीं हो पाता है और न ही उसे अपनी क्षमता का उपयोग करने का अवसर मिलता है और न ही उद्योग के विकास में अपनी क्षमता का उपयोग कर पाता है। मान्यवर, आखिर ऐसे ही अधिकारी हाथ करघा उद्योग का विकास किये हैं। केवल आई० ए० एस० अधिकारी के कारण ऐसा हुआ है यह उचित नहीं है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं आपने उद्योग विभाग में 2 उद्योग सचिव नियुक्त कर लिये, मान्यवर, मैं भी इसको चाहता था क्योंकि विभाग बड़ा है जो मैं चाहता था उसको आपने पूरा किया बड़ी खुशी है। लेकिन अभी भी आपके उद्योग निदेशालय में कार्यों का बंटवारा कैसे होता है इसके बारे में कोई प्रशासकीय साफ दृष्टिकोण नहीं है। इसके बारे में आपको ध्यान देना चाहिये। मान्यवर, एक वक्तव्य मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं। 19 मार्च, 1980 के फाइनेन्शियल एक्सप्रेस में छपा है।

श्री उपाध्यक्ष—

मोहन सिंह जी जो छपा है उसे आप नहीं पढ़ सकते हैं उसका जिस्ट आप अपनी भाषा में कह दें।

श्री मोहन सिंह—

मैं मान्यवर, उसको पढ़ नहीं रहा हूं उसका जिस्ट ही कहूंगा। इस वक्तव्य में उत्तर प्रदेश वित्त निगम के प्रबन्ध निदेशक ने यह फर्माया है कि हमारे वित्त निगम का 23 करोड़ रुपया कर्जा बाकी है हैवी इन्डस्ट्री और मिनी प्लान्ट स्टील इन्डस्ट्री के ऊपर।

श्री खान गुफरान जाहिदी—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, जो भी अखबार की कटिंग या छपा हुआ पढ़ा जाता है उसकी प्रतिलिपि आपको पहले देनी चाहिये। अगर इस तरह पढ़ा जाता है तो अनुचित है।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं पहले ही कह चुका हूं कि अखबार की कटिंग नहीं पढ़ सकते हैं, उसका सारांश पढ़ सकते हैं।

---

*वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री खान गुफरान जाहिदी--

उसकी प्रतिलिपि वहां पहुंचनी चाहिये ।

श्री मोहन सिंह--

उपाध्यक्ष जी, मैं आपके आदेशों का अक्षरशः पालन कर रहा हूं । मैंने उदाहरण दिया कि आपके वित्तीय निगम के अधिकारी ने यह वक्तव्य दिया कि वित्तीय निगम का जो कर्जा दिखाया गया है वह बड़े उद्योगपतियों तथा मिनी स्टील प्लांट पर है । पहली दफा मिनी स्टील प्लांट के ओनर को स्थान दिया है लेकिन जो सारी रिकवरी है वह कोल्ड स्टोरेज में है तो उसको रनिंग मनी की तरह यूटिलाइज करने के लिये आपको रिकवरी पर ध्यान देना होगा । शासन का डंडा बड़े लोगों पर न होकर छोटे लोगों पर ज्यादा होता है । छोटे लोगों से रिकवरी ज्यादा आसानी से हो जाती है लेकिन जो बड़े लोग हैं उनसे नहीं हो पाती है । जब से सियासत तथा तिजारत एक हाथ में दे दी गयी है तब से यह काम और मुश्किल हो गया है । आपको तेजी तथा मजबूती के साथ इन सारे लोगों को डील करना चाहिये और पैसों की रिकवरी कराना चाहिये । मैं सभी भाइयों का आभारी हूं जिन्होंने इस परिचर्चा में हिस्सा लिया । मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि जो प्रदेश की सिक यूनिट्स हैं उनको जिन्दा रखने के लिये और जो वृहद् काम्पलेक्सेज हैं उनके अविलम्ब कार्यान्वयन के लिये कोई ठोस पहल केन्द्रीय सरकार की ओर से होना चाहिये । इन शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को पेश करता हूं और मजबूती के साथ सभी सदस्यों से आग्रह करता हूं कि मेरा जो कटौती का प्रस्ताव है उसे अवश्य स्वीकार किया जाय ।

श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर--

मान्यवर, भाई मोहन सिंह ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है और सुझाव दिये हैं और इसके अलावा जो दोनों तरफ से उद्योग की खुशहाली के लिये सुझाव दिये गये वे बहुत ही माकूल तथा रचनात्मक हैं । लेकिन सदन खुद यह निर्णय कर सकता है कि 76 में हमने किस तेजी के साथ प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिये कदम बढ़ाया था । उस समय पूरी स्टेट में 35 नई इण्डस्ट्रियल इस्टेट्स बनाई गयी थी । जब से जनता सरकार आई उसने कोई एक काम भी उद्योग की तरक्की के लिये किया होता तो उसकी मिसाल वह दे सकते थे । लेकिन जो सुझाव उन्होंने दिये उसके लिये हम बहुत आभारी हैं और उनसे हमारे उद्योग मंत्रालय को काफी फायदा पहुंचेगा । लेकिन यह कहा जाना कि यह सरकार उद्योग के सिलसिले में कोई कदम उठा नहीं सकेगी ऐसी भावना बना लेना मैं समझता हूं निराधार है क्योंकि तीन महीने के अन्दर जो उपलब्धियां इस सरकार ने उद्योग विभाग में हासिल की छोटे और ग्रामीण उद्योगों को बढ़ाने के लिये, हमारे प्रदेश के सबसे बड़ी आबादी करघा उद्योग में लगे बुनकरों को सहूलियत देने के लिये हरिजन भाइयों को उद्योग में बढ़ावा देने के लिए उनका मार्जिन मनी जहां दूसरों को और अभी तक उनको भी 30-35 प्रतिशत जिस जिले के लिए बनी थी, देना पड़ती थी । यह सरकार उनको सिर्फ 5 प्रतिशत मार्जिन मनी देगा छोटे लोगों को बढ़ावा देने के लिए और मीडियम और बड़े उद्योगों के लिए भी कोई प्राविधान

[श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर--]

नहीं किया गया है, मान्यवर, म आपके मध्यम से यह उनको बताना चाहता हूं कि पिछले वर्ष 80-81 में 3,888 रुपया कर दिया गया है जो पिछले वर्षों से 788 लाख रुपया अधिक है और इसमें से 2,288 लाख रुपया भारी और मीडियम उद्योगों के लिए भी है । यहां नहीं यह कहा गया कि सीमेन्ट कारखाने, जिसकी 6 लाख टन सिर्फ क्षमता है, उसके अलावा जो सीमेन्ट कारखाना लगाया जा रहा है, उसके अभी पूरे होने में बहुत आशंका व्यक्त की गई । वह कारखाना अब करीब ही प्रोडक्शन के कगार पर आ गया है और उसका प्रोडक्शन होने जा रहा है । और उसमें 16·8 लाख टन सीमेन्ट की क्षमता होगी । उन कारखानों का जिक्र इसलिए नहीं किया था कि जिनकी स्वीकृति विधिवत् भारत सरकार द्वारा हम तक प्राप्त नहीं हुई है लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश को कोई इग्नोर करने की चेष्टा की जा रही है ।

भारत सरकार की उद्योग नीति पूरे देश के सामने आ चुकी है और उसके सिलसिले में भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में भी बहुत से भारी उद्योग, बड़े कारखाने हम उत्तर प्रदेश में लाने की चेष्टा कर रहे हैं । उसी के सिलसिले में पालियस्टर या पालियस्टर फाइबर बनाने के लिए और उसके जरिये यार्न को तैयार करने के लिए भी कारखाना भारत सरकार द्वारा स्वीकृति के लिए प्रस्तुत है । इससे हमारे प्रदेश में छोटे बुनकरों का बड़ा लाभ पहुंचेगा । इसलिए कि पालिस्टर खादी का रिवाज बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है । मांग बहुत बढ़ती जा रही है । मान्यवर, हमारा प्रोग्राम है कि पालियस्टर फाइबर को अम्बर चर्खे के जरिये से बात कर और उसके जरिये से पालियस्टर खादी तैयार करेंगे और उसके लिए हमने जो प्राइवेट सेक्टर में एक पालियस्टर फाइबर की उत्तर प्रदेश में एक कम्पनी लगी हुई है, फिलहाल मान्यवर, उससे फाइबर लेकर के यह काम बहुत जल्द शुरू करने जा रहे हैं ताकि बुनकरों के यार्न और स्टिपिल यार्न की समस्या जो इसका यार्न मुहैय्या करके दूर कर सकें और इसके लिए एक यूनिट में जहां अम्बर चर्खे से जहां खादी तैयार होगी उसकी एक यूनिट में 25 आदमी काम करेंगे ।

अगर यह योजना हमारे माननीय साथियों के प्रयास से कामयाब हो जाती है तो बुनकरों का मसला उत्तर प्रदेश में वह दिन दूर नहीं कि दूर हो जायेगा और उनके द्वारा बने हुए कपड़े की खपत भी जितना बनायेंगे, क्योंकि इस देश में खपत के बहुत बड़े मौके हैं । मान्यवर, इस सदन में कटौती के प्रस्ताव पर हमारे बहुत से सदस्य बोले चाहे वह इस पक्ष से हों चाहे उस पक्ष से उन्होंने जो नीतियां या योजनायें सुझाई, जो भावनायें व्यक्त की थीं उसका किसी ने भी विरोध नहीं किया । बड़े रचनात्मक सुझाव दिये हैं मोहन सिंह जी ने उनको काफी तजुर्बा है । अपनी योग्यता और तजुर्बे के हिसाब से अच्छे सुझाव दिये हैं । कुछ आदत से और पार्टी की पालिसी से मजबूर हैं । मजबूर होकर कहीं कुछ बातें कर देते हैं । मोहन सिंह जी से मैं यह प्रार्थना करूंगा कि वह अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें । अभी तीन महीने का अर्सा हुआ है । जो शुरूआत की है जो कुछ समय लगा है उसको स्वीकार करें । जो सुझाव दिये हैं उन पर विचार करके प्रदेश को आगे ले जाने की कोशिश करूंगा । इन शब्दों के साथ में यह कहूंगा कि मोहन सिंह जी अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें और इसको सर्वसम्मति से पास करने की कृपा करें ।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

कोई इन्डस्ट्री लगाने के लिए सबसे बड़ी दिक्कत जमीन की पड़ती है। मेरे क्षेत्र में 30 एकड़ जमीन स्पिनिंग फैक्ट्री लगाने के लिए पड़ी है। दाखिल खारिज हो गया है मूंड़ा पाड़े गांव के पास जिला मुरादाबाद में 30 एकड़ जमीन पड़ी है। उसमें कुछ नहीं हो रहा है।

एक सदस्य--

गांव का क्या नाम है ?

श्री रियासत हुसैन--

मून्डा पांडे। नेशनल हाई वे के पास है। रामपुर-मुरादाबाद में 30 एकड़ जमीन है, दाखिल खारिज हो गया। कोई फैक्ट्री नहीं लगी।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 27--उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण) के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 27--उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,34,12,000 रुपये अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 63--उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 63--उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,51,76,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 65--उद्योग विभाग (ग्राम्य एवं लघु उद्योग) के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 65--उद्योग विभाग (ग्राम्य एवं लघु उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 8,87,32,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृति की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 66--उद्योग विभाग (खानें तथा खनिज) के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 66--उद्योग विभाग (खानें तथा खनिज) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 40,76,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 87-उद्योग विभाग-पूंजीगत परिव्यय के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 87-उद्योग विभाग-पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,22,97,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 114-उद्योग विभाग-ऋण और अग्रिम के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 114-उद्योग विभाग-ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,97,07,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष--

नियम 51 के अन्तर्गत 14 सूचनायें प्राप्त हुयी हैं जिसमें से एक स्वीकार की गयी है। श्री मुईद अहमद की सूचना सुल्तानपुर जिले के कमला नेहरू इन्स्टीट्यूट के बी० ए० प्रथम वर्ष के छात्र श्री दिग्विजय कुमार मिश्रा तथा आई० टी० आई० के छात्र श्री दूधनाथ गुप्ता को महात्मा गांधी स्मारक इन्टर कालेज की पूरक परीक्षा हेतु ड्यूटी पर तैनात पी० ए० सी० के जवान तथा पुलिस दरोगा द्वारा निर्मम पिटाई किये जाने से हुयी मृत्यु से उत्पन्न विस्फोटक स्थिति के सम्बन्ध में यह सूचना थी। यह स्वीकर हुयी है। शेष सूचनायें अस्वीकृत की गई हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मेरी सूचना लखनऊ विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में थी। आपने सबेरे एक सूचना नियम 56 में वक्तव्य के लिये स्वीकार की थी उसमें जुड़वा दें।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने उसको काम रोको प्रस्ताव के रूप में नहीं स्वीकार किया था केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया था। मैं नियम 51 की एक ही सूचना स्वीकार कर सकता हूं। यह बहुत महत्व की सूचना मालूम हुयी, इसमें दो लड़कों की मृत्यु हुयी है। ऐसा लगा कि इसमें सदन का ध्यान आकृष्ट होना चाहिये, इसलिये स्वीकार हुयी।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, जो नियम 56 में यूनीवर्सिटी वाली सूचना थी। उस पर वक्तव्य कब आयेगा?

श्री उपाध्यक्ष--

मैं उसकी अहमियत को जानता हूं। मैं प्रयास करूंगा कि जल्दी ही वक्तव्य दिलवा दूं। वैसे 22 को अगर शासन वक्तव्य दे दे ....।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, ठीक है ।

उत्तर प्रदेश राष्ट्र विरोधी तत्व निवारण (संशोधन) विधेयक, 1980†

(5 बजकर 5 मिनट)

*संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राष्ट्र विरोधी तत्व निवारण (संशोधन) विधेयक, 1980 पर विचार किया जाय ।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

मान्यवर, मेरी वैधानिक आपत्ति है ।

(कुछ माननीय सदस्यों के आपस में बातचीत करने पर)

श्री अध्यक्ष--

कृपया बात न करें, मुझे सुनने दें ।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

मान्यवर, नियम 118 में यह है कि जिस विधेयक में व्यय अन्तर्ग्रस्त हो, उसके साथ एक वित्तीय ज्ञापन होगा जिसमें व्यय अंतर्ग्रस्त होने वाले खंडों की ओर विशेषतया ध्यान दिलाया जायेगा और उसमें उस आवर्त्तक तथा अनावर्त्तक व्यय का भी प्राक्कलन दिया जायेगा जो विधेयक के विधि के रूप में पारित होने की अवस्था में अन्तर्ग्रस्त हो ।

विधेयकों के जिन खंडों या उपबन्धों में लोक निधियों में से व्यय अंतर्ग्रस्त हों, वे अपेक्षाकृत मोटे अक्षरों या वक्राक्षरों में छापे जायेंगे ।

मान्यवर, इस विधेयक में वित्तीय ज्ञापन नहीं है । वित्तीय ज्ञापन में लिख दिया गया है कि अभी यह अनुमान लगाना भी कठिन है कि प्रति वर्ष ऐसे कितने मामले उक्त परिषद् को विचारार्थ प्रस्तुत किये जायेंगे ।

मान्यवर, सरकार एक विधेयक ला रही है जिससे इस प्रदेश के लोगों के अधिकार कम हो जायेंगे और उसके बावजूद भी इसका आँकलन नहीं है । पुराने जजों को रखेंगे । तनख्वाह देंगे । तो मान्यवर, जब तक वित्तीय ज्ञापन न हो, यह नहीं हो सकता । मेरी पहली आपत्ति यह है ।

दूसरी आपत्ति यह है कि धारा 119 को देखें । विधायिनी शक्ति प्रत्यायोजित करने वाले विधेयकों का व्याख्यात्मक ज्ञापन जिस विधेयक में विधायिनी शक्ति के प्रत्यायोजन के लिए प्रस्थापनायें अंतर्ग्रस्त हों उसके साथ एक ज्ञापन होगा जिसमें ऐसी प्रस्थापनाओं की व्याप्ति की व्याख्या होगी । अब मान्यवर, इसमें लिखा है, विधेयक के खंड 5 के अधीन "ऐसे व्यक्ति जिन के सम्बन्ध में निरोध आदेश दिया गया है ऐसे स्थान में और ऐसी शर्तों के

---

†दिनांक 23 अगस्त, 1980 के साधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अधीन जिन के अन्तर्गत अनुरक्षण, अनुशासन और अनशासन भंग के लिए दंड सम्बन्धी शर्तें भी हैं जैसी राज्य सरकार, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, विनिर्दिष्ट करे, निरुद्ध किया जा सकेगा।" यह विधेयक है। और इसमें तीन साल और दो साल की सजा का प्रावधान भी है धारा 4....।

श्री उपाध्यक्ष--

ऐसा तो कोई प्राविधान विधेयक में नहीं है।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

इसमें भी वही आपत्ति है....।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

चश्मा बदल लीजिए....।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय वर्मा जी, ऐसा लगता है कि आप....।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

एक ही से हैं दोनों। दोनों में एक ही बात लिखी है, ज्यों की त्यों लिखी है। तीसरी बात यह है कि धारा....।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय वर्मा जी....।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

मान्यवर, चश्मे का दोष है, चश्मा भूल गये....।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय वर्मा जी, आप तो बड़े वरिष्ठ सदस्य हैं मुझे लगता है कि जिस परिवेश में आप बोल रहे हैं वह शायद आप भूल रहे हैं। आपने उसे देखा नहीं है।

श्री अम्मार रिजवी--

श्रीमन्, मैं निवेदन कर रहा था कि वह 1971 का उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय अधिनियम बनाया ऐसी बातों के लिए जो राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रतिकूल हो। इसमें निम्नलिखित बातों के बारे में है। राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रतिकूल, दूसरा अभियुक्त राष्ट्र और संघ का सम्बन्ध विच्छेद करता हो यानी टुकड़े-टुकड़े करने की बात हो, या कोई ऐसा काम हो जिससे भारत के प्रभुता और अखण्डता पर किसी प्रकार का कोई अवरोध हो या ऐसे काम हों जो विधि द्वारा स्थापित की गई हो और उसको आर्मड रिबेलियन द्वारा खत्म किये जाने का प्रयास हो। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो कि माननीय सदस्य ने कहीं। मैं आप का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, संविधान में जो 44वां संशोधन किया गया है उस की तरफ। इसमें यह बात कही गयी है कि कोई भी सख्श उस समय तक जेल में नहीं रखा जायगा जब तक कि एक एडवाइजरी बोर्ड, एक कमेटी उसको स्क्रीन नहीं करती है। किस प्रकार से कमेटी का गठन हो, किस प्रकार से मेम्बर

[श्री अम्मार रिजवी]--

इस के अन्दर हो यह उसी से सम्बन्धित है । इसमें कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है जैसे कि आपत्तियां उठाई गई हैं । श्रीमन् में यह भी बताना चाहूंगा कि 20 जून, 1979 को यह 44वां संशोधन आया था और उसी हिसाब से यह सारी प्रक्रिया बनाई गई । वह संशोधन श्रीमन्, यह था, मैं अनुवाद कर दूंगा क्योंकि मेरे पास इस वक्त हिन्दी में नहीं है no law providing for preventive detention would charge the detention of a person by longer than a period of two months" कोई आदमी दो महीने से ज्यादा जेल में नहीं रखा जायगा, उसको डिटेन नहीं किया जा सकता" unless an advisory board set up in accordance with the recommendation of the Chief Justice of the appropriate High Court has reported before the expiry of the said period of two months that there is in its opinion sufficient cause for such detention" जब तक कोई ऐसी कमेटी जो कि चीफ जस्टिस के रिकमन्डेशन से न बनी हो जिसमें यह बात नहीं कही हो, तसदीक न की गई हो कि दो महीने से ज्यादा जेल में डिटेन्शन में रखा जा सकता है उसे जेल में नहीं रखा जा सकेगा । यह जो 1971 का ऐक्ट था श्रीमन्, उसके अन्दर एडवाइजरी बोर्ड का प्राविधान नहीं था । जो 44वां संशोधन हुआ है उसके हिसाब से यह किया गया था । 20 जून, 1979 को जनता सरकार थी और उसी के द्वारा यह प्राविधान ला कर संविधान में संशोधन किया गया था । उसके बाद बराबर केन्द्र सरकार से उत्तर प्रदेश सरकार के पास खत आते रहे कि इसमें संशोधन कर लिया जाय और उसे बनाया जाय जिससे किसी की आजादी खतरे में न हो, जुडिशियरी को इन्वाल्व किया जाय, वह उन्होंने नहीं किया । वे इस बात को टालते रहे क्योंकि उनको लोगों को जेल भेजना था ।

मान्यवर, 69 आर्डिनेन्सेज उस 27-28 महीने में जनता सरकार ने पास किये लेकिन जो संशोधन रखा गया था जिसके द्वारा प्रदेश के लोगों की स्वाधीनता थी, स्वतंत्रता थी, जिससे उसकी रक्षा होती थी उसका इस्तेमाल नहीं किया गया और उसके लिये कोई ऐक्ट नहीं बनाया गया । हम अब उत्तर प्रदेश की सरकार इसे सदन के सामने रख रहे हैं कि इसे वह पास करे और जो सिफारिश संविधान द्वारा की गई है उनको ऐक्ट में शामिल कर लिया जाय । यह एक अच्छी चीज है । उन लोगों को भी इस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए क्योंकि वे ही संविधान में संशोधन लाये थे और उनके जमाने में ही खत लिखे गये थे, सारी प्रक्रिया जनता सरकार द्वारा हुई । हम तो केवल उस जमाने की सिफारिशों को कार्यान्वित कर रहे हैं । अगर इसके बाद भी वे इसका विरोध करें तो मैं समझता हूं कि वे केवल विरोध के लिये ही विरोध कर रहे हैं किसी ठोस बात के लिये नहीं ।

*श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राष्ट्र विरोधी तत्व निवारण (संशोधन) विधेयक, 1980 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो एक माह के अन्दर अपनी प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे ।

श्रीमन्, मैं वाकई में माननीय मंत्री जी का मश्कूर और शुक्र गुजार हूं कि जो जनता सरकार के जमाने में कांस्टीट्यूशन में अमेन्डमेन्ट हुआ था 20-6-1979 को और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उस वक्त जब केन्द्र में कांग्रेस की सरकार श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार दुबारा बन गई तो उत्तर प्रदेश सरकार को श्रीमती इंदिरा गांधी ने इतना मौका ही नहीं दिया कि उस अमेन्डमेन्ट को कांस्ट्रीट्यूशन में जनहित में जो जनता सरकार ने किया था वह यहां पारित हो । तब इसकी कार्यवाही पूरी हो जाती है । म इसलिये मंत्री जी का शुक्रगुजार हूं जो उन्होंने इसको पारित करने के लिये उसे यहां पर रखा ह । सवाल इस बात का है और इसलिय मुझे अपना संशोधन देना पड़ा कि जब कोई शक्ति प्राप्त होती है तो उस शक्ति का उपयोग या दुरुपयोग (यूज और मिसयूज) दोनों चीज एक साथ पड़ती हैं । आज सत्ता पक्ष जितना शक्तिशाली है वह कोई छिपा हुई बात नहीं है, यह सब जानते हैं और उसी शक्तिशाली होने की हैसियत से जो इमरजेन्सी उस समय इस सरकार ने लगाई थी, कांग्रेस सरकार ने, तो इस माननीय सदन के बहुत से सदस्यों को यह मालूम होगा कि एक साइक्लोस्टाइल्ड प्रोफारमा डी0 एम्स0 को दे दिया गया था कि जो-जो इस तरह से करे उसे गिरफ्तार करके जेल में बन्द कर दो । वह शक्ति का मिसयूज था ।

मान्यवर, हमारे सामने अब एक शंका है जिसकी वजह से मैंने यह संशोधन पेश किया ह । क्या यह जो कांग्रेस पार्टी सत्ता में आयी है तो हमें संदेह हो रहा है कि आया इस सत्ता पक्ष का जो राजनतिक दल है उसमें जो आपकी इम्प्लिमेन्टिंग अथवा एक्जीक्यूटिव मशीनरी है वह वफादार ह या आप वफादार हैं । इस चीज का हमें शक है । हुक्म देने वाला कौन है । इस वक्त की मंत्रि-परिषद् ह अथवा प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी है अधिकारी हैं, वे हुक्म देते ह और उसको मंत्रि-परिषद् स्वीकार करके उसको मंजूर कर लेता है । इसकी वजह यह ह कि उनको उससे सत्ता हासिल हुई जैसे एब्रीथिंग इज फेयर इन लव एण्ड वार इसमें शक शब्द और जुड़ गया है जो कि सत्ता है । जो ब्यूरोक्रेसी है कानिस्टेबिल से लेकर बड़े-बड़े अधिकारी तक उनकी शक्ति का उन्होंने इस्तेमाल किया और फिर इधर से उधर जा बैठे । यह उसी का सबूत है । जो ओरिजिनल ऐक्ट है आप उसको देख, इसमें जितने एमेंडमेंट किये गये हैं उनका मैं स्वागत करता हूं क्योंकि इसमें हर चीज की अवधि कम कर दी है । इसमें अनुमति भी जो है वह चीफ जस्टिस की है जिसको वह रिकमेंड करेंगे । तो उसका मैं स्वागत करता हूं । लेकिन ओरिजिनल ऐक्ट आप देखें इसी वजह से मैं उसको रिफर कर रहा हूं क्योंकि जो शक्ति का प्रयोग होगा वह उस ऐक्ट के अधीन होगा । ओरिजिनल ऐक्ट की दफा 6 में दूसरे नम्बर में है।

'Every offence under clause (b) sub-section (1) shall be cognizable

अर्थात् आफेंस जो होगा वह कागनिजेबिल होगा पुलिस वाले कागनिजेंस लेकर कार्यवाही करेंगे किसी को इस्तगासा दायर नही करनी पड़ेगी। इसी में दूसरा (बी) है उत्तर प्रदेश राष्ट्र विरोधी निवारक अधिनियम 70 का उसका (बी) देखें।

'Organising or inciting persons to commiting or advocating necessity or desirability of the commission of any of the Acts specified in clause C.

यानी कोई जलसा हो या कोई इस प्रकार की दूसरी चीज हो उसमें पकड़ सकते हैं । अगर पुलिस वाले की किसी से मुखालफत हो, तो वह इसकी आड़ में काग-निजेंस लेकर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को मैटर रिफर कर देगा और उसका 12 दिन के अन्दर स्टेट गवर्नमेंट से एप्रूवल हो जायेगा । लेकिन असली बात जो जड़ में है उसको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट नहीं जानता है । अगर किसी ने जलसा किया या मीटिंग की तो जेल चला गया (सदन से बिजली चली गयी बिजली आने पर) जो ओरिजिनल

[श्री रियासत हुसैन--]

ऐक्ट है जिसमें यह एमेन्डमेन्ट किया गया है उसको जनहित में एमेंडमेंट किया। यह जनता सरकार ने किया था चूंकि उस समय जनता पार्टी को समय नहीं मिला और यह कांस्टीट्यूशन का एमेंडमेंट है उसका पालन होना जरूरी है उस प्रक्रिया को यह सरकार पूरा कर रही है। मेरे कहने का मकसद यह है कि ओरिजिनल ऐक्ट में जो है उसका मिस यूज यहां किया जायेगा कल की बात है अलीगढ़ के मामले में पी० के० जैन का सवाल आया कमिश्नर ने प्रेस वालों के खिलाफ क्या किया। कल ही बरेली में श्री चन्द्रशेखर जी जनता पार्टी के अध्यक्ष अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग करने वाले थे लेकिन उसे नहीं होने दिया डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने, इजाजत नहीं दी। वह कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी जो किसी बन्द स्थान पर होती। तो यह जो शक्ति है उसका मिस यूज होने की बात है। यह जो ऐक्ट था इस पर 10 जनवरी, 71 में गवर्नर ने एसेंट दी। चूंकि 1970 में बंगला देश का मामला जोरों पर था उसमें मुक्ति वाहिनी का मामला चल रहा था ऐसा लग रहा था कि हिन्दुस्तान में भी अपनी हिफाजत के लिए कुछ करना चाहिये वह अनसोशल एलीमेंट्स हैं, उनको कैसे चेक करें। अतः यह दूर देशी बिल यहां पास कराया गया और यह चलता रहा और उसका मिस्यूज होता रहा। इस लिए मैं यह कहना चाहता हूं, आपके इन संशोधनों का स्वागत करता हूं, लेकिन क्या गारन्टी होगी कि इस बिल के द्वारा, ओरिजल बिल के द्वारा जो शक्ति आपको मिलने वाली है या मिली हुई है, उसका दुरुपयोग नहीं होगा। इस वक्त जो आप अपनी शक्ति को मेन्टेन करने के लिए अपने सारे कामों को पूरा करने के लिए इस देश की ब्यूरोक्रेशी को एक बेसिक फाउन्डेशन बनाए हुए हैं और उनका जो एक तरीका है, तो इससे आपको यह शक्ति नहीं मिलेगी, वास्तव में उस ब्यूरोक्रेशी को मिलेगी। यदि आप यह कहें, आश्वासन दें कि आप उनकी शक्ति को नियंत्रित कर लेंगे, तो बात समझ में आ सकती है। लेकिन मुझे इसमें पूरा संदेह है। मेरा तो पक्का विचार है कि वह आपको कन्ट्रोल करते हैं, आप उनको कन्ट्रोल नहीं करते हैं और आप कर भी नहीं सकते हैं। क्योंकि आप उनकी वजह से ही आज यहां बैठे हुए हैं। इसलिए मैंने इसको यहां रखा है, इसको मिस्यूज होने से कैसे आप रोकेंगे? आप उस बात से माननीय सदन को अवगत करायें, तब इस पर बात आगे हो।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राष्ट्र विरोधी तत्व निवारण (संशोधन) विधेयक, 1980 को दोनों सदनों की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन 10 दिन में सदन में प्रस्तुत करे।

मान्यवर, अभी रियासत हुसैन जी ने विस्तार के साथ उन तथ्यों पर प्रकाश डाला, जिसके लिए आवश्यक है कि हम इसको प्रवर समिति में भेजें। यह तो बिलकुल सही है कि जनता सरकार ने, जो संशोधन के निर्देश आए थे, उनका पालन नहीं किया। उसका कारण यह था, जैसे एक किसी आदमी के घर में हथियार रखा हुआ हो, लेकिन उसको उसकी जरूरत न हो तो वहउसको बिल्कुल ठीक दशा में नहीं रख पाता है। जनता पार्टी की साफ नीति थी कि हम बिना कारण बताए किसी आदमी को एक दिन भी जेल में नहीं रखना चाहते हैं, हम ऐसे काला कानून का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, इसलिये उसने उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब से आपकी सरकार आई, इरादा साफ है, आप पी०डी० ऐक्ट बना चुके

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं, सरकार ने अन्य हथियारों को भी तलाश करना शुरू कर दिया कि हम किस-किस तरह से नागरिकों के मूल अधिकारों पर कुठाराघात कर सकते हैं। इसलिए आप यह संशोधन प्रस्ताव ले आएं। आप यह अधिकार किसको दे रहे हैं, वह दुरुपयोग करेगा या नहीं ? इस संबंध में मैं बहुत ताजा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं। वह उदाहरण, माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कल जो भाषण दिया था, उससे उद्धृत होता है। नया पी0 डी0 ऐक्ट जब लागू हुआ तो हम मंत्री जी से मिले थे और आशंका बताई थी कि इसका प्रयोग आसामाजिक तत्वों और व्यापारियों के खिलाफ नहीं किया जाएगा, इस हथियार का प्रयोग सरकार द्वारा अपने राजनीतिक प्रतिद्वन्दियों के खिलाफ किया जाएगा, पत्रकारों के खिलाफ किया जाएगा।

जो सरकार के खिलाफ आवाज उठा सके उनके खिलाफ किया जाएगा और यह ऐसा भयानक हथियार-अधिकार आप जिलाधिकारी, एस0 पी0 को दे रहे हैं, जिसको उन्हें किसी हालत में यह अधिकार न दिया जाए। कल माननीय मंत्री जी ने जानकारी दी कि इस साल मैंने 98 आदमियों को निरुद्ध किया जिलाधिकारियों के आदेश पर। जिसका जिक्र रियासत हुसैन जी ने किया, उसके धारा 2 (3) में दिया हुआ है कि यदि कोई जिलाधिकारी किसी व्यक्ति के खिलाफ यह आरोप लगा कर बन्द कर दे और उसके बाद यह मालूम हो कि जिलाधिकारी के क्षेत्राधिकार के यह बाहर था, तब भी उस पर कोई आपत्ति नहीं की जा सकती है ? अन्धे हो कर जिस पर जो चाहा आरोप लगा दिया। जिलाधीशों को अधिकार दे दिए और उन्होंने 98 व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप लगा दिए लेकिन जब वह सूची राज्य सरकार के पास आयी तो सरकार ने उनमें से 81 मामलों को स्वीकृत नहीं किया, केवल 17 मामलों की स्वीकृत दी। जिससे अधिकारियों को दिए गए अधिकारों का दुरुपयोग साबित हो गया। इसलिए खतरा इस बात का है कि जो हथियार आपने अपने अधिकारियों को दिए हैं, कहीं उनका दुरुपयोग न हो। यदि यह अधिकार न दिये गये होते तो श्री जैन को इस तरह से न पकड़ा जाता, इसलिए हमारे लिए इस विधेयक का विरोध करना बहुत आवश्यक है। जो मूल अधिनियम है उसमें तो यहां तक कहा गया है कि अगर कोई भाषण ऐसा हो रहा हो जिसमें प्रतिकूल प्रचार हो रहा हो तो किसी गवाही की भी आवश्यकता नहीं उस आदमी को निरुद्ध कर दिया जायेगा और उस व्यक्ति को एक वर्ष तक निरुद्ध करने का अधिकार सरकार के पास है।

(5 बजकर 30 मिनट)

आपातकाल में तो यहां तक हुआ कि अगर कोई चौराहे पर भाषण देता हो तो उसे लिख दिया गया कि अमुक सिनेमा के सम्मुख लोगों को शासन के विरुद्ध उकसा रहा था। तो अगर अधिकारी की पोलिटिकल एनिमिटी हो या कोई अधिकारी किसी के खिलाफ हो तो जानबूझकर उसका इस्तेमाल किया जायेगा। आपातकालीन स्थिति में आपने कितने अत्याचार किये और जनता ने आपको उखाड़ कर फेंक दिया। आज जो आपके पुराने खूनी हथियार थे फिर से उनको ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। आप भले ही आपातकालीन अत्याचार करके शासन में आ जायं लेकिन शासन को चलाने का आपको तजुर्बा नहीं है। जनता आपके इन हथियारों से दबने वाली नहीं है। आप जो अधिकार अपने राजनीतिक विरोधियों के लिए दे रहे हैं, उनसे न आपका भला होगा और न इस देश का ही होगा। इन शब्दों के साथ में अपने प्रस्ताव पर पुनः बल देता हूं और प्रार्थना करता हूं कि इसे प्रवर समिति में भेज दिया जाय।

*श्री रामगोविन्द--

मान्यवर, यह जो संशोधन विधेयक माननीय मंत्री जी ने सदन में प्रस्तुत किया है, इसका कोई औचित्य ही नहीं था क्योंकि इसका दुर्पयोग आपके अधिकारी करते हैं जिसके उदाहरण सब को विदित हैं। मान्यवर, एमरजेन्सी के दौरान हर जिलों में जिलाधिकारियों के पास एक साइक्लोस्टाइल्ड पेपर दे दिया गया था और जो व्यक्ति सड़सी भी पकड़ना नहीं जानता था उसे रेल की पटरियों के तोड़ने के जुर्म में निरुद्ध कर दिया गया था, बिजली के खम्भे पर चढ़ कर तार काटने के जुर्म में बन्द कर दिया गया था। तो इस विधेयक के द्वारा सारे अधिकार जो जिलाधिकारी को दिये जा रहे हैं इसका विरोध करता हूं। आपकी और आपकी सरकार की मंशा चाहे जो हो, आपके अधिकारी उस मंशा के उल्टा काम करेंगे। जिस भावना से राष्ट्र द्रोहियों के विरुद्ध इसका प्रयोग करने के लिये आप इसे लागू करना चाहते हैं वह होने वाला नहीं है, इसका इस्तेमाल राष्ट्र का हित चाहने वालों के लिए किया जायेगा। आपके अधिकारियों ने इमरजेन्सी के दौरान कहा था कि हमने 90 फीसदी गुन्डों को जेल में बन्द कर दिया, मगर जो लोग बन्द किये गए थे उनमें 90-95 फीसदी लोग राजनैतिक लोग थे। जो भी देश और प्रदेश में राष्ट्र विरोधी, समाज विरोधी तत्व थे वे देश भक्त लोगों को बन्द करवाने में लीन थे। आज अपने बहुमत के बल पर उसे फिर लागू करने जा रहे हैं, यह इस प्रदेश और देश की जनता के लिये हितकर नहीं होगा।

आप इसके द्वारा पुराने इतिहास को पुनः दोहराने जा रहे हैं और फिर आपको उधर से इधर आकर बैठना पड़ेगा। आज 3 महीने भी आपको सत्ता में आये नहीं हुये हैं और आपने अपनी असफलताओं को छिपाने के लिये यह काम करने शुरू कर दिये हैं जिन्हें जनता सरकार मे 28 महीने में कभी नहीं हुए हैं। आखिर आपको इस तरह के कानून बनाने की क्यों आवश्यकता पड़ी? जब यह सरकार हर स्तर पर अपने को फेल कर गयी, तो अपने काले कारनामों को छुपाने के लिये इस अध्यादेश के द्वारा राजनैतिक लोगों को बन्द करने के लिये यह काम शुरू किया। इस सरकार ने जनता से जो वायदा किया था वह पूरा नहीं किया। इस सरकार की कारगुजारी को विरोधी दल के लोग जनता तक न पहुंचा पायें, इनकी विफलताओं को जनता के सामने न रख सकें, इसलिये इस विधेयक को लाया जा रहा है ताकि पालिटकल लोगों को बन्द कर सकें। उनको बन्द करने का यह षडयंत्र है। इसलिये मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

(व्यवधान)

*श्री खान गुफरान जाहिदी--

मान्यवर, म, इस संशोधन विधेयक की हिमायत करता हूं और हमारे साथियों ने जो शंकायें बतायी हैं अपोजीशन को हक है विरोध करने का, (व्यवधान) मगर मैं उनको बताना चाहता हूं आप इसे देखें कि इसमें है क्या। अभी माननीय राजेन्द्र कुमार जी ने एक बात कही कि इतने लोगों को जिलाधिकारी ने पकड़ा। लेकिन उसमें सरकार के सामने जब मामला आया, तो 61 आदमियों को छोड़ दिया गया। यह बात यह साबित करती है कि सिर्फ ब्यूरोक्रेसी, सिर्फ नौकरशाही का ही अमलदखल नहीं है, सरकार है और मजबूत सरकार है। वह अपने फैसले को वह अपने माइंड को अप्लाई करती है, तभी तो 61 आदमियों को छोड़ा

*वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गया। आप जरा सोचें कि फैसला लिया है, जिलाधिकारी या किसी तहसीलदार ने या किसी अन्य अधिकारी ने फैसला लिया है, यदि किसी गलत आदमी को बन्द कर दिया है, इस संशोधन में 9 दिन पहले ही फैसला ले लिया गया। इसमें न सिर्फ यह कि सरकार और सरकार के लोग ही उस पर फैसला करें, बल्कि बोर्ड बनाने की बात है बल्कि बोर्ड में जजेज होंगे। अगर इस पर यकीन नहीं है। तो मुझे अफसोस है कि इस देश में आप जब अपने शासन में अपना फर्ज अदा नहीं कर सके, तो इस समय भी आप अपना फर्ज अदा नहीं कर सकते हैं। यह तो आपकी अपनी नियत का सवाल है. सरकार की नियत का सवाल नहीं है। किसी पार्टी की सरकार बदला करती है, ब्यूरोक्रेसी वही रहती है, मशीनरी वही रहती है। मान्यवर, मैं इस संशोधन का इसलिए हिमायती हूं कि इसमें जो रिव्यू बोर्ड बनाया जा रहा है उसमें जजेज के शामिल करने का फैसला लिया गया है। रिव्यू की एथारिटी अगर 21 दिन में हो जाय बजाय 30 दिन के तो यह बात मुनासिब है नहीं ? लेकिन मैं इस संशोधन पर हिमायत करते हुए एक बात और कहना चाहता हूं, रियासत भाई ने वह शब्द उसी तरह रख दिया है, मैं उस शब्द को दूसरी तरह रखना चाहता हूं और वह यह है कि इस तरह के कानून से जिस तत्व के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होना चाहिये था, उस तत्व के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल नहीं होगा। जो हंगामें कराते हैं, जो अखबारात में गलत किस्म की खबरें भेजते हैं, उन सबको इसकी गिरफ्त में लाना चाहिए।

*श्री चेतराम गंगवार--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूं कि यह सरकार जब 1977 में यहाँ पर बैठी हुई थी, तो एक तानाशाही विधेयक वह यहाँ पर लाई और उसके बाद आज जो विधेयक लाया गया है, उसमें इनकी उस मनोवृत्ति का प्रतीक है तानाशाही मनोवृत्ति का। मान्यवर, उसमें अमेंडमेंट ले आये कि मूल अधिनियम की धारा 8 में, उपधारा (2) और (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायंगी--अर्थात् इसमें लिखा है--

> (2) प्रत्येक ऐसी परिषद् का संगठन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिशों के अनुसार किया जायगा।
>
> (3) प्रत्येक ऐसी परिषद् में कम से कम दो अन्य सदस्य होंगे और अध्यक्ष उच्च न्यायालय का कार्यरत न्यायाधीश होगा और अन्य सदस्य किसी उच्च न्यायालय के कार्यरत या सेवा-निवृत्त न्यायाधीश होंगे।

मान्यवर, यह संशोधन केवल भविष्य में रिटायर्ड जजों को पारितोषिक देने के लिए है कि जो उनके आदमी हैं और वह रिटायर हो गये हैं। वे इनकी इच्छानुसार जगहों पर इनको इच्छानुसार काम कर सकें। अगर आप पुरानी धारा पढ़ें तो आपको देखने को मिलेगा कि जिसमें साफ लिखा हुआ है कि रिटायर्ड अधिकारी को नहीं नियुक्त किया जा सकता है, जो एक्टिंग जज हैं, उन्हीं में से नियुक्ति की जाये और जब आपके पास जजेज मौजूद हैं, तो रिटायर्ड जज को लेने की क्या आवश्यकता है। उनको इसलिए नहीं लिया जाता है कि यह अनुभवी और योग्य हैं बल्कि इसलिए लिया जाता है कि यह इनके आदमी होते हैं। खैर, मान्यवर, यह विधेयक इनको लाना था और लाये और मैं इसका स्वागत भी करता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चेतराम गंगवार—]

हूं क्योंकि सी० आर० पी० सी० में यह बात स्पष्ट है कि उसकी धाराओं में अमेंडमेंट हुए और 87, 88 और 89 की जगह 81, 82 और 85 रखा आपने। वैसे यह अच्छा काम किया। तीन मजबूरियां थी इसको रखने के लिए। लेकिन मान्यवर, इसके साथ ही आप एक अमेंडमेंट और ले आये, जिससे आपने अपनी मनोवृत्ति का उदाहरण दिया है।

मान्यवर, एक चीज और कहना चाहता हूं कि इनके जो जिलाधीश हैं वह किसी व्यक्ति को किसी षड़यंत्र में, लेकिन वह यह नहीं देखते कि ऐसा करने पर क्या ऐक्शन बन रहा है और इसका क्या रिजल्ट निकलेगा और मान्यवर, यह इसी नीति की देन है जो मुरादाबाद, बरेली और सम्भल आदि स्थानों पर दंगे हुए। यह सब इन अधिकारियों की लापरवाही के कारण। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी जिले के डी० एम० को यह देखने का समय नहीं है कि सही स्थिति क्या है। यह सारी बातें वहां के सबसे छोटे अधिकारी को सौंप दी जाती हैं और उसमें मैं समझता हूं कि उस अधिकारी को न मालूम कितने अधिकार सौंप दिये जाते हैं, उसकी हर तारीख को मानकर यह बड़े अधिकारीगण काम करते हैं। इसी से सम्बन्धित एक मिसाल है एक सिंह साहब अपनी रिवाल्वर के लाइसेंस रिनीवल के लिए दरख्वास्त देते हैं, एस० पी० साहब के पास। तो उस पर एस० पी० साहब लिखते हैं जांच के लिए कि इनका चाल-चलन और शोहरत खराब तो नहीं है। मान्यवर, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि रिनिवल के लिए इस प्रकार की जांच हो जबकि कोई नया लाइसेंस नहीं मांगा गया था। यह मान्यवर, सब इसलिए किया जाता है कि खाने-पीने का धंधा कायम रहे। हुआ यह उसकी जांच के लिए दरोगा को सुपुर्द किया गया और मान्यवर, जब तक दरोगा को उसके लिए लाइसेंसी 3-4 सौ रुपया नहीं दे देगा, तब तक वह दरोगा उस पर रिपोर्ट नहीं लगायेगा और तब तक डिप्टी एस० पी० साहब उसको रिनिव नहीं करेंगे। अगर आप भी मान्यवर, और माननीय संसदीय कार्य मंत्री अपनी एप्लीकेशन दें, जब यह अपने पद पर न हो। आज यह भले ही अच्छे हैं, लेकिन उस वक्त इनके साथ भी वही होगा जो आज दूसरे के साथ हो रहा है। जब तक 5-6 सौ रुपया रिश्वत के रूप में नहीं दे देंगे काम नहीं होगा। इसलिए मान्यवर, आज आवश्यकता इस बात की है जैसा कि रियासत साहब ने प्रस्ताव रखा, उसको अमल में लायें और जैसा कि अभी जाहिदी साहब सरकार की वकालत कर रहे थे तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इसके अन्दर, इस विधेयक में जितनी खराबियां हैं और नौकरशाही की मनोवृत्ति छिपी हुई है मान्यवर, यह जो अमेंडमेंट लाये हैं इसमें जहां अनेकों खराबियां हैं एक विशेषता है। जिसको मैं समझता हूं माननीय संसदीय कार्य मंत्री की निगाह उधर चली गई होगी। क्यों कि सारे मंत्रिपरिषद् में उनका एक विशेष स्थान है। वह यह है कि अब तक राज्य सरकार करती थी यानी मुख्य मंत्री या चीफ सेक्रेटरी किया करते थे। यह एक विशेषता मेरी नजर में आई जिसके लिए मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री को धन्यवाद देता हूं। अब उसे चीफ जस्टिस की राय से किया करेंगे। अपने किसी व्यक्ति को न करके अब आपको चीफ जस्टिस से राय लेनी पड़ेगी। तो मान्यवर, अगर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी रिटायर शब्द हटा दें तो मैं रियासत साहब से प्रार्थना कर सकता हूं कि वह अपने संशोधन को वापस ले लें।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

माननीय उपाध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश राष्ट्र विरोधी तत्व निवारण (संशोधन)

विधेयक, 1980 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करें ।

मान्यवर, जो विधेयक संशोधन हमने पेश किया है । उस विधेयक की स्प्रिट पर हम भरोसा करें, माननीय मंत्री जी और शासन की बातों पर भरोसा करें, तो एक महीने का दिन कोई बहुत नहीं है जिसके लिए वह हमको इजाजत नहीं दे सकते । मान्यवर, अव्वल न तो शासन और मंत्री शुभहा से परे नहीं हैं । शुभहा इसलिए है कि हमेशा इन्होंने शक्ति का दुरुपयोग किया है और करते रहें हैं । अब तक का इतिहास यही रहा है । जैसा कि रियासत साहब ने कहा कि जनता पार्टी के चन्द्रशेखर बरेली गये और वहाँ पर उनकी मीटिंग नहीं करने दिया गया । राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यह दुरुपयोग करते रहे हैं । मान्यवर, यह नौकरशाही जो इनके हाथ से निकल चुकी है जिसके ऊपर इनका नियंत्रण नहीं रह गया है उसके हाथ में एक और हथियार देने जा रहे हैं । जैसी मुझे सूचना है अगर वही सही है तो इस सरकार को इस्तीफा देना चाहिये । डी0 एम0 अलीगढ़ और एस0 पी0 अलीगढ़, जो दो मंत्री अलीगढ़ जाने वाले थे उनको टेलीफोन पर सूचना दिया है कि वह दोनों मंत्री अलीगढ़ नहीं आ सकते हैं । दोनों मंत्रियों ने मुख्य मंत्री से दिल्ली में बातचीत किया । मुख्यमंत्री ने डी0 एम0 और एस0 एस0 पी0 से बात किया और उसके बाद कहा कि जब तक मैं नहीं आता हूं आप अलीगढ़ न जायं । अगर यह सही है तो जो यह विधेयक पास होने जा रहा है उसका प्रतिफल है यह सरकार नौकरशाही के हाथों में खेल रही है । श्रीमन्, जाहिदी साहब बहुत अच्छे वकील हैं उनका तो काम ही वकालत करना है जब वह इधर थे तो वकालत किया करते थे अब उधर हैं तो वहां कर रहे हैं लेकिन अफसोस है कि उनको वकालत का पारिश्रमिक नहीं मिल रहा है । नेचुरल जस्टिस होती है मान्यवर, इस सम्बन्ध में मैं एक कोटेशन देना चाहता हूं :

Shorter Constitution of India Page 107 Article 19

"A Law which imposes a section upon the freedom of movement shall be void if there is on provision of communicating the grounds to the person whom the order is to be made."

वह कानून अपने आप में अवैध है जिसमें कि उस आदमी को जिसके खिलाफ वह कानून है उसको अपनी बात कहने की इजाजत न हो, साक्ष्य के लिये इजाजत न हो जिस को बात है जिस आदमी को डिटेन करना है उसको वकील करने की इजाजत न हो साक्ष्य प्रस्तुत करने की इजाजत न हो और उसको यह न बताया जाय कि आपको इस कारण बन्द किया जा रहा है ।

इस विधेयक के चलते उस आदमी को चारों बातों से अलग रखा गया है । उसको नहीं बतलाया गया कि क्यों गिरफ्तार किया गया, क्या चार्जेज उसके खिलाफ हैं उनके लिए मौका नहीं दिया जायगा वकील को रखने के लिये और वह अपना साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सकेगा । यानी जो सामान्य ला है संविधान के अन्तर्गत उसे हम इसके द्वारा कत्ल करने जा रहे हैं । जनता पार्टी के समय यह बात आई थी लेकिन अपनी बितलता तथा अक्षमता को छिपाने के लिए इसका सहारा यह सरकार ले रही है । जो आज मौजूदा कानून है उसके तहत भी असमाजिक तत्वों को, अशान्ति पैदा करने वाले तत्वों को अदालत के हवाले किया जा सकता है । फिर इसकी क्या आवश्यकता पड़ गयी ? माननीय संसदीय कार्य

[श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--]

मंत्री से मैं कहूंगा कि निश्चित रूप से यह हाई कोर्ट अथवा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा तब आपको क्या स्थिति होगी क्योंकि यह फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। एमरजेंसी का जमाना आप भूल जाइये। उस समय अदालतों के अधिकार आपने खत्म कर दिये थे और संविधान को आपने बदल दिया था और उसके साथ हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट के अधिकार भी तर्क हो गये थे। आज वह स्थिति नहीं है, वे चीजें रेस्टोर कर दी गयी हैं और आज अदालतों के अधिकार अपनी जगह आ गये हैं। क्योंकि यह विधेयक माननीय अधिकारों तथा संविधान के विरोध है इसलिए यह अदालत में चैलेंज होगा। इसे मत भूलिये कि आपको अदालत में नहीं जाना होगा। कहीं वहां पर मुंह की खाई तो आपकी शक्ल क्या बनेगी। लिहाजा मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि इसे एक माह के लिए प्रवर समिति को भेज दिया जाय।

*श्री प्रभू नारायण सिंह--

मान्यवर, मैं इस संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं। जनता पार्टी के समय का लाये हुए इस विधेयक का मैं इसलिये समर्थन कर रहा हूं कि इस देश तथा प्रदेश के शान्ति प्रिय प्राणियों को सचमुच में शान्ति मिले और जो असमाजिक तत्व हैं और जो लोग यह कहते हैं कि हमारे प्रदेश में गुन्डई हो रही है, कुछ तत्व शान्ति से लोगों को रहने नहीं दे रहे हैं उनको रोकने के लिए हम सक्षम हो सकें। बार बार यह दुहाई दी जा रही है कि जनतंत्र के अधिकारों का हनन किया जा रहा है उनको मैं उनके राज्य काल का एक उदाहरण दे दूं कि इस प्रदेश में 1 लाख माध्यमिका शिक्षकों ने दिसम्बर, 1978 में अपनी मांगों को लेकर हड़ताल थी और मान्यवर, ऐसा कभी नहीं देखा गया आज तक जनतंत्र के इतिहास में कि एक साथ 40 हजार शिक्षकों की सेवायें समाप्त कर दी जायें। यह केवल जनता पार्टी के राज्य में हुआ था। जेलों में बन्द किये गये, लाठियों से पीटा गया उनका खून बहाया गया और मान्यवर, उस खून को कुत्तों से चटवाया गया। 2-3 स्थानों पर पेमेन्ट दोहरा तिहरा करके खर्चा बढ़ाया गया। इन्हीं के समय में औद्योगिक विधेयक लाया गया था जिसमें इस देश और प्रदेश के सभी कर्मचारियों को जो उनके बोलने का अधिकार था, भावनाओं को व्यक्त करने का अधिकार था, संघ, संगठन बनाने का अधिकार था वह सब छीना गया। तो जनतंत्र की दुहाई देने लगे....।

श्री उपाध्यक्ष--

आप विषय पर आयें। आप विषय से बाहर बोल रहे हैं।

श्री प्रभू नारायण सिंह--

सचमुच यह जो आर्डिनेन्स लाया जा रहा है, संशोधन लाया जा रहा है, मैं इसका पुरजोर समर्थन करता हूं और विश्वास करता हूं कि यह पूरा सदन सर्वसम्मति से इसका समर्थन करेगा।

*श्री सत्यपाल सिंह--

आप जो उत्तर प्रदेश राष्ट्र विरोधी तत्व निवारण (संशोधन) विधेयक लाया गया है यह साबित करता है कि वर्तमान सरकार किसी भी हालत में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सामान्य कानूनों, सामान्य नौकरशाही और सामान्य तौर तरीके से प्रशासन करने में सक्षम नहीं है। जैसा अभी कुछ देर पहले माननीय सदस्य राजेन्द्र कुमार गुप्त ने कहा था कि यह पुराने हथियारों को निकाल कर लाये हैं, मेरा कहना है कि यह पुराना हथियार ही नहीं राष्ट्र विरोधी तत्व निवारण (संशोधन) विधेयक जो लाये हैं यह नया हथियार लेकर आये हैं। पुराना हथियार गड़ा पड़ा था। मंत्री जी ने कह दिया कि जनता पार्टी के लोग इसमें संशोधन ला नहीं सके लेकिन मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जनता पार्टी की सरकार को इस विधेयक को लागू करने में कहीं पर भी आवश्यकता नहीं हुई। यह केवल वर्तमान सरकार है जो असामान्य कानूनों के माध्यम से इमरजेंसी के माध्यम से केवल सरकार को चला सकता है और सामान्य कानूनों से सरकार को चलाने में सक्षम नहीं है। इसी का कारण है कि आज से दो दिन पहले इन्दिरा गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के लिये कुछ विशेष अधिकारियों की नियुक्ति भी की जायेगी जो इस समय हैं मान्यवर, यह प्रशासन को चलाने में सक्षम नहीं हैं।

प्रेस सेन्सर शिप भी चालू कर दी है और भूल जाते हैं कि 1975 से 77 तक जो इमर्जेन्सी लागू की, आपातकालीन स्थिति लागू की उस दरमियान में सारे भारतीय संविधान के कान्स्ट्रक्शन को, स्ट्रक्चर को बदल दिया और मानवता के मूलभूत अधिकारों का हनन किया जिसका अंजाम 1977 के चुनाव में भुगतना पड़ा और इस पुराने गड़े हुये संशोधन विधेयक को लाकर, इस विधेयक में संशोधन करके जो कार्य करने की बात कर रहे हैं, नीयत साफ नहीं है. समाज विरोधी तत्व निवारण विधेयक जो आप लाये हैं इससे अपने यहां की जनता के मूल अधिकारों को छीना है। जहां उनका एक अधिकार था न्यायालय में जाने का, 6 माह के लिए नया हथियार, कानून को लाकर मूल अधिकार का हनन किया है स्वतंत्रता का हनन किया है और इस विधेयक के द्वारा, नय संशोधन द्वारा भारत के संविधान के मूल अधिकार का जो अनुच्छेद 22 में दिया गया है, का उल्लंघन करने जा रहे हैं और याद रखिये कि 77 में अगर देश की जनता ने माफ नहीं किया और इसी तरीके से, इसी बूते से चलते रहे तो वह दिन दूर नहीं 6 मास के बाद इधर बैठोगे। इस परिस्थिति को कोई दूर नहीं कर सकता। यही कह कर मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

*श्री लाल प्रताप सिंह--

मान्यवर, इस विधेयक की आवश्यकता हकीकत में है। याद आता है कि, फैक्ट्स आर आलवेज सुपीरियर टु रिजनिंग। हकीकत क्या है इसको देखने की आवश्यकता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि राजनीतिक पार्टियों में विघटन वाले तत्व पहले से ही सक्रिय रहे हैं। शासन का यह फर्ज है कि शान्ति की सिचुएशन को कायम रखें। चैलेन्जिंग को मात करें। आप बतायें कि मुल्क की हालत क्या है?

विरोधी दल के सदस्य--

आप ही बतायें।

श्री लाल प्रताप सिंह--

यह विरोध पक्ष है। भारतवर्ष में विरोध पक्ष किस तरह से गैर जिम्मेदार हैं, दुनियां में जहां भी डेमोक्रेसी है इतना कहीं नहीं है। यह वही विरोध पक्ष है जिससे आशा की जाती है कि हुकूमत को तब्दील करें।

(शोर)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री लाल प्रताप सिंह---]

चौधरी चरण सिंह ने जिस तरह से बात की किसी भी पालिटीशियन ने इस सेन्चुरी में नहीं किया होगा । एक समय वह था, याद आता है, क्या जमाना था कि जमायते इस्लामी और आर० एस० एस० किस तरह से घुल मिलकर रहते थे । एक तरफ जमायते इस्लामी और दूसरी तरफ आर० एम० एस० । क्या नजारा था । कहां आर० एस० एस०, कहां जमायते इस्लामी । घुले मिले थे । उसको देखा है ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप विधेयक पर आयें । उसके बाहर जा रहे हैं ।

श्री लाल प्रताप सिंह--

उसी पर कह रहा हूं । इसके विरुद्ध कड़ा से कड़ा कानून बनाना चाहिये । मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि कांग्रेस बड़ी तेजी से डेमोक्रेसी और लोकतंत्र की तरफ बढ़ रही है ।

(शोर)

एक सज्जन ने लिखा है--पालिटीशियन्स एण्ड वोटर्स में डिसएग्री ह्वाट द इण्ड आफ पालिसी बट दे डिफनिटली एग्री ह्वाट द मैनर आफ रिजाल्विंग डिस्प्यूट ।

हमारे यहां क्या होता है विरोध-पक्ष मामूली बातों में, नारे लगा रहे हैं, बायकाट कर रहे हैं, बाहर चले जा रहे हैं । आप डिजर्व नहीं करते । विरोध-पक्ष कभी हेल्पफुल नहीं रहा । वेलफेयर स्टेट के उद्देश्य से यह विधेयक सही समय पर लाया गया है । कड़ाई और मजबूती के साथ इसको लागू करना चाहिये। इसको अवश्य पास किया जाना चाहिये ताकि देश की आगे आने वाली पीढ़ियां यह कह सकें कि कांग्रेस के हुकूमत ने प्रदेश के कल्याण के काम के लिये यह किया । इसलिये इस विधेयक के लिये मैं सरकार को कांगरेचुलेट करना चाहता हूं कि उसने उत्तर प्रदेश राष्ट्र विरोधी-तत्व निवारण (संशोधन) विधेयक को लाया और इस देश को बचाया ।

*श्री भीखा लाल--

मान्यवर, माननीय रियासत हुसैन जी ने जो प्रस्ताव पेश किया है, मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, सरकार की तरफ से जो संशोधन विधेयक लाया गया है, उसमें मैं कह सकता था कि उसमें विरोध की गुन्जाइश नहीं है और इसको लाया जा सकता था अगर मूल अधिनियम की आवश्यकता इस प्रदेश को होती । लेकिन, मान्यवर, मूल अधिनियम की आवश्यकता प्रदेश को नहीं है । मैं, मान्यवर, यह समझता था कि कांग्रेस पार्टी 75/76 के अनुभव से कुछ नसीहत लेगी, लेकिन इन्होंने कोई नसीहत ली नहीं । 75/76 में जो डिटेन्शन और मीसा लागू किया और जिसका पूरी तरह से इस्तेमाल किया, उसका नतीजा हुआ कि ये उधर से इधर आ गये थे और शासन इनके हाथ से निकल गया । लेकिन इतने दिनों के बाद फिर शासन में पहुंचे हैं । अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि हमारे देश का विरोध-पक्ष सबसे ज्यादा गैरजिम्मेदार है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, हमारे प्रदेश के जनतंत्र का यह बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे प्रदेश की जनता ने शासक पार्टी को इतना बड़ा बहुमत दे दिया। मान्यवर, किसी भी डेमोक्रेसी में अगर शासक दल के पास इतना बड़ा बहुमत होगा तो वह अवश्य अपना विवेक खो देगा। इस समय हमारी कांग्रेस की पार्टी की जो स्थिति है, उसका मिसाल दुनिया में कोई नहीं है। इसी कारण इन्होंने ऐसा कानून लाया है।

(व्यवधान)

जरा धैर्य से सुनिये। मान्यवर, 1970 में मूल अधिनियम उस समय लाया गया जिस समय के बंगला देश और पाकिस्तान से लड़ाई चल रही थी। उस समय हमारे देश में घुसपैठिये आ गये थे। उनको रोकने के लिय इसको बनाया गया था। मैं, मान्यवर, सरकार से जानना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी परिस्थिति देश में आ गयी थी कि जिसके कारण इस संशोधन को लाने की आवश्यकता हो गयी। ऐसी कोई विशेष परिस्थिति नहीं हमारे देश में, न कोई विदेशी देश में घुसपैठ कर रहा है, न कोई लड़ाई हो रही है, न कोई विदेशी इनफिलट्रेट कर रहा है। 1970-71 में विशेष परिस्थितियों में इसको बनाया गया था। आज वैसी परिस्थिति नहीं है। अगर आज वैसी परिस्थिति होती तो मैं इसका स्वागत करता। मैं इसका स्वागत करता कि अगर इस तरह का कोई प्रस्ताव आता कि इस अधिनियम को रद्द किया जाय। लेकिन ऐसा न करके उसमें संशोधन लाये हैं। इसलिये मैं माननीय रियासत हुसैन जी जो प्रस्ताव ले आये हैं, मैं उसका समर्थन करता हूं कि इसको प्रवर समिति को भेजा जाय ताकि वहां गहराई से विचार हो ताकि सदन इस अधिनियम को जो 1970 में बनाया गया था, उसको रिपील कर दिया जाय।

*श्री सुन्दर सिंह—

मान्यवर, यह जो विधेयक सरकार के द्वारा पेश किया गया है, उसका समर्थन करता हूं। मैं यह बताना चाहता हूं कि आज जो राष्ट्र विरोधी तत्व हैं, उनके निवारण के लिये कोई चीज होनी चाहिय थी। मान्यवर, जब लोक सभा का चुनाव हुआ और जनता पार्टी और लोकदल की सरकार बनी, तो इन्होंने हिन्दुस्तान के इतिहास को अपने काले कारनामों से रंग दिया। इनके कमीशन और एजेंटों से सरकार चलायी। फिर उसके बाद जब लोक सभा का विघटन हुआ, उस समय इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में इन्दिरा लाओ, देश बचाओ, इस नारे को देकर जनता पुनः कांग्रेस को शासन में ले आयी। उस समय राष्ट्र के अन्दर हर एक नागरिक इसी बात को चाहता था। राष्ट्र विरोधी तत्वों को समाप्त करने और राष्ट्र को बचाने के लिये ही इन्दिरा शासन आया और हिन्दुस्तान की 60 करोड़ जनता ने जनता पार्टी के शासन को ठुकरा दिया और राष्ट्र को बचाने के लिये इन्दिरा गांधी को ले आयी। जो लोग राष्ट्र का निर्माण चाहते हैं, जो लोग राष्ट्र को बचाना चाहते हैं, जिनको राष्ट्र की गरिमा को बढ़ाने का स्वाभिमान है, उनको इस बात को लेना चाहिये कि अगर हिन्दुस्तान को कांग्रेस और इन्दिरा गांधी ने नहीं बचाया, तो आप नहीं बचा सकते हैं।

तो मान्यवर, ऐसे समय में जबकि राष्ट्र विरोधी तत्व सक्रिय हों, प्रदेश के सामने ऐसा वातावरण हो, प्रदेश के सामने ऐसी स्थिति हो, तो जसा हमारे साथी ने कहा कि आज जमायेते इस्लामी और आर० एस० एस० गले मिल रहे हैं,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सुन्दर सिंह]

तो राष्ट्र विरोधी तत्वों से प्रदेश को बचाने के लिये इस विधेयक की आज बड़ी आवश्यकता है । मैं इसका समर्थन करता हूं और हम सभी लोगों को एकमत होना चाहिये और इ को पास होना चाहिये ।

श्री श्याम लाल वाजपेयी--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय. . . .।

(मेजों की थपथपाहट) ।

मुख्य मन्त्री जी की तरफ से हमारे माननीय संसदीय कार्य मन्त्री जी ने जो राष्ट्र विरोधी तत्व निवारण विधेयक रखा है मैं उसका हृदय से समर्थन करता हूं । मान्यवर, इस समय, आज हमारे कुछ माननीय विरोधी-पक्ष के साथियों ने इसका विरोध किया है कुछ लोग कहते हैं कि वे पांचवीं बार चुनकर आये हैं, अरे सम्मानित महानुभावों इसका इतिहास तो देखो नजरबन्दी कानून का इतिहास कितना पुराना है । एक ओर आप कहते हैं कि अराजक तत्व बढ़ रहे हैं, देश के अन्दर जो हिन्दू-मुस्लिम दंगे कराये जा रहे हैं, देश के अन्दर जो गुंडागर्दी हो रही है आज हमारे पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था । देश का कानून इतना सक्षम नहीं है जो इस तरह की कच्ची हरकतों को करने वालों पर नियंत्रण पाया जा सके । इसको नियंत्रित करना था, हमारी मौजूदा सरकार इस प्रदेश की रक्षा के लिये, इस प्रदेश के हित के लिये ऐसा महान कानून लायी है । मैं अपने सम्मानित साथियों से कहूंगा कि सिर्फ विरोध करना है इसलिये विरोध कर रहे हैं, ऐसा न करें, अगर देश प्यारा है, देश की एकता प्यारी है, कानून और व्यवस्था प्यारी है तो एक स्वर में हमारी सरकार को बधाई दें और इस कानून का स्वागत करें ।

(मेजों के थपथपाने की आवाजें) ।

इन चन्द शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करूंगा ।

श्री किरनपाल सिंह--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्र विरोधी तत्व निवारण (संशोधन) विधेयक, 1980 पर यह जो संशोधन राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने रखा है उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । बहुत से माननीय सदस्यों ने इस विधेयक पर अपनी राय जाहिर की है । मैंने इससे एक नतीजा निकाला है, जहां तक मैं समझा हूं कि विधेयक की स्प्रिट के बारे में मान्यवर, किसी को भी कोई नाइत्तफाक नहीं है । विधेयक की स्प्रिट के बारे में कोई सम्मानित सदस्य खिलाफत नहीं करता है । खिलाफत तो सिर्फ इस बात से है कि जो लोग इस विधेयक को ला रहे हैं उनका पुराना इतिहास कैसा रहा है । उन्होंने ऐसे विधेयक का और कानून का किस तरह से इस्तेमाल किया है, क्या वाकई में ऐसे कानून का भूतकाल में राष्ट्र विरोधी तत्वों के खिलाफ इस्तेमाल किया गया है या अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया गया है ?

मान्यवर, पुराना इतिहास यह है कि सामने बैठी पार्टी के लोगों ने कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में इस कानून का इस्तेमाल नहीं किया है बल्कि अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ किया है । उस वक्त उन्होंने ऐसे कानून का उपयोग किया है जिस वक्त आपकी कुर्सी खतरे में पड़ी थी । मान्यवर, जिस वक्त

इन लोगों की कुर्सी को कोई खतरा उत्पन्न हुआ उस वक्त इसका इस्तेमाल किया गया है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर सलीके की सरकार या कानून को मानने वाली सरकार इस विधेयक को लाये तो सभी लोग इसकी तारीफ न सही तो बुराई भी नहीं करेंगे लेकिन प्रशासनिक मशीनरी के साथ इस सरकार का गठबन्धन है और नापाक गठबन्धन रहा है, राजनीतिक विरोधियों के प्रति साजिश प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर होती रही है ।

मान्यवर, एक उदाहरण देना चाहता हूं । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने यह कहा कि विधेयक जो लाया गया है इसको भारतीय संविधान में जो मानवीय अधिकार हैं, फन्डामेन्टल राइट्स हैं उनसे जोड़ कर लाया गया है । जब भी मानवीय अधिकारों पर कुठाराघात होगा तो इसको इस्तेमाल नहीं किया जायगा । संविधान में जो फंडामेन्टल राइट्स प्राप्त हैं उन की सुरक्षा के तहत इस को इस्तेमाल में लाया जायेगा । मान्यवर, आप को मालूम है सभी को मालूम है । जिस वक्त हाई कोर्ट का जजमेंट हुआ था श्रीमती गांधी के खिलाफ तो उन्होंने तमाम चीजें ताक पर रख कर तमाम संविधान को तहस-नहस कर संविधान की मौकरी बनायी थी और अपनी कुर्सी बचाने के लिए संविधान का रूप चेन्ज कर दिया था । मान्यवर, एक आप को और मिसाल देना चाहूंगा । अभी पिछले दिनों जिस वक्त महामहिम राज्यपाल का आर्डिनेन्स जारी हुआ था बुलन्दशहर में कई कांग्रेस के शरीके एम0 एल0 एज0 के बदनाम चमचों ने वहां के जिलाधिकारी को विरोधियों के 20 नाम दिये कि इनको आप इस कानून के अंदर बंद कीजिए । जिलाधिकारी ने सिर्फ उस दिन सद्बुद्धि से काम लिया और उनकी बात को नहीं माना ।

मान्यवर, मैं इतना कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा कि यदि ऐसा कानून इस सदन के द्वारा पास कर दिया गया तो यह मिसाल लागू हो जायेगी, जैसे बंदरिया के हाथ में किसी ने उस्तरा दे दिया हो ।

श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप का आभारी हूं कि आप ने मुझे बोलने का मौका दिया ।

जो यह अधिनियम हमारे मुख्य मंत्री जी की तरफ से हमारे मन्त्री जी लाये हुये हैं इसकी बुनियाद किस ने डाली है और किस ने अध्यादेश गवर्नर से कराया । मेरे दोस्त जो विपक्ष में बैठे हैं जरा उस पर गौर करें । आज हम जब उसी तरह का विधेयक लाये तो यह भूल गये । अगर आप चाहते हैं कि जमाखोरी, मुनाफाखोरी, तस्करों को छूट दे दी जाय, इनके फन्डामेन्टल राइट हैं तस्करी करना, चोरी करना, गबन करना, गड़बड़ी करना तो इन पर कन्ट्रोल कहीं पर नहीं हो सकता । मैं विरोधी पक्ष के भाईयों से कहना चाहूंगा कि आपने इस का सौहार्दपूर्ण स्वागत करना चाहिए कि जो अध्यादेश आप लाये थे उस की पुष्टि हम कर रहे हैं । इन को खुशी होनी चाहिए । बुनियाद इन की डाली हुई है और इस बुरी इमारत को हम खड़ी कर रहे हैं । इमारत खड़ी करने में केवल एक मिस्त्री का फर्क हुआ है तो आप को क्यों परेशानी हो रही है ।

उपाध्यक्ष महोदय लोग कहते हैं कि यह अधिनियम इमरजेन्सी के लिए लाया जा रहा है मैं उपाध्यक्ष महोदय आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार यह चाहती है कि इस देश के अन्दर न बलवा हो, न झगड़ा हो, न तस्करी हो, न साम्प्रदायिक तत्व उभरें और लोकतंत्र जीवित

[श्री प्रभाकर नाथ द्विवदी--]

रह सकें। ऐसी व्यवस्था के लिये यह आवश्यक है कि इस अधिनियम का स्वागत करना चाहिये। जिन साथियों ने विरोध किया है मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह राजनीतिक चेतना से नहीं आया है, पार्टी को मजबूत करने के लिए विरोधी दलों को बंद करेंगे ऐसी बात नहीं है। अगर आपके कारनामें ऐसे हैं जिनमें राष्ट्रविरोधी तत्व आते हैं तो आप भी बंद होंगे चाहे मिनिस्टर हों चाहे विधायक हों चाहे विरोधी दल के नेता हों। इसलिए मैं अपने विरोधी दल के साथियों से कहना चाहता हूं कि उन्हें आज इस विधेयक का सौहार्दपूर्ण ढंग से स्वागत करना चाहिये। आप की डाली हुई बुनियाद में हम बिल्डिंग पूरी करने जा रहे हैं। लोक तंत्र को कायम रखने के लिए, इस देश में जो साम्प्रदायिक तत्व उभर रहे हैं, राष्ट्र विरोधी तत्व पनप रहे हैं इनको दबाने के लिए हम काम कर रहे हैं। इस लिए मैं आग्रह करूंगा कि आप इस बहस को आगे न बढ़ायें, इसे बंद करें। जय हिन्द।

(श्री फखरे आलम का नाम पुकारे जाने पर)

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

मान्यवर, मुझे भी बोल लेने दें। मैं न तो सत्ता दल का हूं और न विरोधी दल का हूं।....

(व्यवधान)

एक सदस्य--

मान्यवर, इनको अवश्य आप मौका दे दें।

*श्री फखरे आलम--

मान्यवर, मैंने इस संशोधन विधेयक पर बहस को सुना और मैंने देखा कि बात कहीं की है और बहस में हम कहीं से कहीं पहुंच गये। इस संशोधन विधेयक के द्वारा 1970 का जो नजरबन्दी ऐक्ट की दफा 6, 8, 9 और 10 हैं उनमें तरमीम चाही है। हमने नजरबन्दी कानून पर बहुत कुछ कह दिया। 1970 में जो कानून हुआ था और जो आज भी है उसको आज खत्म करने की बात होनी चाहिये थी उसको रिवील करने के लिए कानून पार्लियामेन्ट में मिनिस्टर साहब को लाना चाहिये था लेकिन बजाय इसके आप ऐक्ट को मजबूत करने के लिये ब्यूरोक्रेसी के मजबूत हाथों के पंजे जमाने के लिए उस ऐक्ट की दफा 6, 8, 9 और 10 में तरमीम करने के लिए कानून बनाने जा रहे हैं। सन् 70 में जो ऐक्ट बना था उसमें जो बातें कही गई थीं वह मकसद ही दूर हो गया मान्यवर, ऐसे है कि--

जिक्र आया जो कल कयामत का,
बात पहुंची तेरी जवानी तक।

इस तरह से आपने 1970 के ऐक्ट का पर्दाफाश कर लिया। जिस बात का जिक्र ही नहीं वह बात इस समय आ गई। मैं अर्ज करना चाहूंगा कि हमको अपने को सीमित रखना चाहिये। इसलिए मैं इस संशोधन का घोर विरोध कर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रहा हूं और बातों पर कर रहा हूं । माननीय मन्त्री जी से यह निवेदन करूंगा कि वे इस पर गौर से सुने . . .

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य सदन में संयत रहें । सदन में इस तरह का व्यवहार अभद्र है ।

श्री फखरे आलम—

मान्यवर, जो 1970 का ओरीजिनल ऐक्ट है उसकी दफा 8 में यह है कि प्रत्येक ऐसी परिषद में 3 व्यक्ति होंगे जो राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और जिला न्यायाधीश में से नियुक्त किये जायेंगे । तो सरकार का अख्तियार है वह 3 व्यक्ति नियुक्त करे । वे जिला जज हों अथवा हाई कोर्ट के जज हों । अब जो अमेन्डमेन्ट किया जा रहा है दफा 8 के सब सेक्शन (2) और (3) के अनुसार उसमें यह है कि उस परिषद का संगठन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिशों के अनुसार किया जायेगा । इसका मतलब यह हुआ कि अगर मुख्य न्यायाधीश किसी रिटायर्ड पेशकार की सिफारिश कर दे तो आप उसको बना देंगे । तो आप इस सेक्शन के (2) और (3) को कम्पलीट डिलीट कर रहे हैं और उसके रद्द करने की जगह उसको ला रहे हैं ।. . . .

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य, आप इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने के पक्ष में बोल रहे हैं अथवा किसी सेक्शन के बारे में बोल रहे हैं ?

श्री फखरे आलम—

मैं प्रवर समिति में भेजने के पक्ष में बोल रहा हूं ।

[6 बजकर 30 मिनट]

मैं कह रहा हूं कि इसे प्रवर समिति को भेजा जाय । उसकी वजह यह है कि आप दफा 8, 9 में एमेंडमेंट कर रहे हैं उससे आप उन चीजों को छीन रहे हैं और ऐक्ट के स्ट्रकचर को मोल्ड कर रहे हैं । मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि इसे प्रवर समिति में भेजा जाय । इसमें एक रिटायर आदमी को लाने का सवाल है इससे जुडिशियरी कमिटेड बनेगी और उस हालात में जुडिसियरी नहीं रहेगी । जो लोग रिटायर होंगे, जिनको चीफ जस्टिस साहब कहेंगे उनको आप रख देंगे । इसलिए मैं इस बात का पूरा समर्थन करता हूं कि इसे प्रवर समिति में भेजा जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्यों की भावना को देखते हुए मैं निवेदन करूंगा कि माननीय जसवंत सिंह जी आप बोलें ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मेरी भावना को समझा । जब मैं आपकी तरफ देखता हूं तो गांधी जी के चित्र पर सर्वप्रथम नजर पड़ती है । सन् 1947 से पूर्व जब राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था तो गांधी जी ने कहा था

[श्री जसवन्त सिंह विष्ट--]

कि कोई कानून किसी की भावना को नहीं दबा सकता है, हृदय परिवर्तन से ही मनुष्य अपने विचारों को बदल सकता है। मान्यवर, आप में से बहुत से महानुभावों ने गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया और कई बार जेल गये। मुल्क आजाद हुआ, हम सोचते थे कि अब अमन होगा और जो अंग्रेजों के बनाये हुये कानून हैं वे समाप्त हो जायेंगे। लेकिन मान्यवर, आजादी के बाद नये-नये कानून बनाये गये और ऐसे विधेयक लाये गये जिससे आम जनता का शोषण हुआ। अधिकारियों और कर्मचारियों को ताकत मिली जिसका उन्होंने दुरुपयोग किया और नाजायज लाभ उठाया। उसी का आज नतीजा है कि चोरियां और डकैतियां बढ़ गयी और उसके बदले में अपने आदमी जेलों में बन्द कर लिये गये। मैं भी इसका भुक्तभोगी हूं। हमारे कई माननीय सदस्य हैं उनमें से कुछ मन्त्री भी यहां पर हैं....

श्री उपाध्यक्ष--

आप संशोधन पर बोलें।

श्री जसवंत सिंह विष्ट--

तो मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जब मुल्क आजाद हो गया तो ऐसे कानूनों की जरूरत नहीं थी। आज आप पुलिस को ऐसे अधिकार दे रहे हैं ताकि वह भले आदमियों पर अंकुश करें और गुंडों को छूट मिले जब हमारी सरकार समाजवादी है, जनभावना का आदर करती है, जनहित का काम करता है तो उसको इस कानून को नहीं रखना चाहिये। अगर ऐसे कानून नहीं बनाये जाते तो इतने अपराध आज नहीं होते।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य, आप कोई नया संशोधन पेश कर रहे हैं? यहां पर प्रवर समिति को भेजने की बात है। शायद आपने संशोधन नहीं पढ़ा। अब आपका समय समाप्त हो गया है।

*श्री लोकमणि--

मान्यवर, हमारे मुख्य मंत्री जी ने जो यह राष्ट्रविरोधी तत्व निवारण संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया है उसका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। उभय पक्ष के विचारों को मैंने सुना लेकिन आज की परिस्थितियों में यह आवश्यक था क्योंकि वह ऐसी बन गयी है जिसमें उनकी चिकित्सा करना आवश्यक है "आवश्यकता अविष्कार की जननी है। पहले रोग बनता है तब इलाज बनता है। आज देश जिन परिस्थितियों में गुजर रहा है, वह भी हमारे भूतपूर्व शासन की विभिन्न विचारधाराओं वाले लोगों के जमघट के कारण तीन वर्ष में जो परिस्थितियां पैदा कर दीं, उनके कारण देश में ऐसा चल रहा है। हमारे राजेन्द्र कुमार जी ने इसको स्वीकार भी किया है, लेकिन उनकी शंका यह है कि कहीं इसका दुरुपयोग न हो जाए। इसलिए दुरुपयोग के भय में आकर वह उसका सदुपयोग भी नहीं करना चाहते हैं। जो कोई व्यक्ति भूखा है, उसको खाना मिलना ही चाहिए, लेकिन उसको इस भय से खाना न दिया जाए कि कहीं वह ज्यादा खाकर मर न जाए, इस प्रकार का विचार किसी भी देश में उचित नहीं है। उनको निसंकोच भाव से इसका समर्थन करना चाहिये और उनको ऐसी भयंकर परिस्थितियों में इसके इस्तेमाल पर शंकित नहीं होना चाहिए। जिन स्थितियों के लिए स्वामी तुलसी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दास जी ने भी कहा है---अर्क, जवास, पात बिन भयउ, जस स्वराज्य खल उद्यम गयउ"। आज पूरी वह दशायें देश में तैयार हो रही हैं। इन्दिरा जी ने खल उद्यमियों को नष्ट करने के लिए अपने सब औषधियों को प्रयोग कर लिया और उससे वह देश में शान्ति और व्यवस्था लाई। आज वही स्थिति पुनः है, देश में शान्ति स्थापित करने के लिए खलों के काले कारनामों पर रोक लगाने के लिए आवश्यक है कि इसे पास किया जाए।

*श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री---

माननीय उपाध्यक्ष जी, जो कानून लाया गया है, मैं समझता हूं कि इसकी आवश्यकता नहीं है। इसका सीधा अर्थ है अब तानाशाही की ओर जाने के लिये यह शासन सोच रहा है। जबकि भारत के इतिहास में वह एक काला दिन उपस्थित हो चुका है और उसके सारे परिणाम इस देश में जनता के सामने उपस्थित हो चुके हैं। तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार काला कानून अपने देश की सरकार बना रही है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं सोचता हूं कि प्रवर समिति में विचार हेतु इसको आना चाहिए। आज सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि जिस समय यह बनने जा रहा है, प्रदेश की जनता के सामने एक भय का वातावरण पैदा हो गया है। पुलिस जिस ढंग से प्रदेश में काम कर रही है, उससे जनता इतनी भयभीत है कि ईमानदार व्यक्ति किसी तरह चैन से रह ही नहीं पा रहा है। विधायकगण आए दिन इसका सदन में शिकायत करते हैं। पुलिस का व्यवहार घोर आपत्तिजनक बन गया है। इसका सारा प्रयोग उन्हीं लोगों के खिलाफ होगा जो आपके राजनैतिक क्षेत्र में विरोधी लोग काम करते हैं, उन पर ही झूठे और मनगढ़न्त आरोप लगाकर, उन्हें सिद्ध कर जेलों में बन्द किया जाएगा झांसी जनपद के अन्दर हमने कई बार लिखकर दिया है, पुलिस ने जो चार्ज लगाये हुए हैं, बलात्कार तक के झूठे चार्ज लगाये गये हैं और गवाहान पेश किये गये हैं। इसके अलावा जो यह समिति बनी हुई है इसमें कोई निष्पक्ष बात क्या हो सकेगी। सरकार जहां जैसा चाहेगी, करना चाहेगी वही उसमें होगा। क्योंकि समिति के अंदर कोई रास्ता नहीं बताया गया है। एक सदस्य रिटायर्ड जज रहेंगे, उनकी क्या आवश्यकता है? इसलिए आवश्यकता है कि शासन जो चल रहा है वह अपना मनमाना कार्य उनसे करवा सकें और तीसरा सदस्य जोर भी रहेगा लेकिन वह भी आपकी इच्छानुसार करेगा। मैं तो साफ-साफ कहना चाहता हूं कि यह जो संशोधन विधेयक लाया जा रहा है। इससे लोकतंत्र की हत्या का एक रास्ता निकाला जा रहा है। मैं नहीं समझ पाया कि इसकी क्या आवश्यकता थी। अगर कोई आवश्यकता थी तो क्या आई0 पी0 सी0 के अन्दर कोई कमी थी। तो मैं इसका विरोध करता हूं और कहता हूं यह जो कानून बनाया जा रहा है, इसको वापस ले लें ताकि इसका दुरुपयोग न हो सके।

*श्री रियासत हुसैन---

मान्यवर, मैं माननीय सदन के सभी सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने मेरे इस प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लिया और जिस पर विस्तृत रूप से अपने-अपने विचार रखें। हमारी और माननीय रिजवी साहब, दोनों की मजबूरी है कि इस संशोधन विधेयक को रख रहे हैं। जो हमारा मूल अधिनियम है, इससे उसका मिसयूज होगा। वर्ष 1970 में जो मूल अधिनियम पास हुआ था उसके अन्दर 30 दिन का समय सरकार को दिया गया था कि वह एडवाइजरी बोर्ड के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रियासत हुसैन--]

पास भेज दे और वह 21 दिन में सरकार को भेज दें फिर सरकार 7 हफ्तों में अपना अंतिम निर्णय ले ले। जनता पार्टी की सरकार ने संविधान का जो संशोधन किया था, आपकी यह मजबूरी है कि आपको उसे पास करना जरूरी है। इसमें आपका दोष नहीं है। संविधान में एमेंडमट हो जाने के फलस्वरूप आपको यह एमेन्डमट यहां पर रखना पड़ा।

हमारा जो मूल अधिनियम है 1970-71 का उसमें लैथल वैपन की डिफिनिशन है अगर तरमीम होगी तो उसके ऊपर भी लागू हो जायेगा। "Lethal weapens means fire arms, explosive on corrosive substance, swords, spears, daggers and knives." तो शब्द चाकू में यह नहीं लिखा है कि तरकारी काटने वाला होगा या जिससे कद्दू वगैरह काट जाता है, वह होगा। तो जिस आदमी को जिस कान्सटिबिल को इसका मिसयूज करना होगा या किसी की मुखालफत करनी होगी तो वह किसी भी चाकू को दिखाकर राष्ट्र विरोधी कानून लागू करके परेशान कर सकता है। मुझे इसलिए इसमें संदेह हो रहा है। जनता पार्टी ने 21 दिन और 7 हफ्ते का समय इसके लिए रखा था। अगर आप मूल अधिनियम को ही काफी समझते तो फिर पी0 डी0 ऐक्ट को लाने की क्या जरूरत थी। यह इतना शक्तिशाली है और यह ही बहुत काफी है। आपकी नीयत पर शक इसलिए है कि आपने दूसरा कर दिया कि वह व्यक्ति 6 महीने और 3 महीने जमानत पर भी नहीं रह सकता है। तो इस ऐक्ट का मिस्यूज ज्यादा होगा और जो फायदा होना चाहिये वह बहुत कम होगा। पी0 डी0 एक्ट को इस्तेमाल करेंगे और वे यह कह देंगे कि 6 महीने और 3 महीने तक छुट्टी हो गयी और जहां भी इसका प्रयोग होगा, वह मिस्यूज ही होगा। इसलिए मैं फिर प्रेस करता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि इसका मिस्यूज न हो तो आप अपने अधिकारियों को मौका न दें। तो उस समाज विरोधी लोगों के लिये इस नये बिल को लाने की कोई जरूरत नहीं थी, उसी में केवल दो लाइनें और जोड़ी जा सकती थीं। तो इसका मिस-यूज होगा। यही कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और जिन लोगों ने चर्चा में भाग लिया उनकी शुक्रिया अदा करता हूं। माननीय रिजवी साहब यह विश्वास दिला दें कि इसका मिसयूज नहीं होगा।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, माननीय रियासत हुसैन जी ने तो कुछ शंकायें ही व्यक्त की कि मिसयूज होगा, मैं तो प्रमाणस्वरूप दो उदाहरण सदन के सामने रखना चाहूंगा कि पावर का मिसयूज होता है कि नहीं। पावर का मिसयूज होता है और इसीलिये मैं इसे प्रवर समिति में भेजने के लिये बल देता हूं।

बस्ती का एक मामला 1440 बोरी वाला प्रकाश में आ चुका है, मगर उसमें आपकी (कांग्रेस) पार्टी के वर्कर का इन्वाल्मेंट है, जायसवाल नाम के एक सज्जन हैं, जमीर नाम का एक नौकर है, सारी चीजें सामने आ गयी हैं, मगर उसकी कोई कार्यवाही नहीं हो रही है (व्यवधान) अगर इन लोगों को बुलाकर पूछा जाये तो सारा मामला खुल जायगा।

एक दूसरा मामला सुनाता हूं। एक फारुक नाम के सज्जन हैं जो माननीय मंत्री जी के काफी परिचित हैं जिन्होंने गोली चलवायी। उनके नाम पुलिस ने एफ0 आई0 आर0 लिखवायी, वारन्ट कटा, मगर पुलिस नहीं उनको पकड़ सकी क्योंकि वे माननीय अम्मार रिजवी साहब के परिचित हैं, जब वह जाते हैं, तो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उन्हीं के साथ बैठकर अधिकारियों के सामने चाय पीते हैं। इसलिये अधिकारी उनको नहीं पकड़ते, पकड़ते हैं पत्रकारों को। माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि उनको छोड़ दिया जायेगा, अगर छोड़ दिया गया हो तो वे बता दें। इससे यह सिद्ध है कि सरकार अपने राजनैतिक प्रतिद्वन्दियों को दबाने के लिये उनको बन्द करने के लिये इस तरह के काले कानून बना रही है। इसलिये मैं इस प्रस्ताव पर बल देता हूं। इस विधेयक की कोई आवश्यकता नहीं है। अपराधियों को पकड़ने के लिये कानून पहले से ही मौजूद हैं। आप कृपा कर यह संशोधन विधेयक अपना वापस ले लें।

*श्री अम्मार रिजवी--

उपाध्यक्ष जी, मैं आपके द्वारा उन तमाम सम्मानित सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस चर्चा में हिस्सा लिया। मैंने यह समझा था कि हमारे विरोध पक्ष के भाई इसका स्वागत करेंगे, (व्यवधान) मैं सन् 1971 वाले कानून की तरफ अगर ध्यान दिलाऊं तो पता चलेगा कि जहां पर भारत के मानचित्र और राष्ट्रध्वज या महात्मा गांधी की प्रतिमा को विकृत करने और उसे नुकसान पहुंचाने का कार्य हो, मैं उन चीजों को दोहराना नहीं चाहता पीछे नहीं जाना चाहता।

लेकिन मैं इस बात को जरूर कहना चाहता हूं कि इस बिल से कुछ लोगों को तकलीफ पहुंचना जरूरी था और वह बात हमारे सामने यह है कि इसमें जो बातें कही गयी हैं, अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश सरकार के जो अधिकार हैं, उनको सीमित किया गया है। जहां पर यह था कि 30 दिन के अन्दर यह कमेटी के सुपुर्द कर दिया जायगा, उपाध्यक्ष जी, वहां पर 21 दिन हो गया यानी 9 दिन पहले हो गया। इसमें कोई शिकायत की बात नहीं होनी चाहिए। जहां यह था कि उत्तर प्रदेश सरकार नियुक्त करेगी उन लोगों को, जो हमारी ऐडवाइजरी कमेटी में होंगे, बहुत से सम्मानित सदस्यों ने तो यह कह दिया कि पेशकार तक भी कर दिये जायेंगे, उन्होंने पढ़ने तक का गवारा नहीं किया और वह यह कह कर यहां से चले गये कि "जिक्र छिड़ गया कयामत का, बात पहुंची तेरी जवानी तक, वक्त पीरी शबाब की बातें ऐसी हैं जैसी ख्वाब की बातें।" वह ख्वाब देख रहे थे, ख्वाब देखते चले गये। तो उसमें उपाध्यक्ष जी यह लिखा हुआ है। "Provided that an Advisory Board shall consist of a chairman and not less than two other numbers, and the Railman shall be a Serving Judge of the appropriate High Court and the other members shall be serving or retired Judge of ang High Courts." उसमें यह प्राविधान किया गया है कि जो उसके जज होंगे, जो उसमें मेम्बर होंगे या तो सर्विंग होंगे, अप्रोप्रियेट जज हाई कोर्ट और रिटायर्ड जजेज आफ एनी हाई कोर्ट और दूसरे मेम्बर या तो कार्यरत होंगे या सेवा-निवृत्त हो चुके होंगे। एक तरफ तो यह कहा जाता है कि हम जूडिशियरी में और जो हमारी अदालत है, उसमें हम पूरा विश्वास रखते हैं और इनको सर्वमान्य रखते हैं। दूसरी तरफ जो संविधान में है, आपके द्वारा जो यह संशोधन किया गया है, श्रीमन् जब हम उसी को कार्यान्वयन कर रहे हैं, तो उसको माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त प्रवर समिति को दे रहे हैं। इसको श्रीमन्, आप क्या खत्म नहीं कर सकते थे, कैपसूल निकलवा लिया गया, तो क्या इससे 3 साल तक दबाये

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अम्मार रिजवी--]

बैठे रह गये, सम्मानित सदस्य यह कहते रहे कि हम हथियार रखे रहे। आपने कहा कि इसका दुरुपयोग नहीं किया। अरे दुरुपयोग तो ऐसे ही हो गया। आपने तो न मालूम कितने अध्यापकों को, हम लोग भी बार-बार शिकार हो चुके हैं। तो मेरा आप से अनुरोध है, अगर आप उसे देखें, तो कहीं पर कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें यह लगे कि इससे कहीं किसी तरह से और कुछ किया जा रहा है। इसमें तो सरकार अपने को सीमित कर रही है, उन संविधान की धाराओं के हिसाब से जो उत्तर प्रदेश की सरकार को संविधान के अनुसार करना चाहिए। बहुत सी शंकायें व्यक्त की गयीं उपाध्यक्ष जी, यह भी कहा गया कि 61 लोग जो थे इनको छोड़ा गया, उनके लिए नहीं कहा गया। कल की जो फीगर थी कि 17 लोग अब भी हैं। 61 लोगों के ऊपर तो कुछ भी नहीं कहा गया कि 61 लोग छोड़ दिये गये। 17 लोगों के लिए कहा गया कि अब भी 17 लोग हैं। अगर सरकार के पास कुछ केवेज आते हैं और प्रदर्शन में यह बात आती है कि गलत पकड़े गये और उनको छोड़ दिया गया, तो इसकी भी शिकायत करेंगे। इमर्जेन्सी की बात की गयी। इमर्जेन्सी श्रीमन् पौने तीन साल तक, जब रेडियो खोला गया तो इमर्जेंसी, टी० वी० खोला गया तब इमर्जेंसी, जब सत्ता में थे, तब इमर्जेन्सी, जब विरोध में हैं, तब इमर्जेंसी तो इमर्जेन्सी के अलावा इनको न कुछ दिखाई देता है और न सुनाई देता है। तो उपाध्यक्ष जी, यह एक ऐसा संशोधन था, जिस पर कम से कम माननीय रियासत हुसैन जी को शिकायत नहीं होनी चाहिए थी। हां राजेन्द्र जी को हो तो हो क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही अर्ज किया था। लेकिन उनको प्रवर समिति की बात नहीं करनी चाहिए थी, खैर उन्होंने जो किया ठीक ही किया। मैं उनसे अनुरोध करूंगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मैंने इसलिए उठाया है कि आप पर विश्वास नहीं है।

श्री अम्मार रिजवी--

यह तो आप वही बात कर रहे हैं कि जिसकी जैसी प्रवृत्ति होती है, वह वैसी ही बात करता है और वह इसलिए है कि आप उधर जो बैठे हैं, साथ का असर है, अगर आप इधर आ जायें तो शायद यह प्रवृत्ति खत्म हो जाये और मैं रियासत भाई से कहूंगा हालांकि जो बात सही थी, उसके लिए उन्होंने खुद ब खुद मुबारकबाद दी। लेकिन यह भी क्या करें, साथ ही ऐसे का है। इसलिए रियासत भाई से निवेदन करूंगा कि वह इसको वापस ले लें और राजेन्द्र साहब से अर्ज करूंगा वह तो हमारे जिले के भी हैं, उसी का ख्याल रखकर वापस ले लें और कल भी मैं इनकी मर्यादाओं के दायरे का शिकार हुआ था।

श्री उपाध्यक्ष--

कल श्री राजेन्द्र जी ने वापस ले लिया था।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

आज भी मर्यादा उस वक्त समाप्त हो सकती है अगर आप दोनों पत्रकारों को छोड़ दें तो वापिस ले लूंगा।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, भारत के संविधान का आदर करते हुए, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस संविधान का भारत का हर आदमी आदर करते हुए वह कभी भी ऐसे अराजक

तत्वों का इसके अन्दर पनपते हुए बर्दास्त नहीं कर सकता है, चाहे वह कोई भी हो, बड़ी से बड़ी ताकत हो और जहां पर भारत की प्रभुता, अखंडता टकरायेगी तो बर्दास्त नहीं किया जायेगा। यही वह वजह है कि इनके राज-काज में 3 साल तक वह खत्म नहीं हो सका। इसलिए मैं फिर अपनी इस बात को दोहराऊंगा कि ऐक्ट वहीं टकरायेगा जहां भारत की अखण्डता, प्रभुता और राष्ट्र के हितों का सवाल होगा, वहाँ बर्दाश्त नहीं किया जायेगा, चाहे वह कोई अपना ही दोस्त क्यों न हो, रिश्तेदार क्यों न हो या कोई भी छोटी-बड़ी शक्ति हो, उसे बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। लेकिन किसी राजनीतिक पर्पज आपसी दुश्मनी की वजह से यह इस्तेमाल नहीं होगा और जहां राष्ट्र का हित टकरायेगा, वहीं इसका इस्तेमाल होगा। इसलिए इस संविधान के 44वें संशोधन को देखते हुए इस बात के लिए रियासत साहब से फिर निवेदन करूंगा कि वह कृपया अपने प्रस्ताव को वापस ले लें।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन् दूध का जला हुआ छाछ फूंक-फूंक कर पीता है, लेकिन आज कल चीनी भी नहीं मिलती कि वह छांछ पिये। फिर चूंकि इनकी मजबूरी को देखते हुए कि संविधान में संशोधन हो चुका है, इसलिए इनको भी हर हालत में करना पड़ेगा, इसलिए मैं वापस लिये लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि श्री रियासत हुसैन जी को अपना संशोधन प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाय

(सदन की अनुमति से संशोधन प्रस्ताव वापस हुआ।)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

एक वाक्य कह दूं जहां तक देश की अखण्डता के खतरे की बात है मैं और मेरा दल तथा सम्पूर्ण प्रतिपक्ष किसी भी तरह सरकार से पीछे नहीं है। मैंने अपने भाषण में दो मुद्दे उठाये थे उनकी सफाई मंत्री जी दिये होते तो मैं अपना संशोधन वापस लेता एक बस्ती के बारे में और अलीगढ़ के बारे में। वह आदमी मंत्री के साथ बठता है और पुलिस में उसके खिलाफ एफ0 आई0 आर0 है। किन्तु उसके बारे में मंत्री जी ने कुछ नहीं कहा।

श्री अम्मार रिजवी--

मुझे ख्याल नहीं है कि किस मंत्री के साथ बैठता है हम लोग तो सार्वजनिक आदमी हैं हम लोगों के साथ तो सभी तरह के लोग बैठते हैं। राजेन्द्र कुमार गुप्त के साथ भी, जब वह जिले में जाते हैं, हर तरह के लोग बैठते होंगे और आप भी तो हमारे साथ बैठते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

श्री राजेन्द्र कुमार, आप अपना संशोधन वापस लेते हैं ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

नहीं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राष्ट्र विरोधी तत्व निवारण (संशोधन) विधेयक, 1980 को दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन 10 दिन में सदन में प्रस्तुत करें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राष्ट्र विरोधी तत्व निवारण (संशोधन) विधेयक, 1980 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 2 से 5, खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश राष्ट्र विरोधी तत्व निवारण (संशोधन) विधेयक, 1980

उत्तर प्रदेश राष्ट्र विरोधी तत्व निवारण अधिनियम, 1970 का संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के इकतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राष्ट्र विरोधी तत्व निवारण (संशोधन) अधिनियम, 1980 कहा जायगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 1971 की धारा 6 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश राष्ट्र विरोधी तत्व निवारण अधिनियम, 1970 को, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 6 में, उपधारा (1) में, खण्ड (क) में, शब्द और अंक "दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 87, 88 तथा 89" के स्थान पर शब्द और अंक "दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 82 से 85" रख दिये जायेंगे ।

धारा 8 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 8 में, उपधारा (2) और (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप धारायें रख दी जायेंगी, अर्थात्—

"(2) प्रत्येक ऐसी परिषद् का संघटन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिशों के अनुसार किया जायगा ।

(3) प्रत्येक ऐसी परिषद् में एक अध्यक्ष और कम से कम दो अन्य सदस्य होंगे, और अध्यक्ष उच्च न्यायालय का कार्यरत न्यायाधीश होगा और अन्य सदस्य किसी उच्च न्यायालय के कार्यरत या सेवा निवृत न्यायाधीश होंगे ।"

4--मूल अधिनियम की धारा 9 में, शब्द "तीस दिन" के स्थान पर शब्द "तीन सप्ताह" रख दिये जायेंगे । धारा 9 का संशोधन

5--मूल अधिनियम की धारा 10 में, उपधारा (1) में, शब्द "दस" के स्थान पर शब्द "सात" रख दिया जायगा । धारा 10 का संशोधन

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 5, खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अम्मार रिजवी--

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राष्ट्र विरोधी तत्व निवारण (संशोधन) विधेयक, 1980 पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राष्ट्र विरोधी तत्व निवारण (संशोधन) विधेयक, 1980 पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

अब हम उठते हैं कल 11 बजे पुनः बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 6 बजकर 58 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ ।
18 सितम्बर, 1980 ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 33 का उत्तर पीछे पृष्ठ 302 पर)

ग्राम सभाओं की सूची जहां टाउन/नोटीफाइड एरिया सृजित किये जाने के प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुये हैं

जिले का नाम	ग्राम सभा का नाम
1—गाजियाबाद	1—बतियाना
	2—सुराना
	3—असालतपुर
	4—मपरावत
	5—भवताना
	6—बावली
	7—सरूरपुर
	8—रोहटा
	9—लुहारी
	10—शाहजहांपुर
	11—बहादुरगढ़
2—मुजफ्फरनगर	12—लाल
	13—टोरों
	14—बनत
	15—बसेड़ा
3—पिथौरागढ़	16—मूलाघाट
4—अल्मोड़ा	17—गरुण बैजनाथ
5—नैनीताल	18—बिमेशपुर
6—टिहरी गढ़वाल	19—चम्बा
7—देहरादून	20—हरबर्टपुर
8—बांदा	21—मऊ मानिकपुर
9—सहारनपुर	22—सोमली लक्सर
10—बांदा	23—कालीनगर

संसद पुस्तकालय सभा

जिले का नाम	ग्राम सभा का नाम
11--हमीरपुर	24--बीवांर
	25--मुस्करा
	26--गेवड़ी
	27--पनवाड़ी
12--ललितपुर	28--जखौरा, जाखलौन, बानपुर दिघौराव, नारहट
13--झांसी	29--तालपुरा, सिरक पट्टी तथा सिगडी
	30--गहरौटा
14--जालौन	31--पिरौना
	32--पुठौर
	33--एट
	34--परासन
	35--कुसमिलिया
	36--डकौर
15--मथुरा	37--कारब
	38--करौली, बेगांव तथा कामर
	39--माटराजा तथा माटमूला
	40--शेरगढ़
16--आगरा	41--किरावली
17--वाराणसी	42--सिकन्दरपुर चकिया
	43--कटरा बाजार
	44--बड़ा गांव
	45--कांटा बबूरी
	46--महमूदपुर
	47--जंघई बाजार
	48--महाराजगंज बाजार
18--बलिया	49--हुसैनाबाद

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जिले का नाम	ग्राम सभा का नाम
19—जौनपुर	50—खेतासराय
	51—सुजानगंज
	52—केसराबाजार
20—मिर्जापुर	53—नरायनपुर
	54—डाला
	55—कोन
21—गाजीपुर	56—तालपुर मांझार
22—गोरखपुर	57—ठूंठी बाजार
	58—बांसगांव
	59—ब्रह्मपुर व रामपुरा
	60—महराजगंज
	61—सहजनवां
	62—घुघली
23—बस्ती	63—हल्लौर एवं भटगवां
	64—बभनान बाजार
24—आजमगढ़	65—खैराबाद
25—देवरिया	66—खड्डा खड्डी
26—बिजनौर	67—ताजपुर
27—पीलीभीत	68—कलीनगर
	69—शेरपुर
	70—बरखेड़ा
28—बदायूं	71—उघौती, खड़ुवा सतैनी तथा रितौली
	72—रमजानपुर
29—मुरादाबाद	73—सुरजनगर
30—बरेली	74—टुनका
	75—फंजनगर
31—हरदोई	76—हरियावां

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जिले का नाम	ग्राम सभा का नाम
32--उन्नाव	77--मगरायर
	78--हिलौली
33--लखनऊ	79--माल
	80--मोहनलालगंज
34--रायबरेली	81--सेहगों
	82--बरसतेपुर
35--खीरी	83--ईसानगर
	84--निधासन
	85--नितौला
36--सुल्तानपुर	86--कादोपुर
	87--मुसाफिरखाना
37--बाराबंकी	88--कुर्सी
	89--मसौली
	90--बिलहरा
38--फैजाबाद	91--शाहगंज
	92--हसबर
39--बहराइच	93--रिसियाबाजार
	94--मिहिनपुरवा
	95--फखरपुर
	96--पयागपुर
40--फतेहपुर	97--हंसवां
	98--खजुहा
	99--खकरेरु
41--इलाहाबाद	100--करछना
	101--जंघई बाजार
	102--कोरांव
	103--सोराम
	104--माण्डा

विधान सभा

जिले का नाम	ग्राम सभा का नाम
42--इटावा	105--बकेवर
	106--अहेरीपुर
	107--ऐरवाकटरा
	108--बसरेहर
43--फर्रुखाबाद	109--सरायमीरा
	110--समधन
	111--सठिया
	112--बिशुनगढ़
	113--सोरिख
44--कानपुर	114--सरसौल
	115--मूसानगर
	116--मंधना
	117--नरवल
	118--मंझावन
	119--राजपुर
	120--डेरापुर

पी0एस0यू0पी0--41 वि0 सभा--28-9-81--835 (पी0डी0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा